

दिल्ली हवाईअड्डा के लिए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

मध्य

प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौता

04 अप्रैल, 2006

विषय-सूची

अध्याय / अनुसूची	शीर्षक	पृष्ठ
अध्याय I	परिभाषाएं एवं व्याख्या	7
अध्याय II	अनुदान का दायरा	18
अध्याय III	पूर्वापेक्षित शर्तें	28
अध्याय IV	प्रतिवेदन एवं वारंटियां	32
अध्याय V	प्रभावी तिथि पर हवाईअड्डे के संबंध में अधिकारों का अंतरण एवं संक्रमण चरण	35
अध्याय VI	परिचालन सहायता	38
अध्याय VII	स्थल की स्वीकृति / अस्वीकरण	41
अध्याय VIII	निर्माण/विकास, परिचालन एवं प्रबंधन	43
अध्याय IX	सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं एवं विकास मानक	57
अध्याय X	निगरानी एवं सूचना	61
अध्याय XI	शुल्क	64
अध्याय XII	प्रशुल्क एवं विनियमन	67
अध्याय XIII	वित्तीय व्यवस्थाएं एवं प्रतिभूति	68

अध्याय / अनुसूची	शीर्षक	पृष्ठ
अध्याय XIV	एएआई के हस्तक्षेप अधिकार	71
अध्याय XV	विवाद	73
अध्याय XVI	अप्रत्याशित घटना	74
अध्याय XVII	व्यतिक्रम / डिफॉल्ट	77
अध्याय XVIII	अवधि, अवसान एवं अंतरण	83
अध्याय XIX	अंतरण प्रावधान	85
अध्याय XX	सामान्य	90
अनुसूची 1	विकास मानक एवं आवश्यकताएं	98
अनुसूची 2	परिचालन एवं अनुरक्षण मानक और आवश्यकताएं	101
अनुसूची 3	वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं	103
अनुसूची 4	व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं	105
अनुसूची 5	वैमानिक सेवाएं	106
अनुसूची 6	गैर-वैमानिक सेवाएं	108
अनुसूची 7	अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं	110
अनुसूची 8	हवाईअड्डा प्रचालक समझौता सिद्धांत	113

अनुसूची 9	प्रतिस्थापन समझौते का प्रारूप	118
अनुसूची 10	संक्रमण योजना	132
अनुसूची 11	बीमा सूची	133
अनुसूची 12	संविदा प्रक्रियाएं	135
अनुसूची 13	एस्करो खाता समझौता	136
अनुसूची 14	प्रारंभिक विकास योजना	151
अनुसूची 15	विशेषज्ञों की सूची	152
अनुसूची 16	अत्यावश्यक सेवाएं	153
अनुसूची 17	बोली बांड का प्रारूप	154
अनुसूची 18	कार्य-निष्पादन बांड का प्रारूप	157
अनुसूची 19*	*जानबूझकर छोड़ दिया गया	161
अनुसूची 20	अस्वीकरण प्रमाणपत्र	162
अनुसूची 21	स्वतंत्र अभियंता के कर्तव्य	166
अनुसूची 22	बैंक गारंटी का प्रारूप (इक्विटी प्रतिबद्धता)	167
अनुसूची 23	परिचालन सहायता लागत का विवरण	170
अनुसूची 24	स्वीकृतियों / अनापत्तियों की सूची	171
अनुसूची 25	पट्टाकृत परिसर	172

अनुसूची 26	अतिक्रमण	173
अनुसूची 27	पृथक्कृत परिसंपत्तियां	174
अनुसूची 28	विद्यमान पट्टे	175
अनुसूची	शीर्षक	पृष्ठ
अनुसूची 29*	*जानबूझकर छोड़ दिया गया	182
अनुसूची 30	स्वतंत्र मूल्यांककों के पैनल का चयन	183

परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौता

यह परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौता (यह "समझौता" या "ओएमडीए") आज दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को निष्पादित किया गया,

द्वारा एवं मध्य:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) प्रथम पक्ष; तथा
2. **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली हवाईअड्डा, नई दिल्ली में स्थित है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

(एएआई और जेवीसी को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा)।

जबकि :

(क) एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("एएआई अधिनियम") के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में हवाईअड्डों के विकास, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ख) एएआई, हवाईअड्डे (यथा परिभाषित) के बेहतर प्रबंधन के हित में और/या समग्र जनहित में, अपने कुछ कार्यों, जो कि हवाईअड्डे के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के कार्य हैं, को जेवीसी को सौंपने तथा इस उद्देश्य के लिए इसमें

निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार हवाईअड्डा स्थल (यथा परिभाषित) गठित करने वाले परिसर को पट्टे (lease) पर देने का इच्छुक है।

(ग) जेवीसी एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ हवाईअड्डे (यथा परिभाषित) के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ की गई है।

(घ) जेवीसी इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर और उनके अधीन हवाईअड्डे (यथा परिभाषित) के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के कार्य को करने के लिए इच्छुक और सहमत है।

अब, इसलिए, इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के प्रतिफल के रूप में, जिसकी पर्याप्तता और उपयुक्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अध्याय I

परिभाषाएं एवं व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"एएआई सेवाएं": सीएनएस/एटीएम समझौते के अनुसरण में एएआई द्वारा निष्पादित ऐसी सेवाएं/गतिविधियां अभिप्रेत हैं।

"वैमानिक परिसंपत्तियां" वे परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो हवाईअड्डे पर वैमानिक सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित हैं तथा ऐसी अन्य परिसंपत्तियां जिन्हें जेवीसी किसी आरक्षित गतिविधि के प्रावधान के लिए या उसके संबंध में परियोजना समझौतों के प्रावधानों के अनुसार (या अन्यथा भारत सरकार/एएआई के लिखित निर्देशों पर) खरीदता है और इसमें विशेष रूप से ऐसी वैमानिक परिसंपत्तियों के संबंध में अवधि के दौरान अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई सभी भूमि (अपवर्जित परिसर सहित), संपत्ति और उस पर स्थित संरचनाएं शामिल होंगी।

"वैमानिक सेवाएं": का वही अर्थ होगा जो इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में इसे दिया गया है।

"हवाईअड्डा": हवाईअड्डा स्थल पर स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा अभिप्रेत है।

"हवाईअड्डा व्यवसाय": हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन तथा हवाईअड्डा सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय अभिप्रेत है।

"वैमानिक प्रभार": का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12.1.1 में इसे दिया गया है।

"हवाईअड्डा प्रचालक समझौता": इसके साथ अनुसूची 8 के रूप में संलग्न सिद्धांतों पर आधारित जेवीसी और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच निष्पादित किया जाने वाला सेवा निष्पादन/सेवा स्तर समझौता अभिप्रेत है।

"हवाईअड्डा प्रचालक" या "प्रचालक": फ़ैपोर्ट एजी फ़्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड अभिप्रेत है, जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा इस रूप में पहचानी गई इकाई है, जो हवाईअड्डा प्रचालक समझौते में निहित ऐसी सेवाएं प्रदान करने हेतु जेवीसी के साथ एक समझौते में प्रवेश करती है।

"हवाईअड्डा सेवाएं": वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं का गठन करने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं।

"हवाईअड्डा स्थल": पट्टा विलेख (Lease Deed) में यथा परिभाषित पट्टाकृत परिसर (Demised Premises) का हिस्सा बनने वाली अंतर्निहित भूमि अभिप्रेत है जिसे इस समझौते के अनुसरण में पट्टा विलेख के तहत एएआई द्वारा पट्टे पर दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है तथा इस समझौते के अनुसरण में पट्टा विलेख के तहत या अन्यथा अवधि के दौरान जेवीसी द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई सभी भूमि (अपवर्जित परिसर सहित) शामिल है।

"लागू विधि": इस समझौते के अस्तित्व के दौरान भारत में लागू और प्रभावी कोई भी और सभी लागू कानून, जिनमें नियम, निर्देश, विनियम और उनके तहत जारी अधिसूचनाएं तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय शामिल हैं, अभिप्रेत हैं।

"बोली बांड": कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान एएआई को प्रस्तुत भारत में एक प्रतिष्ठित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी (जैसा कि इसके दिनांक से पूर्व इसे ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹500 करोड़ कर दिया गया है) अभिप्रेत है, जो इसके साथ अनुसूची 17 के रूप में संलग्न प्रारूप में है।

"बीसीएस": नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है।

"पुस्तकीय मूल्य": भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित मूल्यहास दरों के अनुसार किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्ति वर्ग की जेवीसी की बहियों में अपलिखित मूल्य अभिप्रेत है। यदि पूर्वोक्त अधिनियम में कतिपय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी परिसंपत्ति के लिए आयकर अधिनियम में प्रदान की गई मूल्यहास दरों को अपलिखित मूल्य पद्धति से सरल रेखा पद्धति में परिवर्तित करके माना जाएगा। यदि दोनों में से किसी भी अधिनियम में ऐसी दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार मूल्यहास दरों पर विचार किया जा सकता है।

"व्यावसायिक योजना": हवाईअड्डा व्यवसाय के लिए योजना अभिप्रेत है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, जो यह निर्धारित करती है कि एक नियोजन क्षितिज पर हवाईअड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास कैसे किया जाना है और इसमें योजना अवधि के लिए वित्तीय अनुमान शामिल होंगे।

"पृथक्कृत परिसंपत्तियां": इसके नीचे अनुसूची 27 में निर्धारित परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं;

"चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म": एक ऐसी फर्म (भारतीय या विदेशी मूल की) अभिप्रेत है जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा भारत में अपनी सेवाएं देने की अनुमति प्राप्त है;

"स्वीकृति / अनापत्ति" : कोई भी सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, व्यवस्था, छूट, अनापत्ति प्रमाणपत्र या किसी भी प्रकृति का अन्य प्राधिकार या अनुमति अभिप्रेत है जिसे किसी भी सरकारी प्राधिकरण और किसी अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक या सांविधिक निकाय, मंत्रालय, विभाग, साधन, एजेंसी, प्राधिकरण, बोर्ड, ब्यूरो, सांविधिक कार्यों को सौंपे गए और निष्पादित करने वाले निगम या आयोग से प्राप्त किया जाना और/या प्रदान किया जाना आवश्यक है, जो इसके तहत दायित्वों के निष्पादन के संबंध में समय-समय पर आवश्यक हो।

"सीएनएस/एटीएम समझौता": एएआई और जेवीसी के बीच सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता अभिप्रेत है।

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं": संचार, नौवहन और निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं अभिप्रेत हैं जैसा कि सीएनएस/एटीएम समझौते में वर्णित है;

"पूर्वापेक्षित शर्तें": सामूहिक रूप से एएआई पूर्वापेक्षित शर्तें, जेवीसी पूर्वापेक्षित शर्तें और सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तें अभिप्रेत हैं।

"कंसोर्टियम सदस्य" : सामूहिक रूप से (i) जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड; (ii) जीएमआर एनर्जी लिमिटेड; (iii) फ्रेपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड; (iv) मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड; (v) जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड; और (vi) इंडिया डेवलपमेंट फंड अभिप्रेत हैं।

"ऋण" : इसके नियमों के अनुसार अंतरण परिसंपत्तियों (Transfer Assets) के विकास और उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण से संबंधित ऋण समझौतों, नोट्स, बांड्स और अन्य ऋण लिखतों, सुरक्षा समझौतों और अन्य दस्तावेजों सहित प्रथम प्रभार (समान प्रभार सहित) द्वारा सुरक्षित ऋणों, गारंटियों (जिस सीमा तक भुनाई गई हों), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के अभिदान, परिवर्तनीय डिबेंचरों के अभिदान (जिस सीमा तक इक्विटी में परिवर्तित न हुए हों) और अन्य ऋण लिखतों के माध्यम से निष्पक्ष आधार पर ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में अंतरण तिथि के अनुसार ऋणदाताओं को देय बकाया मूलधन की मात्रा अभिप्रेत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित ऋण का गठन नहीं करेंगे: (i) अंतरण तिथि से पूर्व देय ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन, ब्याज, लेवी, प्रभार, दंडात्मक प्रभार, शास्तियां और/या नुकसानी), जिस पर जेवीसी ने व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) किया है; (ii) अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी कार्यशील पूंजी सुविधाएं; (iii) गैर-अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकृति की वित्तीय सहायता; तथा (iv) अधीनस्थ ऋण ।

"विकास मानक एवं आवश्यकताएं": इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित मानक और आवश्यकताएं अभिप्रेत हैं।

"विवाद": इस समझौते से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षों के बीच कोई भी विवाद, मतभेद, प्रश्न या असहमति अभिप्रेत है।

"प्रभावी तिथि": वह तिथि अभिप्रेत है जिस पर पूर्वापेक्षित शर्तों को इसके नियमों के अनुसार पूरा कर लिया गया है या अधित्यक्त कर दिया गया है।

"भार / बाधा" : कोई भी बंधक, मार्गाधिकार, गिरवी , साम्यापूर्ण हित, पूर्व समनुदेशन, सशर्त बिक्री अनुबंध, दृष्टिबंधन, दूसरों का अधिकार, दावा, सुरक्षा हित, स्वत्व प्रतिधारण समझौता, मतदान ट्रस्ट समझौता, हित, विकल्प, ग्रहणाधिकार , प्रभार, सुखाचार , अतिक्रमण या किसी भी प्रकृति की अन्य शर्त, प्रतिबद्धता, प्रतिबंध या सीमा अभिप्रेत है, जिसमें उपयोग, मतदान, हस्तांतरण, आय की प्राप्ति या स्वामित्व के किसी अन्य गुण के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध शामिल है। "भारग्रस्त" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

"इकाई" : कोई भी व्यक्ति, निगमित निकाय, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म या व्यक्तियों/व्यक्तियों का अन्य संघ, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अभिप्रेत है।

"पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट": हवाईअड्डे पर पर्यावरणीय स्थिति की स्थिति को कवर करने वाली रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसे इसके अनुच्छेद 8.5.10(i) के अनुसार एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है।

"पर्यावरण प्रबंधन रणनीति": इसके अनुच्छेद 8.5.10 के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा तैयार की जाने वाली योजना अभिप्रेत है जो पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पहचाने गए मामलों के समाधान के लिए नियोजित रणनीति और कार्यों को निर्धारित करती है।

"एस्क्रो खाता" : एस्करो समझौते के अनुसरण में/उसके तहत स्थापित एस्करो खाता अभिप्रेत है।

"एस्क्रो समझौता" : एएआई, जेवीसी और एक बैंक के बीच इसके साथ संलग्न अनुसूची 13 में दिए गए प्रारूप में निष्पादित किया जाने वाला एस्क्रो खाता समझौता अभिप्रेत है।

"अत्यावश्यक परिसंपत्तियां": वे परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं जो अत्यावश्यक सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित हैं;

"अत्यावश्यक सेवाएं" : वे वैमानिक सेवाएं और गैर-वैमानिक सेवाएं अभिप्रेत हैं जो इसके साथ संलग्न अनुसूची 16 में सूचीबद्ध हैं तथा ऐसी अन्य सेवाएं जिन्हें समय-समय पर पारस्परिक रूप से अनुसूची में जोड़े जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है।

"इक्विटी" : जेवीसी की प्रदत्त शेयर (इक्विटी एवं वरीयता) पूंजी अभिप्रेत है और इसमें जेवीसी के शेयरधारकों द्वारा जेवीसी को दिए गए किसी भी अधीनस्थ ऋण को शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि ऋणदाता या उनका एजेंट ऐसे अधीनस्थ ऋण को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करता है और एएआई को लिखित सूचना द्वारा इसकी सूचना देता है; बशर्ते हालांकि कि पूर्वगामी के होते हुए भी, जेवीसी में प्रदत्त शेयर पूंजी या अधीनस्थ ऋण के रूप में लगाई गई किसी भी राशि को उस सीमा तक 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जिस सीमा तक ऐसी राशियां अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित नहीं हैं।

"विद्यमान परिसंपत्तियां" : हवाईअड्डा स्थल पर इसके निष्पादन की तिथि को विद्यमान किसी भी प्रकृति की भौतिक, मूर्त, अमूर्त और अन्य परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं, सिवाय इन्वेंटरी, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स के अलावा कार्यशील पूंजी परिसंपत्तियों के।

"विद्यमान पट्टे" : हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से के लिए वर्तमान में वैध और विद्यमान पट्टे अभिप्रेत हैं, जो एएआई और विभिन्न तीसरे पक्षों के बीच निष्पादित किए गए हैं, जिनका विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 28 में दिया गया है;

"मूल्यांकित संस्थाएं": सामूहिक रूप से (1) जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड; (2) जीएमआर एनर्जी लिमिटेड; (3) फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड; और (4) मलेशिया एयरपोर्ट्स (नियागा) एसडीएन. बीएचडी. अभिप्रेत हैं।

"उचित बाजार मूल्य" : अंतरण तिथि के संदर्भ में, अंतरण तिथि के अनुसार प्रचलित भूमि के बाजार मूल्य को घटाकर पूरी परिसंपत्ति का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

"वित्तीय दस्तावेज" : ऋण जुटाने के लिए जेवीसी द्वारा निष्पादित दस्तावेज अभिप्रेत हैं।

"वित्तीय निवेशक" : सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में यथा परिभाषित कोई भी पात्र संस्थागत खरीदार अथवा बैंकिंग, बीमा, ऋण देने या परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल भारत में कोई भी वित्तीय रूप से विनियमित इकाई अभिप्रेत है, जो भारत में निगमित है और जो एक प्रमुख सदस्य और/या मूल्यांकित इकाई नहीं है।

"अप्रत्याशित घटना" : अनुच्छेद 16.1 में यथा वर्णित घटनाएं अभिप्रेत होंगी।

"विदेशी एयरलाइ" : एक ऐसी विदेशी इकाई अभिप्रेत है जो हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करती है;

"विदेशी इकाई" : भारतीय इकाई के अलावा कोई भी अन्य इकाई अभिप्रेत है;

"सामान्य कर्मचारी" : प्रभावी तिथि के अनुसार हवाईअड्डे पर तैनात एएआई के सभी स्थायी कर्मचारी अभिप्रेत होंगे, सिवाय हवाई यातायात नियंत्रण ("एटीसी"), सुरक्षा (यदि कोई हो) तथा संचार, नौवहन एवं निगरानी ("सीएनएस") विभागों के कर्मचारियों तथा उप महाप्रबंधक या उसके समकक्ष पद से ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर।

"भारत सरकार" : भारत की केंद्र सरकार और कोई भी मंत्रालय, विभाग या केंद्र सरकार का साधन अभिप्रेत है जो उसके नियंत्रण में है और उसके संप्रभु कार्यों का निष्पादन करता है।

"अच्छी उद्योग परिपाटी": कौशल, तत्परता, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेक की उस डिग्री तथा उपकरणों, सुरक्षा, सेवाओं और प्रदर्शन के उन तौर-तरीकों, विधियों, विनिर्देशों और मानकों का प्रयोग अभिप्रेत है, जो समय-समय पर बदल सकते हैं तथा हवाईअड्डे की क्षमता के समान क्षमता वाले विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगे एक कुशल और अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालक / संविदाकार द्वारा उचित और सामान्य रूप से उपयोग किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

"सरकारी प्राधिकरण" : भारत सरकार और भारत में प्रांतीय, राज्य या स्थानीय सरकार और उसका कोई भी राजनीतिक उप-प्रभाग अभिप्रेत है।

"समूह इकाई" : किसी विनिर्दिष्ट इकाई के संबंध में, ऐसी विनिर्दिष्ट इकाई को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाली, उसके द्वारा नियंत्रित या उसके साथ सामान्य नियंत्रण के अधीन कोई अन्य इकाई अभिप्रेत है; बशर्ते हालांकि कि, इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, "नियंत्रित करना", "द्वारा नियंत्रित" या "सामान्य नियंत्रण के अधीन" शब्दों का अर्थ किसी इकाई के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने या निर्देश देने की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना है, चाहे वह मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से हो, अनुबंध द्वारा या अन्यथा, अथवा ऐसी इकाई के संबंध में समान अधिकार का प्रयोग करने वाले कम से कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, साझेदारों या अन्य व्यक्तियों को चुनने या नियुक्त करने की शक्ति हो।

"आईएटीए" : इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अभिप्रेत है।

"आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश": आईएटीए सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले स्लॉट आवंटन नियम और दिशानिर्देश अभिप्रेत हैं।

"आईसीएओ": शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन या उसका कोई उत्तराधिकारी अभिप्रेत है।

"स्वतंत्र लेखा परीक्षक" : इसके अनुच्छेद 11.2 के अनुसार नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म अभिप्रेत है;

"स्वतंत्र अभियंता" : इसके अनुच्छेद 8.5.8 के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता अभिप्रेत है।

"भारतीय इकाई" : भारत में निगमित/गठित/अधिवासित (यथास्थिति) कोई भी इकाई अभिप्रेत है।

"प्रारंभिक विकास योजना" : हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण और विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान जेवीसी का गठन करने वाले कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा एएआई को प्रस्तुत हवाईअड्डे के विकास की विकास योजना अभिप्रेत है, जो इसके साथ अनुसूची 14 के रूप में संलग्न है।

"भारतीय रक्षा बल" : भारत के सशस्त्र बल और भारत के अर्ध-सैन्य बल अभिप्रेत हैं।

"पट्टा विलेख" : पट्टाकृत परिसर (उसमें यथा परिभाषित) के लिए पक्षों के बीच निष्पादित किया जाने वाला पट्टा विलेख अभिप्रेत है।

"विरासत के मामले" : हवाईअड्डे से संबंधित वे देनदारियां या दायित्व अभिप्रेत हैं जो प्रभावी तिथि से पूर्व की अवधि के दौरान कार्यों या निष्क्रियताओं से सीधे संबंधित हैं या उनसे उत्पन्न होते हैं।

"ऋणदाता" : ऋण देने का व्यवसाय करने वाले वित्तीय संस्थान, बैंक, बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियां और समान निकाय या उनके ट्रस्टी/एजेंट जिनमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं, अभिप्रेत हैं, जिन्होंने इसके नियमों के अनुसार अंतरण परिसंपत्तियों के विकास के सभी या किसी भी हिस्से की लागत को पूरा करने के लिए किसी भी वित्तीय दस्तावेज के तहत जेवीसी को गारंटी देने या वित्त प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

"प्रमुख विकास योजना" : प्रत्येक प्रमुख वैमानिक या अन्य विकास या विकास समूहों के लिए तैयार की गई एक योजना अभिप्रेत है जो प्रस्तावित विकास के विवरण को निर्धारित करती है जिसे मास्टर प्लान में व्यापक रूप से निर्धारित किया गया है और इसमें कार्यात्मक विनिर्देश, डिजाइन, रेखाचित्र, लागत, वित्तपोषण योजना, निर्माण की समय-सारणी और पूंजीगत बजट शामिल होगा।

"अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं": इसके साथ संलग्न अनुसूची 7 में वर्णित विकास परियोजनाएं अभिप्रेत हैं।

"मास्टर प्लान" : हवाईअड्डे के विकास के लिए मास्टर प्लान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सहायता समझौते में निर्धारित तरीके से जेवीसी द्वारा विकसित और तैयार किया गया है, जो वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं को कवर करते हुए पूरे हवाईअड्डा क्षेत्र के चरणबद्ध विकास की योजनाओं को निर्धारित करता है, और जो बीस (20) वर्षों के समय क्षितिज के लिए है और जिसे अद्यतन किया जाता है और प्रत्येक ऐसा अद्यतनीकरण राज्य सहायता समझौते में वर्णित तरीके से भारत सरकार की समीक्षा/टिप्पणियों और बातचीत के अधीन है।

"सारवान प्रतिकूल प्रभाव": जेवीसी या हवाईअड्डे के व्यवसाय, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), देनदारियों, परिसंपत्तियों, परिचालनों (या परिचालनों के परिणामों) या संभावनाओं पर केवल उस सीमा तक सारवान प्रतिकूल प्रभाव अभिप्रेत है जो इस समझौते के तहत स्पष्ट शर्तों के अनुसार किसी भी पक्षकार को सौंपे गए संबंधित दायित्वों, वचनों, अधिकारों और लाभों को पूरा करने, निर्वहन करने, प्राप्त करने और/या ग्रहण करने की क्षमता को सारवान रूप से निष्फल या बाधित करता है।

"शुद्ध वर्तमान मूल्य": किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में, मूल्यांकन की तिथि पर अनुमानित रियायती मूल्य अभिप्रेत है, जो मूल्यांकन तिथि से उक्त परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन या वर्तमान मास्टर प्लान के तहत अभीष्ट जीवन, जो भी कम हो, के लिए उत्पन्न होने वाले मुक्त नकदी प्रवाह (free cash flows) (मूल्यांकन तिथि पर अंतर्निहित भूमि के तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य को दर्शाते हुए) का रियायती मूल्य है, यह मानते हुए कि ऐसे आर्थिक जीवन के अंत में परिसंपत्ति का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा।

"गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां": अभिप्रेत होंगी:

1. अनुसूची 6 के भाग I में सूचीबद्ध हवाईअड्डे पर गैर-वैमानिक सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित सभी परिसंपत्तियां और इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 में पारस्परिक रूप से जोड़े जाने

हेतु सहमत कोई भी अन्य सेवाएं जो हवाईअड्डे पर स्थित हैं (चाहे वे जेवीसी के स्वामित्व में हों या किसी तीसरी इकाई के स्वामित्व में हों); तथा

2. इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 के भाग II में सूचीबद्ध हवाईअड्डे पर गैर-वैमानिक सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित सभी परिसंपत्तियां जो हवाईअड्डे पर स्थित हैं (चाहे वे जेवीसी के स्वामित्व में हों या किसी तीसरी इकाई के स्वामित्व में हों), उस सीमा तक जहां तक ऐसी परिसंपत्तियां (क) किसी भी टर्मिनल भवन के भीतर स्थित हैं या उसका हिस्सा बनती हैं; (ख) उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में शामिल किसी अन्य वैमानिक परिसंपत्ति से जुड़ी हुई हैं और ऐसी परिसंपत्तियां स्वतंत्र पहुंच और स्वतंत्र अस्तित्व में असमर्थ हैं; अथवा (ग) मुख्य रूप से किसी टर्मिनल परिसर/कार्गो परिसर की सेवा/सुविधा प्रदान कर रही हैं;

और इसमें विशेष रूप से ऐसी गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के संबंध में अवधि के दौरान अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई सभी अतिरिक्त भूमि (पट्टाकृत परिसर के अलावा), संपत्ति और उस पर स्थित संरचनाएं शामिल होंगी।

"गैर-वैमानिक सेवाएं": ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं जो इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 के भाग I और भाग II में सूचीबद्ध हैं।

"गैर-अंतरण परिसंपत्तियां": हवाईअड्डा स्थल पर स्थित इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 के भाग II में सूचीबद्ध गैर-वैमानिक सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित सभी परिसंपत्तियां अभिप्रेत हैं (चाहे वे जेवीसी के स्वामित्व में हों या किसी तीसरी इकाई के स्वामित्व में हों), बशर्ते वे गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां न हों।

"वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं": इसके साथ संलग्न अनुसूची 3 में निर्धारित मानक अभिप्रेत हैं।

"ओएमडीए कार्यान्वयन निरीक्षण समिति": का वही अर्थ होगा जो इसके अनुच्छेद 8.5.9 में इसे दिया गया है।

"परिचालन एवं अनुरक्षण मानक और आवश्यकताएं": अनुसूची 2 में निर्धारित मानक अभिप्रेत हैं।

"परिचालन सहायता": का वही अर्थ होगा जो इसके अनुच्छेद 6.1.1 में इसे दिया गया है।

"परिचालन सहायता लागत": हवाईअड्डे पर सामान्य कर्मचारियों के संबंध में एएआई द्वारा वहन की जाने वाली सभी वार्षिक लागतें अभिप्रेत हैं, जिसमें परिचालन सहायता की अवधि के दौरान प्रोद्भूत होने वाले वेतन, लाभ, सांविधिक भुगतान, अनुलाभ और सेवांत लाभों में अंशदान शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिचालन सहायता लागत में वे सभी कर्मचारी लाभ शामिल होंगे जो परिचालन सहायता अवधि के दौरान प्रोद्भूत हुए हैं परंतु परिचालन सहायता अवधि की समाप्ति के बाद देय हैं। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि परिचालन सहायता लागत में विशेष रूप से ऐसी कोई भी लागत या व्यय शामिल नहीं होंगे जो परिचालन सहायता अवधि के प्रारंभ होने से पहले प्रोद्भूत हुए हैं परंतु परिचालन सहायता अवधि के दौरान सामान्य कर्मचारियों को देय हैं।

"परिचालन सहायता अवधि": का वही अर्थ होगा जो इसके अनुच्छेद 6.1.1 में इसे दिया गया है।

"यात्री सेवा शुल्क": हवाईअड्डे पर चढ़ने वाले प्रत्येक यात्री से लिया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है जैसा कि राज्य सहायता समझौते में वर्णित है।

"कार्य-निष्पादन बांड": इसके अनुच्छेद 8.6 में निर्धारित मूल्य और वैधता की नई दिल्ली में लागू करने योग्य और नकदीकरण योग्य एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी अभिप्रेत है जो इसके साथ अनुसूची 18 के रूप में संलग्न प्रारूप में है।

"प्रमुख सदस्य": सामूहिक रूप से (i) जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड; (ii) जीएमआर एनर्जी लिमिटेड; (iii) फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड; और (iv) मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड अभिप्रेत हैं।

"परियोजना समझौते": निम्नलिखित समझौते अभिप्रेत होंगे:

1. यह समझौता;
2. राज्य सहायता समझौता;

3. शेयरधारक समझौता;
4. सीएनएस-एटीएम समझौता;
5. हवाईअड्डा प्रचालक समझौता -
6. राज्य सरकार सहायता समझौता;
7. पट्टा विलेख;
8. प्रतिस्थापन समझौता; तथा
9. एस्करो खाता समझौता;

और "परियोजना समझौता" से उनमें से कोई एक अभिप्रेत होगा।

"मुद्रास्फीति दर": किसी भी वर्ष के लिए, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक द्वारा मापी गई औसत मुद्रास्फीति दर अभिप्रेत होगी।

"नियामक प्राधिकरण": हवाईअड्डों के किसी भी पहलू के नियमन हेतु भारत में स्थापित/स्थापित किया जाने वाला कोई भी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

"प्रासंगिक प्राधिकरण": भारत सरकार, एएआई, डीजीसीए , बीसीएस , आप्रवासन विभाग एवं गृह मंत्रालय की नामित सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य मंत्रालय का संगरोध विभाग एवं कृषि मंत्रालय का पादप संगरोध विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मौसम विज्ञान विभाग, नियामक प्राधिकरण (यदि कोई हो), सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय या उसका कोई अन्य उप-प्रभाग या साधन, कोई स्थानीय प्राधिकरण या लागू कानूनों द्वारा अधिकार प्राप्त कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।

"आरक्षित गतिविधियां" : केवल वैमानिक परिसंपत्तियों और संबंधित सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क , आप्रवासन , सुरक्षा (और विशेष रूप से वैमानिक परिसंपत्तियों के निकट से हटाए गए क्षेत्रों को छोड़कर), स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, पादप और पशु संगरोध तथा सीएनएस/एटीएम सेवाएं और लागू विधि के अनुसार अन्य सांविधिक या संप्रभु कार्य अभिप्रेत हैं।

"सेवानिवृत्ति मुआवजा": इसके अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा दिए गए रोजगार के प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले सामान्य कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी सामान्य कर्मचारियों के लिए औसत 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' ("वीआरएस") लागत अभिप्रेत होगी, जो एएआई की नवीनतम वीआरएस (यदि कोई हो) के अनुसार होगी, अथवा एएआई की विशिष्ट वीआरएस के अभाव में तत्कालीन उपलब्ध लाभदायक अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू उच्चतम वीआरएस होगी।

"राजस्व" : जेवीसी का कर-पूर्व सकल राजस्व अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (क) प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा की गई गतिविधियों के लिए जेवीसी द्वारा किए गए भुगतान (यदि कोई हों) या बिजली, पानी, सीवरेज या समरूप उपयोगिताओं के प्रावधान के लिए जेवीसी द्वारा प्राप्त भुगतान, जहां तक तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं को ऐसी उपयोगिताओं के लिए भुगतान की गई राशियों की सीमा तक हों; (ख) राजस्व हानि हेतु बीमा क्षतिपूर्ति को छोड़कर अन्य बीमा प्राप्तियां; (ग) किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति या वस्तुओं की बिक्री से जेवीसी को प्रोद्भूत होने वाली कोई भी राशि; (घ) लागू विधि के तहत किसी भी सरकारी प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से जेवीसी द्वारा एकत्र किए गए भुगतान और/या धनराशि; (ङ) बट्टे खाते में डाले गए कोई भी अशोध्य ऋण (bad debts), बशर्ते कि ये पिछले राजस्व से संबंधित हों जिस पर एएआई को वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 11 के अनुसरण में एएआई को देय वार्षिक शुल्क और एएआई को देय परिचालन सहायता लागत को राजस्व में से नहीं घटाया जाएगा।

"अनुसूचित एयरलाइंस": वे एयरलाइंस अभिप्रेत हैं जो वायुयान नियमावली, 1937 के तहत परिभाषित "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" संचालित करती हैं;

"शेयरधारक समझौता": जेवीसी के शेयरधारकों के बीच इसके दिनांक को या उसके आसपास निष्पादित शेयरधारक समझौता अभिप्रेत है।

"व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं": इसके साथ संलग्न अनुसूची 4 में निर्धारित मानक अभिप्रेत हैं।

"प्रतिस्थापन समझौता": एएआई, जेवीसी और ऋणदाताओं के बीच इसके साथ संलग्न अनुसूची 9 में दिए गए प्रारूप में निष्पादित किया जाने वाला समझौता अभिप्रेत है।

"अधिशेष खाता": का वही अर्थ होगा जो एस्क्रो समझौते में इसे दिया गया है।

"चरण 1" : प्रभावी तिथि से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली हवाईअड्डे के विकास की अवधि अभिप्रेत होगी।

"चरण 2" : चरण 1 की समाप्ति पर प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली हवाईअड्डे के विकास की अवधि अभिप्रेत होगी।

"अधीनस्थ ऋण" : जेवीसी के शेयरधारकों द्वारा जेवीसी को दिया गया कोई भी ऋण अभिप्रेत होगा।

"अवधि" : का वही अर्थ होगा जो इसके अनुच्छेद 18 में इसे दिया गया है।

"अंतरण परिसंपत्तियां": निम्नलिखित प्रकार की परिसंपत्तियां अभिप्रेत होंगी:

- वैमानिक परिसंपत्तियां ; तथा
- गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां ।

"अंतरण तिथि" : वह तिथि अभिप्रेत है जिस पर जेवीसी इसके नियमों के अनुसार अंतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का कब्जा (और ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में जो एएआई के स्वामित्व में नहीं हैं, उनका स्वामित्व और कब्जा) एएआई या उसके नामित व्यक्ति को सौंपता है, जो यथास्थिति जेवीसी या एएआई द्वारा जारी संबंधित समाप्ति नोटिस के अनुसार समाप्ति की तिथि होगी, अथवा इस समझौते की समाप्ति की तिथि होगी।

"संक्रमण योजना" : एएआई से जेवीसी को हवाईअड्डे के संक्रमण की योजना अभिप्रेत है जो इसके साथ अनुसूची 10 के रूप में संलग्न है।

"अग्रिम शुल्क" : अनुच्छेद 11.1.1 के अनुसरण में जेवीसी द्वारा एएआई को देय राशि अभिप्रेत होगी।

"वर्ष" : किसी भी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले लगातार 12 महीनों की अवधि अभिप्रेत होगी; बशर्ते हालांकि कि प्रथम वर्ष का अर्थ प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर तत्काल आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि होगी तथा अंतिम वर्ष का अर्थ 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर इसके अवसान या समाप्ति की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि होगी।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) एकवचन के संदर्भ में बहुवचन और बहुवचन के संदर्भ में एकवचन शामिल होगा; तथा किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग शामिल होंगे।
- (ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ इस समझौते के अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ होगा।
- (iii) परिशिष्ट, अनुसूचियां, संलग्नक और अनुलग्नक इस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदों के किसी भी प्रावधान और परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों या अनुलग्नकों के किसी भी प्रावधान के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, अनुच्छेदों का प्रावधान प्रभावी होगा।
- (iv) कानून के बल वाले किसी भी कानून या विनियमन का संदर्भ समय-समय पर संशोधित, रूपांतरित, पूरक, विस्तारित या पुनः अधिनियमित उस कानून या विनियमन का संदर्भ शामिल करता है।
- (v) समय का कोई भी संदर्भ, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भारत में समय का संदर्भ माना जाएगा। कैलेंडर का कोई भी संदर्भ ग्रेगोरियन कैलेंडर का संदर्भ माना जाएगा।
- (vi) इस समझौते में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और अनुलग्नकों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और वे इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(vii) "शामिल हैं" या "सहित" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं" शब्द माने जाएंगे, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश हों या न हों।

(viii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संदर्भित किसी भी समय अवधि को ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त माना जाएगा।

(ix) यदि अनुच्छेद 1 में कोई प्रावधान किसी पक्षकार पर अधिकार प्रदान करने या दायित्व अधिरोपित करने वाला सारवान प्रावधान है, तो उसे इस प्रकार प्रभावी किया जाएगा मानो वह इस समझौते के मुख्य भाग में एक सारवान प्रावधान हो;

(x) निर्माण का यह नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा;

(xi) समझौतों, दस्तावेजों या अन्य लिखतों के सभी संदर्भों में (सभी प्रासंगिक अनुमोदनों के अधीन) समय-समय पर संशोधित, पूरक, रूपांतरित, प्रतिस्थापित, नवीकृत या समनुदेशित उस समझौते, दस्तावेज या लिखत का संदर्भ शामिल है।

अध्याय II

अनुदान का दायरा

2.1 कार्य का अनुदान

2.1.1 एएआई इसके द्वारा जेवीसी को अवधि के दौरान एएआई के कुछ कार्यों, जो कि हवाईअड्डे के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के कार्य हैं, को शुरू करने तथा हवाईअड्डे पर वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं (परंतु आरक्षित गतिविधियों को छोड़कर) का गठन करने वाली सेवाओं और गतिविधियों को निष्पादित करने का अनन्य अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है; तथा जेवीसी इसके द्वारा इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के कार्यों को करने तथा हवाईअड्डे को हर समय अच्छी मरम्मत और परिचालन स्थिति में रखने और हवाईअड्डे पर वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं (परंतु आरक्षित गतिविधियों को छोड़कर) का गठन करने वाली सेवाओं और गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए सहमत होता है "अनुदान"।

2.1.2 पूर्वोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएआई इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अवधि के दौरान जेवीसी के अनन्य अधिकार को मान्यता देता है:

- (i) हवाईअड्डे का विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, संचालन, अनुरक्षण, उपयोग करना तथा तीसरे पक्षों द्वारा उसके उपयोग को विनियमित करना;
- (ii) वैमानिक सेवाएं और गैर-वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हवाईअड्डा स्थल और विद्यमान परिसंपत्तियों के पूर्ण और निर्बाध कब्जे और नियंत्रण का उपभोग करना;
- (iii) इसके अनुच्छेद 12 के अनुसार हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से प्रभार निर्धारित करना, मांगना, एकत्र करना, प्रतिधारित करना और विनियोजित करना; तथा

(iv) जेवीसी की ओर से कार्यों को करने के लिए तीसरे पक्षों के साथ अनुबंध और/या उप-अनुबंध करना, तथा अनुच्छेद 8.5.7 के अनुसार पट्टाकृत परिसर को उप-पट्टे पर देना और/या लाइसेंस देना।

2.2 जेवीसी का एकमात्र उद्देश्य

2.2.1 चूंकि जेवीसी की स्थापना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों और देनदारियों का पालन और निष्पादन करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए की गई है, इसलिए जेवीसी या उसकी कोई भी सहायक कंपनी, एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, यहां परिकल्पित व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न, संबंधित या इच्छुक नहीं होगी। बशर्ते हालांकि कि जेवीसी राज्य सहायता समझौते के तहत जेवीसी को दिए गए प्रथम इनकार के अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में दूसरे हवाईअड्डे के विकास, निर्माण, संचालन या रखरखाव में संलग्न हो सकती है।

2.2.2 आरक्षित गतिविधियां

उपर्युक्त अनुच्छेद 2.1 के होते हुए भी, जब तक कि एएआई/भारत सरकार द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देश न दिया जाए, आरक्षित गतिविधियां जेवीसी द्वारा नहीं की जाएंगी। इस अनुच्छेद 2.2 में या आरक्षित गतिविधियों की परिभाषा में कुछ भी एएआई या भारत सरकार को ऐसे नियमों और शर्तों पर (ऐसी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिफल सहित) जो दोनों पक्षों को उचित रूप से स्वीकार्य हों, जेवीसी से किसी भी या सभी आरक्षित गतिविधियों को करने की अपेक्षा करने और उन्हें वैमानिक सेवाओं/गैर-वैमानिक सेवाओं की सूची में शामिल करने से नहीं रोकेगा।

2.2.3 वैमानिक सेवाएं, गैर-वैमानिक सेवाएं और अत्यावश्यक सेवाएं

पूर्वगामी और लागू विधि के अधीन रहते हुए, जेवीसी हवाईअड्डा स्थल पर वैमानिक सेवाएं और अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करेगा/करेगा। जेवीसी प्रस्तावित (प्रारूप) मास्टर प्लान में उन्हें शामिल करके हवाईअड्डा स्थल पर गैर-वैमानिक सेवाएं शुरू करने/प्रदान करने की मांग कर सकता है, बशर्ते कि यदि वे (अंतिम) मास्टर प्लान का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें इस समझौते में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया

जाएगा। जेवीसी और एएआई, पक्षों के बीच पारस्परिक समझौते पर, एएआई या जेवीसी द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार ऐसी अन्य गतिविधियों को शामिल करने के लिए गैर-वैमानिक सेवाओं की सूची को अद्यतन करेंगे।

इस समझौते में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी हवाईअड्डा स्थल पर वैमानिक सेवाओं, गैर-वैमानिक सेवाओं और अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा।

2.2.4 पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि जेवीसी उपर्युक्त अनुसार हवाईअड्डे पर गैर-वैमानिक सेवाएं प्रदान करेगा, बशर्ते हालांकि कि गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के प्रावधान के लिए उपयोग किया जाने वाला भूमि क्षेत्र पट्टाकृत परिसर का गठन करने वाले कुल भूमि क्षेत्र के पांच प्रतिशत (या दिल्ली के सक्षम स्थानीय प्राधिकरण के मास्टर प्लान मानदंडों में निर्धारित भिन्न प्रतिशत, जैसा कि समय-समय पर बदल सकता है) से अधिक नहीं होगा। बशर्ते कि गैर-अंतरण परिसंपत्तियां, यदि कोई हों, जो पृथक्कृत परिसंपत्तियों का हिस्सा हैं और/या विद्यमान पट्टों पर स्थित हैं, उन्हें गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के प्रावधान हेतु उपयोग किए गए कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

2.3 अन्य सारवान निवेश

अनुच्छेद 2.2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी अवधि के दौरान एएआई की लिखित सहमति के बिना हवाईअड्डे के अलावा किसी अन्य उपक्रम में कोई शेयर, स्वामित्व भागीदारी या कोई अन्य स्वामित्व हित धारण नहीं करेगा।

बशर्ते कि जेवीसी या उसकी सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम व्यवसाय के सामान्य क्रम में ट्रेजरी संचालन कर सकते हैं और इस समझौते के तहत परिकल्पित किसी भी वैमानिक सेवा, गैर-वैमानिक सेवा या अत्यावश्यक सेवा के निष्पादन हेतु विशेष रूप से निगमित/सृजित किसी भी उपक्रम में शेयर, स्वामित्व भागीदारी या कोई अन्य स्वामित्व हित धारण कर सकते हैं, अथवा राज्य सहायता समझौते के तहत प्रथम इनकार के अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में दूसरे हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन, प्रबंधन, विकास या रखरखाव में संलग्न हो सकते हैं।

2.4 कर्मचारी / एजेंट

जेवीसी अपने किसी भी कर्मचारी, रियायतग्राही, उप-रियायतग्राही, साझेदार, व्यापारिक सहयोगी, लाइसेंसधारी, उप-लाइसेंसधारी, उप-पट्टेदार, ठेकेदार या एजेंट से हवाईअड्डे या हवाईअड्डा स्थल पर या उसके संबंध में ऐसी कोई गतिविधि या व्यवसाय चलाने की अपेक्षा नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा या सहन नहीं करेगा, जिसमें संलग्न होने या संचालन करने से जेवीसी को इस समझौते के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

2.5 जेवीसी स्वामित्व संरचना

(क) इसके पक्षकार सहमत हैं कि जेवीसी के प्रमुख सदस्य प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए उनके द्वारा धारित जेवीसी के किसी भी इक्विटी शेयर का हस्तांतरण नहीं करेंगे, कोई भार सृजित नहीं करेंगे या कोई लेन-देन नहीं करेंगे। बशर्ते हालांकि कि प्रमुख सदस्य अपने द्वारा धारित शेयरों को किसी वित्तीय निवेशक को हस्तांतरित कर सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी में जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा बनाए रखें और प्रमुख सदस्य (सामूहिक रूप से, एक समूह के रूप में) उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे किसी वित्तीय निवेशक को ऐसे किसी हस्तांतरण के बाद जेवीसी में जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 26% हिस्सा बनाए रखें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि कोई प्रमुख सदस्य, जिसकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई है, जेवीसी में अपने शेयरों को किसी वित्तीय निवेशक को हस्तांतरित नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप जेवीसी में मूल्यांकित इकाई का हितकारी स्वामित्व 10% से कम हो जाए और सभी मूल्यांकित इकाइयों का जेवीसी में हितकारी स्वामित्व तथा प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन हेतु माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26% से कम हो जाए। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि जेवीसी में कोई इक्विटी शेयर ("अंतरण शेयर") किसी प्रमुख सदस्य द्वारा किसी वित्तीय निवेशक "हस्तांतरित वित्तीय निवेशक" को हस्तांतरित किए जाते हैं, तो हस्तांतरणकर्ता प्रमुख सदस्य और जेवीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हस्तांतरित वित्तीय निवेशक, प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, अंतरण शेयरों के पूरे या किसी हिस्से को किसी अन्य

वित्तीय निवेशक के अलावा किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं करेगा, जो बदले में **(और उससे अंतरण शेयरों के पूरे या किसी हिस्से के क्रेता)** समान प्रतिबंध से बंधे होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय निवेशक जो इस अनुच्छेद 2.5(क) के अनुसरण में जेवीसी में शेयरधारक बनते हैं, वे प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, अंतरण शेयरों के पूरे या किसी हिस्से को किसी अन्य वित्तीय निवेशक के अलावा किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(ख) प्रभावी तिथि से छठे (6वें) वर्ष के प्रारंभ से लेकर सातवें (7वें) वर्ष के अंत तक की अवधि के दौरान, प्रमुख सदस्य अपने द्वारा धारित जेवीसी के किसी भी शेयर का हस्तांतरण कर सकते हैं, कोई भार सृजित कर सकते हैं या लेन-देन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे किसी हस्तांतरण या ऐसे किसी भार के सृजन या ऐसे किसी लेन-देन के बावजूद, संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा बनाए रखे और प्रमुख सदस्य (सामूहिक रूप से, एक समूह के रूप में) ऐसे किसी भी हस्तांतरण के बाद जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी का 26% हिस्सा बनाए रखें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि एक प्रमुख सदस्य, जिसकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई है, हस्तांतरण नहीं करेगा, जेवीसी में किसी भी शेयर पर कोई भार सृजित नहीं करेगा या कोई लेन-देन नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप जेवीसी में मूल्यांकित इकाई का हितकारी स्वामित्व 10% से कम हो जाए और सभी मूल्यांकित इकाइयों का जेवीसी में हितकारी स्वामित्व तथा प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन हेतु माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी के 26% से कम हो जाए।

(ग) प्रभावी तिथि से सात (7) वर्ष की समाप्ति के बाद, प्रमुख सदस्य, एएआई के अनुमोदन के बिना, अपने द्वारा धारित जेवीसी के किसी भी शेयर का हस्तांतरण कर सकते हैं, कोई भार सृजित कर सकते हैं या लेन-देन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे किसी हस्तांतरण या ऐसे किसी भार के सृजन या ऐसे किसी लेन-देन के बावजूद, संबंधित प्रमुख सदस्य जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा बनाए रखे और प्रमुख सदस्य (सामूहिक रूप से,

एक समूह के रूप में) ऐसे किसी भी हस्तांतरण के बाद जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी का 26% हिस्सा बनाए रखें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि एक प्रमुख सदस्य, जिसकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई है, जेवीसी में किसी भी शेयर का हस्तांतरण कर सकता है, कोई भार सृजित कर सकता है या लेन-देन कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण, भार का सृजन या लेन-देन एएआई के पूर्व अनुमोदन के बिना जेवीसी में मूल्यांकित इकाई के हितकारी स्वामित्व को 10% से नीचे न लाए तथा जेवीसी में सभी मूल्यांकित इकाइयों के हितकारी स्वामित्व और प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है, और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के उद्देश्य से माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी के 26% से नीचे न लाए। प्रभावी तिथि से सात (7) वर्ष की समाप्ति के बाद, किसी भी प्रमुख सदस्य (या उसके हस्तांतरिती शेयरधारक या उनके बाद के हस्तांतरिती शेयरधारक(धारकों)) द्वारा धारित जेवीसी के शेयरों को किसी भी इकाई को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा (इस अनुच्छेद 2.5(c) के पूर्ववर्ती वाक्यों के तहत अनुमत हस्तांतरण के अलावा), सिवाय एएआई की पूर्व लिखित अनुमति के, जो अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि एएआई का उचित रूप से यह मानना न हो कि शेयरों के ऐसे हस्तांतरण (और उक्त प्रमुख सदस्य (या उसके हस्तांतरिती शेयरधारक या उनके बाद के हस्तांतरिती शेयरधारक(धारकों)) के परिणामी निकास) के अनुसरण में जेवीसी की तकनीकी, वित्तीय या परिचालन क्षमता ऐसे हस्तांतरण से पहले की तुलना में निम्नतर हो जाएगी; सिवाय इसके कि यदि 30 दिनों के भीतर अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो इसे अनुमोदित माना जाएगा।

(घ) पक्षकारों का यह आशय है कि जेवीसी, यदि इसके विकास वित्तपोषण के लिए आवश्यक हो, किसी भी समय मुंबई और/या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में जेवीसी के शेयरों की लिस्टिंग करा सकती है। बशर्ते हालांकि कि प्रभावी तिथि से पहले सात वर्षों के दौरान, जेवीसी में शेयरों की कोई भी सार्वजनिक पेशकश (public offer), जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सदस्यों की प्रतिशत धारिता कम होती है, शेयरों की ऐसी संख्या की नहीं होगी जिससे प्रमुख सदस्यों की शेयरधारिता 10% से कम हो जाए और प्रमुख सदस्यों की शेयरधारिता (सामूहिक रूप से)

जेवीसी की जारी और चुकता शेयर पूंजी के 26% से कम हो जाए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि एक प्रमुख सदस्य, जिसकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई है, जेवीसी में मूल्यांकित इकाई के हितकारी स्वामित्व को 10% से नीचे नहीं लाएगा तथा जेवीसी में सभी मूल्यांकित इकाइयों के हितकारी स्वामित्व और प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है, और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के उद्देश्य से माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी के 26% से नीचे नहीं लाएगा। ऐसी कोई भी लिस्टिंग जेवीसी के शेयरधारकों द्वारा अनुच्छेद 2.5 में परिकल्पित तरीके से जेवीसी में अपनी शेयरधारिता बनाए रखने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(ड.) पक्षकारों का आगे यह आशय है कि प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, मूल्यांकित संस्थाएं:

1. अपने संबंधित प्रमुख सदस्यों में अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर का हस्तांतरण नहीं करेंगी, कोई भार सृजित नहीं करेंगी या कोई लेन-देन नहीं करेंगी। बशर्ते हालांकि कि जहां कोई मूल्यांकित इकाई एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में शेयर रखती है, वहां मूल्यांकित संस्थाएं अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में वही हितकारी स्वामित्व बनाए रखेंगी (और उस पर कोई भार सृजित नहीं करेंगी) जो उन्होंने जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हवाईअड्डे के लिए बोली प्रस्तुत करते समय धारित किया था;
2. अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर उसी स्तर का नियंत्रण (Control) बनाए रखेंगी जो उन्होंने जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हवाईअड्डे के लिए बोली प्रस्तुत करते समय रखा था।

(च) प्रभावी तिथि से छठे (6वें) वर्ष के प्रारंभ से लेकर सातवें (7वें) वर्ष के अंत तक की अवधि

के दौरान, मूल्यांकित संस्थाएं अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में किसी भी शेयर का हस्तांतरण कर सकती हैं, कोई भार सृजित कर सकती हैं या कोई लेन-देन कर सकती हैं (या अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में अपने हितकारी स्वामित्व को बदल सकती हैं, जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ऐसे किसी हस्तांतरण या ऐसे किसी भार के सृजन या ऐसे किसी लेन-देन के बावजूद:

1. संबंधित मूल्यांकित इकाई जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी के कम से कम 10% का हितकारी स्वामित्व बनाए रखे;
2. जेवीसी में सभी मूल्यांकित संस्थाओं के हितकारी स्वामित्व और प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है, और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के उद्देश्य से माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 26% हो;
3. संबंधित मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर नियंत्रण बनाए रखे।

(छ) पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रभावी तिथि से पहले सात वर्षों के दौरान, एक मूल्यांकित इकाई जेवीसी में अपने हितकारी स्वामित्व को किसी वित्तीय निवेशक (Financial Investor) को हस्तांतरित कर सकती है; बशर्ते हालांकि कि किसी वित्तीय निवेशक को ऐसा कोई हस्तांतरण शेयरों की ऐसी संख्या का नहीं होगा जो जेवीसी में मूल्यांकित इकाई के हितकारी स्वामित्व को 10% से नीचे लाए तथा जेवीसी में सभी मूल्यांकित संस्थाओं के हितकारी स्वामित्व और प्रमुख सदस्यों की प्रत्यक्ष शेयरधारिता (जिनकी कोई समरूप मूल्यांकित इकाई नहीं है, और जिनकी अपनी योग्यताओं को जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन हेतु माना गया है) का योग सामूहिक रूप से जेवीसी में जारी और चुकता शेयर पूंजी के 26% से कम हो जाए। इसके अलावा, मूल्यांकित इकाई अपने संबंधित प्रमुख सदस्य पर वही नियंत्रण बनाए रखेगी जो उसके पास जेवीसी हेतु कंसोर्टियम सदस्यों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हवाईअड्डे के लिए बोली प्रस्तुत करने के समय था।

(ज) प्रभावी तिथि से सात (7) वर्षों की समाप्ति के बाद, अपने संबंधित प्रमुख सदस्यों में मूल्यांकित संस्थाओं के हितकारी स्वामित्व और नियंत्रण में एएआई की पूर्व लिखित अनुमति के

बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि एएआई का उचित रूप से यह मानना न हो कि शेयरों के ऐसे हस्तांतरण (और उक्त मूल्यांकित इकाई (या उसके हस्तांतरिती शेयरधारक या उनके बाद के हस्तांतरिती शेयरधारक(धारकों)) के परिणामी विकास) के अनुसरण में जेवीसी की तकनीकी, वित्तीय या परिचालन क्षमता ऐसे हस्तांतरण से पहले की तुलना में निम्नतर हो जाएगी; सिवाय इसके कि यदि 30 दिनों के भीतर अनुमोदन या अस्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(i) इस अनुच्छेद 2.5 के प्रयोजनों के लिए:

(i) किसी मूल्यांकित इकाई का "संबंधित प्रमुख सदस्य" वह प्रमुख सदस्य है जिसे जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के उद्देश्य से एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसी मूल्यांकित इकाई की योग्यता सौंपी गई है।

(ii) जेवीसी में किसी मूल्यांकित इकाई के "हितकारी स्वामित्व" का अर्थ अपने संबंधित प्रमुख सदस्य में मूल्यांकित इकाई की शेयरधारिता गुणा जेवीसी में प्रमुख सदस्य की शेयरधारिता होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; तथा

जहां मूल्यांकित इकाई एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रमुख सदस्य में शेयर रखती है, तो हितकारी स्वामित्व का अर्थ अपनी सहायक कंपनी में मूल्यांकित इकाई की शेयरधारिता गुणा उसकी सहायक कंपनी या प्रमुख सदस्य में सहायक कंपनी की शेयरधारिता (और इसी प्रकार आगे) गुणा जेवीसी में प्रमुख सदस्य की शेयरधारिता होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा।

एक दृष्टांत के रूप में:

यदि कोई मूल्यांकित इकाई किसी प्रमुख सदस्य में 60% शेयर रखती है, जो जेवीसी में 30% शेयर रखता है, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई का हितकारी स्वामित्व है:

$$0.60 * 0.30 = 0.18 * 100 = 18\%$$

यदि कोई मूल्यांकित इकाई बी में 60% शेयर रखती है, जो प्रमुख सदस्य में 80% शेयर रखता है, जो जेवीसी में 30% शेयर रखता है, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई का हितकारी स्वामित्व है:

$$0.60 * 0.80 * 0.30 = 0.144 * 100 = 14.4\%$$

बशर्ते हालांकि कि यदि किसी मूल्यांकित इकाई का 'संबंधित प्रमुख सदस्य' कोई कंपनी नहीं है, तो जेवीसी में ऐसी मूल्यांकित इकाई के हितकारी स्वामित्व की गणना एक ऐसी विधि द्वारा की जाएगी जो उस आशय को प्राप्त करती है और जिसका वही प्रभाव होता है जो उस विधि का होता है जिसका उपयोग जेवीसी में मूल्यांकित इकाई के हितकारी स्वामित्व की गणना के लिए किया जाता है जहां ऐसी मूल्यांकित इकाई का संबंधित प्रमुख सदस्य एक कंपनी है।

(iii) किसी इकाई के "नियंत्रण" का अर्थ किसी इकाई के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने या निर्देश देने की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना है, चाहे वह मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से हो, अनुबंध द्वारा या अन्यथा, अथवा ऐसी इकाई के संबंध में समान अधिकार का प्रयोग करने वाले कम से कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, साझेदारों या अन्य व्यक्तियों को चुनने या नियुक्त करने की शक्ति हो।

(ज) पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते हैं और जेवीसी तदनुसार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रचालक इस समझौते की अवधि के लिए हवाईअड्डे के संबंध में प्रचालक बना रहेगा। बशर्ते कि प्रभावी तिथि से सात (7) वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद एएआई की पूर्व सहमति से प्रचालक को बदला जा सकता है, ऐसी सहमति तब नहीं रोकी जाएगी जब वैकल्पिक प्रचालक नीचे खंड (के) के अनुसार स्वीकार्य हो। इसके द्वारा यह समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि वैकल्पिक प्रचालक का चयन भारत सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलता के अधीन होगा और भारत सरकार का अनुमोदन एक अतिरिक्त शर्त होगी। इस अनुच्छेद में कुछ भी हवाईअड्डा प्रचालक समझौते में प्रदान किए गए अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक के दायित्वों के उल्लंघन के लिए उस समझौते की समाप्ति को नहीं रोकेगा। पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रभावी तिथि से सात (7) वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, एएआई की पूर्व सहमति से, जेवीसी स्वयं हवाईअड्डे का प्रचालक बन सकती है, बशर्ते कि वह नीचे निर्धारित वैकल्पिक प्रचालक की आवश्यकता को पूरा करती हो।

(ठ) प्रचालक को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्तावित किसी भी वैकल्पिक प्रचालक "वैकल्पिक प्रचालक" के पास प्रचालक के समान या उससे उच्चतर तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता और विशेषज्ञता होगी। जेवीसी अपने अनुमोदन हेतु एएआई को एक वैकल्पिक प्रचालक का चयन करने और प्रस्तावित करने की हकदार होगी "प्रस्ताव"। इस उप-खंड (ट) के अनुसरण में जेवीसी के प्रस्ताव में वैकल्पिक प्रचालक के संबंध में विवरण और जानकारी शामिल होगी, जिसमें हवाईअड्डे जैसे तुलनीय हवाईअड्डे में अनुभव के वर्ष, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), प्रबंधन का विवरण और शेयरधारिता पैटर्न शामिल है। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जेवीसी एएआई को ऐसी अतिरिक्त और अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत और वचनबद्ध है और इसके अनुसरण में प्रस्तुत किसी भी डेटा, विवरण या जानकारी के संबंध में ऐसे स्पष्टीकरण जैसा कि एएआई उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है। एएआई (क) एएआई द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख, या (ख) प्रस्ताव में शामिल किसी भी डेटा, विवरण या जानकारी के संबंध में अतिरिक्त और अन्य जानकारी तथा ऐसे स्पष्टीकरणों में से अंतिम प्राप्त होने की तारीख, जैसा कि एएआई द्वारा अनुरोध किया गया है, के दो सप्ताह बाद, जो भी बाद में हो, के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने स्वविवेक से ऐसे प्रस्ताव के अनुमोदन या अन्यथा से अवगत कराएगा। बशर्ते हालांकि कि किसी भी वैकल्पिक प्रचालक के संबंध में एएआई की अस्वीकृति कारण सहित (सकारण) होगी। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक प्रचालक का एक बिना शर्त वचनपत्र संलग्न होगा कि वह एएआई द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर, हवाईअड्डा प्रचालक समझौते के नियमों, शर्तों और अनुबंधों का पालन, अनुपालन, निष्पादन और पूर्ति करेगा, जिन्हें उसकी शर्तों के अनुसार प्रचालक द्वारा पालन, अनुपालन, निष्पादन और पूर्ति किया जाना आवश्यक है। एएआई द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर, ऐसा वैकल्पिक प्रचालक भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन हवाईअड्डा प्रचालक समझौते के तहत प्रचालक बन जाएगा। बशर्ते कि यदि एएआई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता है, तो जेवीसी वैकल्पिक प्रचालक के रूप में किसी अन्य इकाई का प्रस्ताव करेगी, और इस उप-खंड (ट) में उल्लिखित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि कोई प्रस्ताव एएआई द्वारा अनुमोदित न हो जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक जेवीसी द्वारा एएआई के अनुमोदन को पूरा करने वाला कोई वैकल्पिक प्रचालक नहीं मिल जाता है, तब तक जेवीसी प्रचालक को हवाईअड्डा प्रचालक समझौते के तहत प्रचालक के रूप में जारी रखेगी।

ड) इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी इसके द्वारा वचन देती है और सहमत होती है कि इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय:

(i) कुल विदेशी शेयरधारिता जेवीसी की कुल जारी और चुकता पूंजी के उनचास (49) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

तथा इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "विदेशी शेयरधारिता" का अर्थ निम्नलिखित का कुल योग होगा:

(क) सभी विदेशी संस्थाओं की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का कुल योग; तथा

(ख) भारतीय संस्थाओं के जेवीसी में "हितकारी विदेशी स्वामित्व" का कुल योग। ऐसे हितकारी विदेशी स्वामित्व का अर्थ किसी भारतीय इकाई में विदेशी इकाई की शेयरधारिता गुणा जेवीसी में भारतीय इकाई की शेयरधारिता होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; और जहां विदेशी इकाई एक या अधिक संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एक भारतीय इकाई (जेवीसी में शेयर रखने वाली) में शेयर रखती है, तो हितकारी स्वामित्व का अर्थ इकाई में विदेशी इकाई की शेयरधारिता गुणा जेवीसी में शेयर रखने वाली भारतीय इकाई में इकाई की शेयरधारिता (और इसी प्रकार आगे) गुणा जेवीसी में भारतीय इकाई (जेवीसी में शेयर रखने वाली) की शेयरधारिता होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा। बशर्ते हालांकि कि यदि भारतीय इकाई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित ऐसी भारतीय इकाई के किसी भी शेयर को ऊपर निर्धारित हितकारी विदेशी स्वामित्व का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

एक दृष्टांत के रूप में:

यदि कोई विदेशी इकाई किसी भारतीय इकाई में 60% शेयर रखती है, जो जेवीसी में 30% शेयर रखती है, तो जेवीसी में ऐसी विदेशी इकाई का हितकारी स्वामित्व है:

$$0.60 * 0.30 = 0.18 * 100 = 18\%$$

यदि कोई विदेशी इकाई ख (एक भारतीय इकाई) में 60% शेयर रखती है, जो किसी अन्य भारतीय इकाई में 80% शेयर रखती है, जो जेवीसी में 30% शेयर रखती है, तो जेवीसी में ऐसी

$$\begin{array}{ccccccccccc} \text{विदेशी} & & \text{इकाई} & & \text{का} & & \text{हितकारी} & & \text{स्वामित्व} & & \text{है:} \\ 0.60 & * & 0.80 & * & 0.30 & = & 0.144 & * & 100 & = & 14.4\% \end{array}$$

बशर्ते हालांकि कि अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी विदेशी एयरलाइंस को जेवीसी में कोई इक्विटी शेयर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(ii) अनुसूचित एयरलाइंस और उनकी संबंधित समूह संस्थाओं (ऐसी समूह संस्थाओं के अलावा जो जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान एएआई द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति दर्ज करने के निमंत्रण और प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेजों के जारी होने की तिथि को हवाईअड्डा प्रचालक थीं) की कुल शेयरधारिता जेवीसी की कुल जारी और चुकता पूंजी के दस (10) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ड) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 2.5 में निहित किसी भी बात का उद्देश्य जेवीसी में अपनी शेयरधारिता को किसी भी तरीके से बदलने के एएआई के अधिकार पर कोई सीमा अधिरोपित करना नहीं है और न ही ऐसा समझा जाएगा, जिसमें शेयरधारक समझौते के तहत प्रथम इनकार के अधिकार के अधीन किसी भी इकाई को शेयर हस्तांतरित करना शामिल है, जिसमें किसी प्रमुख सदस्य और/या हवाईअड्डा प्रचालक के प्रतिस्पर्धी को शेयर हस्तांतरित करना शामिल है।

(ढ) पूर्वगामी के होते हुए भी, किसी भी समय जेवीसी में शेयरों के सभी हस्तांतरण जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान एएआई द्वारा निर्धारित प्रासंगिक सुरक्षा और सत्यनिष्ठा अनापत्ति आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

2.6 पट्टा हित और अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का समझौता

2.6.1 पट्टा किराया , इस समझौते और इसमें जेवीसी की ओर से अनुबंधों और वारंटियों के प्रतिफल के रूप में, एएआई, एएआई अधिनियम और इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, इसके द्वारा पट्टा विलेख के तहत जेवीसी को पट्टे पर देने के लिए सहमत होता है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर, वह सभी भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल संपत्ति, यदि कोई हो, के साथ) है जो इसके साथ संलग्न अनुसूची 25 में वर्णित, निरूपित और दर्शाई गई है, सिवाय (i) किसी भी भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल संपत्ति, यदि कोई हो, के साथ) जो इस तिथि को हवाईअड्डे का गठन करने वाले किसी विद्यमान पट्टे (पट्टों) के तहत किसी तीसरे पक्ष को दी गई है; तथा (ii) पृथक्कृत परिसंपत्तियों में से कोई भी और सभी परिसंपत्तियां और अंतर्निहित भूमि उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल परिसंपत्तियों के साथ, "जैसा है जहां है के आधार पर" उस पर सभी भारों के साथ इसके बाद "पट्टाकृत परिसर", उक्त पट्टाकृत परिसर को, उक्त पट्टाकृत परिसर, आनुवंशिक संपदा या परिसर या उसके किसी हिस्से से संबंधित या किसी भी तरह से उससे जुड़े या उसके साथ उपभोग किए जाने वाले सभी और विशिष्ट अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, सुखाचारों और संलग्नकों के साथ, इस समझौते के तहत अनुमत उद्देश्यों के लिए इसके कार्यकाल की अवधि तक धारण करने के लिए। यदि अवधि के दौरान किसी भी समय, जेवीसी को वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक विकास योजना में पहचानी गई और पट्टाकृत परिसर का निर्धारण करने के लिए घटाई गई सौ (100) हेक्टेयर भूमि (या उसके किसी हिस्से) "अपवर्जित परिसर" की आवश्यकता होती है, तो जेवीसी एएआई से ऐसे अपवर्जित परिसर, या उसके हिस्से, जैसा भी मामला हो, को पट्टे पर देने का अनुरोध कर सकता है, और ऐसे अनुरोध पर पक्षकार ऐसा पट्टा प्रदान करने के लिए एक पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे।

2.6.2 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि इसके तहत प्रदान किए जाने हेतु सहमत पट्टाधृति अधिकार किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति पर तत्काल समाप्त हो जाएंगे।

2.6.3 पृथक्कृत परिसंपत्तियों की अंतर्निहित भूमि के संबंध में, पक्षकार आगे सहमत होते हैं कि यदि, अवधि के दौरान किसी भी समय, जेवीसी को कोई वैमानिक सेवाएं प्रदान करने या किसी वैमानिक परिसंपत्तियों को विकसित करने और/या निर्माण करने के लिए उक्त भूमि की

आवश्यकता होती है, तो पक्षकार उन नियमों और शर्तों पर सद्भावपूर्वक बातचीत करने के लिए एक साथ आएंगे जिन पर एएआई जेवीसी को उक्त भूमि पट्टे पर देगा, और जेवीसी एएआई से उक्त भूमि पट्टे पर लेगा।

अध्याय III

पूर्वापेक्षित शर्तें

3.1 पूर्वापेक्षित शर्तें

3.1.1 एएआई द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें:

इसके तहत जेवीसी के दायित्व एएआई द्वारा निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों "एएआई पूर्वापेक्षित शर्तें" की पूर्ति के अधीन हैं, जब तक कि ऐसी किसी शर्त को जेवीसी द्वारा इसके बाद प्रदान किए गए अनुसार अधित्यक्त न कर दिया गया हो:

- (i) एएआई ने शेयरधारक समझौते की एक प्रति जेवीसी को निष्पादित और वितरित की होगी।
- (ii) एएआई ने सीएनएस-एटीएम समझौते की एक प्रति जेवीसी को निष्पादित और वितरित की होगी।
- (iii) एएआई ने एस्करो समझौते की एक प्रति जेवीसी को निष्पादित और वितरित की होगी।
- (iv) एएआई ने एएआई को परिचालन सहायता लागत की एक अनुसूची के भाग के रूप में उनके पदनाम, वेतन और अन्य रोजगार संबंधी लागतों के विवरण के साथ सभी सामान्य कर्मचारियों की एक सूची जेवीसी को प्रदान की होगी।
- (v) एएआई ने एएआई या किसी प्रासंगिक प्राधिकरण और किसी तीसरे पक्ष के बीच हवाईअड्डे से संबंधित सभी मौजूदा अनुबंधों और समझौतों की एक सूची प्रदान की होगी जिन्हें इसके अनुच्छेद 5.1 के अनुसरण में जेवीसी को स्थानांतरित/नवीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
- (vi) एएआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 12 क (2) के तहत भारत सरकार के अनुमोदन की एक प्रति प्राप्त कर जेवीसी को प्रस्तुत की होगी, जो एएआई को हवाईअड्डे को पट्टे पर देने के लिए अधिकृत करती है।

(vii) एएआई ने नीचे अनुच्छेद 3.1.2 (v) के अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक समझौते की समीक्षा की होगी और उस पर टिप्पणी की होगी। बशर्ते हालांकि कि एएआई हवाईअड्डा प्रचालक समझौते पर केवल तभी टिप्पणियां दे सकता है यदि इसमें नीचे अनुसूची 8 में निर्धारित सिद्धांत शामिल नहीं हैं और/या उनके असंगत हैं और किसी अन्य कारण से नहीं।

(viii) एएआई ने पट्टा विलेख की एक प्रति जेवीसी को निष्पादित और वितरित की होगी। बशर्ते हालांकि कि पक्षकार सहमत हैं कि एएआई इस अध्याय 3 में उल्लिखित अन्य सभी पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरे होने के बाद ही पट्टा विलेख निष्पादित करेगा।

3.1.2 जेवीसी द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें

इसके तहत एएआई के दायित्व जेवीसी द्वारा निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों "जेवीसी पूर्वापेक्षित शर्तें" की संतुष्टि के अधीन हैं, जब तक कि ऐसी किसी शर्त को एएआई द्वारा इसके बाद दिए गए अनुसार अधित्यक्त न कर दिया गया हो:

- (i) जेवीसी एएआई को कार्य-निष्पादन बांड की मूल प्रति सौंपेगी (अनुच्छेद 8.6 के अनुसार)।
- (ii) जेवीसी ने एएआई को सीएनएस-एटीएम समझौते की एक प्रति निष्पादित और वितरित की होगी।
- (iii) जेवीसी ने एएआई को एस्करो समझौते की एक प्रति निष्पादित और वितरित की होगी।
- (iv) कंसोर्टियम सदस्यों ने एएआई को शेयरधारक समझौते को निष्पादित और वितरित किया होगा तथा एएआई और कंसोर्टियम सदस्यों के बीच इसे एक संयुक्त उद्यम में बदलने के लिए जेवीसी का प्रारंभिक पूंजीकरण किया होगा;
- (v) जेवीसी ने एएआई को हवाईअड्डा प्रचालक समझौता निष्पादित और वितरित किया होगा, जो नीचे अनुसूची 8 में निर्धारित सभी सिद्धांतों के अनुरूप होगा और उनमें समाहित होगा;

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि तैयार किए गए हवाईअड्डा प्रचालक समझौते में नीचे अनुसूची 8 में निर्धारित सभी सिद्धांत शामिल होंगे और एएआई द्वारा उस पर समीक्षा और टिप्पणी की गई होगी। प्रारूप हवाईअड्डा प्रचालक समझौते पर एएआई की समीक्षा / टिप्पणियां प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(क) इसके दिनांक से 14 दिनों के भीतर, प्रारूप हवाईअड्डा प्रचालक समझौता एएआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) एएआई प्रारूप हवाईअड्डा प्रचालक समझौता प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर हवाईअड्डा प्रचालक समझौते पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

(ग) एएआई अपनी टिप्पणियों के कारणों से जेवीसी को अवगत कराएगा, जो एएआई के कारणों की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर एएआई को प्रस्तुत किए जाने वाले हवाईअड्डा प्रचालक समझौते के संशोधित मसौदे में उनका समाधान करेगा।

(घ) उसके बाद खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाएगा।

(vi) जेवीसी ने एएआई को पूर्ण अग्रिम शुल्क का भुगतान कर दिया होगा;

(vii) अनुच्छेद 3.2(iv) में निर्धारित पूर्वापेक्षित शर्त की संतुष्टि पर, जेवीसी और कंसोर्टियम सदस्यों ने इसके साथ अनुसूची 20 के रूप में संलग्न प्रारूप में अस्वीकरण प्रमाणपत्र एएआई को निष्पादित और वितरित किया होगा।

(viii) कंसोर्टियम सदस्यों ने अनुसूची 22 में संलग्न प्रारूप में जेवीसी के पक्ष में भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक बैंक गारंटी ("इक्विटी बैंक गारंटी" एएआई को सौंपी होगी, जो ₹500 करोड़ तक के कंसोर्टियम सदस्यों की जेवीसी में इक्विटी प्रतिबद्धता की गारंटी देती है। उक्त इक्विटी बैंक गारंटी तब तक बनाए रखी जाएगी जब तक कि कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा जेवीसी में अपने इक्विटी योगदान के रूप में ₹500 करोड़ की पूरी राशि नहीं लगा दी जाती है, बशर्ते हालांकि कि इक्विटी बैंक गारंटी का मूल्य उत्तरोत्तर कम किया जा सकता है क्योंकि कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा जेवीसी में इक्विटी के रूप में राशियां वास्तव में लगाई जाती हैं। इक्विटी बैंक गारंटी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, एएआई कंसोर्टियम सदस्यों की अंतिम होल्डिंग कंपनी से प्राप्त प्रतिबद्धता पत्रों को विधिवत वापस कर देगा और जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान कंसोर्टियम सदस्यों से प्राप्त कंसोर्टियम सदस्यों की इक्विटी प्रतिबद्धता के संबंध में संयुक्त और कई दायित्व वचनपत्र को भी वापस कर देगा। यदि

एएआई इक्विटी बैंक गारंटी को भुनाता है, तो उससे प्राप्त राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी।

(ix) जेवीसी ने पट्टा विलेख की एक प्रति एएआई को निष्पादित और वितरित की होगी।

3.1.3 दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से पूरी की जाने वाली पूर्वापेक्षित शर्तें

पक्षकारों के दायित्व निम्नलिखित पूर्वापेक्षित शर्तों "सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तें" की संतुष्टि के अधीन हैं:

(i) जेवीसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ राज्य सरकार सहायता समझौता निष्पादित किया होगा।

(ii) जेवीसी ने भारत सरकार के साथ राज्य सहायता समझौता निष्पादित किया होगा और भारत सरकार ने उसके तहत गारंटी प्रदान की होगी।

(iii) जेवीसी ने इसके साथ संलग्न अनुसूची 24 में निर्धारित जेवीसी द्वारा हवाईअड्डे के संचालन और प्रबंधन के लिए तत्कालीन आवश्यक सभी स्वीकृतियां/अनापत्तियां प्राप्त कर ली होंगी। एएआई लागू विधि के पूर्ण अनुपालन में और विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधीन, जितनी जल्दी हो सके, ऐसी स्वीकृतियां देने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा जो देने की उसकी शक्ति के भीतर हैं।

3.2 जेवीसी और एएआई क्रमशः जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्त और एएआई की पूर्वापेक्षित शर्तों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों के शीघ्र निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से कदम उठाएंगे।

3.3 पूर्वापेक्षित शर्तों की अपूर्ति

यदि इस समझौते की तारीख से 3 महीने के भीतर, या पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी बाद की तारीख तक, अनुच्छेद 3.1.1, 3.1.2 या 3.1.3 में निर्धारित शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं हुई है, तो जेवीसी (एएआई की किसी भी पूर्वापेक्षित शर्त के पूरे न होने की स्थिति में), एएआई (जेवीसी की किसी भी पूर्वापेक्षित शर्त के पूरे न होने की स्थिति में) और पक्षों में से

कोई भी (सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों के पूरे न होने की स्थिति में) इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

बशर्ते हालांकि कि यदि यह समझौता जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों की अपूर्ति के कारण एएआई द्वारा समाप्त किया जाता है, तो एएआई (यथास्थिति) बोली बांड / कार्य-निष्पादन बांड को भुनाने का हकदार होगा।

बशर्ते आगे कि ऐसी किसी भी समाप्ति पर, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी समाप्ति से पूर्व उस पक्षकार से प्राप्त किसी भी धनराशि को (उपर्युक्त समाप्ति भुगतानों के अलावा) वापस करेगा।

कोई भी पक्षकार (यथास्थिति) जेवीसी की पूर्वापेक्षित शर्तों, या एएआई की पूर्वापेक्षित शर्तों, या सामान्य पूर्वापेक्षित शर्तों की अपूर्ति के लिए इस समझौते को उस सीमा तक समाप्त करने का हकदार नहीं होगा जिस सीमा तक ऐसी अपूर्ति किसी अप्रत्याशित घटना का परिणाम और/या परिणाम स्वरूप है।

3.4 इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि प्रभावी तिथि से पूर्व, एएआई जेवीसी को हवाईअड्डे तक उचित और त्वरित पहुंच प्रदान करेगा ताकि जेवीसी मास्टर प्लान और चरण 1 में अपेक्षित किसी भी प्रमुख विकास योजना को तैयार करने में सक्षम हो सके।

अध्याय IV

प्रतिवेदन एवं वारंटियां

4.1 जेवीसी द्वारा प्रतिवेदन एवं वारंटियां

जेवीसी इसके द्वारा एएआई को प्रतिवेदित करता है और वारंटी देता है कि इसके निष्पादन की तिथि को और प्रभावी तिथि के अनुसार:

- (क) जेवीसी भारत के कानूनों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित एक प्राइवेट कंपनी है और इसका गठन विधिवत रूप से किया गया है तथा यह निगमन के बाद से निरंतर अस्तित्व में है;
- (ख) जेवीसी के पास कॉर्पोरेट शक्ति और अधिकार हैं तथा उसने इस समझौते को वैध रूप से निष्पादित और वितरित करने तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का वैध रूप से निष्पादन करने के लिए सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां की हैं;
- (ग) इस समझौते के तहत जेवीसी के दायित्व इसके नियमों के अनुसार जेवीसी के विरुद्ध कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे;
- (घ) जेवीसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित या संशयी नहीं है, और ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति विद्यमान नहीं है जो ऐसी कार्यवाही को जन्म दे सकती हो जो इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे;
- (ङ.) जेवीसी एक विशेष प्रयोजन कंपनी (Special Purpose Company) है जो केवल हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन के उद्देश्य से निगमित की गई है;
- (च) जेवीसी का शेयरधारिता पैटर्न:

इसके निष्पादन की तिथि को:

क्र.सं.	शेयरधारक	प्रतिशत शेयरधारिता
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	100%

प्रभावी तिथि के अनुसार:

क्र.सं.	शेयरधारक	प्रतिशत शेयरधारिता
1.	जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	31.1%
2.	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड	10.0%
3.	फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड	10.0%
4.	मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड	10.0%
5.	जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	09.0%
6.	इंडिया डेवलपमेंट फंड	03.9%
7.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	26.0%

(छ) अपने संबंधित प्रमुख सदस्यों में मूल्यांकित संस्थाओं का शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रमुख सदस्य	मूल्यांकित सदस्य	इकाई	प्रमुख सदस्य में मूल्यांकित इकाई की शेयरधारिता
1.	मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड	मलेशिया एयरपोर्ट्स प्राइवेट (नियागा) बीएचडी.	मलेशिया एयरपोर्ट्स एसडीएन.	100%

(ज) इस समझौते में प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा, एएआई को इस समझौते में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने हेतु या इस समझौते को निरंतरता में रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को फीस, कमीशन या अन्यथा के रूप में नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि नहीं दी गई है, न ही देने का वादा किया गया है, या किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई है, और न ही किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से दी जाएगी या स्वीकार की जाएगी।

(झ) न तो उसने और न ही कंसोर्टियम सदस्यों में से किसी ने एएआई से जानबूझकर कोई सारवान जानकारी या सारवान दस्तावेज छुपाया है, जिसके गैर-प्रकटीकरण का कोई सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ता या जिससे मूल्यांकित संस्थाओं / प्रमुख सदस्यों के मूल्यांकन या स्वीकृति अथवा कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बोली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता;

4.2 एएआई द्वारा प्रतिवेदन एवं वारंटियां

एएआई इसके द्वारा जेवीसी को प्रतिवेदित करता है और वारंटी देता है कि इसके निष्पादन की तिथि को और प्रभावी तिथि के अनुसार:

(क) एएआई के पास इस समझौते को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का पालन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने इस समझौते के तहत सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं;

(ख) एएआई के पास विद्यमान परिसंपत्तियों (Existing Assets) का स्वामित्व रखने और प्रभावी तिथि तक हवाईअड्डे का संचालन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है;

(ग) एएआई ने कंसोर्टियम सदस्यों से जानबूझकर कोई सारवान जानकारी या सारवान दस्तावेज नहीं छुपाया है, जिसके गैर-प्रकटीकरण का कोई सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ता;

(घ) इस समझौते के तहत एएआई के दायित्व इसके नियमों के अनुसार एएआई के विरुद्ध कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे;

(ड.) पट्टाकृत परिसर पर उसका अच्छा और वैध स्वत्व है, और उसके पास जेवीसी को उसके संबंध में पट्टा हित प्रदान करने की शक्ति और प्राधिकार है;

(च) जेवीसी द्वारा पट्टा किराया का भुगतान करने और इसमें निहित अनुबंधों का पालन करने पर, एएआई इसके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, इसके अनुसार जेवीसी द्वारा पट्टाकृत परिसर के शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4.3. प्रकटीकरण

यदि इसके निष्पादन की तारीख के बाद किसी भी समय, किसी भी पक्षकार के संज्ञान में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है जो उसके उपर्युक्त प्रतिवेदनों या वारंटियों में से किसी को असत्य या गलत बनाती है, तो ऐसा पक्षकार तुरंत दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना देगा। ऐसी अधिसूचना का प्रभाव किसी ऐसे प्रतिवेदन या वारंटी के उल्लंघन को ठीक करने का नहीं होगा जो असत्य या गलत पाई गई है, और न ही यह इस समझौते के तहत किसी भी पक्षकार के किसी दायित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उससे उन्मुक्त करेगी।

अध्याय V

प्रभावी तिथि पर हवाईअड्डे के संबंध में अधिकारों का अंतरण एवं संक्रमण चरण

5.1 पूर्वापेक्षित शर्तों की संतुष्टि या अधित्याग , जैसा भी मामला हो, पर प्रभावी तिथि से, हवाईअड्डे के प्रचालन और प्रबंधन से जुड़े अधिकार और दायित्व जेवीसी को अंतरित हो जाएंगे, जो सभी वैमानिक सेवाओं , अत्यावश्यक सेवाओं और वर्तमान में हवाईअड्डे पर संचालित अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं (आरक्षित गतिविधियों के अलावा) के निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। जेवीसी प्रभावी तिथि से एएआई या किसी प्रासंगिक प्राधिकरण और किसी तीसरे पक्ष के बीच हवाईअड्डे से संबंधित सभी मौजूदा अनुबंधों और समझौतों के तहत इस प्रकार कार्य करेगा, मानो जेवीसी एएआई के स्थान पर ऐसे अनुबंधों और समझौतों का मूल पक्षकार था और इस उद्देश्य के लिए जेवीसी के जोखिम और लागत पर एएआई के सभी उत्तरदायित्वों, देनदारियों और दायित्वों का पालन करेगा (प्रतिपक्षियों के भुगतान दायित्वों सहित)।

बशर्ते हालांकि कि एएआई से जेवीसी को हवाईअड्डे का सुचारु अंतरण सुनिश्चित करने के लिए, एएआई संक्रमण चरण के दौरान नीचे दिए गए तरीके से जेवीसी को (सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर) सहायता प्रदान करेगा।

5.2 संक्रमण चरण

(क) प्रभावी तिथि से प्रारंभ होने वाली और उसके तीन (3) माह बाद समाप्त होने वाली अवधि संक्रमण चरण का गठन करेगी। बशर्ते हालांकि कि यदि संक्रमण चरण के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां उपर्युक्त तीन (3) माह की अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई हैं, तो संक्रमण चरण को तीन (3) माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, और ऐसी स्थिति में, प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उसके छह (6) माह बाद समाप्त होने वाली अवधि संक्रमण चरण का गठन करेगी।

(ख) संक्रमण चरण के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां होंगी:

(i) विद्यमान अनुबंध : जेवीसी इस सिद्धांत पर कि ऐसा अंतरण / नवीयन प्रभावी तिथि से और उसके बाद उत्पन्न होने वाले ऐसे अनुबंधों या समझौतों के तहत एएआई को सभी देनदारियों और दायित्वों से मुक्त कर देगा (विरासत के मामलों से संबंधित को छोड़कर), जेवीसी के साथ हवाईअड्डे से संबंधित एएआई और किसी तीसरे पक्ष के बीच सभी मौजूदा अनुबंधों और समझौतों को अंतरित / नवीकृत करने

के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा और एएआई सभी उचित सहायता प्रदान करेगा। पक्षकार, संबंधित तीसरे पक्षों के साथ मिलकर पूर्वोक्त अंतरण / नवीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेंगे या आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि हवाईअड्डे पर भूमि और/या भवन के उपयोग के लिए इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड की मौजूदा व्यवस्थाओं के संबंध में तथा हवाईअड्डे पर विमान ईंधन भरने के लिए सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की मौजूदा व्यवस्थाओं के संबंध में, जिनके लिए कोई स्पष्ट लिखित अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है या वर्तमान में मौजूद नहीं है, ऐसी मौजूदा व्यवस्थाएं प्रभावी तिथि से छह (6) माह की अवधि के लिए जारी रहेंगी और जेवीसी ऐसी अवधि के दौरान आगे बढ़ने के संबंध में इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत होगा।

बशर्ते हालांकि कि कोई भी तीसरा पक्ष अनुबंध जिसे किसी भी कारण से विशेष रूप से जेवीसी को नवीकृत नहीं किया जा सकता है, जेवीसी द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) एएआई के लिए और उसकी ओर से निष्पादित किया जाएगा (मानो जेवीसी एएआई के स्थान पर उक्त अनुबंधों का एक मूल पक्षकार था)। बशर्ते आगे कि जेवीसी ऐसे अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या लागत (संदेह से बचने के लिए, अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं की सूची में शामिल पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों से संबंधित अनुबंधों सहित) के विरुद्ध एएआई को क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा, जिसमें विशेष रूप से ऐसे अनुबंधों के प्रतिपक्षियों को या ऐसे अनुबंधों के अनुसरण में किसी अन्य संस्था को देय भुगतान शामिल हैं। ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ भी जेवीसी में निहित होगा। इस अनुच्छेद 5.2(b)(i) में निहित कोई भी बात 30 अगस्त, 2005 से पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के अनुबंधों के तहत देय भुगतानों के संबंध में जेवीसी के भुगतान दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जैसा कि इसके अनुच्छेद 5.2(ख)(ii) में निहित है।

(ii) प्रगतिरत कार्य: पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्रभावी तिथि से, जेवीसी प्रभावी तिथि को विद्यमान एएआई और किसी तीसरे पक्ष के बीच सभी अनुबंधों और समझौतों के तहत एएआई के सभी दायित्वों (भुगतान दायित्वों सहित) का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावी तिथि से, जेवीसी हवाईअड्डे पर सभी प्रगतिरत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी; बशर्ते हालांकि कि पूर्वगामी और इसके अनुच्छेद 3 के होते हुए भी, जेवीसी 30 अगस्त, 2005 से हवाईअड्डे पर सभी पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के संबंध में सभी भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी होगी, जिसका भुगतान जेवीसी द्वारा एएआई को प्रभावी तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस संबंध में एएआई द्वारा अनुरक्षित और प्रभावी तिथि पर जेवीसी को प्रस्तुत किए गए विस्तृत अलग खातों के आधार पर किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये पूंजीगत प्रगतिरत कार्य जेवीसी द्वारा शुरू की जाने वाली अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं का हिस्सा हैं। इसके अलावा, एएआई इसके द्वारा जेवीसी को प्रभावी तिथि तक समय-समय पर उपर्युक्त पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के संबंध में अनंतिम खाते प्रदान करने का वचन देता है।

पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के लेखांकन उपचार के संबंध में, प्रभावी तिथि से जेवीसी द्वारा किया गया व्यय जेवीसी द्वारा अपनी बहियों में पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के रूप में तब तक दिखाया जाता रहेगा जब तक कि जेवीसी संबंधित पूंजीगत प्रगतिरत कार्य को पूरा नहीं कर लेती। जेवीसी के खातों की बहियों में दिखाई गई राशि ऐसे कार्यों के पूरा होने तक जेवीसी द्वारा किए गए व्यय तक ही सीमित होगी। पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के पूरा होने पर, जेवीसी को इसे संबंधित पूर्ण कार्य परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करना चाहिए। इसके अलावा जेवीसी को पूर्ण परिसंपत्तियों के उन हिस्सों पर मूल्यहास भी प्रदान करना चाहिए।

(iii) यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस अनुच्छेद 5 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद 5 में निहित कुछ भी सीएनएस-एटीएम समझौते के प्रावधानों के तहत एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सीएनएस-एटीएम सेवाओं के प्रावधान के संबंध में या उससे संबंधित किसी तीसरे पक्ष के साथ एएआई द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध पर लागू या संबंधित नहीं होगा।

(iv) संयुक्त समिति: इसके निष्पादन की तिथि के तुरंत बाद, पक्षकार संक्रमण चरण की अवधि के लिए एएआई और जेवीसी के 3-3 प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे, जो संयुक्त समिति हवाईअड्डा परिचालनों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। बशर्ते हालांकि, जेवीसी के पास संक्रमण योजना को लागू करने और हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

(v) विद्यमान परिसंपत्तियों की सूची: जेवीसी हवाईअड्डे पर सभी विद्यमान परिसंपत्तियों की एक सूची तैयार करेगी और एएआई तथा जेवीसी पारस्परिक रूप से उस पर सहमत होंगे।

(ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 5.2 के अनुसरण में संक्रमण चरण के दौरान एएआई की कोई भी कार्रवाई एएआई द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं की जाएगी। इस अनुच्छेद 5.2 के

अनुसरण में एएआई के कार्यों से जुड़े सभी लाभ और भार जेवीसी के खाते में होंगे, न कि एएआई के। इस उद्देश्य के लिए, जेवीसी संक्रमण चरण के दौरान हवाईअड्डे से संबंधित किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या लागत (एएआई की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए डिफॉल्ट के कारण उत्पन्न किसी भी देनदारी या लागत को छोड़कर) के विरुद्ध एएआई को क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि संक्रमण चरण के दौरान एएआई द्वारा एकत्र किए जाने वाले प्रभारों (वैमानिक प्रभार और गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रभार) का कोई भी हिस्सा एएआई द्वारा जेवीसी के लिए और उसकी ओर से एकत्र किया जाएगा और एएआई द्वारा एस्करो खाते में जमा किया जाएगा।

5.3 संक्रमण चरण के अंत में, जेवीसी स्वतंत्र रूप से हवाईअड्डे का संचालन और रखरखाव करेगी।

5.4 इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी 30 अगस्त, 2005 से हवाईअड्डे पर एएआई द्वारा किए गए उपर्युक्त पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत कार्यों के संबंध में सभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसका भुगतान जेवीसी द्वारा एएआई को प्रभावी तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस संबंध में एएआई द्वारा अनुरक्षित और प्रभावी तिथि पर जेवीसी को प्रस्तुत किए गए विस्तृत अलग खातों के आधार पर किया जाएगा। बशर्ते हालांकि कि इस अनुच्छेद 5.4 में संदर्भित उपर्युक्त राशि किसी भी स्थिति में कुल मिलाकर ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी (प्रभावी तिथि तक ऐसे सभी पूंजीगत कार्यों के संबंध में)। इसके अलावा, एएआई इसके द्वारा जेवीसी को प्रभावी तिथि तक समय-समय पर उपर्युक्त पूंजीगत कार्यों के संबंध में अनंतिम खाते प्रदान करने का वचन देता है।

अध्याय VI

परिचालन सहायता

6.1 परिचालन सहायता

6.1.1 प्रभावी तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए (जिसे इसके बाद "परिचालन सहायता अवधि" कहा जाएगा), एएआई इसमें दिए गए तरीके से और शर्तों के अधीन सामान्य कर्मचारियों के माध्यम से जेवीसी को परिचालन सहायता प्रदान करेगा (ऐसी सहायता को इसके बाद "परिचालन सहायता" कहा जाएगा)। अनुमानित वार्षिक परिचालन सहायता लागत अनुसूची 23 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹96 करोड़ (छियानवे करोड़ रुपये) है।

6.1.2 (i) सामान्य कर्मचारियों को परिचालन सहायता अवधि की अवधि के लिए एएआई द्वारा हवाईअड्डे पर बनाए रखा जाएगा और उनके साथ इसमें दिए गए तरीके से निपटा जाएगा। परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए, एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य कर्मचारी लागू कानून और ऐसे कर्मचारियों के रोजगार की मौजूदा शर्तों के अनुपालन के अधीन, ऐसे कार्यों का निष्पादन करें और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करें, और ऐसी क्षमताओं में कार्य करें, जैसा कि जेवीसी द्वारा अपेक्षित हो सकता है। परिचालन सहायता के प्रावधान के सीमित उद्देश्यों के लिए, एएआई जेवीसी के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा और सामान्य कर्मचारियों को ऐसे कार्यों और कर्तव्यों को करने का निर्देश देगा जो जेवीसी द्वारा उचित रूप से निर्देशित किए जा सकते हैं।

(ii) जेवीसी एएआई से किसी भी सामान्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने / उसे हवाईअड्डे से हटाने (या हटाए जाने का कारण बनने) की अपेक्षा कर सकता है, जो:

(क) निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करने या करने में लगातार विफल रहता है;

(ख) किसी दुराचार या देखभाल की कमी में बना रहता है या अक्षम या लापरवाही से कर्तव्यों का पालन करता है; अथवा

(ग) किसी ऐसे आचरण में बना रहता है जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के जेवीसी के अनुपालन को प्रभावित करता है, या जिसे उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है (जिसमें केवल उदाहरण के तौर पर, इस समझौते में निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए हवाईअड्डे को संचालित करने के इसके दायित्व शामिल हैं);

बशर्ते, प्रत्येक मामले में, व्यक्ति के कार्य या चूक एएआई के साथ उसके रोजगार की शर्तों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को उचित ठहराते हों। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, एएआई अपने नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसे सामान्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

6.1.3 परिचालन सहायता अवधि के दौरान या जब तक संबंधित सामान्य कर्मचारी जेवीसी में शामिल नहीं हो जाते, जेवीसी एएआई को ऐसे सामान्य कर्मचारियों के संबंध में मासिक परिचालन सहायता लागत का भुगतान करेगा (सिवाय (i) उन सामान्य कर्मचारियों को छोड़कर जो जेवीसी में शामिल हो गए हैं; तथा (ii) वे जो अब हवाईअड्डे पर काम नहीं कर रहे हैं)। जेवीसी समय-समय पर एस्क्रो बैंक से एएआई के पक्ष में आहरित चेक द्वारा प्रत्येक माह के 7वें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से एएआई को मासिक परिचालन सहायता लागत का भुगतान करवाएगा। इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी परिचालन सहायता अवधि के दौरान प्रत्येक माह के 7वें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से एएआई को मासिक परिचालन सहायता लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। जेवीसी द्वारा एएआई को ऐसा भुगतान करने पर, उसे एएआई द्वारा संबंधित सामान्य कर्मचारियों को परिलब्धियों का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

6.1.4 परिचालन सहायता अवधि के दौरान किसी भी समय, परंतु परिचालन सहायता अवधि की समाप्ति से तीन (3) महीने पहले नहीं, जेवीसी उन सामान्य कर्मचारियों को रोजगार के प्रस्ताव देगी (उन शर्तों पर जो वेतन, पद आदि के मामले में ऐसे कर्मचारियों के मौजूदा रोजगार की शर्तों से कम आकर्षक नहीं हैं) जिन्हें वह नियोजित करना चाहती है। बशर्ते हालांकि कि जेवीसी को सामान्य कर्मचारियों के न्यूनतम 60.00% को प्रस्ताव देना अनिवार्य होगा (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु के लिए घटाकर और किसी भी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा)। परिचालन सहायता अवधि के

दौरान पहले से दिए गए और स्वीकार किए गए किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावों की ऐसी न्यूनतम संख्या के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा। सामान्य कर्मचारियों के पास एक महीने के भीतर प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। जेवीसी के रोजगार प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले सामान्य कर्मचारी, एएआई से इस्तीफा देने पर, प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से या परिचालन सहायता अवधि के पूरा होने से, जैसा भी लागू हो, एएआई के कर्मचारी नहीं रहेंगे। जेवीसी और ऐसे कर्मचारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर जेवीसी इन कर्मचारियों के लिए नया नियोक्ता होगा। बशर्ते हालांकि कि यदि सामान्य कर्मचारियों के 60.00% से कम (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, इस्तीफे और मृत्यु के लिए घटाकर और किसी भी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) जेवीसी द्वारा दिए गए रोजगार के प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, तो जेवीसी एएआई को सामान्य कर्मचारियों की उतनी संख्या के लिए सेवानिवृत्ति मुआवजा का भुगतान करेगी जो सामान्य कर्मचारियों के 60.00% (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु के लिए घटाकर और किसी भी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) और जेवीसी द्वारा दिए गए रोजगार के प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले सामान्य कर्मचारियों की संख्या के बीच के अंतर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें परिचालन सहायता अवधि के दौरान संचयी रूप से किए गए और स्वीकार किए गए प्रस्ताव शामिल हैं।

6.1.5 यह परीक्षण करते समय कि क्या अनुच्छेद 6.1.4 की शर्तों के तहत सामान्य कर्मचारियों को पेश किए गए नियम और शर्तें वेतन, पद आदि के मामले में ऐसे कर्मचारियों के मौजूदा रोजगार की शर्तों से कम आकर्षक नहीं हैं, कंपनी लागत आधार पर तुलना की जाएगी।

6.1.6 परिचालन सहायता अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि किसी सामान्य कर्मचारी को हवाईअड्डे से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो ऊपर निहित किसी भी बात के होते हुए भी, स्थानांतरण की तारीख से, जेवीसी उक्त सामान्य कर्मचारी के संबंध में मासिक परिचालन सहायता लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

6.1.7 परिचालन सहायता अवधि के अंत में, एएआई के साथ रोजगार जारी रखने का विकल्प चुनने वाले सामान्य कर्मचारी या जेवीसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं करने वाले कर्मचारी, एएआई के साथ अपना रोजगार जारी रखेंगे और हवाईअड्डे के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों में तैनात किए जाएंगे।

6.1.8 पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि परिचालन सहायता अवधि के दौरान एएआई किसी भी सामान्य कर्मचारी द्वारा किए गए या न किए गए किसी भी कार्य, विलेख या चीजों के परिणामस्वरूप जेवीसी या किसी तीसरी इकाई को हुए किसी भी नुकसान, लागत, प्रभार, व्यय और क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.....या किसी सामान्य कर्मचारी द्वारा अपने किसी दायित्व का पालन करने में विफलता या लापरवाही के परिणामस्वरूप, या अपने रोजगार अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करने पर या सामान्य कर्मचारी द्वारा अपने किसी भी सांविधिक कर्तव्य का पालन करने में विफलता या सामान्य कर्मचारी द्वारा किसी भी सांविधिक प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता या लापरवाही के परिणामस्वरूप उत्तरदायी नहीं होगा। बशर्ते हालांकि कि इसमें निहित कोई भी बात किसी सामान्य कर्मचारी को एएआई द्वारा निर्देश या उकसावे के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, लागत, प्रभार, व्यय या क्षति के मामले में लागू नहीं होगी।

6.2 कार्मिक

संक्रमण चरण के दौरान, जेवीसी हवाईअड्डा प्रचालक के साथ मिलकर, हवाईअड्डे पर मौजूदा एएआई वरिष्ठ प्रबंधन (इसके दिनांक को एएआई के उप महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर से ऊपर के कर्मचारी) के साथ संयोजन में हवाईअड्डे का प्रबंधन करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन (इसके दिनांक को एएआई के उप महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर से ऊपर के कर्मचारी) की बढ़ती संख्या को चरणबद्ध तरीके से तैनात करेगी। संक्रमण चरण के दौरान, एएआई का वरिष्ठ प्रबंधन जेवीसी के कर्मियों के साथ मिलकर हवाईअड्डे का प्रबंधन करना जारी रखेगा। जेवीसी को हवाईअड्डे पर अपने वरिष्ठ प्रबंधन को नियुक्त करने का अधिकार होगा। जेवीसी द्वारा ऐसी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप, एएआई हवाईअड्डे पर स्थित अपने वरिष्ठ प्रबंधन (इसके दिनांक को एएआई के उप महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर से ऊपर के कर्मचारी) की संख्या को (जेवीसी को बिना किसी लागत के) कम करेगा, ताकि संक्रमण चरण की समाप्ति पर, ऐसा कोई भी एएआई वरिष्ठ प्रबंधन (इसके दिनांक को एएआई के उप महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर से ऊपर के कर्मचारी) हवाईअड्डे पर न रहे। पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि संक्रमण चरण के दौरान हवाईअड्डे पर उनकी तैनाती की अवधि के लिए एएआई के वरिष्ठ प्रबंधन को देय वेतन, लाभ, सांविधिक भुगतान, अनुलाभ और सेवांत लाभों में अंशदान का भुगतान जेवीसी द्वारा एएआई को किया जाएगा।

पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी हवाईअड्डे पर इसके साथ संलग्न अनुसूची 15 में सूचीबद्ध विशेषज्ञों को उसमें उल्लिखित अवधि के लिए नियोजित करेगी।

अध्याय VII

स्थल की स्वीकृति / अस्वीकरण

7.1 स्थल की स्वीकृति

7.1.1 (i) इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जेवीसी को निम्नलिखित माना जाएगा:-

(क) हवाईअड्डे तथा हवाईअड्डा स्थल (टर्मिनलों और उस पर स्थित सभी भवनों तथा उसके परिवेश सहित) का निरीक्षण कर लिया है;

(ख) हवाईअड्डे की जलवायु, जलवैज्ञानिक और सामान्य भौतिक स्थितियों की प्रकृति, भूमि और उप-मृदा की प्रकृति, हवाईअड्डे के स्वरूप और प्रकृति, तथा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन, कार्य और सामग्री की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

(ग) हवाईअड्डे के साथ संचार के साधनों, पहुंच और हवाईअड्डे पर आवास के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है जो इसके लिए अपेक्षित हो सकते हैं या जो इस समझौते के तहत इसके दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो सकते हैं;

(घ) जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है जो जेवीसी को और इस समझौते के तहत या उसके अनुसरण में इसके अन्य अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती हैं।

(ii) जेवीसी स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि अनुच्छेद 7.1.1(i) के उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी के संबंध में जेवीसी द्वारा की गई किसी गलती या पाली गई किसी गलतफहमी की स्थिति में एएआई के विरुद्ध उसका कोई सहारा नहीं होगा और एएआई इसके द्वारा इसके संबंध में किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

7.1.2 जेवीसी स्वीकार करती है कि इस समझौते के निष्पादन से पूर्व, उसने पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद, समग्र रूप से हवाईअड्डे और उसकी प्रत्येक सुविधा, भवन, परिसंपत्ति, मशीनरी, उपकरण, कर्मियों और जानकारी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और उन कठिनाइयों, उन्नयनों, इनपुट्स, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की है जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान

उसके समक्ष उत्पन्न होने या उसके द्वारा सामना किए जाने की संभावना है तथा आवश्यक आधुनिकीकरण की सीमा और तरीके का निर्धारण किया है। जेवीसी आगे स्वीकार करती है कि यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि पट्टाकृत परिसर या उस पर कोई भवन या संरचना किसी भी रूप में कमियों से युक्त है "कमी", तो एएआई के विरुद्ध उसका कोई सहारा नहीं होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो जेवीसी इसके द्वारा स्वीकार करती है और सहमत होती है कि वह अपने स्वयं के खर्च पर और एएआई को बिना किसी लागत के, इसे सुधारने के लिए सभी उचित उपाय करेगी।

7.1.3 जेवीसी इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से जुड़ी कठिनाइयों, उन्नयनों, इनपुट्स, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों को स्वीकार करती है और इसके द्वारा सहमति व्यक्त करती है कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अलावा, एएआई जेवीसी के प्रति किसी भी रूप में इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7.1.4 जेवीसी किसी भी इकाई द्वारा, चाहे वह एएआई या किसी सरकारी प्राधिकरण के रोजगार में हो या न हो, उसे दी गई गलत या अपर्याप्त जानकारी के संबंध में किसी गलतफहमी या गलत धारणा के आधार पर, चाहे निरसन के लिए, हर्जाने या अन्यथा के लिए, एएआई या किसी सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध कोई भी दावा करने की हकदार नहीं होगी, और न ही, जब तक कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, जेवीसी को कार्यों के संबंध में या अन्यथा उस पर अधिरोपित या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व या जोखिम से किसी भी ऐसे आधार पर या इस आधार पर मुक्त किया जाएगा कि वह किसी ऐसे मामले का पूर्वानुमान नहीं लगा सका या नहीं लगा सकती थी जो वास्तव में इसके तहत इसके दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित किया है [सिटी: 30]।

7.1.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि हवाईअड्डा स्थल पर या किसी कार्य को करने के दौरान खोजे गए सभी जीवाश्म, प्राचीन वस्तुएं, संरचनाएं और/या अन्य अवशेष या वस्तुएं, जो या तो पुरातात्विक या विशेष भूवैज्ञानिक रुचि के हैं, जेवीसी की संपत्ति नहीं होंगी और जेवीसी का ऐसे जीवाश्मों, प्राचीन वस्तुओं और संरचनाओं पर कोई अधिकार या हित नहीं होगा

7.2 मानित ज्ञान और अस्वीकरण

7.2.1 इस समझौते के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जेवीसी हवाईअड्डे के डिजाइन, वित्तपोषण, आधुनिकीकरण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में वित्तीय, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और अन्य जोखिमों तथा इस समझौते के तहत या उसके अनुसरण में अपने अन्य सभी अधिकारों और दायित्वों के लिए पूर्ण और अनन्य रूप से जिम्मेदार होगी और वहन करेगी, चाहे कोई भी जोखिम, आकस्मिकताएं, परिस्थितियां और/या खतरे सामने आए (पूर्वानुमानित या अप्रत्याशित) और असाधारण आधारों पर या अन्यथा ऐसे किसी भी जोखिम, आकस्मिकता, परिस्थिति और/या खतरे में किसी भी परिवर्तन के बावजूद, चाहे वे पूर्वानुमानित हों या अप्रत्याशित तथा जेवीसी को एएआई, भारत सरकार और/या उनकी किसी भी एजेंसी के विरुद्ध कोई दावा करने या कोई मुआवजा अथवा अन्य राशि वसूलने का कोई अधिकार (व्यक्त या निहित) नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में इस समझौते में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

अध्याय VIII

निर्माण/विकास, परिचालन एवं प्रबंधन

8.1 सामान्य दायित्व

(i) जेवीसी हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन में हर समय लागू विधि का अनुपालन करेगी। जेवीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाईअड्डा हर समय एक अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय हवाईअड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, प्रबंधन करेगी तथा उसे अच्छी परिचालन मरम्मत और स्थिति में रखेगी। जेवीसी इसके अलावा अच्छी उद्योग परिपाटी के अनुसार तथा विकास मानकों एवं आवश्यकताओं; और परिचालन एवं अनुरक्षण मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करेगी तथा उचित रूप से आवश्यक सीमा तक नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगी। सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस प्रकार किए जाएंगे कि हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं को असुविधा कम से कम हो।

(ii) जेवीसी हर समय सभी स्वीकृतियां/अनापत्तियां प्राप्त करेगी और बनाए रखेगी, जिनमें पंजीकरण, लाइसेंस और परमिट (आस्रवासन, अस्थायी निवास, कार्य और निकास परमिट सहित) शामिल हैं, जो इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए लागू विधि द्वारा आवश्यक हैं।

(iii) जेवीसी सुरक्षा सावधानियों, अग्नि सुरक्षा, संरक्षा, परिवहन, माल, सामग्री, संयंत्र और उपकरणों की सुपुर्दगी, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम कर्मियों और श्रम तथा औद्योगिक संबंधों और सामान्य हवाईअड्डा सेवाओं के संबंध में अवधि के दौरान हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करेगी, जिसमें बिना किसी सीमा के, हवाईअड्डे तक और उस पर पहुंच, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कार्यालयों और परिसरों के लिए स्थान का आवंटन और केवल प्राधिकृत इकाइयों तक हवाईअड्डे की पहुंच को प्रतिबंधित करना, हर समय हवाईअड्डे के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना और हवाईअड्डे के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप करना शामिल है, तथा हवाईअड्डे पर व्यवसाय

करने वाली सभी इकाइयों द्वारा देखे जाने वाले हवाईअड्डे से संबंधित नियमों और विनियमों की एक नियमावली तैयार करेगी और जारी करेगी जो बिना किसी भेदभाव के ऐसी सभी इकाइयों पर लागू होगी। जेवीसी ऐसी नियमावली एएआई को प्रदान करेगी जो जेवीसी से उक्त नियमावली में उचित रूप से उपयुक्त संशोधन करने की अपेक्षा कर सकती है।

(iv) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डा स्थल पर स्थापित और/या उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां, उपकरण, मशीनरी आदि, जिनमें हवाईअड्डे का निर्माण या मरम्मत शामिल है, ध्वनि और विपणन योग्य गुणवत्ता की होंगी, कि सभी कारीगरी स्थापना, निर्माण या मरम्मत के समय लागू अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार होगी और निर्माण का प्रत्येक भाग उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा जिसके लिए मास्टर प्लान और प्रमुख विकास योजना में बताए गए या उचित रूप से अनुमानित के रूप में इसकी आवश्यकता है।

(v) इस समझौते के किसी भी प्रावधान के तहत या उसके अनुसरण में या अन्यथा किसी भी रेखाचित्र या दस्तावेज को प्रस्तुत करना, न ही इसका अनुमोदन या अस्वीकरण, और न ही एएआई द्वारा इस पर प्रश्न उठाना या आपत्तियां करना या टिप्पणियां, सुझाव या सिफारिशें करना, डिजाइन और निर्माण के संबंध में जेवीसी के किसी भी दायित्व या देनदारी को पूर्वाग्रह से ग्रस्त या प्रभावित करेगा, जिन्हें किसी भी संबंध में मुक्त, absolved या अन्यथा संशोधित नहीं किया जाएगा।

(vi) जेवीसी पट्टाकृत परिसर के संबंध में या उस पर बनाई जाने वाली संरचनाओं के संबंध में या उसमें संग्रहीत सामग्रियों के संबंध में देय सभी कर, लेवी, आयात शुल्क, फीस (किसी भी लाइसेंस शुल्क सहित) और अन्य प्रभार, बकाया, आकलन या बहिर्गमन (outgoings) का भुगतान करेगी जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण और किसी भी अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक या सांविधिक निकाय, मंत्रालय, विभाग, साधन, एजेंसी, प्राधिकरण, बोर्ड, ब्यूरो, सांविधिक कार्यों को सौंपे गए और निष्पादित करने वाले निगम या आयोग द्वारा लगाए जा सकते हैं।

8.2 अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं

8.2.1 जेवीसी, नवीनतम 31 मार्च, 2010 तक, अनुसूची 7 के तहत निर्धारित अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को उसमें निर्धारित समय पर और उसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार शुरू करेगी, निष्पादित करेगी और पूरा करेगी।

8.2.2 इस स्थिति में कि जेवीसी अनुसूची 7 में निर्धारित समय पर किसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण के प्रारंभ में देरी करती है और जेवीसी द्वारा देरी के लिए कोई ऐसा वैध स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया जाता है जो एएआई को (उसके स्वविवेक से) संतोषजनक हो, एएआई को जेवीसी पर ऐसे अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण के प्रारंभ में देरी के प्रत्येक सप्ताह (या उसके भाग) के लिए ऐसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% (दशमलव पांच प्रतिशत) के बराबर परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

8.2.3 एएआई को इस बात का भी अधिकार होगा कि यदि किसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना को पूरा करने की समय अवधि अनुसूची 7 में निर्धारित ऐसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना को पूरा करने की समय अवधि से अधिक हो जाती है, तो वह उसी दर पर जेवीसी पर परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित करे, बशर्ते कि देरी प्रारंभ में देरी के कारण न हो, जिसके संबंध में जेवीसी द्वारा एएआई को परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान किया जा चुका हो।

बशर्ते हालांकि कि किसी विशेष अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के संबंध में देरी के लिए इस अनुच्छेद 8.2 के तहत जेवीसी की कुल देता संबंधित अनिवार्य पूंजीगत परियोजना की पूंजीगत लागत के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

8.2.4 पूर्वगामी के होते हुए भी, इस स्थिति में कि किसी विशेष अनिवार्य पूंजीगत परियोजना के निर्माण का प्रारंभ में विलंब हुआ है और ऐसे विलंब के लिए उपरोक्त अनुच्छेद 8.2.2 के अनुसार परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित और भुगतान की जा चुकी है, और निर्माण के प्रारंभ में विलंब होने के बावजूद, ऐसी अनिवार्य पूंजीगत परियोजना उस समय तक पूरी कर ली गई है जब तक वह पूरी हो जाती यदि संबंधित अनिवार्य पूंजीगत परियोजना का निर्माण अनुसूची 7 में निर्धारित अनुसार समय पर शुरू किया गया होता, तो निर्माण के प्रारंभ में विलंब के

लिए भुगतान की गई परिसमाप्त नुकसानी बिना किसी ब्याज के एएआई द्वारा जेवीसी को वापस कर दी जाएगी।

8.3 मास्टर प्लान

8.3.1 जेवीसी पूरे हवाईअड्डे के लिए प्रस्तावित विकास को निर्धारित करते हुए हवाईअड्डे के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिसकी योजना 20 वर्ष के समय क्षितिज पर बनाई गई हो। मास्टर प्लान में इस अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान शामिल होंगे और सभी नियोजित प्रमुख विकास को इन पूर्वानुमानों से जोड़ेंगे। मास्टर प्लान को निम्नलिखित के अनुसार तैयार किया जाएगा और इसमें शामिल होगा:

- (क) समग्र विकास रणनीति और दर्शन का एक वक्तव्य;
- (ख) इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित विकास नियोजन सिद्धांत ।
- (ग) प्रत्येक व्यापक क्षेत्र के लिए अलग से नियोजित विकास का विवरण, अर्थात् व्यावसायिक विकास, भू-परिवहन, टर्मिनल क्षेत्र, रनवे प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन (विमान शोर सहित);
- (घ) यातायात पूर्वानुमानों का विवरण और यातायात वृद्धि से जुड़े सभी विकासों के लिए यातायात ट्रिगर पॉइंट प्रदान करना, यह इंगित करते हुए कि किस यातायात स्तर पर परियोजना शुरू और समाप्त की जाएगी;
- (ङ.) इस बात की परिकल्पना कि 20 वर्षों के अंत में और महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चरणों में हवाईअड्डा और उसका प्रत्येक परिसर कैसा दिखेगा और क्षमता तक पहुँचने पर अवधि के अंत में हवाईअड्डे की अंतिम परिकल्पना;
- (च) उपयोगकर्ताओं, समुदाय, व्यवसायों और सरकार के साथ परामर्श के परिणाम पर रिपोर्ट
- (छ) हवाईअड्डे और दृष्टिकोण तथा टेकऑफ़ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें
- (ज) 20 वर्ष की मास्टर प्लान अवधि के लिए पूर्वानुमानित यातायात स्तर के लिए हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्रों के लिए शोर जोखिम समोच्च (Noise exposure contours)
- (i) ऐसे अन्य मामले जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 8.3 में कुछ भी जेवीसी द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किसी भी मास्टर प्लान (या उसके किसी भी हिस्से) के एएआई द्वारा अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें न्यूनतम अनुमानित यातायात सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि अंतिम मास्टर प्लान इस समझौते की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में है और इसके अतिरिक्त, राज्य सहायता समझौते में निर्धारित मापदंडों के अनुसार है, यह सुनिश्चित करना जेवीसी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा और इस समझौते में कुछ भी जेवीसी को यह सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा कि अंतिम मास्टर प्लान ओएमडीए और राज्य सहायता समझौते के प्रावधानों के अनुसार है या परियोजना समझौतों के तहत कोई अन्य दायित्व है।

8.3.2 हवाईअड्डे के लिए पहला मास्टर प्लान प्रारंभिक विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए और इसमें अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को शामिल करना चाहिए। प्रारंभिक विकास योजना से किसी भी महत्वपूर्ण विचलन को पूरी तरह से समझाया जाना चाहिए। मास्टर प्लान सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें एयरलाइंस, यात्री समूह और भारत सरकार शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के साथ पूर्ण परामर्श के बाद बनाया जाएगा।

8.3.3 मास्टर प्लान को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि यह इस समझौते में निर्धारित गुणवत्ता और सेवा प्रदर्शन मानकों के अनुरूप है। मास्टर प्लान को यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि हवाईअड्डा विकास इस तरह से होगा कि हवाईअड्डा स्थल का विकास अंतरण परिसंपत्तियों के विकास और संवर्धन के उद्देश्यों के लिए किया जाए (और अंतरण परिसंपत्तियों के भीतर, वैमानिक परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी) और हवाईअड्डा स्थल का शोषण विशुद्ध रूप से गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान हर समय अंतरण परिसंपत्तियों के विकास और संवर्धन के लिए भूमि और स्थान की उपलब्धता की परिकल्पना और सुनिश्चित करेगा (और अंतरण परिसंपत्तियों के भीतर, वैमानिक परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी)। गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए भूमि और स्थान का उपयोग हर समय अंतरण परिसंपत्तियों के विकास और संवर्धन के अधीन होगा। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डा स्थल का गठन करने वाली भूमि के पर्याप्त

हिस्से, जैसा कि अंतरण परिसंपत्तियों के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक हो सकता है, भविष्य की यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अंतरण परिसंपत्तियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, और हवाईअड्डा स्थल का गठन करने वाली केवल शेष भूमि का उपयोग गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए किया जाएगा। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि मास्टर प्लान हवाईअड्डा स्थल के उन हिस्सों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है जिनका उपयोग वैमानिक परिसंपत्तियों, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों, अंतरण परिसंपत्तियों और गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के विकास के लिए किया जाता है और प्रस्तावित हैं। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डे पर सभी विकास मास्टर प्लान के अनुसार हैं।

8.3.4 मास्टर प्लान अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पहचान योग्य यातायात ट्रिगर प्रदान करेगा और यातायात से जुड़ी क्षमता विस्तार प्रदान करेगा।

8.3.5 अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के होते हुए भी और सफल बोलीदाता को हवाईअड्डे तक तत्काल पहुंच प्रदान किए जाने के अधीन, जेवीसी इसके द्वारा इस समझौते के निष्पादन की तिथि से छह (6) महीने की समाप्ति से पहले सूचना के लिए एएआई को, और इसकी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रारंभिक मास्टर प्लान प्रस्तुत करने का वचन देती है, जिसे इसके बाद हर 10 साल में नियमित रूप से एएआई को सूचना के लिए और इसकी समीक्षा तथा टिप्पणियों के लिए एमसीए को अद्यतन और पुनरूपित किया जाना चाहिए। बशर्ते हालांकि कि मास्टर प्लान को कम अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा, यदि जेवीसी पाती है कि यातायात वृद्धि ऐसी है जिसके लिए अधिक लगातार अद्यतन की आवश्यकता है या किसी अन्य उचित कारण से, या ऐसे अंतराल पर जैसा कि एएआई या एमसीए द्वारा इस स्थिति में अधिसूचित किया जा सकता है कि हवाईअड्डा यात्री क्षमता, कार्गो क्षमता और अन्य क्षमता बाधाओं तक पहुंच जाता है।

8.3.6 इस स्थिति में कि जेवीसी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक एएआई की सूचना के लिए और एमसीए की टिप्पणियों के लिए प्रारंभिक मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं करती है, तो एएआई को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) की दर से जेवीसी पर परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित करने का अधिकार होगा, बशर्ते हालांकि कि इस अनुच्छेद 8.3.6

के अनुसरण में जेवीसी की कुल देता ₹25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी। बशर्ते आगे और यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुच्छेद 8.3.6 प्रभावी तिथि के बाद ही प्रभावी और लागू होगा, जैसे कि परिसमाप्त नुकसानी की गणना इस समझौते के निष्पादन की तारीख से छह (6) महीने की समाप्ति के बाद की किसी भी देरी की अवधि के लिए की जाएगी, ऐसी परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान करने का दायित्व केवल प्रभावी तिथि के बाद ही उत्पन्न होगा।

8.3.7 जेवीसी तत्समय लागू मास्टर प्लान के अनुसार हवाईअड्डे का विकास करेगी। जहां एक विद्यमान मास्टर प्लान लागू है, जेवीसी नए मास्टर प्लान के स्वीकृत होने तक उस योजना के अनुसार हवाईअड्डे का विकास करेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(क) हवाईअड्डे पर सभी विकास (वैमानिक परिसंपत्तियां, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां, अंतरण परिसंपत्तियां और गैर-अंतरण परिसंपत्तियां) तत्समय विद्यमान मास्टर प्लान के अनुसार होंगे;

(ख) मास्टर प्लान में परिकल्पित नहीं किए गए किसी भी विकास (वैमानिक परिसंपत्तियां, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां, अंतरण परिसंपत्तियां या गैर-अंतरण परिसंपत्तियां) को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(ग) हवाईअड्डा, जिसमें वैमानिक और गैर-वैमानिक विकास, वैमानिक परिसंपत्तियां, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां, अंतरण परिसंपत्तियां और गैर-अंतरण परिसंपत्तियां शामिल हैं, हर समय तत्समय विद्यमान मास्टर प्लान का अनुपालन करेगा।

8.3.8 मास्टर प्लान व्यक्तिगत सुविधाओं के निर्माण के लिए लक्षित तिथियों "लक्ष्य" को शामिल करेगा जो यातायात ट्रिगर बिंदुओं या अन्यथा से जुड़े होंगे। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक लक्ष्य को पूरी तरह से और समय पर पूरा किया जाए। अनुच्छेद 8.2.2 के तहत पहले से कवर नहीं की गई सीमा तक, इस स्थिति में कि स्वीकृत मास्टर प्लान में निर्धारित कोई परियोजना नामित यातायात ट्रिगर या ऐसे अन्य ट्रिगर पर शुरू नहीं की जाती है और जेवीसी द्वारा एएआई को कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया जाता है जो एएआई को संतोषजनक हो (उसके स्वविवेक से), एएआई को जेवीसी पर परियोजना में देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.5% के बराबर परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित करने का अधिकार होगा। एएआई को इस स्थिति में उसी दर पर जेवीसी

पर परिसमाप्त नुकसानी अधिरोपित करने का अधिकार होगा यदि परियोजना को पूरा करने की समय अवधि मास्टर प्लान में निर्धारित निर्माण की समय अवधि से अधिक हो जाती है, बशर्ते कि देरी प्रारंभ में देरी के कारण न हो, जिसके संबंध में जेवीसी द्वारा एएआई को परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान किया जा चुका हो। बशर्ते हालांकि कि इस स्थिति में कि निर्माण के प्रारंभ में देरी हुई है, और ऐसे विलंब के संबंध में परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान किया जा चुका है, और निर्माण के प्रारंभ में देरी के बावजूद, प्रासंगिक परियोजना मास्टर प्लान में निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी हो जाती है, तो निर्माण के प्रारंभ में देरी के संबंध में पहले से प्राप्त परिसमाप्त नुकसानी बिना किसी ब्याज के एएआई द्वारा जेवीसी को वापस कर दी जाएगी। बशर्ते आगे कि किसी विशेष परियोजना के संबंध में देरी के लिए इस अनुच्छेद 8.3.8 के तहत जेवीसी की कुल देता संबंधित परियोजना की पूंजीगत लागत के 10% से अधिक नहीं होगी।

8.4 प्रमुख विकास योजना:

8.4.1 जेवीसी मास्टर प्लान के अनुसार हवाईअड्डे का विकास करेगी। जेवीसी प्रत्येक प्रमुख विकास के लिए या किसी भी विकास के लिए एक प्रमुख विकास योजना तैयार करेगी, जिसकी पूंजीगत लागत ₹100,00,00,000/- (केवल एक सौ करोड़ रुपये) से अधिक होने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा प्रत्येक प्रमुख विकास प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ठेकेदारों द्वारा किया जाए। प्रमुख विकास योजना अंतिम रूप दिए गए मास्टर प्लान के अनुसार होनी चाहिए, और वैमानिक विकास के मामले में, हवाईअड्डा उपयोगकर्ताओं के साथ पूर्ण परामर्श का विषय होनी चाहिए।

8.4.2 जेवीसी सूचना के लिए एएआई को और समीक्षा तथा टिप्पणियों के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रत्येक प्रमुख विकास योजना प्रस्तुत करने के लिए सहमत है। प्रमुख विकास योजना तैयार होने के तुरंत बाद समीक्षा और टिप्पणियों के लिए एमसीए को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बशर्ते, हालांकि, अनुच्छेद 3 के होते हुए भी, जेवीसी (i) टर्मिनल भवनों; तथा (ii) हवाईअड्डे पर समानांतर रनवे के डिजाइन, विकास और निर्माण से संबंधित प्रमुख विकास योजना (योजनाओं) को इसके दिनांक से छह (6) महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

8.5 हवाईअड्डे पर सुविधाओं और सेवाओं का प्रावधान

8.5.1 अत्यावश्यक सेवाएं और वैमानिक सेवाएं

जेवीसी अवधि के दौरान हर समय हवाईअड्डे पर वैमानिक सेवाएं, गैर-वैमानिक सेवाएं और अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करेगी।

8.5.2 वीआईपी लाउंज

जेवीसी भारत सरकार और एएआई द्वारा समय-समय पर प्रदान की जाने वाली ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पात्र कर्मियों की सूची के अनुसार भारत सरकार और एएआई के नामित मेहमानों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए हवाईअड्डे पर हर समय एक सरकारी वीआईपी लाउंज (निःशुल्क और लागत रहित) प्रदान करेगी और उसका रखरखाव करेगी। जेवीसी इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के मौजूदा सिद्धांतों का पालन करने वाला एक औपचारिक लाउंज हवाईअड्डे पर प्रदान करेगी और उसका रखरखाव करेगी (निःशुल्क और लागत रहित)।

8.5.3 भारतीय रक्षा बल और सैन्य गतिविधियां

जेवीसी इसके द्वारा वचन देती है और सहमत होती है कि भारतीय रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकार की पाबंदी या बाधा के बिना, निःशुल्क हवाईअड्डे और हवाईअड्डे की सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वायुक्षेत्र आवंटन और बंद होने, आपात स्थिति के समय रनवे के उपयोग के संबंध में भारतीय रक्षा बलों के प्रति जेवीसी के दायित्व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे तथा आपात स्थिति के अलावा अन्य समय में वायुक्षेत्र आवंटन और बंद होने, रनवे के उपयोग के संबंध में भारतीय रक्षा बलों के प्रति जेवीसी के दायित्व, यदि कोई हों, जेवीसी और भारत सरकार के बीच पारस्परिक परामर्श के अधीन होंगे तथा भारत सरकार के मौजूदा सिद्धांतों और परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे, और जेवीसी को इससे संबंधित किसी भी मुआवजे के बिना होंगे। बशर्ते हालांकि कि वायुक्षेत्र आवंटन और रनवे के उपयोग के लिए भारतीय रक्षा बलों के अधिकार भारत सरकार द्वारा अधिसूचना या परामर्श की कमी या देरी के

कारण प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे। बशर्ते आगे कि जेवीसी नागरिक विमानों को वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों और संबंधित दायित्वों से उस सीमा तक मुक्त हो जाएगी जिस सीमा तक ऐसे दायित्व हवाईअड्डे के आपातकालीन, असाधारण या असामान्य उपयोग से प्रभावित होते हैं।

8.5.4 स्लॉट

जेवीसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यातायात के लिए हवाईअड्डे पर विमान लैंडिंग और समय सारणी स्लॉट के प्रबंधन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है। जेवीसी एक निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से समय-समय पर जारी और अद्यतन किए गए आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार एयरलाइंस के परामर्श से हवाईअड्डे पर स्लॉट आवंटित करेगी।

8.5.5 पहुंच

इस समझौते के प्रावधानों के अधीन और बीसीएस के दिशानिर्देशों के अधीन, जेवीसी निर्धारित की जाने वाली ऐसी इकाइयों को हवाईअड्डा स्थल के सभी हिस्सों तक पहुंच प्रदान करने का अधिकार होगा।

8.5.6 बीमा

(i) **अवधि के दौरान बीमा:** अवधि के दौरान, जेवीसी हर समय अपनी लागत पर अनुसूची 11 में निर्धारित बीमा, वित्तीय दस्तावेजों के तहत आवश्यक बीमा तथा ऐसे अतिरिक्त बीमा कराएगी और बनाए रखेगी जिन्हें जेवीसी अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे। इस प्रकार प्राप्त बीमा पॉलिसियों में एएआई को सह-बीमित के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

(ii) **नीतियाँ:** अनुच्छेद 8.5.6(i) के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, जेवीसी एएआई को ऐसे पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगी कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे किसी भी बीमा को तब तक रद्द, संशोधित, समाप्त या व्यपगत

होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि जेवीसी द्वारा एएआई को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का कम से कम पैंतालीस (45) दिनों का नोटिस प्रदान न कर दिया गया हो।

(iii) **बीमा न कराने की विफलता के लिए उपाय:** यदि जेवीसी उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और चालू रखने में विफल रहती है जिसके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो एएआई के पास ऐसे किसी भी बीमा को चालू रखने और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा जेवीसी से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

(iv) **बीमा आय का अनुप्रयोग:** एस्क्रो समझौते के अधीन रहते हुए, जेवीसी द्वारा प्राप्त सभी बीमा दावों को हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण के लिए लागू किया जाएगा, सिवाय (i) भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा आय; तथा (ii) व्यापार व्यवधान, लाभ की हानि या स्टार्टअप में देरी से संबंधित बीमा आय को छोड़कर। बीमा आय के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध के अधीन, ऋणदाता ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों के तहत नुकसान के प्राप्तकर्ता (loss payees) हो सकते हैं।

8.5.7 अनुबंध, पट्टे और लाइसेंस

(i) उप-अनुबंध, उप-पट्टा और लाइसेंस

(क) जेवीसी द्वारा किसी भी गतिविधि का उप-अनुबंध किया जा सकता है, बशर्ते हमेशा यह कि उप-अनुबंध के बावजूद, जेवीसी उप-अनुबंधित हवाईअड्डा सेवा के संबंध में समग्र प्रबंधन, जिम्मेदारी, दायित्व और देता (liability) बनाए रखती है। ऐसा कोई भी उप-अनुबंध जेवीसी को इस समझौते के तहत ऐसे हवाईअड्डा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी किसी भी उप-ठेकेदार के किसी भी कृत्य, चूक या व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार बनी रहेगी, और उसके संबंध में एएआई को क्षतिपूर्ति करेगी। बशर्ते हालांकि कि विदेशी जनशक्ति या सामग्रियों से जुड़े किसी भी उप-अनुबंध को भारत सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलता के अधीन होना होगा।

(ख) एएआई इसके द्वारा पट्टाकृत परिसर के किसी भी हिस्से (लेकिन संपूर्ण नहीं) को इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए तीसरे पक्षों को उप-पट्टे पर देने और लाइसेंस देने के जेवीसी के अधिकार को मान्यता देता है।

(ग) अनुबंधों में प्रवेश करने या किसी उप-पट्टे या लाइसेंस को प्रदान करने से पहले, जेवीसी:

(कक) बिना किसी सीमा के (जहां लागू हो) सार्वजनिक कार्य रियायतों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रियाओं सहित लागू कानूनों का अनुपालन करेगी और किसी भी स्थिति में प्रत्येक ऐसे अनुबंध के लिए जिसका मूल्य ₹50,00,00,000/- (केवल पचास करोड़ रुपये) से अधिक है, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपक्षी का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हो; तथा

(खख) प्रत्येक अनुबंध के प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षियों, उप-पट्टेदार या लाइसेंसधारी (यथास्थिति) और उनके शेयरधारिता पैटर्न से एएआई को अवगत कराएगी।

(घ) पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी द्वारा दर्ज किया गया प्रत्येक अनुबंध निष्पक्ष आधार (arms-length basis) पर होगा (और अनुसूची 12 में निर्धारित संविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा), और इसमें एक स्पष्ट प्रावधान होगा जो इस समझौते की समाप्ति या अवसान की स्थिति में एएआई को ऐसे अनुबंध के तहत जेवीसी के अधिकारों और दायित्वों के अंतरण की अनुमति देता है। जेवीसी द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक अनुबंध (किसी भी उप-पट्टे या लाइसेंस व्यवस्था सहित) में एक स्पष्ट प्रावधान होगा जो अंतरण परिसंपत्तियों और गैर-अंतरण परिसंपत्तियों (अंतर्निहित भूमि के प्रत्यावर्तन सहित) को यहां प्रदान किए गए तरीके से प्राप्त करने के एएआई के अधिकार को मान्यता देता है, और प्रतिपक्षियों, लाइसेंसधारी/उप-पट्टेदारों, या प्रासंगिक परिसंपत्ति के स्वामियों के वचन को शामिल करेगा, यथास्थिति, एएआई द्वारा ऐसे अधिकार के प्रयोग पर, प्रासंगिक अंतरण परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति (अंतर्निहित भूमि के प्रत्यावर्तन सहित), यथास्थिति, को अंतरित करने के लिए। जेवीसी आगे यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी उप-अनुबंध या वाणिज्यिक व्यवस्था हवाईअड्डे के विकास, प्रबंधन या संचालन को अनुचित रूप से बाधित या प्रतिबंधित न करे।

प्रासंगिक परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति से संबंधित किसी भी प्रतिपक्षी (प्रतिपक्षियों), लाइसेंसधारियों/उप-पट्टेदारों द्वारा दर्ज किए गए अनुबंध भी एएआई के उस अधिकार को मान्यता देंगे जो यहां प्रदान किए गए तरीके से अंतरण परिसंपत्तियों और गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का है, और प्रतिपक्षी (प्रतिपक्षियों), उप-लाइसेंसधारी, उप-उप-पट्टेदारों, यथास्थिति, द्वारा एएआई द्वारा ऐसे अधिकार के प्रयोग पर, प्रासंगिक अंतरण परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति, यथास्थिति, को अंतरित करने के लिए एक वचन को शामिल करेंगे।

(ड.) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डे के संबंध में प्रदान किया गया कोई भी उप-अनुबंध, लाइसेंस या उप-पट्टा प्रभावी तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगामी पर समाप्त हो जाए जेवीसी आगे यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रतिपक्षी (प्रतिपक्षियों), लाइसेंसधारियों/उप-पट्टेदारों, यथास्थिति, द्वारा हवाईअड्डे से संबंधित दर्ज किया गया कोई भी अनुबंध भी प्रभावी तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगामी पर समाप्त हो जाएगा

(च) जेवीसी जेवीसी की किसी समूह इकाई या उसके किसी शेयरधारक (एएआई के अलावा) के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने या संशोधित करने से पहले, एएआई को ऐसे अनुबंध के प्रमुख नियमों के बारे में सूचित करेगी और एएआई को प्रारूप अनुबंध का खुलासा करेगी ऐसे अनुबंधों के संबंध में, एएआई को किसी भी प्रमुख नियम पर आपत्ति करने का अधिकार होगा जिसे वह उचित रूप से प्रदर्शित कर सकता है कि वे न्यायसंगत नहीं हैं, इस समझौते के पत्र या भावना के असंगत या विपरीत हैं या निष्पक्ष (arms-length) आधार पर नहीं हैं, और जेवीसी ऐसे अनुबंधों के निष्पादन से पहले एएआई की उचित चिंताओं का समाधान करेगी जेवीसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि जेवीसी की किसी समूह इकाई या उसके किसी शेयरधारक (एएआई के अलावा) के साथ कोई भी अनुबंध केवल तभी दर्ज किया जाएगा जब जेवीसी का निदेशक मंडल ("बोर्ड") स्वयं ऐसे अनुबंध को विधिवत अनुमोदित करता है और इसे बोर्ड की किसी उप-समिति द्वारा या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है बोर्ड को ऐसे अनुबंधों के नियमों और शर्तों पर विचार करने और टिप्पणी करने तथा उनमें संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार होगा बोर्ड स्वतंत्र अभियंता से अनुबंधों की शर्तों पर एक रिपोर्ट मांगने का हकदार होगा। बोर्ड ऐसे किसी भी अनुबंध का अनुमोदन केवल तभी करेगा जब वह इस बात

से संतुष्ट हो कि इसके नियम जेवीसी के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो सद्भाव से गैर-समूह इकाइयों / गैर-शेयरधारकों से निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे इसके तहत बोर्ड के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी तिथि से पहले जेवीसी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों (Articles of Association) में शामिल किया जाएगा।

(ii) प्रबंधन और नियंत्रण

(क) उपर्युक्त अनुच्छेद 8.5.7 (i) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी परिस्थिति में जेवीसी हवाईअड्डे के समग्र परिचालन और प्रबंधन का उप-अनुबंध नहीं करेगी और जेवीसी हर समय गतिविधियों और/या सेवाओं के किसी भी उप-अनुबंध के बावजूद, अपने वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के माध्यम से हवाईअड्डे के समग्र प्रबंधन नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अभ्यास करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी

(ख) जेवीसी इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण हवाईअड्डा स्थल को उप-पट्टे पर या लाइसेंस पर नहीं देगी जेवीसी उप-अनुबंध प्रदान करने के लिए निष्पक्ष, उचित और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित करेगी। किसी भी इकाई को कोई भी उप-अनुबंध प्रदान करने में, और प्रदान करने या न करने का निर्धारण करने में, तथा ऐसे किसी भी अधिकार को संशोधित करने, अधित्यक्त करने, समाप्त करने या बढ़ाने का निर्धारण करने में, जेवीसी लगातार ऐसे मानदंडों का अनुपालन करेगी और उन्हें लागू करेगी।

(ग) (i) इसके अन्य प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावी तिथि से छह (6) महीने के भीतर, कम से कम दो असंबंधित (गैर-समूह) इकाइयां (जिनमें से एक जेवीसी हो सकती है) हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि एकाधिकार (monopoly), या एकाधिकार व्यवस्थाओं को न बनाया जा सके और किसी एक उप-ठेकेदार के साथ किसी अन्य उप-ठेकेदार की तुलना में अनुचित रूप से भेदभाव न किया जाए जब तक कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं की जाती है, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि एएआई द्वारा लगाए गए कार्गो के तत्कालीन लागू प्रभार हवाईअड्डे पर लिए जाएंगे।

(ii) जेवीसी लागू विधि के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(घ) न तो जेवीसी और न ही कोई उप-ठेकेदार।

(i) हवाईअड्डे पर इसके द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में, किसी भी ऐसी व्यापार प्रथा, या किसी भी मूल्य निर्धारण नीति को नहीं अपनाएगा, जो हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं के किसी भी वर्ग या किसी विशेष उपयोगकर्ता के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती है या जो सामान्य रूप से हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं के सापेक्ष अपनी सौदेबाजी की स्थिति का अनुचित रूप से शोषण करती है या जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य इकाई द्वारा ऐसी प्रथा को अपनाने का कारण बनती है जिसका समान प्रभाव होता है।

(ii) किसी भी उप-अनुबंध को प्रदान करने के संबंध में, ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं अपनाएगा जो

(क) इस तरह के अधिकारों के किसी भी वर्ग को प्रदान की गई इकाइयों, या ऐसे अधिकार के किसी विशेष अनुदानकर्ता के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती है, या सामान्य रूप से ऐसे अधिकारों के अनुदानकर्ताओं के सापेक्ष अपनी सौदेबाजी की स्थिति का अनुचित रूप से शोषण करती है, या

(ख) ऐसे अधिकारों के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों के किसी भी वर्ग या किसी विशेष आवेदक के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करती है, या किसी विशेष सेवाओं या सुविधाओं के मामले में प्रदान किए जाने वाले ऐसे अधिकारों की संख्या को अनुचित रूप से सीमित करती है। या जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य इकाई द्वारा ऐसी प्रथा को अपनाने का कारण बनती है, जिसका समान प्रभाव होता है।

इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार और सहमति व्यक्त की जाती है कि इस उप-खंड (घ) के प्रावधानों का उपयोग या अर्थ किसी भी तरह से उच्च-खंड उपयोगकर्ताओं और अन्य मूल्यवान ग्राहकों के लिए छूट या अनुकूलित पैकेज प्रदान करने की जेवीसी की क्षमता को सीमित करने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा, या हवाईअड्डे के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन तथा/या इसके तहत अन्य हवाईअड्डा सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में सामान्य और प्रथागत अन्य प्रोत्साहन पैकेजों के लिए नहीं किया जाएगा।

8.5.8 स्वतंत्र अभियंता

(i) स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति

(क) हवाईअड्डा विकास के संबंध में योजना अनुमोदन और मानकों के अनुपालन को निर्धारित करने और सुनिश्चित करने तथा अनुसूची 21 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के उद्देश्य से स्वतंत्र अभियंता की एक प्रतिष्ठित कंसर्न नियुक्त की जाएगी

(ख) स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। एएआई जेवीसी के साथ हितों के किसी भी टकराव के बिना, असाइनमेंट की आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष प्रासंगिकता के साथ हवाईअड्डा विकास पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता वाले छह (6) इंजीनियरों के एक पैनल को नामित करेगा। जेवीसी को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तीन (3) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं। एएआई किसी भी ऐसे नामित व्यक्ति को, जिस पर जेवीसी ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त करेगा।

(ग) एएआई और जेवीसी स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति से जुड़ी लागतों सहित सभी लागतों को समान रूप से वहन करेंगे।

(ii) यहां निहित विवाद समाधान तंत्र के अधीन, जहां एक तकनीकी मुद्दा उठता है जिसमें दोनों पक्षों के अलग-अलग विचार हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्ष स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के समान तरीके से प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों को नामित कर सकता है और दूसरा पक्ष इनमें से किसी एक विशेषज्ञ का चयन करता है। प्रत्येक पक्ष संबोधित किए जाने वाले मुद्दे पर विशेषज्ञ को लिखित रूप में संक्षेप (brief) देगा और दूसरे पक्ष को ब्रीफिंग की एक प्रति प्रदान करेगा। दोनों पक्ष मामले की समीक्षा करने और रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमा पर विशेषज्ञ के साथ सहमत होंगे समीक्षा की लागत दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।

8.5.9 ओएमडीए कार्यान्वयन निरीक्षण समिति

अनुच्छेद 3 के होते हुए भी, इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, एएआई इसके निष्पादन के 30 (तीस) दिनों के भीतर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अलग समर्पित इकाई "ओएमडीए कार्यान्वयन निरीक्षण समिति" या का गठन करेगा और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो एमसीए निर्धारित कर सकता है। ओआईओसी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि इस समझौते के तहत परिकल्पित पूर्वापेक्षित शर्तें विधिवत पूरी/संतोषजनक रूप से निष्पादित हो गई हैं और यह समझौता अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान किए गए अनुसार तीन (3) महीने के भीतर पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा, ओआईओसी इस समझौते से संबंधित सभी मामलों के लिए जेवीसी के लिए 'सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट' होगी ओआईओसी जेवीसी के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यकतानुसार अक्सर बैठक करेगी और उभरते मुद्दों और चिंताओं की संयुक्त समीक्षा करेगी तथा हवाईअड्डे के विकास की निगरानी रखेगी।

8.5.10 पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट

(i) जेवीसी, प्रभावी तिथि से छह महीने के भीतर, यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हवाईअड्डे की पूर्ण पर्यावरण लेखापरीक्षा करे और एएआई को ऐसी लेखापरीक्षा की एक प्रति प्रदान करे [सिटी: 33]।

(ii) पर्यावरण लेखापरीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जेवीसी, अगले छह महीनों के भीतर, हवाईअड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगी, जो हवाईअड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियों और कार्यों को निर्धारित करती है और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम तैयार करती है जो समय के साथ हवाईअड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

(iii) जेवीसी पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की सालाना समीक्षा करेगी और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगी।

जेवीसी एएआई को पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

(iv) इस समझौते की समाप्ति से पूर्व, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ

हवाईअड्डे की एक और पर्यावरण लेखापरीक्षा करे जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि समाप्ति के समय हवाईअड्डे की पर्यावरणीय स्थिति सभी सांविधिक और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(v) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i) और (iv) में उल्लिखित हवाईअड्डे की पर्यावरण लेखापरीक्षा करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ को निम्नलिखित तरीके से नियुक्त किया जाएगा

(i) जेवीसी पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के लिए उचित अनुभव और योग्यताओं वाली एक या अधिक इकाइयों को नामित करेगी, और एएआई के अनुमोदन के लिए उक्त विशेषज्ञ के संदर्भ की शर्तों के साथ-साथ प्रस्तावित स्वतंत्र विशेषज्ञ के बारे में एएआई को सूचित करेगी पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि पर्यावरण लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ और लेखापरीक्षा के संदर्भ की शर्तों को एएआई द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(vi) जेवीसी और एएआई स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति से जुड़ी लागतों सहित सभी लागतों को संयुक्त रूप से वहन करेंगे।

8.5.11 शिकायत रजिस्टर

(i) जेवीसी हवाईअड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगी जहां वह किसी भी व्यक्ति "शिकायतकर्ता" द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए हर समय पहुंच के साथ एक रजिस्टर "शिकायत रजिस्टर" रखेगी। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, जेवीसी शिकायतकर्ता को तारीख और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगी। दर्ज होने के 30 दिनों के बाद भी जिस किसी शिकायत का समाधान नहीं होता है, उसके विवरण तुरंत जेवीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे (शिकायतकर्ता का नाम या विवरण बताए बिना)

(ii) शिकायत रजिस्टर हार्ड कॉपी फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। इसमें शिकायत संख्या, तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और जेवीसी द्वारा की गई कार्रवाई सहित उपयुक्त कॉलम होंगे। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुंच से संबंधित जानकारी जेवीसी द्वारा हवाईअड्डे पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) जेवीसी हर दिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगी और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगी, की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में नोट

किया जाएगा और जेवीसी द्वारा पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत या पारेषण की पुष्टि के साथ फैक्स द्वारा शिकायतकर्ता को इसके विवरण बताते हुए एक उत्तर भेजा जाएगा।

(iv) जिस सीमा तक किसी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतें आरक्षित गतिविधियों के निष्पादन या अन्यथा या किसी एयरलाइन या किसी अन्य इकाई से संबंधित हैं, जेवीसी तुरंत प्रासंगिक प्राधिकरण, एयरलाइन या ऐसी इकाई को इसके बारे में सूचित करेगी।

(v) इस अनुच्छेद 8.5.11 द्वारा परिकल्पित नोटिस, रिकॉर्ड-कीपिंग या पंजीकरण का कोई भी साधन तुलनीय या बेहतर सटीकता और विश्वसनीयता के किसी भी अधिक कुशल या प्रभावी स्वचालित या आधुनिक प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों या विधियों द्वारा पूरा या प्रभावी किया जा सकता है।

8.6 कार्य-निष्पादन बांड

(क) जेवीसी प्रभावी तिथि के बाद पहले पांच (5) वर्षों के लिए भारत में एक प्रतिष्ठित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक बार में न्यूनतम 12 महीने की वैधता के साथ ₹ 500,00,00,000/- (पांच सौ करोड़ रुपये) की राशि के लिए (प्रभावी तिथि की पहली वर्षगामी के बाद प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति की दर पर वर्द्धमान) बैंक गारंटी के रूप में एक कार्य-निष्पादन बांड (Performance Bond) प्रस्तुत करेगी।

(ख) कार्य-निष्पादन बांड प्रस्तुत करने पर, एएआई बोली बांड को वापस करेगा/मुक्त करेगा। कार्य-निष्पादन बांड को समय-समय पर रोल ओवर किया जाएगा और प्रभावी तिथि के बाद पांच (5) वर्षों की समाप्ति तक की अवधि के लिए इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले नवीनीकृत किया जाएगा।

(ग) कार्य-निष्पादन बांड का संपूर्ण या आंशिक हिस्सा अन्य स्थितियों के अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भुनाया जा सकेगा (i) सहमत समय सीमा के भीतर अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा न करना

- (ii) इसके नियमों के अनुसार रोजगार के प्रस्ताव देने में विफलता
- (iii) इसके नियमों के अनुसार विकास मानकों और आवश्यकताओं, वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं का अनुपालन न करना
- (iv) इस समझौते में निर्धारित नियमों के अनुसार पर्याप्त बीमा प्रदान करने में विफलता (सिवाय इसके कि ऐसा बीमा एएआई द्वारा प्राप्त किया गया है और एएआई को उसकी लागत के संबंध में क्षतिपूर्ति की गई है)
- (v) देय और भुगतान योग्य होने के बाद एक (1) महीने के लिए इसके तहत किसी भी परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान करने में विफलता तथा
- (vi) इस समझौते के तहत कोई अन्य सारवान उल्लंघन / गैर-निष्पादन

(घ) इस अनुच्छेद 8.6 के उप-खंड (c) के अनुसरण में कार्य-निष्पादन बांड के किसी भी हिस्से को भुनाए जाने की स्थिति में, ऐसे नकदीकरण के तुरंत बाद, जेवीसी कार्य-निष्पादन बांड की पुनःपूर्ति करेगी। कार्य-निष्पादन बांड के नकदीकरण के तीन (3) महीने के भीतर उसकी पुनःपूर्ति न होने की स्थिति में, एएआई को संपूर्ण कार्य-निष्पादन बांड को भुनाने का अधिकार होगा। बशर्ते हालांकि कि एएआई उसी डिफॉल्ट के लिए पुनःपूर्ति किए गए कार्य-निष्पादन बांड को दो बार नहीं भुनाएगा जिसके लिए कार्य-निष्पादन बांड को पहले भुनाया गया था [cite: 33]।

(ड.) कार्य-निष्पादन बांड के नकदीकरण के आह्वान में कोई भी देरी या गैर-आह्वान को उल्लंघन या डिफॉल्ट की माफी या भविष्य में कार्य-निष्पादन बांड को आह्वान करने या भुनाने के अधिकार के अधित्याग (waiver) के रूप में नहीं समझा जाएगा [cite: 33]।

8.7 प्रमाणन

इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के जेवीसी द्वारा अनुपालन को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मास्टर प्लान के तहत निर्माण के प्रारंभ या अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं और/या सुविधाओं के पूरा होने का कोई भी प्रमाणन स्वतंत्र अभियंता द्वारा किया जाएगा।

स्वतंत्र अभियंता जेवीसी और/या एएआई द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने के बाद उचित रूप से यथाशीघ्र अपना प्रमाणन पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय IX

सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं एवं विकास मानक

9.1 पक्षकारों का यह आशय है कि जेवीसी हवाईअड्डे की सुविधाओं की गुणवत्ता, हवाईअड्डा प्रबंधन और सभी हवाईअड्डा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मामले में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के लिए विश्व स्तरीय मानक तक लाने और बनाए रखने के लिए हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करेगी। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा वितरण और प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए जेवीसी निम्नलिखित कार्य करेगी।

9.1.1 आईएसओ 9001: 2000 प्रमाणन:

(क) आवश्यकता :

जेवीसी, प्रभावी तिथि से दो वर्ष के भीतर, हवाईअड्डे की वैमानिक सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाओं के लिए ISO 9001: 2000 प्रमाणन (या प्रमाणन बंद होने की स्थिति में उचित प्रतिस्थापन प्रमाणन) प्राप्त करेगी और उसके बाद पूरी अवधि के दौरान उसे बनाए रखेगी।

(ख) रिपोर्ट :

जेवीसी समय पर एएआई को 9001:2000 प्रमाणन की एक प्रति प्रदान करेगी

(ग) डिफॉल्ट:

प्रभावी तिथि के बाद दो (2) वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय, इस स्थिति में कि हवाईअड्डे ने आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है, जेवीसी 30 दिनों के भीतर एक कार्य योजना तैयार करेगी जो यह निर्धारित करती है कि यह कमियों का समाधान कैसे करेगी और इन पहलों को तुरंत लागू किया जाएगा [सिटी: 33]। यदि जेवीसी 30 दिनों के भीतर ऐसी कार्य योजना तैयार करने में विफल रहती है या यदि हवाईअड्डा (या उसका कोई भी हिस्सा) कार्य योजना प्रस्तुत करने की तारीख से अगले 6 महीनों

के लिए आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त नहीं करना जारी रखता है या प्रमाणन प्राप्त करने के बाद अवधि के दौरान किसी भी समय प्रमाणन बनाए रखने में विफल रहता है, तो जेवीसी तदुपरांत एएआई को प्रत्येक माह के लिए मासिक राजस्व का 2.5% (डिफॉल्ट से पूर्व) परिसमाप्त नुकसानी के रूप में भुगतान करेगी, जिस माह के दौरान हवाईअड्डा ISO 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त नहीं करता है या बनाए नहीं रखता है, यथास्थिति, बशर्ते हालांकि कि इसके तहत देय कुल परिसमाप्त नुकसानी मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) के 15% से अधिक नहीं होगी [सिटी: 33]।

9.1.2 वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

(क) आवश्यकता

जेवीसी उसमें उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, अनुसूची 3 में निर्धारित वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करेगी [cite: 33]।

(ख) रिपोर्ट

जेवीसी त्रैमासिक आधार पर, अनुसूची 3 के अनुसार वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन को मापेगी और समय पर एएआई को अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करेगी।

(ग) डिफॉल्ट किसी भी समय जब जेवीसी किसी विशेष वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए बाध्य है, इस स्थिति में कि ठीक आगामी त्रैमासिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हवाईअड्डे (या उसके किसी भी हिस्से) को संबंधित वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता से नीचे रेट किया गया है, तो जेवीसी अंतिम प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट के 30 दिनों के भीतर विशेष वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता को प्राप्त कर लेगी।

यदि जेवीसी उपर्युक्त को प्राप्त करने में विफल रहती है, या यदि हवाईअड्डा (या उसका कोई भी हिस्सा) अनुसूची 3 में उल्लिखित लक्ष्यों से नीचे प्रदर्शन करना जारी रखता है, तो जेवीसी एएआई को प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक माह के लिए मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) का 0.5% परिसमाप्त नुकसानी के रूप में भुगतान करेगी, जिसके दौरान मानक किसी भी वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं से नीचे हैं, बशर्ते हालांकि कि इसके तहत देय कुल परिसमाप्त नुकसानी मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) के 1.5% से अधिक नहीं होगी।

9.1.3 व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

(क) आवश्यकता

- (i) जेवीसी प्रभावी तिथि की पहली वर्षगामी से शुरू होकर, और उसके बाद हर तिमाही, आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षण में भाग लेगी।
- (ii) प्रारंभिक विकास योजना के चरण 1 और चरण 2 के कार्यान्वयन के दौरान, जैसा कि मास्टर प्लान में बाद में दर्शाया गया है, जेवीसी समय के साथ प्रदर्शन में निरंतर सुधार प्राप्त करने का प्रयास करेगी। जहां इस अवधि में किन्हीं दो लगातार सर्वेक्षणों के बीच प्रदर्शन में गिरावट आती है, जेवीसी गिरावट को उलटने का प्रयास करने के लिए एक पूर्ण स्पष्टीकरण और एक कार्य योजना प्रदान करेगी और इन पहलों को तुरंत लागू किया जाएगा।
- (iii) जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि, उपर्युक्त चरण 2 के कार्यान्वयन के पूरा होने पर, जेवीसी आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षण में 3.75 या उससे अधिक की रेटिंग प्राप्त करती है और पूरी अवधि के दौरान उसे बनाए रखती है।

(ख) रिपोर्ट

प्रत्येक त्रैमासिक आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षण के बाद जेवीसी समय पर एएआई को प्रत्येक सर्वेक्षण के परिणाम, परिणामों के अपने विश्लेषण और अनुसूची 4 में निर्धारित उपायों के संबंध में सुधार लाने के लिए उसके द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई के साथ प्रदान करेगी।

(ग) डिफॉल्ट

जेवीसी आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षणों में हवाईअड्डे में सुधार सुनिश्चित करने के लिए इस समझौते की अवधि के दौरान हर समय सर्वोत्तम प्रयास करेगी। चरण 1 के पूरा होने के बाद, हवाईअड्डा लक्ष्य रेटिंग 3.5 होगी; बशर्ते हालांकि कि चरण 2 के पूरा होने के बाद, हवाईअड्डा लक्ष्य रेटिंग 3.75 होगी। चरण 1 के पूरा होने के बाद आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षणों पर 3.5 की लक्ष्य रेटिंग, और चरण 2 के पूरा होने के बाद 3.75, जैसा कि

उपर्युक्त उप-खंड (b) के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, को इसके बाद "लक्ष्य रेटिंग" कहा जाता है।

चरण 1 या चरण 2 के पूरा होने के बाद किसी भी समय, इस स्थिति में कि दो लगातार त्रैमासिक आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि हवाईअड्डे को लागू लक्ष्य रेटिंग से नीचे रेट किया गया है, तो जेवीसी एएआई को प्रत्येक ऐसे महीने के लिए मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) का 2.5% भुगतान करेगी जिसके दौरान मानक लक्ष्य रेटिंग से 0.1 अंक से अधिक नीचे हैं और प्रत्येक ऐसे महीने के लिए मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) का 1.25% परिसमाप्त नुकसानी के रूप में भुगतान करेगी यदि मानक लक्ष्य रेटिंग से 0.1 अंक से कम नीचे हैं; बशर्ते हालांकि कि परिसमाप्त नुकसानी का भुगतान किए जाने की अधिकतम अवधि 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी।

9.1.4 विकास मानक एवं आवश्यकताएं

(क) आवश्यकता

विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय हवाईअड्डा प्राप्त करना पक्षों का आशय है । हवाईअड्डे का डिजाइन, निर्माण आधुनिकीकरण, उन्नयन और संचालन (सभी अंतरण परिसंपत्तियों सहित) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मानकों तथा कानूनों में निर्धारित सभी उचित तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा और विशेष रूप से अनुसूची 1 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(ख) रिपोर्ट

जेवीसी समय पर एएआई को किसी भी विकास योजना के अनुसार पूरी की जाने वाली प्रत्येक विकास पर पूर्ण जानकारी और रिपोर्ट तथा पूरे हवाईअड्डे के लिए पूरी की गई या प्रगति पर विकास के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट और विकास मानक एवं आवश्यकताएं उपायों में से प्रत्येक के लिए प्रत्येक पूरी की गई विकास के लिए प्राप्त परिणामों पर रिपोर्ट प्रदान करेगी ।

(ग) डिफॉल्ट

- (i) यदि जेवीसी द्वारा प्रस्तुत ऐसे रिपोर्टों की समीक्षा और स्वतंत्र अभियंता द्वारा किए गए स्वतंत्र सत्यापन के बाद, स्वतंत्र अभियंता यह प्रमाणित करता है कि हवाईअड्डे पर प्रगति पर एक विशेष विकास (या उसका कोई भी हिस्सा) संबंधित विकास मानक और आवश्यकता से नीचे है, जिसे एएआई द्वारा जेवीसी को अधिसूचना के पश्चात उस विकास के पूरा होने से पहले ठीक नहीं किया जाता है; अथवा जेवीसी द्वारा प्रस्तुत किसी भी विकास की पूर्णता रिपोर्ट यह दर्शाती है कि हवाईअड्डे पर विकास (या उसका कोई भी हिस्सा) संबंधित विकास मानक और आवश्यकता से नीचे है, अथवा
- (ii) प्रगति पर विभिन्न विकासों की दो लगातार त्रैमासिक रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि हवाईअड्डा (या उसका कोई भी हिस्सा) संबंधित विकास मानक और आवश्यकता से नीचे रेट किया गया है,

उपर्युक्त में से किसी भी डिफॉल्ट के संबंध में, जेवीसी एएआई को प्रत्येक ऐसे महीने के लिए मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) का 2.5% भुगतान करेगी जिसके दौरान मानक विकास मानकों और आवश्यकताओं में से किसी से भी नीचे हैं, परिसमाप्त नुकसानी के रूप में, बशर्ते हालांकि कि इसके तहत देय कुल परिसमाप्त नुकसानी मासिक राजस्व (डिफॉल्ट से पूर्व) के 15% से अधिक नहीं होगी।

9.1.5 इस स्थिति में कि जेवीसी का मानना है कि अनुसूची 1, 2 या 3 में से किसी में भी उल्लिखित कुछ उपायों या लक्ष्यों को संशोधित या परिवर्तित किया जाना चाहिए (तकनीकी परिवर्तनों, या व्यावसायिक प्रथाओं में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, मौजूदा उपायों या लक्ष्यों को निरर्थक बनाते हुए), यह एएआई को अपने प्रस्तावों का एक पूर्ण लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेगी, जो यह आकलन करेगा और अंततः उचित रूप से निर्णय लेगा कि क्या कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए।

9.1.6 इस स्थिति में कि एएआई का मानना है कि अनुसूची 1, 2 या 3 में से किसी में भी उल्लिखित कुछ उपायों या लक्ष्यों को किसी भी कारण से संशोधित या परिवर्तित किया जाना चाहिए, यह जेवीसी को अपने प्रस्तावों का एक पूर्ण लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेगी, और पक्ष यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे के साथ

पारस्परिक रूप से परामर्श करेंगे कि क्या उक्त उपायों या लक्ष्यों में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अध्याय X

निगरानी एवं सूचना

10.1 जेवीसी नियमित रूप से एएआई को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

- (क) मासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान आवाजाही, कार्गो आदि)
- (ख) एमसीए , एएआई, आईसीएओ , आईएटीए और प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित अन्य परिचालन आंकड़े
- (ग) इस समझौते में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन माप के विभिन्न संकेतकों पर रिपोर्ट
- (घ) त्रैमासिक वित्तीय खाते
- (ङ.) वार्षिक बजट
- (च) बिजनेस प्लान का नवीनतम अद्यतन
- (छ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम
- (ज) यदि एएआई द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो जेवीसी एएआई को दैनिक यातायात रिकॉर्ड सौंपेगी ।
- (झ) हवाईअड्डा परिचालनों के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्टें/जानकारी (या उनका विश्लेषण) जिनका एएआई समय-समय पर अनुरोध कर सकता है

10.2 अभिलेखों का रखरखाव

(क) जेवीसी लागू विधियों और इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार सटीक, अद्यतन और पूर्ण वित्तीय अभिलेख बनाए रखेगी

(ख) जेवीसी उन परिसंपत्तियों के संचालन और अनुरक्षण से संबंधित सटीक, अद्यतन और पूर्ण अभिलेख बनाए रखेगी, जिनका वह स्वामित्व रखती है या संचालन करती है, तथा हवाईअड्डे का परिचालन निष्पादन बनाए रखेगी। ऐसे सुधारात्मक (या पूर्वव्यापी रूप से नहीं) प्रावधानों को बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए एएआई द्वारा समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(ग) जेवीसी एएआई द्वारा उचित नोटिस पर और उचित समय पर एएआई द्वारा निरीक्षण के लिए अनुच्छेद 10 में संदर्भित अभिलेखों को उपलब्ध कराएगी और, यदि एएआई द्वारा उचित रूप से अनुरोध किया जाए, तो उनकी प्रतियां प्रदान करेगी एएआई ऐसे किसी भी अभिलेख की जांच करने और उसकी प्रतियां लेने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का हकदार होगा जेवीसी एएआई को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण और अन्य सहायता प्रदान करेगी जो एएआई या उसके किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसे किसी भी अभिलेख की जांच के प्रयोजन के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो।

(घ) इस अनुच्छेद के अनुसार रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख प्रासंगिक अभिलेखों के निर्माण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अवधि की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति के चौबीस महीने बाद तक, जो भी बाद का हो, रखे जाएंगे, बशर्ते कि जेवीसी ऐसे किसी भी निपटान से पहले एएआई को सूचित करेगी और एएआई को ऐसे अभिलेखों की डिलीवरी लेने का एक उचित अवसर प्रदान करेगी ऐसे सभी अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं बशर्ते ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रूप विधिवत प्रमाणित हो और साक्ष्य में ग्राह्य हो पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि यह अनुच्छेद इस समझौते की समाप्ति या अवसान के बाद भी प्रभावी रहेगा.

10.3 खातों का प्रावधान

(क) जेवीसी अपनी लेखांकन संदर्भ अवधि की समाप्ति पर, उनके उपलब्ध होने के बाद उचित रूप से यथाशीघ्र लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदान की गई अवधि की समाप्ति से बाद में, अवधि के भीतर समाप्त होने वाली पहली लेखांकन संदर्भ अवधि से शुरू करते हुए, एएआई को वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लाभ-हानि खाता, तुलन-पत्र और जेवीसी (और (यदि लागू हो) जेवीसी की किसी भी सहायक कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण की प्रतियां उस लेखांकन संदर्भ अवधि के अंत में और उसके लिए, सभी संबंधित निदेशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की प्रतियों के साथ, वितरित करेगी।

(ख) इसके तहत वितरित खातों का प्रत्येक सेट, उसमें दी गई टिप्पणियों में बताए गए को छोड़कर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखा परीक्षा मानकों तथा प्रथाओं के अनुसार और लगातार लागू किए गए तथा सभी लागू कानूनों के अनुसार तैयार और लेखापरीक्षित किया जाएगा, और उन टिप्पणियों के साथ और किसी भी प्रासंगिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किसी भी अर्हता (qualifications) के अधीन, ऐसे खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए मामलों की स्थिति और लाभ या हानि का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देगा। खातों का प्रत्येक सेट जेवीसी की सामान्य लेखांकन नीतियों के अनुसार लगातार तैयार किया जाएगा, जिनका विवरण अनुरोध पर एएआई को आपूर्ति किया जाएगा और जिसमें किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे खातों को प्रस्तुत करने पर एएआई को दी जाएगी।

(ग) जेवीसी इसके अलावा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लेखापरीक्षित लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ उनके उपलब्ध होने के बाद उचित रूप से यथाशीघ्र प्रत्येक माह के लिए प्रबंधन खाते एएआई को वितरित करेगी खातों का प्रत्येक सेट जेवीसी की सामान्य लेखांकन नीतियों के अनुसार लगातार तैयार किया जाएगा, जिनका विवरण अनुरोध पर एएआई को आपूर्ति किया जाएगा और जिसमें किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे खातों को प्रस्तुत करने पर एएआई को दी जाएगी जेवीसी की लेखांकन संदर्भ अवधि बारह महीने की अवधि होगी।

(घ) सभी खाते इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखे जा सकते हैं

10.4 व्यवसाय में परिवर्तन (Changes in Business)

जेवीसी हवाईअड्डा व्यवसाय के आचरण या स्थिति में किसी भी सारवान परिवर्तन या प्रस्तावित सारवान परिवर्तन के बारे में एएआई को सूचित करेगी, ऐसे किसी भी परिवर्तन के घटित होने से पहले (या, यदि पहले उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो घटित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक हो), (जिसमें किसी भी प्रमुख अनुबंध की समाप्ति, कोई भी मुकदमा या अन्य विवाद जिसका हवाईअड्डा व्यवसाय पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जेवीसी के पूंजीकरण या वित्तपोषण में कोई भी सारवान परिवर्तन या पुनर्गठन शामिल है)

10.5 निरीक्षण के अधिकार

एएआई और उसके प्रतिनिधियों को किसी भी समय लेकिन उचित पूर्व सूचना के साथ हवाईअड्डा स्थल के किसी भी हिस्से या हवाईअड्डे की किसी भी परिसंपत्ति का निरीक्षण करने तथा इस समझौते के तहत जेवीसी के दायित्वों के अनुपालन की निगरानी के लिए, या जेवीसी या किसी प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदर्शन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, या किसी अन्य कारण से, कोई भी सर्वेक्षण या अन्य जांच करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके प्रयोजन के लिए जेवीसी ऐसी पहुंच प्रदान करेगी या ऐसी पहुंच (तृतीय पक्षों को या उनसे सहित) प्रदान करवाएगी जैसा कि वे इसके संबंध में उचित रूप से अपेक्षा करें, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति प्रासंगिक कार्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उसके संबंध में कोई निर्देश नहीं देंगे या हवाईअड्डा सेवाओं के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

यदि कोई ऐसा अभ्यास यह rivels करता है कि जेवीसी ने इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का किसी भी सारवान संबंध में अनुपालन नहीं किया है, तो ऐसे किसी भी निरीक्षण की लागत जेवीसी द्वारा उठाई जाएगी।

10.6 प्रबंधन तक पहुंच

एएआई को जेवीसी को उचित नोटिस देने के बाद उचित समय पर हवाईअड्डा व्यवसाय के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य प्रासंगिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक समय-समय पर उचित पहुंच का अधिकार होगा।

10.7 विवादों की अधिसूचना

जेवीसी एएआई को किसी भी ऐसे विवाद के बारे में सूचित करेगी जो जेवीसी और/या हवाईअड्डे के विरुद्ध उत्पन्न होता है या जिसकी धमकी दी जाती है, जिसका प्रतिकूल परिणाम जेवीसी या हवाईअड्डे, या किसी भी हवाईअड्डा सेवा पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

10.8 सूचना वारंटी

10.8.1 जेवीसी इसके द्वारा एएआई को वारंटी देती है कि

(क) इस समझौते के तहत जेवीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेखापरीक्षित खातों का प्रत्येक सेट उस अवधि के लिए जेवीसी के वित्तीय मामलों और स्थिति का एक सच्चा और निष्पक्ष राज्य है और होगा जिससे ऐसे खाते संबंधित हैं;

(ख) मास्टर प्लान, प्रमुख विकास योजना और बिजनेस Plan में से प्रत्येक उचित देखभाल और तत्परता के साथ अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है और किया जाएगा तथा निष्पक्ष, उचित और पूर्ण जानकारी, अनुमान और पूर्वानुमानों का प्रतिनिधित्व करता/करेगा तथा इसमें कोई सारवान चूक नहीं है/होगी;

(ग) इस समझौते के तहत एएआई को प्रदान की गई अन्य सभी सूचनाएं सभी सारवान मामलों में सच्ची, सटीक और पूर्ण हैं।

अध्याय XI

शुल्क

11.1 उपर्युक्त अनुदान के प्रतिफल के रूप में, जेवीसी इसके द्वारा नीचे उल्लिखित तरीके से और समय पर एएआई को निम्नलिखित भुगतान करने के लिए सहमत होती है।

11.1.1 अग्रिम शुल्क

जेवीसी प्रभावी तिथि को या उससे पहले एएआई को ₹ 150 करोड़ (केवल एक सौ पचास करोड़ रुपये) का अग्रिम शुल्क "अग्रिम शुल्क" का भुगतान करेगी। यह पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यह अग्रिम शुल्क गैर-वापसी योग्य है (इस समझौते के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार इस समझौते की समाप्ति के कारण को छोड़कर) और इस समझौते की अवधि के दौरान केवल एक बार देय है

11.1.2 वार्षिक शुल्क

11.1.2.1 जेवीसी इस समझौते की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए एएआई को नीचे निर्धारित राशि का एक वार्षिक शुल्क "एएफ" का भुगतान करेगी एएफ = उक्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व का 45.99% जहां प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व व्यवसाय योजना में निर्धारित अनुसार होगा।

11.1.2.2 एएफ का भुगतान बारह समान मासिक किस्तों में किया जाएगा, प्रत्येक किस्त (जिसे इसके बाद "मासिक एएफ" या कहा जाएगा) का भुगतान प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन किया जाएगा [सिटी : 35]। जेवीसी समय-समय पर एस्क्रो बैंक से एएआई के पक्ष में आहरित चेक द्वारा प्रत्येक माह के 7वें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से एएआई को एमएएफ का भुगतान करवाएगी [सिटी: 35]। यदि एएआई को यहां देय एमएएफ का भुगतान यहां प्रदान की गई देय तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, तो देय राशि पर भुगतान की देय तिथि से शुरू होने वाली और जिसमें देय तिथि शामिल है तथा भुगतान किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली और जिसमें वह तारीख शामिल नहीं है, की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्राइम लेंडिंग रेट + 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी हर समय प्रत्येक माह के 7वें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से एमएएफ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

11.1.2.3 (i) इस स्थिति में कि किसी भी तिमाही में वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से अधिक हो जाता है, तो जेवीसी अगले तिमाही के प्रारंभ होने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक त्रैमासिक राजस्व और अनुमानित त्रैमासिक राजस्व के बीच ऐसे अंतर के लिए एएआई को अतिरिक्त एएफ का भुगतान करेगी; तथा (ii) इस स्थिति में कि किसी भी तिमाही में अनुमानित राजस्व वास्तविक राजस्व से अधिक हो जाता है, तो एएआई जेवीसी को प्राप्त एएफ के ऐसे हिस्से का भुगतान करेगा जो अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के बीच के अंतर के लिए चालू तिमाही में जेवीसी द्वारा एएआई को देय एएफ के मुकाबले समायोजन के माध्यम से हो, बशर्ते आगे कि इस स्थिति में कि किसी भी तिमाही में वास्तविक राजस्व उस तिमाही के अनुमानित राजस्व के 110% से अधिक है, जेवीसी निम्नलिखित तरीके से भारतीय स्टेट बैंक प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 300bps की दर से वास्तविक राजस्व और अनुमानित राजस्व के अंतर के लिए एएआई को ब्याज का भुगतान करेगी।

(i) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के अंतर के 1/3वें हिस्से पर तीन (3) महीने का ब्याज;

(ii) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के अंतर के 1/3वें हिस्से पर दो (2) महीने का ब्याज;

(iii) अनुमानित राजस्व और वास्तविक राजस्व के अंतर के 1/3वें हिस्से पर एक (1) महीने का ब्याज।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुमानित त्रैमासिक राजस्व वास्तविक त्रैमासिक राजस्व के 110% के बराबर या उससे कम है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा; वास्तविक त्रैमासिक राजस्व और अनुमानित त्रैमासिक राजस्व के अंतर पर ब्याज केवल तभी देय होगा जब वास्तविक त्रैमासिक राजस्व वास्तविक त्रैमासिक राजस्व के 110% से अधिक हो।

11.1.2.4 एएफ के अंतिम सत्यापन/पुनर्मिलन (reconciliation) के लिए उपयोग किया जाने वाला लागू राजस्व प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित जेवीसी का राजस्व होगा।

11.2 स्वतंत्र लेखा परीक्षक

(i) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति (Appointment of Independent Auditor)

(क) यहाँ उल्लिखित प्रयोजनों के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा

() स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

एएआई जेवीसी को छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल नामित करेगा जेवीसी को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तीन (3) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं एएआई किसी भी ऐसे नामित व्यक्ति को, जिस पर जेवीसी ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

(सी) जेवीसी और एएआई स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति से जुड़ी लागतों सहित सभी लागतों को समान रूप से वहन करेंगे।

11.3 निरीक्षण का अधिकार

एएआई और उसके प्रतिनिधियों को इस समझौते के तहत एएआई को आपूर्ति की गई किसी भी जानकारी (राजस्व की गणना सहित) की जांच या ऑडिट करने के लिए जेवीसी द्वारा या उसकी ओर से रखी गई पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य सामग्रियों का किसी भी उचित समय पर निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। जेवीसी एएआई और उसके प्रतिनिधियों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगी और ऐसी पहुंच प्रदान करेगी या ऐसी पहुंच (तृतीय पक्षों को या उनसे सहित) प्रदान करवाएगी जैसा कि वे इसके संबंध में उचित रूप से अपेक्षा करें यदि कोई ऐसा अभ्यास यह रिवेल्स करता है कि एएआई को पहले आपूर्ति की गई जानकारी जेवीसी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी भी सारवान संबंध में अशुद्ध थी, तो ऐसे किसी भी अभ्यास की लागत जेवीसी द्वारा उठाई जाएगी।

अध्याय XII

प्रशुल्क एवं विनियमन

12.1 प्रशुल्क

12.1.1 इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए जेवीसी द्वारा हवाईअड्डे पर लगाए जाने वाले प्रभारों तथा वैमानिक परिसंपत्तियों से संबंधित लागतों की तदनुसार वसूली को वैमानिक प्रभार कहा जाएगा।

12.1.2 जेवीसी हर समय यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डे पर लगाए जाने वाले वैमानिक प्रभार राज्य सहायता समझौते के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे [सीटी: 35] इसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परियोजना समझौते के तहत जेवीसी द्वारा देय कोई भी जुर्माना या नुकसानी वैमानिक प्रभार का हिस्सा नहीं होगी और हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं पर नहीं डाली जाएगी।

12.2 गैर-वैमानिक सेवाओं के लिए प्रभार

लागू विधि के अधीन रहते हुए, जेवीसी विद्यमान अनुबंधों और अन्य समझौतों के प्रावधानों के अधीन, गैर-वैमानिक सेवाओं के लिए प्रभार तय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

12.3 अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्रभार

12.3.1 पूर्वगामी के होते हुए भी, वे वैमानिक या गैर-वैमानिक सेवाएं जो अत्यावश्यक सेवाएं भी हैं, यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

12.4 यात्री सेवा शुल्क

12.4.1 यात्री सेवा शुल्क राज्य सहायता समझौते के प्रावधानों के अनुसार एकत्र और वितरित किया जाएगा

अध्याय XIII

वित्तीय व्यवस्थाएं एवं प्रतिभूति

13.1 वित्तीय व्यवस्थाएं एवं प्रतिभूति

(क) यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि जेवीसी मास्टर प्लान और प्रमुख विकास योजनाओं के अनुसार हवाईअड्डे के विकास सहित इसके तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त ऋण और इक्विटी योगदान के माध्यम से सभी वित्तपोषण आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगी और/या उन्हें पूरा करेगी।

(ख) प्रतिभूति

(i) यह समझौता जेवीसी द्वारा समनुदेशित (assign) नहीं किया जाएगा। बशर्ते हालांकि कि ऋणदाताओं को प्रतिस्थापन समझौते के निष्पादन द्वारा प्रतिस्थापन का अधिकार दिया जा सकता है। बशर्ते आगे कि किसी भी समय, एएआई केवल एक (1) ऋणदाता एजेंट के साथ केवल एक (1) प्रतिस्थापन समझौते में प्रवेश करेगा; ऐसा ऋणदाता एजेंट ऋणदाताओं के एक कंसोर्टियम के लिए एजेंट होगा। ऋणदाता ऋणदाताओं के कंसोर्टियम के गठन को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आगे स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने वाले ऋणदाताओं को प्रवेश का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।

(ii) जेवीसी इस समझौते या किसी भी परियोजना समझौते या अंतरण परिसंपत्तियों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभ पर कोई भार (Encumbrance) या स्वत्व दोष (title defect) न तो सृजित करेगी और न ही बनाए रखने की अनुमति देगी और न ही अन्यथा अंतरित या निपटाएगी। इस संबंध में, जेवीसी मास्टर प्लान में अंतरण परिसंपत्तियों और गैर-अंतरण परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित और अलग करेगी। बशर्ते आगे कि गैर-अंतरण परिसंपत्तियों पर कोई भी भार मास्टर प्लान और इस समझौते में निर्धारित भूमि उपयोग प्रतिबंधों के अधीन होगा। बशर्ते हालांकि कि पूर्वगामी के होते हुए भी, जेवीसी प्रभावी तिथि के 60 दिनों के भीतर इस समझौते के तहत जेवीसी से एएआई को देय राशियों के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में एएआई के पक्ष में सभी अंतरण परिसंपत्तियों (वर्तमान और भविष्य) पर पहला बंधक सृजित करेगी।

(iii) ऋणदाता प्रतिस्थापन समझौते में प्रदान किए गए अनुसार प्रवेश या प्रतिस्थापन के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि जेवीसी को प्रतिस्थापित करने वाले व्यक्ति को इस समझौते के तहत जेवीसी माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत सभी अधिकारों का आनंद लेगा और सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगा मानो वह जेवीसी था।

(iv) इस समझौते में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएआई जेवीसी को 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना के साथ इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और लाभ और/या दायित्वों को किसी भी इकाई को समनुदेशित कर सकता है।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि हवाईअड्डे के प्रयोजन के लिए अपनी उधारियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, जेवीसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों सहित किसी भी परिसंपत्ति पर भार डाल सकती है, जिसे वह इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती खंडों के तहत भार डालने से प्रतिबंधित नहीं है [cite: 35]। बशर्ते हालांकि कि जेवीसी एस्क्रो समझौते के नियमों के तहत नियुक्त एस्क्रो एजेंट के पक्ष में अपने राजस्व पर प्रभार सृजित कर सकती है, जिसे एस्क्रो समझौते में प्रदान किए गए अनुसार ऐसे एस्क्रो एजेंट द्वारा वितरित किया जाएगा [cite: 35]। एएआई को जेवीसी से एस्क्रो समझौते के नियमों के तहत नियुक्त एस्क्रो एजेंट के पक्ष में (ऋणदाताओं और एएआई के लिए और उनकी ओर से ऐसे एस्क्रो एजेंट द्वारा रखे जाने के लिए) अपने राजस्व पर प्रभार सृजित करने की मांग करने का अधिकार है, जिसे एस्क्रो समझौते में प्रदान किए गए अनुसार ऐसे एस्क्रो एजेंट द्वारा वितरित किया जाएगा।

(vi) जेवीसी हवाईअड्डा स्थल की भूमि, अंतरण परिसंपत्तियों और अंतरण या गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के अनुरूप किसी भी अंतर्निहित भूमि पर कोई भार या स्वत्व दोष (title defect) सृजित नहीं करेगी बशर्ते हालांकि, जेवीसी को गैर-अंतरण परिसंपत्तियों (अंतर्निहित भूमि के अलावा) पर भार सृजित करने का अधिकार होगा।

(vii) इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जेवीसी में कोई भी (i) शेयरधारक (संदेह से बचने के लिए किसी भी प्रमुख सदस्य सहित) वित्तीय दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणदाताओं के पक्ष में जेवीसी के शेयरों पर भार सृजित कर सकता है बशर्ते हालांकि कि उक्त भार के आह्वान पर ऋणदाता अनिवार्य रूप से ऋणदाताओं द्वारा चुने गए (और एएआई द्वारा अनुमोदित) ऐसे तीसरे पक्ष / पक्षों को निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके जेवीसी में उक्त शेयरों

को अंतरित करेंगे।

(क) तीसरा पक्ष इस समझौते के तहत जेवीसी के कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों के निर्वहन को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा वैध;

(ख) तीसरा पक्ष ऋणदाताओं के बकाए के जेवीसी द्वारा पुनर्भुगतान हेतु ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षा/आश्वासन प्रदान करेगा

(ग) तीसरा पक्ष इस समझौते के तहत और उसके अनुसार एएआई को जेवीसी की देय राशियों के भुगतान और निर्वहन को सुनिश्चित करने की क्षमता और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा

(घ) तीसरे पक्ष के पास इस समझौते में निर्धारित या जेवीसी के निजी प्रतिभागी के चयन की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी समय जेवीसी के संबंध में एएआई द्वारा निर्धारित अनुभव और तकनीकी क्षमता पैरामीटर होंगे।

(ड.) तीसरे पक्ष और एएआई के बीच किसी भी समझौते के उल्लंघन में नहीं रहा होगा; तथा

(च) कोई अन्य उपयुक्त परिस्थिति, जिसके माध्यम से इस समझौते के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन में निरंतरता बनी रहे और वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के पक्ष में सुरक्षा संरक्षित रहे।

बशर्ते आगे कि उपरोक्त के अनुसार कोई भी अंतरण जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान एएआई द्वारा निर्धारित प्रासंगिक सुरक्षा और सत्यनिष्ठा अनापत्ति (probity clearance) आवश्यकताओं के अधीन होगा

जेवीसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऋणदाताओं के पक्ष में अपने शेयरों पर भार सृजित करने वाले दस्तावेज में पूर्वोक्त शर्तों का प्रावधान किया गया हो।

एएआई उक्त तीसरे पक्ष/पक्षों के चयन में उपर्युक्त मानदंडों को लागू करेगा और एएआई ऐसे तीसरे पक्ष/पक्षों के अपने अनुमोदन को केवल इस स्थिति में अस्वीकार करने या विलंबित करने का हकदार होगा यदि वह उचित रूप से यह संतुष्ट नहीं है कि उपर्युक्त पूर्वोक्त मानदंडों को तीसरे पक्ष/पक्षों द्वारा पूरा किया जाएगा।

अध्याय XIV

एएआई के स्टेप-इन (हस्तक्षेप/अधिग्रहण) अधिकार

14.1 आपात स्थिति में विमानपत्तन का अधिग्रहण/अधिग्रहण की मांग

(क) किसी आपात स्थिति की दशा में (जैसा कि भारत सरकार द्वारा अपने स्वविवेक से एएआई के माध्यम से या अन्यथा लिखित रूप में सूचित किया जाए), एएआई को राज्य सहायता समझौते में वर्णित रीति से जेवीसी के स्थान पर विमानपत्तन का अस्थायी रूप से नियंत्रण संभालने का अधिकार होगा। उस अवधि के दौरान जिसमें एएआई विमानपत्तन का नियंत्रण संभालती है, एएआई को उस सीमित अवधि के लिए जिसके दौरान विमानपत्तन एएआई के नियंत्रण में है, इस समझौते के तहत जेवीसी के दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु जेवीसी माना जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान जेवीसी के कर्तव्य और दायित्व निलंबित रहेंगे और एएआई इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन का परिचालन और रखरखाव करेगी। बशर्ते कि, पूर्वोक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर, या आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त लंबी अवधि के भीतर, एएआई विमानपत्तन को (उस तिथि को जिस स्थिति में है) जेवीसी को वापस सौंप देगी ताकि वह इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका परिचालन और प्रबंधन कर सके।

(ख) ऐसी अवधि के दौरान एएआई द्वारा वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के संबंध में लगाया और वसूला गया कोई भी प्रभार एएआई द्वारा जेवीसी के लिए और उसकी ओर से धारित किया जाएगा तथा इस अनुच्छेद 14.1 के आगामी उप-पैराग्राफ (c) के अधीन जेवीसी को दिया जाएगा।

(ग) जेवीसी स्टेप-इन की अवधि के दौरान विमानपत्तन के परिचालन और रखरखाव से संबंधित एएआई द्वारा उपगत किसी भी और सभी लागतों एवं व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगी और एएआई को क्षतिपूर्ति देगी (सिवाय उन लागतों, व्ययों या देनदारियों के जो एएआई की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हों), जिन लागतों

और व्ययों को एएआई द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ (b) के तहत जेवीसी को देय राशियों में से समायोजित (set-off) किया जा सकता है।

(घ) यदि स्टेप-इन की अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे अनुच्छेद 16.1 के तहत अप्रत्याशित घटना की स्थिति माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

14.2 परिचालन में बाधा/अवरोध

(क) यदि प्रभावी तिथि के बाद और किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप होने अथवा अनुच्छेद 14.1 (a) के अनुसरण के अतिरिक्त, जेवीसी 12 घंटे से अधिक समय के लिए विमानपत्तन का परिचालन बंद कर देती है या पर्याप्त रूप से बंद कर देती है, तो किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, एएआई एक योजना पर चर्चा करने तथा सहमति व्यक्त करने और एक संयुक्त परिचालन एवं प्रबंधन समिति की नियुक्ति (और वे नियम व शर्तें जिन पर ऐसी समिति नियुक्त की जानी है) करने के लिए जेवीसी के साथ बैठक करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमानपत्तन का परिचालन यथाशीघ्र व्यावहारिक समय में पुनः प्रारंभ हो जाए। यदि एएआई और जेवीसी ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति के छह (6) घंटों के भीतर बैठक करने या किसी योजना पर सहमत होने और एक संयुक्त परिचालन एवं प्रबंधन समिति नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो एएआई को जेवीसी के जोखिम और लागत पर, स्वयं या किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से विमानपत्तन का परिचालन करने का अधिकार होगा।

यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि एएआई ऐसे समय के दौरान लागू सभी वैमानिक प्रभारों (जो जेवीसी द्वारा अपने खाते में प्राप्य हैं) को वसूलने और उन्हें एएआई द्वारा उपगत परिचालन लागतों और व्ययों के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। यह और स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी उस अवधि के दौरान एएआई द्वारा उपगत सभी लागतों, व्ययों और देनदारियों के लिए भी एएआई को क्षतिपूर्ति करेगी जब तक एएआई या उसका नामित व्यक्ति विमानपत्तन का परिचालन कर रहा हो (सिवाय उन लागतों, व्ययों या देनदारियों के जो एएआई की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हों)। यदि जेवीसी द्वारा प्राप्त ऐसा राजस्व एएआई की

परिचालन लागतों और व्ययों तथा क्षतिपूर्ति राशियों (यदि कोई जेवीसी द्वारा एएआई को देय हो) से कम है, तो जेवीसी ऐसी कमी की राशि का तत्काल एएआई को भुगतान करेगी।

(ख) इस अनुच्छेद 14.2 के तहत एएआई या उसके नामित व्यक्ति द्वारा विमानपत्तन का नियंत्रण संभालने के समय से 48 घंटे समाप्त होने से पहले, जेवीसी उस रुकावट/बाधा के कारणों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगी जिसके कारण एएआई या उसके नामित व्यक्ति को विमानपत्तन का अधिग्रहण करना पड़ा था, और एएआई को स्वीकार्य कार्य योजना प्रस्तुत करने पर, उसे विमानपत्तन का नियंत्रण और परिचालन पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके उपरांत एएआई जेवीसी को विमानपत्तन का नियंत्रण और परिचालन वापस सौंपने के लिए बाध्य होगी।

(ग) यदि एएआई या उसके नामित व्यक्ति द्वारा विमानपत्तन का नियंत्रण संभालने वाली किसी बाधा के छह (6) महीनों के भीतर किसी भी समय, जेवीसी एक बार फिर 12 घंटे से अधिक समय के लिए विमानपत्तन का परिचालन बंद कर देती है या काफी हद तक बंद कर देती है, और एएआई इसके अनुच्छेद 14.2 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए विमानपत्तन का नियंत्रण ले लेती है, तो एएआई ऐसे समय के दौरान लागू सभी वैमानिक प्रभारों (जो जेवीसी द्वारा अपने खाते में प्राप्य हैं) को वसूलने और अपने पास रखने की हकदार होगी और इसके अतिरिक्त उस समय के दौरान जब एएआई या उसका नामित व्यक्ति विमानपत्तन का परिचालन कर रहा हो, एएआई द्वारा उपगत सभी लागतों, व्ययों और देनदारियों की हकदार होगी (सिवाय उन लागतों, व्ययों या देनदारियों के जो एएआई की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हों)। जेवीसी इस संबंध में उस समय के दौरान जब एएआई या उसका नामित व्यक्ति विमानपत्तन का परिचालन कर रहा हो, एएआई द्वारा उपगत सभी लागतों, व्ययों और देनदारियों के लिए एएआई को क्षतिपूर्ति करेगी (सिवाय उन लागतों, व्ययों या देनदारियों के जो एएआई की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हों)। एएआई की लागतों और व्ययों तथा क्षतिपूर्ति राशियों (यदि कोई हो, जो जेवीसी द्वारा एएआई को देय हो) का भुगतान जेवीसी द्वारा तत्काल एएआई को किया जाएगा।

अध्याय XV

विवाद

15.1 विवाद

15.1.1 सौहार्दपूर्ण समाधान पक्षकार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने संबंधित युक्तियुक्त प्रयास करेंगे। यदि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद की लिखित सूचना दिए जाने के साथ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो अनुच्छेद 15.2 के प्रावधान लागू होंगे।

15.2 मध्यस्थता

15.2.1 इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, जो इस अनुच्छेद 15 के अनुसरण में अनसुलझे रहते हैं, (भारतीय) माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत तीन (3) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किए जाएंगे। माध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो मिलकर "माध्यस्थता अधिकरण / Arbitral Tribunal" का गठन करेंगे)।

15.2.2 माध्यस्थता अधिकरण का निर्णय (निर्णय) पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

15.2.3 माध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

15.2.4 यह अनुच्छेद 15.2 इस समझौते की समाप्ति या अवसान के बाद भी प्रभावी रहेगा।

15.2.5 माध्यस्थता का शासी कानून भारत के मूल कानून होंगे।

15.3 निष्पादन जारी रखना

इस समझौते के तहत किसी भी विवाद के लंबित रहने के दौरान, जिसमें माध्यस्थता को संदर्भित किसी भी विवाद की शुरुआत और लंबित रहना शामिल है, पक्षकार इस अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधानों के अनुसार अंतिम निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस समझौते के तहत अपने संबंधित सभी दायित्वों का निष्पादन जारी रखेंगे।

अध्याय XVI

अप्रत्याशित घटना / विवशताकारी परिस्थिति

16.1 अप्रत्याशित घटना

16.1.1 यथास्थिति, जेवीसी या एएआई इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन को उस सीमा तक निलंबित करने या उससे छूट पाने के हकदार होंगे, जिस सीमा तक एएआई या जेवीसी, जैसी भी स्थिति हो, किसी अप्रत्याशित घटना के कारण ऐसा निष्पादन करने में असमर्थ हो।

16.1.2 इस समझौते में, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है कोई भी ऐसी घटना या परिस्थिति अथवा घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है:

- (ए) किसी दायित्व के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है;
- (बी) प्रभावित पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हो;
- (सी) जिसे ऐसा पक्ष उत्तम उद्योग परिपाटी अथवा उचित कौशल और सावधानी का प्रयोग करके रोक नहीं सकता था या जिस पर उचित रूप से काबू नहीं पा सकता था;
- (डी) जो ऐसे पक्ष की लापरवाही या कदाचार अथवा इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने में ऐसे पक्ष की विफलता का परिणाम न हो; और
- (ई) (या जिसका कोई परिणाम), अनुच्छेद 16.1.1 में वर्णित प्रभाव रखता हो।

16.1.3 "अप्रत्याशित घटना" में निम्नलिखित घटनाएं और/या परिस्थितियां उस सीमा तक शामिल हैं जहां तक वे या उनके परिणाम अनुच्छेद 16.1.1 और अनुच्छेद 16.1.2 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

- (i) युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, प्रत्येक मामले में जिसमें भारत शामिल हो या जो सीधे भारत को प्रभावित करता हो;
- (ii) क्रांति, दंगा, विद्रोह या अन्य नागरिक उपद्रव, आतंकवाद या तोड़फोड़ का कृत्य, प्रत्येक मामले में भारत के भीतर;

- (iii) परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी या रासायनिक संदूषण या आयनकारी विकिरण जो सीधे विमानपत्तन को प्रभावित करता हो, जब तक कि विस्फोट, संदूषण, विकिरण या खतरनाक वस्तु का स्रोत या कारण जेवीसी या जेवीसी के किसी सहयोगी या जेवीसी के किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार या ऐसे किसी सहयोगी अथवा उनके किसी भी संबंधित कर्मचारी, सेवक या एजेंट द्वारा विमानपत्तन पर या उसके पास न लाया गया हो;
- (iv) हड़तालें, नियमानुसार कार्य, काम धीमा करना और/या तालाबंदी जो प्रत्येक मामले में व्यापक, राष्ट्रव्यापी या राजनीतिक हों;
- (v) भारत के भीतर आकाशीय बिजली, आग, भूकंप, अभूतपूर्व बारिश, ज्वारीय लहर (tsunami), बाढ़, तूफान, चक्रवात, टाइफून या बवंडर सहित प्राकृतिक तत्वों का कोई प्रभाव;
- (vi) भारत के भीतर विस्फोट (परमाणु विस्फोट या युद्ध के कृत्य के परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट के अतिरिक्त);
- (vii) भारत के भीतर महामारी या प्लेग;
- (viii) विमान दुर्घटना या खराबी;
- (ix) अनुच्छेद 14.1 (d) के तहत एएआई द्वारा स्टेप-इन की कोई भी अवधि जो तीन महीने से अधिक हो; या
- (x) भारत के भीतर इस अनुच्छेद 16.1.3 के पैराग्राफ (i) से (viii) में ऊपर निर्धारित किसी भी घटना के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

16.1.4 इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, विमानपतन पर सामान्य कर्मचारियों की हड़ताल एक अप्रत्याशित घटना होगी।

16.1.5 अप्रत्याशित घटना की प्रक्रिया

(ए) यदि कोई पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण राहत का दावा करता है, तो अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाला पक्ष, अप्रत्याशित घटना के बारे में अवगत होते ही तत्काल निम्नलिखित की सूचना देगा और विस्तार से वर्णन करेगा: (i) घटित हुई अप्रत्याशित घटना (घटनाएं); (ii) अनुच्छेद 16.1 में वर्णित प्रभावित दायित्व; (iii) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ होने और अनुमानित समाप्ति की तिथियां तथा (iv) वह तरीका जिससे अप्रत्याशित घटना (घटनाएं) इस समझौते के तहत पक्ष के दायित्व(यों) को प्रभावित करती है। कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों के गैर-निष्पादन को तब तक निलंबित करने या उससे छूट पाने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उस पक्ष ने ऊपर निर्दिष्ट नोटिस न दिया हो।

(बी) प्रभावित पक्ष को उपरोक्त उप-खंड (a) के अनुसार किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना दिए जाने पर, अनुच्छेद 16.1 में वर्णित प्रभावित दायित्व(यों) के निष्पादन को निलंबित करने का अधिकार होगा।

(सी) प्रभावित पक्ष द्वारा किसी दायित्व के निष्पादन या अप्रत्याशित घटना से प्रभावित किसी समय सीमा के अनुपालन, और उससे प्रभावित किसी अधिकार के प्रयोग के लिए समय उस अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा जिसके दौरान ऐसी अप्रत्याशित घटना जारी रहती है और उसके बाद ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जो प्रभावित पक्ष को अप्रत्याशित घटना से पहले प्रचलित गतिविधि के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।

(डी) अप्रत्याशित घटना के तहत राहत का दावा प्राप्त करने वाला पक्ष, यदि वह दावे पर विवाद करना चाहता है, तो दावा करने वाले पक्ष को दावे की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विवाद का लिखित नोटिस देगा। यदि ऊपर बताए अनुसार 15 दिनों के भीतर दावे के नोटिस का विरोध नहीं किया जाता है, तो इस समझौते के सभी पक्षों को

दावे की वैधता स्वीकार कर ली गई मानी जाएगी। यदि कोई पक्ष किसी दावे पर विवाद करता है, तो पक्षकार अनुच्छेद 15 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

16.1.6 शमन / प्रभाव को कम करना (Mitigation)

किसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाला पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

16.1.7 अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति (Termination Due to Force Majeure)

(क) यदि अप्रत्याशित घटना 365 दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है, तो किसी भी पक्ष को उसके संबंध में समाप्ति का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(ख) ऐसी किसी भी समाप्ति की स्थिति में, एएआई-

(i) हस्तांतरण तिथि के 6 महीने के भीतर जेवीसी की बहियों में दर्ज अंतरणीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण के 100% का भुगतान करने पर, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से अंतरणीय परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों का अधिग्रहण करेगी;

(ii) हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीने के भीतर ऐसी गैर-अंतरणीय परिसंपत्तियों के रियायती उचित मूल्य - बही मूल्य (जैसा कि जेवीसी की बहियों में दर्ज है) और शुद्ध वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो) का भुगतान करने पर, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से सभी या किसी भी गैर-अंतरणीय परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों का अधिग्रहण करने का अधिकार (किंतु दायित्व नहीं) रखेगी।

अध्याय XVII

व्यतिक्रम / चूक

17.1 एएआई के व्यतिक्रम की घटनाएं

निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों में से प्रत्येक को, उस सीमा तक जहां तक वे जेवीसी के व्यतिक्रम या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हों, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए एएआई के व्यतिक्रम की घटनाएं "एएआई का व्यतिक्रम " माना जाएगा, जो यदि अनुमत समय अवधि के भीतर सुधारी नहीं जाती हैं, तो जेवीसी को अनुच्छेद 17.3 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करेंगी:

(क) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का कोई भी उल्लंघन जिसका तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसे उल्लंघन को जेवीसी से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा एएआई से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है; बशर्ते कि यदि ऐसे उल्लंघन को युक्तियुक्त तत्परता बरतने के बावजूद ऐसे नोटिस के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जा सकता है, तो ऐसी 60-दिवसीय अवधि को अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए तब तक बढ़ा दिया जाएगा जब तक एएआई ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए युक्तियुक्त तत्परता बरत रही हो;

(ख) एएआई द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या वारंटी का उल्लंघन जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की जेवीसी की क्षमता को तात्त्विक रूप से प्रतिकूल प्रभावित करता है और ऐसा उल्लंघन, यदि सुधारे जाने योग्य है, तो जेवीसी से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा एएआई से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है;

(ग) एएआई लगातार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करती है।

17.2 जेवीसी के व्यतिक्रम की घटनाएं

निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों में से प्रत्येक को, उस सीमा तक जहां तक वे एएआई के व्यतिक्रम या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हों, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए जेवीसी के व्यतिक्रम की घटनाएं "जेवीसी का व्यतिक्रम " माना जाएगा, जो यदि अनुमत समय अवधि के भीतर सुधारी नहीं जाती हैं, तो एएआई को अनुच्छेद 17.3 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करेंगी:

(क) जेवीसी द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का कोई तात्त्विक उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन को एएआई से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा जेवीसी से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है; बशर्ते कि यदि ऐसे उल्लंघन को उचित तत्परता बरतने के बावजूद ऐसे नोटिस के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जा सकता है, तो ऐसी 60-दिवसीय अवधि को अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए तब तक बढ़ा दिया जाएगा जब तक जेवीसी ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए युक्तियुक्त तत्परता बरत रही हो;

(ख) जेवीसी द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या वारंटी का उल्लंघन जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की एएआई की क्षमता को तात्त्विक रूप से प्रतिकूल प्रभावित करता है और ऐसा उल्लंघन, यदि सुधारे जाने योग्य है, तो एएआई से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है;

(ग) जेवीसी द्वारा लगातार 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए इस समझौते के तहत दायित्वों के निष्पादन का निलंबन (अप्रत्याशित घटना के बने रहने के दौरान को छोड़कर);

(घ) लागू विधियों के अनुसार विमानपत्तन का संचालन और रखरखाव करने में जेवीसी की विफलता, और ऐसे उल्लंघन को एएआई से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा जेवीसी से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है;

(ङ.) अनुच्छेद 9.1.1(ग) के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा इसके संबंध में परिनिर्धारित नुकसानी/हर्जाना का भुगतान करने के लिए पहली बार उत्तरदायी होने की तिथि के बाद 6 महीने की अवधि के लिए अनुच्छेद 9.1.1 के उल्लंघन में ISO 9001: 2000 प्रमाणन में से किसी को प्राप्त न करना या बनाए न रखना। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के

बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के आशय की सूचना - जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास अपेक्षित प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तथा ऐसे 2 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक माह के विलंब हेतु मासिक राजस्व (व्यतिक्रम से पूर्व) के 2.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी चुका दिया जाता है, तो एएआई समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(च) अनुच्छेद 9.1.2 के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाने का भुगतान करने के लिए पहली बार उत्तरदायी होने की तिथि के बाद 3 महीने की अवधि के लिए वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के आशय की सूचना जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तथा लक्ष्य प्राप्त न होने के प्रत्येक माह के लिए मासिक राजस्व (व्यतिक्रम से पूर्व) के 0.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी चुका दिया जाता है, तो एएआई समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(छ) अनुच्छेद 9.1.3 के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाने का भुगतान करने के लिए पहली बार उत्तरदायी होने की तिथि के बाद 6 महीने की अवधि के लिए व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के आशय की सूचना जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास लक्ष्य रेटिंग प्राप्त करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तथा अनुच्छेद 9.1.3 में दिए गए अनुसार अतिरिक्त परिनिर्धारित हर्जाना भी ऐसे 2 महीने की अवधि के लिए चुका दिया जाता है, तो एएआई

समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(ज) अनुच्छेद 9.1.4 के प्रावधानों के तहत जेवीसी द्वारा इसके संबंध में परिनिर्धारित हर्जाने का भुगतान करने के लिए पहली बार उत्तरदायी होने की तिथि के बाद 6 महीने की अवधि के लिए विकास मानकों और अपेक्षाओं के तहत दायित्वों का निरंतर उल्लंघन। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के आशय की सूचना जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास संबंधित विकास मानक प्राप्त करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तथा ऐसे 2 महीने की अवधि के लिए मासिक राजस्व (व्यतिक्रम से पूर्व) के 2.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी चुका दिया जाता है, तो एएआई समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(झ) जेवीसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या रियायत, उप-रियायत, एजेंसी, पट्टे, लाइसेंस या अन्यथा के माध्यम से, इसके तहत परिकल्पित गतिविधियों के अलावा कोई अन्य गतिविधि करती है, और ऐसे उल्लंघन को एएआई से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा जेवीसी से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(ट) विमानपत्तन से संबंधित एएआई के मौजूदा अनुबंधों के दूसरे पक्षों से संपर्क करने के लिए जेवीसी द्वारा युक्तियुक्त सर्वोत्तम प्रयास करने में विफलता, ताकि इसके अनुच्छेद 5.2 में वर्णित रीति से उन अनुबंधों को स्वयं के नाम पर नवनीकृत/अंतरित कराया जा सके, और ऐसे उल्लंघन को एएआई से ऐसे उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाले तथा जेवीसी से इसे सुधारने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(ठ) वित्तपोषण दस्तावेजों के किसी भी प्रावधान के तहत जेवीसी द्वारा तात्त्विक व्यतिक्रम, उस सीमा को छोड़कर जहां ऋणदाता: (क) एएआई को एक लिखित नोटिस द्वारा प्रमाणित करके ऐसे व्यतिक्रम को क्षमा करने के लिए तैयार हैं; या (ख) जेवीसी को इसे सुधारने का अवसर देते हैं।

(ड) अनुच्छेद 8.5.6 के अनुसार विमानपत्तन के संबंध में बीमा बनाए रखने में जेवीसी की विफलता, जिसे ऐसी विफलता की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(ढ) जेवीसी द्वारा इसके तहत देय किसी भी भुगतान को उसकी नियत तिथि के 30 दिनों के भीतर करने में विफलता।

(त) इसके अनुच्छेद 8.5.7 की शर्तों का कोई भी उल्लंघन, जिसे ऐसे उल्लंघन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(थ) किसी भी 24 महीने की अवधि में दो (2) से अधिक रुकावटें/व्यवधान जिसके परिणामस्वरूप इसके अनुच्छेद 14.2 के अनुसार एएआई द्वारा विमानपत्तन का नियंत्रण संभाला जाता है।

(द) मास्टर प्लान या किसी प्रमुख विकास योजना का पालन न करना, उल्लंघन, गैर-अनुपालन, जिसे ऐसे उल्लंघन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(ध) विमानपत्तन पर इसकी अनुसूची 15 में सूचीबद्ध विशेषज्ञों को नियोजित करने में विफलता, जिसे ऐसी विफलता की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं सुधारा जाता है।

(न) अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन में किसी भी इकाई में शेयरों या मतदान अधिकारों का कोई अंतरण अथवा ऑपरेटर में परिवर्तन।

(प) अदालत द्वारा जेवीसी के परिसमापन का आदेश दिया जाना; जेवीसी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन के लिए याचिका दायर करना; या जेवीसी की आस्तियों पर निष्पादन या जब्ती लगाना; अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा जेवीसी के पूरे या पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम के लिए एक अनंतिम परिसमापक, प्रशासक, ट्रस्टी या रिसीवर की नियुक्ति।

(फ) इसके अनुच्छेद 8.2 में निर्धारित किसी भी अनिवार्य पूंजी परियोजना के प्रारंभ या पूर्ण होने में देरी के लिए देय 10% के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी पूरी हो जाना और उक्त व्यतिक्रम अनसुलझा रहना। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के

आशय की सूचना जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास संबंधित अनिवार्य पूंजी परियोजना को, जैसी भी स्थिति हो, प्रारंभ या पूरा करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि इसे उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर प्रारंभ या पूरा कर लिया जाता है, तथा परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी के बावजूद ऐसी 2 महीने की अवधि के लिए विलंब के प्रत्येक सप्ताह (या उसके भाग) के लिए ऐसी अनिवार्य पूंजी परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के 0.5% का अतिरिक्त हर्जाना भी चुका दिया जाता है, तो एएआई समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(ब) इसके अनुच्छेद 8.3.6 में निर्धारित मास्टर प्लान प्रस्तुत करने में देरी के लिए देय 25 करोड़ रुपये के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी पूरी हो जाना और उक्त व्यतिक्रम अनसुलझा रहना। हालांकि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), समाप्ति के आशय की सूचना जारी होने के बाद, यदि जारी की जाती है, तो जेवीसी के पास मास्टर प्लान प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि इसे उक्त 2 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है, तथा परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी के बावजूद ऐसी 2 महीने की अवधि के लिए विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 25,00,000/- रुपये (पच्चीस लाख रुपये) का अतिरिक्त हर्जाना भी चुका दिया जाता है, तो एएआई समाप्ति के आशय की संबंधित सूचना वापस ले लेगी और जेवीसी के इस व्यतिक्रम को सुधारा हुआ माना जाएगा।

(भ) इसके अनुच्छेद 8.3.8 में निर्धारित मास्टर प्लान में उल्लिखित किसी भी सुविधा के निर्माण या प्रारंभ में देरी के लिए देय 10% के परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम देनदारी पूरी हो जाना और उक्त व्यतिक्रम अनसुलझा रहना।

उपचार न किए जाने पर। बशर्ते, तथापि, इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद (जिसमें बिना किसी सीमा के इसका अनुच्छेद 17.3 शामिल है), पर्यवसान के आशय की सूचना (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है), यदि जारी की जाती है, के जारी होने के पश्चात, संयुक्त उद्यम कंपनी (JVC) के पास संबंधित पूंजीगत परियोजना को, यथास्थिति, आरंभ या पूर्ण करने के लिए 2 माह की अतिरिक्त अवधि होगी, और यदि उक्त 2 माह की अवधि के भीतर इसे आरंभ

या पूर्ण कर लिया जाता है, तथा परिनिर्धारित नुकसानी की अधिकतम देयता के बावजूद, ऐसे 2 माह की अवधि के लिए विलंब के प्रत्येक सप्ताह (या उसके भाग) हेतु ऐसी पूंजीगत परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत का 0.5% अतिरिक्त नुकसानी का भी भुगतान कर दिया जाता है, तो भाविप्रा पर्यवसान के आशय की सुसंगत सूचना वापस ले लेगा और इस जेवीसी व्यतिक्रम घटना को उपचारीकृत मान लिया जाएगा।

(म) इसके अनुच्छेद 8.6 (घ) के अनुसरण में संपूर्ण निष्पादन बंधपत्र के नकदीकरण के पश्चात तीन (3) माह के भीतर निष्पादन बंधपत्र को उसकी पूर्ण राशि तक पुनः भरने/पुनर्स्थापित करने में विफलता।

17.3 व्यतिक्रम के परिणाम

17.3.1 पर्यवसान सूचना

(क) जेवीसी व्यतिक्रम घटना घटित होने की दशा में, भाविप्रा को इस समझौते को समाप्त/पर्यवसित करने के अपने आशय की एक सूचना ("पर्यवसान के आशय की सूचना") प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। भाविप्रा द्वारा पर्यवसान के आशय की सूचना जारी किए जाने के तुरंत पश्चात, ऋणदाताओं (Lenders) को जेवीसी को प्रतिस्थापित करने तथा इसके अधीन जेवीसी के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक इकाई को नामित करने का अधिकार होगा ("प्रतिस्थानी इकाई" / Substitute Entity)। जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि ऋणदाता पर्यवसान के आशय की सूचना या ऋणदाताओं के व्यतिक्रम की सूचना (प्रतिस्थापन समझौते में यथा परिभाषित) की प्राप्ति के साथ (60) दिनों के भीतर भाविप्रा को यह सूचित करेंगे कि क्या वे अपने प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी किसी भी प्रतिस्थानी इकाई के पास इस समझौते की शर्तों के अनुसार जेवीसी के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक विधिक, वित्तीय और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसी किसी भी प्रतिस्थानी इकाई को प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित किया जाएगा।

(ख) इस स्थिति में कि:

- (i) ऋणदाताओं ने अपने प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग न करने का विकल्प चुना है; अथवा

(ii) प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित समयावधि के भीतर ऋणदाताओं द्वारा प्रतिस्थानी इकाई नामित नहीं की गई है; अथवा

(iii) नामित प्रतिस्थानी इकाई / वैकल्पिक प्रतिस्थानी इकाई को प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित समयावधि के भीतर भाविप्रा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है; अथवा

(iv) चयनित प्रतिस्थानी इकाई प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित समयावधि के भीतर जेवीसी के उस उल्लंघन का उपचार करने में सक्षम नहीं रही है जिसके कारण पर्यवसान के आशय की सूचना जारी की गई थी।

तो भाविप्रा अथवा उसके द्वारा नामित किसी भी इकाई को जेवीसी को इस समझौते को समाप्त/पर्यवसित करने वाली एक सूचना जारी करने का अधिकार होगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी। भाविप्रा द्वारा पर्यवसान के ऐसे अधिकार का प्रयोग किए जाने की दशा में, भाविप्रा:

(i) अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 माह के भीतर, जेवीसी की बहियों में दर्ज अंतरण परिसंपत्तियों (Transfer Assets) के संबंध में 90% ऋण (Debt) का, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित किया गया हो, भुगतान करने पर, अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक (title) और हितों का अर्जन करेगा।

(ii) अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 माह के भीतर ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों (Non-Transfer Assets) के बट्टाकृत उचित मूल्य (जेवीसी की बहियों में दर्ज बही मूल्य और शुद्ध वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो) का, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित किया गया हो, भुगतान करने पर, सभी या किन्हीं गैर-अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों को अर्जित करने का अधिकार रखेगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी।

17.3.2 भाविप्रा व्यतिक्रम घटना घटित होने की स्थिति में, जेवीसी को भाविप्रा को यह अधिसूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है और (यदि यह उपचार योग्य है) छह (6) माह की उपचार अवधि (cure period) के भीतर इसके उपचार की मांग करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात भाविप्रा व्यतिक्रम घटना का कारण बनने वाली घटना का उपचार नहीं किया गया है, तो जेवीसी को इस समझौते को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, परंतु यह बाध्यता

नहीं होगी, जिसके 30 दिनों के भीतर जेवीसी को भाविप्रा को इस समझौते को समाप्त करने वाली एक सूचना जारी करने का अधिकार होगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी। जेवीसी द्वारा पर्यवसान के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने की दशा में, भाविप्रा:

(क) अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 माह के भीतर भुगतान करने पर, अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों का अर्जन करेगा,

(i) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित, अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण का 100%; तथा,

(ii) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित, अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित जेवीसी की इक्विटी शेयर पूंजी के अभिदत्त एवं चुकता मूल्य का 120%।

(ख) अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 माह के भीतर ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) का, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित हो, भुगतान करने पर, सभी या किन्हीं गैर-अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों को अर्जित करने का अधिकार रखेगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय XVIII

अवधि, समाप्ति एवं अंतरण

18.1 अवधि और समाप्ति

(क) जब तक कि अनुच्छेद 17.3 या अनुच्छेद 16.1.5 के अनुसार अथवा दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप में पारस्परिक समझौते द्वारा इसे पूर्व में ही पर्यवसित न कर दिया जाए, यह समझौता प्रभावी तिथि के प्रारंभ से प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगा (अध्याय 1, 3, 7, 15, 17 और अनुच्छेद 4.3, 5.2(ख)(i), 5.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.5.9, 11.1.1, 13.1(ख), 20.3.7 को छोड़कर, जो इसके निष्पादन की तिथि से ही पक्षों पर बाध्यकारी होंगे)।

(ख) प्रभावी तिथि से 30 वर्ष की समाप्ति से पूर्व, जेवीसी को निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, इसमें निहित समान नियमों और शर्तों पर 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित सूचना द्वारा इस समझौते की अवधि को बढ़ाने का अधिकार होगा:

(i) प्रभावी तिथि से 25वें वर्ष के पूर्ववर्ती पांच (5) वर्षों के दौरान कोई जेवीसी व्यतिक्रम घटना घटित न हुई हो; तथा

(ii) विस्तार के ऐसे अधिकार का प्रयोग प्रभावी तिथि की 25वीं वर्षगांठ से पूर्व किया गया हो, किंतु प्रभावी तिथि की 25वीं वर्षगांठ से छह (6) माह पूर्व से पहले न किया गया हो।

बशर्ते, तथापि, यदि जेवीसी द्वारा विस्तार के अधिकार के प्रयोग के समय से लेकर प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ तक किसी भी समय जेवीसी व्यतिक्रम घटना या जेवीसी द्वारा कोई अन्य व्यतिक्रम घटित होता है जिसके कारण परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित होती है, तो जेवीसी का 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के विस्तार का अधिकार व्यपगत हो जाएगा, जब तक कि भाविप्रा द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

(ग) यदि इस समझौते को उपर्युक्त रीति से 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाता है, तो यह समझौता प्रभावी तिथि की 30वीं वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भाविप्रा या उसका नामित व्यक्ति अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से जेवीसी को अंतरण तिथि के 6

(छह) माह के भीतर निम्नलिखित का भुगतान करके अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों का अर्जन करेगा:

(i) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित, अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित जेवीसी की इक्विटी शेयर पूंजी के अभिदत्त एवं चुकता मूल्य का 120%; तथा

(ii) अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित, अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण का 100%।

इसके अतिरिक्त, भाविप्रा को अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 (छह) माह के भीतर ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य का, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित हो, भुगतान करने पर, सभी या किन्हीं गैर-अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों को अर्जित करने का अधिकार होगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी।

(घ) यदि इस समझौते को उपर्युक्त रीति से 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है, और यह समझौता उससे पूर्व समाप्त नहीं किया जाता है, तो यह समझौता प्रभावी तिथि की 60वीं वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भाविप्रा या उसका नामित व्यक्ति अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से अंतरण तिथि के 6 (छह) माह के भीतर जेवीसी को अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण के 100% का भुगतान करने पर अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों का अर्जन करेगा।

इसके अतिरिक्त, भाविप्रा को अनुच्छेद 19 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि के 6 (छह) माह के भीतर ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य का, जैसा कि अनुच्छेद 19.6 के अनुसार अवधारित हो, भुगतान करने पर, सभी या किन्हीं गैर-अंतरण परिसंपत्तियों में और उन पर जेवीसी के सभी अधिकारों, हक और हितों को अर्जित करने का अधिकार होगा, परंतु यह बाध्यता नहीं होगी।

(ई) प्रभावी तिथि से 30 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए इस समझौते की वैधता की कुल कालावधि, और यदि 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, तो ऐसे 60 वर्ष, जब तक कि इसके नियमों के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए, इसकी अवधि (Term) होगी।

अध्याय XIX

अंतरण प्रावधान

19.1 अंतरण परिसंपत्तियों का अंतरण

19.1.1 इस समझौते के पर्यवसान और इसके फलस्वरूप इसके अनुच्छेद 17.3 और 16.1.5 के अधीन अंतरण परिसंपत्तियों को अर्जित करने के भाविप्रा के दायित्व पर, या अवधि की समाप्ति पर, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरण तिथि को निम्नलिखित में जेवीसी का हित:

- (i) अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी चल संपत्ति, स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर पार्ट्स किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को अंतरित किए जाएंगे;
- (ii) अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अचल संपत्ति, परिसंपत्तियां, संरचनाएं, भवन, भवन-समूह, प्रांगण क्षेत्र (court-areas), मार्ग, दीवारें, परिसर किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को अंतरित किए जाएंगे (इसकी तिथि पर विद्यमान किसी भी अतिक्रमण के अलावा, सिवाय उस सीमा तक जहां तक ऐसे अतिक्रमणों को प्रभावी तिथि के पश्चात हटा दिया गया हो);
- (iii) जेवीसी और किसी तीसरे पक्ष के बीच इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार किए गए अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के अधीन या उनके अनुसरण में अधिकार और दायित्व (अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के अधीन या उनके अनुसरण में भाविप्रा द्वारा दायित्वों को ग्रहण करने के प्रतिफल में) किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति में निहित होंगे; तथा
- (iv) अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों और व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के अधीन या उनके अनुसरण में अधिकार और दायित्व (अनुबंधों, व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के अधीन या उनके अनुसरण में दायित्वों को भाविप्रा द्वारा ग्रहण करने के प्रतिफल में) किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति में निहित होंगे।

(v) अनुच्छेद 19.1.1 (ii) और (iii) में निहित किसी भी बात के बावजूद, हवाई अड्डे के किसी भी अंतरण से पूर्व, भाविप्रा को उन अनुबंधों और समझौतों की यथोचित जांच (Due Diligence) करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकारों और दायित्वों को वह ग्रहण कर रहा है, तथा वह ऐसे अनुबंधों के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो भाविप्रा की विवेकाधीन राय में अनुचित रूप से कष्टकर हैं, और जिन्हें अनुबंध किए जाने के समय कष्टकर माना जाता। ऐसे सभी अनुबंधों के संबंध में जो भाविप्रा को अंतरित नहीं किए जाते हैं, किसी भी तीसरे पक्ष/इकाई, जिसमें ऐसे अनुबंध का प्रति-पक्ष (counter-party) शामिल है, का किसी भी अंतरण परिसंपत्ति के विरुद्ध या उस पर कोई अधिकार, लाइसेंस, हक, हित, लाभ, दावा या मांग नहीं होगी और ऐसी अंतरण परिसंपत्ति किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को अंतरित की जाएगी।

19.1.2 इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद 19.1 में निहित किसी भी बात के बावजूद, अंतरण तिथि से पूर्व के कार्यों या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होने वाली जेवीसी की या हवाई अड्डे से संबंधित कोई भी देयता (उपार्जित या आकस्मिक) भाविप्रा या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा ग्रहण या अंतरित नहीं की जाएगी। भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति केवल अंतरण तिथि के अनुसरण में उत्पन्न होने वाली हवाई अड्डे के संबंध में देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे। भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को ऐसी कोई भी देयता ग्रहण या अंतरित किए जाने अथवा अंतरण परिसंपत्तियों में से किसी पर कोई विल्लंगम विद्यमान होने की स्थिति में, ऐसी देयता की मात्रा और/या ऐसे विल्लंगम के संगत राशि को अंतरण परिसंपत्तियों के अंतरण के संबंध में भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय राशि में से कम कर दिया जाएगा।

19.1.3 पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी अंतरण परिसंपत्तियों के अंतरण से पूर्व जेवीसी के किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप भाविप्रा द्वारा वहन की गई या भुगती गई सभी कार्रवाइयों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, देयताओं, दावों, लागतों और व्ययों से भाविप्रा को क्षतिपूर्ति रखने तथा हानिरहित रखने के लिए सहमत है। पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इस समझौते के पर्यवसान या समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगा।

19.2 गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का अंतरण

19.2.1 इसके अनुच्छेद 17.3 और 16.1.5 के अधीन किन्हीं या सभी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों को अर्जित करने के भाविप्रा के अधिकार (अपने विवेकाधिकार पर) के प्रयोग पर या अवधि की समाप्ति पर, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरण तिथि को या उससे पूर्व निम्नलिखित में जेवीसी का हित:

- (i) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी चल संपत्ति, स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर पार्ट्स किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को अंतरित किए जाएंगे;
- (ii) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अचल संपत्ति, परिसंपत्तियां, संरचनाएं, भवन, भवन-समूह, प्रांगण क्षेत्र, मार्ग, दीवारें, परिसर किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को अंतरित किए जाएंगे (इसकी तिथि पर विद्यमान किसी भी अतिक्रमण के अलावा, सिवाय उस सीमा तक जहां तक ऐसे अतिक्रमणों को प्रभावी तिथि के पश्चात हटा दिया गया हो);
- (iii) जेवीसी और किसी तीसरे पक्ष के बीच इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार किए गए भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के अधीन या उनके अनुसरण में अधिकार और दायित्व (अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के अधीन या उनके अनुसरण में भाविप्रा द्वारा दायित्वों को ग्रहण करने के प्रतिफल में) किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति में निहित होंगे; तथा
- (iv) भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों और व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के अधीन या उनके अनुसरण में अधिकार और दायित्व (अनुबंधों, व्यवस्थाओं, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों के अधीन या उनके अनुसरण में दायित्वों को भाविप्रा द्वारा ग्रहण करने के प्रतिफल में) किसी भी विल्लंगम से मुक्त और स्पष्ट हक के साथ भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति में निहित होंगे।
- (v) अनुच्छेद 19.2.1 (ii) और (iii) में निहित किसी भी बात के बावजूद, हवाई अड्डे के किसी भी अंतरण से पूर्व, भाविप्रा को उन अनुबंधों और समझौतों की यथोचित जांच (due diligence) करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकारों और दायित्वों को वह ग्रहण कर रहा है, तथा वह ऐसे

अनुबंधों के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो भाविप्रा की विवेकाधीन राय में अनुचित रूप से कष्टकर हैं, और जिन्हें अनुबंध किए जाने के समय कष्टकर माना जाता। ऐसे सभी अनुबंधों के संबंध में जो भाविप्रा को अंतरित नहीं किए जाते हैं, किसी भी तीसरे पक्ष/इकाई, जिसमें ऐसे अनुबंध का प्रति-पक्ष शामिल है, का किसी भी गैर-अंतरण परिसंपत्ति के विरुद्ध या उस पर कोई अधिकार, लाइसेंस, हक, हित, लाभ, दावा या मांग नहीं होगी।

19.2.2 इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, अंतरण तिथि से पूर्व के कार्यों या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होने वाली जेवीसी की या हवाई अड्डे से संबंधित कोई भी देयता (उपार्जित या आकस्मिक) भाविप्रा या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा ग्रहण या अंतरित नहीं की जाएगी। भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति केवल अंतरण तिथि के अनुसरण में उत्पन्न होने वाली हवाई अड्डे के संबंध में देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे। भाविप्रा या उसके नामित व्यक्ति को ऐसी कोई भी देयता ग्रहण या अंतरित किए जाने अथवा किसी गैर-अंतरण परिसंपत्ति पर कोई विल्लंगम विद्यमान होने की स्थिति में, ऐसी देयता की मात्रा और/या ऐसे विल्लंगम के संगत राशि को किसी गैर-अंतरण परिसंपत्ति के अंतरण के संबंध में भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय राशि में से कम कर दिया जाएगा।

19.2.3 पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी किसी गैर-अंतरण परिसंपत्ति के अंतरण से पूर्व जेवीसी के किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप भाविप्रा द्वारा वहन की गई या भुगती गई सभी कार्यवाहियों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, देयताओं, दावों, लागतों और व्ययों से भाविप्रा को क्षतिपूर्ति रखने तथा हानिरहित रखने के लिए सहमत है। पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इस समझौते के पर्यवसान या समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगा।

19.2.4 यह स्पष्ट रूप से स्पष्टीकृत किया जाता है कि यदि भाविप्रा जेवीसी से किन्हीं और/या सभी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों को क्रय न करने का विकल्प चुनता है, तो पक्ष ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों और अंतर्निहित भूमि के संबंध में सभी परिसंपत्तियों, भवनों, फिक्स्चर, ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के सभी या किसी भी विशिष्ट अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुखाचार और उपभोग्य वस्तुओं के साथ ऐसे वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर एक पट्टा विलेख ("पट्टा समझौता" निष्पादित करेंगे जो परस्पर सहमत हों। बशर्ते, तथापि, पट्टा समझौते के नियम और

शर्तें तुलनीय अचल संपत्ति के लिए किए गए पट्टों के नियमों और शर्तों से हीन नहीं होंगी। पट्टा समझौते और उसके निष्पादन से संबंधित कोई भी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क या किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क, कर या प्रभार जेवीसी द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि पक्ष किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समयपूर्व पर्यवसान के छह (6) माह के भीतर ऐसे पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं, तो जेवीसी को संबंधित गैर-अंतरण परिसंपत्तियों को हटाने का अधिकार होगा और वह एतद्वारा उस अंतर्निहित भूमि को खाली करने का वचन देता है जिस पर संबंधित गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है, तथा ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियां (जिन्हें हटाया नहीं गया है) तदुपरांत अंतर्निहित भूमि में समाहित हो जाएंगी और उनसे संबंधित सभी अधिकार या उनसे प्राप्त लाभ भाविप्रा को प्राप्त होंगे।

19.3

19.3.1 जेवीसी उत्तम उद्योग परिपाटी के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संपत्ति, परिसंपत्तियां, अधिकार और अन्य मर्दे (जो अंतरण परिसंपत्तियों और भाविप्रा द्वारा चयनित ऐसी गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का गठन करती हैं, यथास्थिति) जो भाविप्रा में निहित हैं या अंतरित की जाती हैं, अच्छी कार्यशील स्थिति और मरम्मत की अच्छी स्थिति में होंगी तथा हवाई अड्डा अच्छी परिचालन स्थिति में एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में भाविप्रा को अंतरित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पक्ष अंतरित की जा रही परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षण करने हेतु एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त करेंगे। यदि भाविप्रा में निहित या अंतरित की गई परिसंपत्तियों में से कोई भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है / मरम्मत की अच्छी स्थिति में नहीं है / जैसा कि इस समझौते में निर्धारित प्रस्तावित लक्षित रेटिंग वाले एक अंतरराष्ट्रीय विश्वस्तरीय हवाई अड्डे से अपेक्षित है, जैसा कि ऐसे स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो ऐसी सभी परिसंपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में लाने के लिए आवश्यक लागत या पूंजीगत व्यय जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय होगा, और इसे भाविप्रा द्वारा जेवीसी को देय किसी भी अंतरण भुगतान से काटा जा सकता है।

19.3.2 पूर्वगामी को सुनिश्चित करने के लिए, इसके अनुच्छेद 8.5.7 के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त, जेवीसी यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी तीसरे पक्ष/इकाई का किसी अंतरण परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति में कोई स्वामित्व हित है ("स्वामी इकाई"), तो जेवीसी

या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी स्वामी इकाई के साथ की गई व्यवस्थाएं/समझौते स्पष्ट रूप से इसके नियमों के अनुसार उक्त अंतरण परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति, यथास्थिति, को अर्जित करने के भाविप्रा के अधिकार को मान्यता देते हैं, और ऐसी स्वामी इकाई से इसके नियमों के अनुसार सुसंगत अंतरण परिसंपत्ति और/या गैर-अंतरण परिसंपत्ति, यथास्थिति, को भाविप्रा को अंतरित करने का वचन शामिल करते हैं।

पूर्वगामी के बावजूद, यदि भाविप्रा इसके नियमों के अनुसरण में किसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति (working capital assets) का अर्जन करता है, और उसका मूल्य अर्जित की जा रही ऐसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित सुसंगत परिसंपत्ति के अंतरण भुगतान में शामिल नहीं है, तो भाविप्रा अनुच्छेद 19.6 के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन के आधार पर ऐसी कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति के लिए भुगतान करेगा।

19.4 पर्यवसान-पूर्व दायित्व

इस समझौते की समाप्ति या पर्यवसान भाविप्रा और/या जेवीसी को तब तक उपार्जित सभी अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा (या जो ऐसी समाप्ति या पर्यवसान से पूर्व किसी कार्य या चूक के संबंध में तत्पश्चात उपार्जित हो सकते हैं) और उन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो स्पष्ट रूप से सतत दायित्वों का प्रावधान करते हैं या जो ऐसी समाप्ति या पर्यवसान अथवा ऐसी समाप्ति या पर्यवसान के परिणामों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं।

19.5 पर्यवसान के अन्य अधिकार

इस समझौते को समाप्त/पर्यवसित करने के पक्षों के अधिकार इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित अधिकारों तक ही सीमित होंगे।

19.6 अंतरण राशियों का भुगतान

(क) इसमें निर्धारित रीति से किसी भी कारण से अंतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-अंतरण परिसंपत्तियों, यथास्थिति, को अर्जित करने के भाविप्रा के अधिकार के किसी भी प्रयोग के पश्चात, अंतरण तिथि से प्रारंभ करते हुए, भाविप्रा अंतरित की जा रही सुसंगत परिसंपत्तियों के ऋण, जेवीसी की अभिदत्त एवं चुकता इक्विटी पूंजी, शुद्ध वर्तमान मूल्य, बट्टाकृत उचित मूल्य,

यथास्थिति, का निर्धारण करने के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित पांच चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों के पैनल में से पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से चयनित एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा जेवीसी की बहियों के लेखापरीक्षण की व्यवस्था करेगा। गैर-अंतरण परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिनमें से एक-एक भाविप्रा और जेवीसी द्वारा इस समझौते की अनुसूची 30 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार चयनित मूल्यांकनकर्ताओं के एक सहमत पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। मूल्यांकन की पद्धति अंतरण तिथि पर प्रचलित भूमि के मूल्य को घटाकर संपूर्ण परिसंपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण होगी और इस प्रकार प्राप्त शुद्ध राशि को गैर-अंतरण परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य माना जाएगा। बशर्ते, तथापि, अंतरण राशियों की गणना करते समय जेवीसी द्वारा देय नुकसानी और/या व्यतिक्रम क्षतिपूर्ति (यदि कोई हो) को जेवीसी की बहियों में पूंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) अंतरित की जा रही सुसंगत परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य, शुद्ध वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, का निर्धारण करते समय, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यमान परिसंपत्तियों (Existing Assets) के लिए निर्धारित किसी भी अवशिष्ट मूल्य (residual value) का प्रावधान करने के लिए उचित कटौतियां की जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी द्वारा किसी विद्यमान परिसंपत्ति में किया गया कोई भी उन्नयन और/या आधुनिकीकरण, जेवीसी की बहियों में परिलक्षित ऐसे उन्नयन और/या आधुनिकीकरण की सीमा तक, इस अनुच्छेद 19.6 के अधीन काटा नहीं जाएगा।

(ग) ऐसे लेखापरीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता(ओं) द्वारा सुसंगत अंतरण भुगतान के निर्धारण के पश्चात, भाविप्रा जेवीसी को सुसंगत अंतरण भुगतान ("अंतरण भुगतान" / Transfer Payments) करेगा। अंतरण भुगतान लेखापरीक्षण के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा, किंतु किसी भी स्थिति में, अंतरण तिथि से 6 (छह) माह के भीतर किया जाएगा।

19.7 इस समझौते के पर्यवसान के फलस्वरूप हवाई अड्डे के अंतरण के लिए अंतरण लागत और कर, यदि लागू हों, निम्नलिखित द्वारा वहन किए जाएंगे:

(क) जेवीसी व्यतिक्रम घटना या अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण पर्यवसान की दशा में जेवीसी द्वारा; तथा

(ख) भाविप्रा व्यतिक्रम घटना के कारण पर्यवसान की दशा में या इसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात भाविप्रा द्वारा।

19.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समझौते के अधीन भाविप्रा द्वारा अंतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए किए जाने वाले किसी भी भुगतान में से निम्नलिखित को घटाया और समायोजित किया जाएगा: (i) जेवीसी द्वारा भाविप्रा को शोध्य और देय कोई भी राशि; (ii) भाविप्रा व्यतिक्रम घटना / जेवीसी व्यतिक्रम घटना / अप्रत्याशित घटना, जिसके कारण इस समझौते का पर्यवसान हुआ, के घटित होने के बाद से किए गए और प्राप्त या प्राप्य दावों के संबंध में (अंतरित की जा रही सुसंगत अंतरण परिसंपत्तियों / गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए) जेवीसी द्वारा प्राप्त या जेवीसी को शोध्य और देय कोई भी बीमा राशि; तथा (iii) उन दावों के संबंध में बीमा आगमों के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी धनराशि, जो भाविप्रा व्यतिक्रम घटना / जेवीसी व्यतिक्रम घटना / अप्रत्याशित घटना, जिसके कारण इस समझौते का पर्यवसान हुआ, के घटित होने के बाद से की जा सकती थी (अंतरित की जा रही सुसंगत अंतरण परिसंपत्तियों / गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के लिए), यदि जेवीसी ने इसके अनुच्छेद 8.5.6 के अधीन अपेक्षित बीमा प्राप्त किया होता। बशर्ते, तथापि, एस्करो समझौते (Escrow Agreement) के अधीन रहते हुए, राजनीतिक जोखिम बीमा (political risk insurance), यदि लिया गया हो, के अधीन कोई भी प्राप्य राशि सबसे पहले ऋणदाताओं के बकाए के निपटान के लिए लागू की जाएगी।

अध्याय XX

सामान्य

20.1 क्षतिपूर्ति

20.1.1 जेवीसी एतद्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि प्रभावी तिथि से और इसकी अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात, वह भाविप्रा, उसके एजेंटों और कर्मचारियों के विरुद्ध किए गए सभी दावों, मांगों और/या हुई हानि और/या भुगती गई क्षतियों और/या उपगत लागत, प्रभारों/व्ययों और/या अधिरोपित शास्ति और/या किसी व्यक्ति की चोट या मृत्यु के कारण किसी दावे और/या भाविप्रा, उसके एजेंटों और कर्मचारियों या तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली या उनसे संबंधित संपत्ति को हुई हानि या क्षति से, जो जेवीसी द्वारा किए गए या करने से लोप किए गए किसी कार्य, विलेख या बात के परिणामस्वरूप या जेवीसी द्वारा इस समझौते के अधीन अपने दायित्वों में से किसी का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप या जेवीसी द्वारा इस समझौते के किसी नियम और शर्त का उल्लंघन करने पर या जेवीसी द्वारा अपने किसी सांविधिक कर्तव्य और/या दायित्वों का पालन करने में विफलता या जेवीसी की ओर से किसी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता या लापरवाही पर या किसी तीसरे पक्ष या सरकारी प्राधिकरण द्वारा दी गई, शुरू की गई, दायर की गई या आरंभ की गई किसी सूचना, कारण बताओ नोटिस, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही के परिणामस्वरूप या इस समझौते के संबंध में या इससे उत्पन्न तथा/अथवा जेवीसी द्वारा हवाई अड्डा स्थल और/या हवाई अड्डे के उपयोग एवं अधिभोग और/या हवाई अड्डा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में या उससे उत्पन्न जेवीसी या उसके ठेकेदार(रों) और/या उप-ठेकेदारों और/या आमंत्रितों की किसी विफलता या लापरवाही या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुई हो, भाविप्रा, उसके एजेंटों और कर्मचारियों को क्षतिपूरित रखेगा, हानिरहित रखेगा और अन्यथा बचाएगा।

20.1.2 पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यह अनुच्छेद इसके पर्यवसान या समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगा।

20.1.3 भाविप्रा एतद्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि अवधि के दौरान वह जेवीसी, उसके एजेंटों और कर्मचारियों के विरुद्ध किए गए सभी दावों, मांगों और/या हुई हानि और/या

भुगती गई क्षतियों और/या उपगत लागत, प्रभारों/व्ययों और/या अधिरोपित शास्ति और/या प्रभावी तिथि से पूर्व विरासत मामलों के संबंध में भाविप्रा की किसी कार्रवाई या चूक के कारण किसी दावे से, जिसमें पर्यावरण लेखापरीक्षा और रिपोर्ट में पहचाने गए अंतरण-पूर्व पर्यावरणीय स्थितियां शामिल हैं, साथ ही ऐसी देनदारियां भी शामिल हैं जिनकी पहचान बाद में की जा सकती है, क्षतिपूरित रखेगा, हानिरहित रखेगा और अन्यथा बचाएगा। बशर्ते, तथापि, भाविप्रा ऐसे किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो 10 मिलियन रुपये से कम है और सहमत या निर्धारित सभी वैध दावों (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागत को छोड़कर) के लिए उनकी कुल देयता 100 मिलियन रुपये के बराबर या उससे अधिक होगी, जिस स्थिति में भाविप्रा संपूर्ण राशि के लिए उत्तरदायी होगा।

20.1.4 एतद्वारा यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि भाविप्रा प्रभावी तिथि के पश्चात हवाई अड्डे के संबंध में भाविप्रा, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और उप-ठेकेदारों द्वारा घोर लापरवाही और जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के अलावा भाविप्रा की किसी कार्रवाई या चूक के कारण किए गए किन्हीं दावों, मांगों और/या हुई हानि और/या भुगती गई क्षतियों और/या उपगत लागत, प्रभारों/व्ययों और/या अधिरोपित शास्ति और/या किसी दावे के संबंध में जेवीसी, उसके एजेंटों या कर्मचारियों को क्षतिपूरित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20.2 तीसरे पक्ष के दावों की स्थिति में प्रक्रिया

20.2.1 इसके किसी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष/इकाई द्वारा किसी मांग या दावे की स्थिति में, जो दावा या मांग प्रथमतया एक पक्ष "आदाता" द्वारा देय होगी, किंतु उपर्युक्त अनुच्छेद 20.1 के अनुसरण में इसके दूसरे पक्ष "क्षतिपूर्तिकर्ता" से दावा किए जाने योग्य होगी, तो आदाता इस मामले की जानकारी होने पर बिना किसी अनुचित विलंब के क्षतिपूर्तिकर्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें संभावित दावे का उचित विवरण दिया जाएगा और यथासंभव ऐसे दावे की अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाएगा।

20.2.2 इसके अतिरिक्त, आदाता तीसरे पक्ष के दावे या मांग की एक प्रति क्षतिपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराएगा तथा क्षतिपूर्तिकर्ता को अपने एकमात्र खर्च, व्यय और जोखिम पर अपने स्वयं के अधिवक्ता को नियुक्त करते हुए ऐसे दावे के विरुद्ध आदाता का बचाव करने का अवसर देगा। क्षतिपूर्तिकर्ता को अपने स्वयं के खर्च पर सभी उपयुक्त कार्यवाहियों द्वारा दावे का बचाव

करने का अधिकार होगा और ऐसे बचाव को निर्देशित एवं नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार होगा। विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, क्षतिपूर्तिकर्ता (i) तीसरे पक्ष के साथ सभी वार्ताओं और पत्राचार में भाग ले सकता है और उन्हें निर्देशित कर सकता है, (ii) यदि आवश्यक हो, तो आदाता के नाम पर कार्य करने वाले अधिवक्ता को नियुक्त और निर्देशित कर सकता है (जिसका संपूर्ण खर्च और व्यय क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा), और (iii) यह अपेक्षा कर सकता है कि दावे पर मुकदमा चलाया जाए या क्षतिपूर्तिकर्ता के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान किया जाए। क्षतिपूर्तिकर्ता सद्भावपूर्वक ऐसी कार्यवाहियां संचालित करेगा और आदाता के हितों को ध्यान में रखेगा। जब तक क्षतिपूर्तिकर्ता किसी दावे का बचाव कर रहा है, आदाता ऐसे दावे से संबंधित क्षतिपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा यथोचित रूप से मांगी गई कोई भी जानकारी क्षतिपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों को प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा, तथा आदाता ऐसे दावे का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए क्षतिपूर्तिकर्ता और उसके प्रतिनिधियों के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा। क्षतिपूर्तिकर्ता ऐसे दावे से संबंधित सभी घटनाक्रमों और घटनाओं के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के आदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा, और आदाता अपने खर्च पर अपने स्वयं के अधिवक्ता को नियुक्त करने तथा ऐसे दावे से संबंधित सभी सम्मेलनों, बैठकों और कार्यवाहियों में उपस्थित होने का हकदार होगा।

20.2.3 यदि क्षतिपूर्तिकर्ता किसी विशिष्ट दावे के बचाव का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेता है, तो आदाता ऐसे बचाव और ऐसी कार्यवाहियों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। यदि आदाता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता ऐसे दावे का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए आदाता के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा। क्षतिपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर अपने स्वयं के अधिवक्ता को नियुक्त करने तथा ऐसे दावे से संबंधित सभी सम्मेलनों, बैठकों और कार्यवाहियों में उपस्थित होने का हकदार होगा।

20.2.4 किसी भी स्थिति में आदाता किसी दावे को स्वीकार करने या उसका निपटान करने अथवा क्षतिपूर्तिकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऐसी किसी स्वीकृति या निपटान की अनुमति देने का हकदार नहीं होगा, जहां तक कि ऐसे दावे के संबंध में क्षतिपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति मांगी गई हो।

20.3 प्रकीर्ण

20.3.1 संशोधन

इस समझौते के किसी भी प्रावधान में कोई संशोधन या अधित्यजन (छूट), और न ही पक्षों में से किसी के द्वारा उससे किसी विचलन की सहमति, किसी भी स्थिति में तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और इसके पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो, और तब ऐसा अधित्यजन या सहमति केवल उसी विशिष्ट मामले में और उसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए वह दी गई है।

20.3.2 अन्य समझौतों पर अधिरोही समझौता; विरोध

(ए) यह समझौता पक्षों के बीच पूर्व के सभी समझौतों या व्यवस्थाओं को निष्प्रभावी/अतिक्रमित करता है, जिसमें इसकी विषय-वस्तु के संबंध में किया गया कोई भी समझौता जापन शामिल है, तथा यह उनके संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझ का प्रतिनिधित्व करता है।

(बी) इस समझौते की शर्तों और किसी अन्य परियोजना समझौते की शर्तों के बीच किसी विरोध/विसंगति की स्थिति में, इस समझौते की शर्तें ही प्रभावी/मान्य होंगी।

20.3.3 कोई अधित्यजन उपचार नहीं

इसके अधीन किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में किसी भी पक्ष की विफलता, और प्रयोग करने में कोई विलंब, उसके अधित्यजन (छूट) या उसकी सहमति के रूप में कार्य नहीं करेगा; और न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को वर्जित करेगा। इसमें प्रदान किए गए उपचार संचयी हैं और लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए किन्हीं उपचारों के अनन्य नहीं हैं।

20.3.4 शर्तों की पृथक्करणीयता

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान किसी सक्षम मध्यस्थता अधिकरण या न्यायालय द्वारा अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध घोषित किया जाता है, तो ऐसी अमान्यता, अप्रवर्तनीयता या अवैधता इस समझौते के शेष प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या उन्हें प्रभावित नहीं करेगी, जो पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे, और ऐसी स्थिति में, पक्ष सद्भावपूर्वक तुरंत ऐसे कानूनी रूप से प्रवर्तनीय प्रतिस्थानी प्रावधान पर सहमत होने का प्रयास करेंगे जो अप्रवर्तनीय प्रावधान की कानूनी और आर्थिक विषय-वस्तु के सबसे निकटतम अनुरूप हो।

20.3.5 भाषा

इस समझौते, किसी अन्य परियोजना समझौते या परियोजना के अधीन या उसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार या अन्य संचार अंग्रेजी में होंगे।

20.3.6 सूचनाएं

इसके अधीन दी जाने वाली कोई भी सूचना लिखित रूप में होगी और इसे या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या पंजीकृत डाक, टेलेक्स, फैक्स ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल या स्थायी लिखित रूप में दूरसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा भेजा जाएगा। सूचना की तामील के लिए पते और नंबर पक्षों को नीचे दिए गए उनके संबंधित पते पर दिए जाएंगे:

जेवीसी के मामले में:

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली।

ध्यानार्थ: श्री श्रीनिवास बोम्मिडाला

फैक्स नं: +91-11-23766352

भाविप्रा के मामले में:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

राजीव गांधी भवन,

नई दिल्ली 110 003.

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

फैक्स नं: +91-11-24641088

अथवा ऐसा कोई अन्य पता, टेलेक्स नंबर, या फैक्स नंबर जिसे उस पक्ष द्वारा समय-समय पर किसी अन्य पक्ष को अधिसूचित किया जाए, और इसे दिया गया या तामील किया गया समझा जाएगा (i) पत्र द्वारा किए गए किसी भी संचार के मामले में, जब उस पते पर दस्ती रूप से, मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कूरियर द्वारा या डाक द्वारा (पंजीकृत, पावती सहित) वितरित

किया गया हो और (ii) टेलेक्स या फैक्स द्वारा किए गए किसी भी संचार के मामले में, जब ऐसे टेलेक्स नंबर या फैक्स नंबर पर विधिवत संबोधित करके प्रेषित किया गया हो। यदि कोई पक्ष उपर्युक्त निर्धारित अपने पते, संचार नंबरों या ध्यानार्थ व्यक्ति में परिवर्तन करता है, तो वह इसे लागू करने से पूर्व अन्य पक्षों को लिखित रूप में सूचित करेगा।

20.3.7 शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उसके अनुसार ही इसका अर्थान्वयन किया जाएगा।

20.3.8 मूल दस्तावेज़

यह समझौता दो (2) मूल प्रतियों में तैयार किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की विषय-वस्तु समान है और पक्षों ने इसकी विषय-वस्तु को पढ़ लिया है और भली-भांति समझ लिया है तथा एतद्द्वारा गवाहों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर और मुहरें लगा दी हैं।

20.3.9 गोपनीयता

न तो जेवीसी और न ही भाविप्रा, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो (जो सहमति ऐसे सामान्य या विशिष्ट नियमों पर हो सकती है जैसा कि पक्ष निर्धारित करें), किसी तीसरे पक्ष (परियोजना समझौतों के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सीमा तक अपने निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सलाहकारों, ऋणदाताओं, एजेंटों, या प्रतिस्थापन समझौते के तहत चयनित व्यक्ति के अलावा) को ऐसी किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण नहीं करेगा जो इस समझौते के दूसरे पक्ष की संपत्ति है या जो अन्यथा उसके व्यवसाय, रहस्यों, सौदों, लेन-देन या मामलों से संबंधित है, जब तक कि, और उस सीमा तक जहां तक, ऐसा प्रकटीकरण:

(क) इस समझौते के अधीन अपने अधिकारों या दायित्वों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक न हो; अथवा

(ख) किसी प्रासंगिक सांविधिक या विनियामक आवश्यकताओं या कर्तव्यों या लागू कानूनों की किसी प्रासंगिक शर्तों के अनुसार या जनहित में आवश्यक न हो; अथवा

(ग) ऐसी जानकारी से संबंधित न हो जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, सिवाय उस स्थिति के जो ऐसा प्रकटीकरण करने के इच्छुक पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई हो;

बशर्ते कि, इसके अनुसार किसी भी प्रकटीकरण के मामले में, ऐसी जानकारी प्रकट करने वाला पक्ष, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले तीसरे पक्ष पर उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयुक्त दायित्व अधिरोपित करेगा।

पूर्वगामी के बावजूद, उचित प्रतिलिपि और संबंधित जेब खर्च के बदले में जेवीसी द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष/इकाई को इस समझौते की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

20.3.10 समनुदेशन

(i) जेवीसी द्वारा इस समझौते द्वारा अन्यथा अनुमत के अलावा, जेवीसी इस समझौते के अधीन सभी या किन्हीं अधिकारों, अथवा अपने सभी या किन्हीं दायित्वों या देनदारियों को समनुदेशित, अंतरित, बंधक, भारित, उप-पट्टे पर, उससे संबंधित लेन-देन, उप-ठेके पर, उप-लाइसेंस या अन्यथा अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(ii) भाविप्रा द्वारा भाविप्रा द्वारा इस समझौते के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को अन्यथा समनुदेशित करने, अंतरित करने, उससे संबंधित व्यवहार करने या अधिकार प्रदान करने पर किसी प्रतिबंध का अर्थ लगाए बिना, यह स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है कि, जेवीसी की सहमति की आवश्यकता के बिना:

(i) भाविप्रा इसके अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों के लाभ को समनुदेशित कर सकता है या उस पर कोई अन्य विल्लंगम/भार सृजित कर सकता है; तथा

(ii) भाविप्रा इस समझौते के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों और दायित्वों को समनुदेशिती (assignee) द्वारा ऐसे सभी दायित्वों के पूर्ण पालन और निष्पादन को सुनिश्चित करने की गारंटी देने के अधीन समनुदेशित और अंतरित कर सकता है (ऐसी गारंटी ऐसे प्रारूप में होगी जो जेवीसी को यथोचित रूप से स्वीकार्य हो)।

20.3.11 उन्मुक्ति का अधित्यजन

भाविप्रा एतद्वारा सहमत होता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, परिदान और पालन सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों के बजाय निजी और वाणिज्यिक कृत्य का गठन करते हैं

और तदनुसार, इस समझौते के संबंध में उसके या उसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाहियों से इस आधार पर कोई उन्मुक्ति (immunity) का दावा नहीं किया जाएगा कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, परिदान और पालन सार्वजनिक या सरकारी कृत्य हैं।

20.3.12 कानून में परिवर्तन

(ए) यह स्पष्ट रूप से स्पष्टीकृत किया जाता है कि एक बाध्यकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी घटना या घटित होने वाली बात जो 'कानून में परिवर्तन' या कथित 'कानून में परिवर्तन' का गठन कर सकती है, इसके किसी नियम या इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किन्हीं अधिकारों और दायित्वों में किसी परिवर्तन या संशोधन का आधार नहीं होगी। इसके अधीन अधिकारों और दायित्वों पर ऐसी किसी भी घटना से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो 'कानून में परिवर्तन' या किसी समरूप घटना या परिस्थिति का गठन कर सकती है। पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि 'कानून में परिवर्तन' राहत, यदि कोई हो, राज्य सहायता समझौते की शर्तों के अधीन निहित और निपटाई जाती है और इसके तहत इस समझौते के अधीन कोई राहत उपलब्ध नहीं है।

(बी) पूर्वगामी के बावजूद, पक्ष एतद्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि यह दस्तावेज़ इस आधार और धारणा पर निष्पादित किया गया है कि हवाई अड्डा और जेवीसी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(जी) और धारा 80 आईए के तहत उपलब्ध लाभों (भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(जी) और धारा 80(आईए) के तहत प्रत्येक लाभ को व्यक्तिगत रूप से "लाभ" और सामूहिक रूप से "लाभ समूह" कहा गया है) का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं, और यह कि लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। तदनुसार, यदि किसी भी समय एक या दोनों लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, या उपलब्ध पाए जाते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप जेवीसी को कर-पश्चात शुद्ध प्रतिलाभ या अन्य वित्तीय लाभ या फायदा प्राप्त होता है, तो जेवीसी भाविप्रा को सूचित करेगा और भाविप्रा को उतनी राशि का भुगतान करेगा जो जेवीसी को उसी वित्तीय स्थिति में ला दे, जैसी कि यथापूर्वोक्त लाभ उपलब्ध न होने पर होती।

20.3.13 समय का सार होना

समय इस समझौते का सार होगा, चाहे वह उल्लिखित तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो अथवा किन्हीं ऐसी तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो, जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

20.3.14 पक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि इसमें निर्धारित परिनिर्धारित नुकसानी उस नुकसानी के वास्तविक पूर्व-अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है जो जेवीसी के उस उल्लंघन के परिणामस्वरूप भाविप्रा द्वारा भुगती जाएगी जिससे उक्त परिनिर्धारित नुकसानी संबंधित है।

20.3.15 जेवीसी को इसके अधीन अधिकारों के प्रदान किए जाने के प्रतिफल में, भाविप्रा को हर समय जेवीसी के बोर्ड में एक (1) निदेशक नामित करने का अधिकार होगा, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त (retire by rotation) होने के लिए बाध्य नहीं होगा।

20.3.16 नाम

जेवीसी पूरी अवधि के दौरान (लागू कानूनों के अनुरूप) हवाई अड्डे के नाम के रूप में 'इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' बनाए रखेगा। हवाई अड्डे का नाम केवल भाविप्रा के निर्देशानुसार ही संशोधित और/या परिवर्तित किया जाएगा।

जेवीसी, भाविप्रा की सहमति से, जो सहमति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी, हवाई अड्डे पर उपयुक्त स्थान पर अपना नाम और साइनबोर्ड प्रदर्शित कर सकता है।

20.3.17 कुल देयता

इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, इस समझौते के तहत भाविप्रा की कुल देयता (पर्यावरणीय देयता या विरासत मामलों से उत्पन्न होने वाले भविष्य के मुकदमों से उत्पन्न देयता सहित) 50 करोड़ रुपये (केवल पचास करोड़ रुपये) "कुल देयता सीमा" से अधिक नहीं होगी। बशर्ते, तथापि, कुल देयता सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (i) अंतरण परिसंपत्तियों और/या गैर-अंतरण परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए भुगतान; (ii) प्रभावी तिथि से पूर्व ही प्रारंभ हो चुके विरासत मामलों से संबंधित किसी मुकदमे के संबंध में देयता; और/या (iii) विरासत मामलों के संबंध में भाविप्रा की कोई संविदात्मक देयता (वर्तमान या भविष्य)।

20.3.18 उत्तरजीविता

अनुच्छेद 1, 15, 19, 20.3 (उप-खंड 20.3.9, 20.3.12, 20.3.16, 20.3.19 को छोड़कर) इस समझौते के पर्यवसान या समाप्ति के बावजूद पक्षों पर बाध्यकारी बने रहेंगे।

20.3.19 भाविप्रा एतद्वारा सहमत होता है कि हवाई अड्डे के आसपास किसी भी निर्माण के लिए कोई "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने से पूर्व, वह जेवीसी से इस संबंध में परामर्श करेगा कि क्या जेवीसी को ऐसे निर्माण पर कोई आपत्ति है। भाविप्रा एतद्वारा हवाई अड्डे के आसपास ऐसे किसी भी निर्माण के लिए कोई "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी न करने पर सहमत होता है, जिस पर जेवीसी द्वारा आपत्ति जताई गई हो। बशर्ते, तथापि, जेवीसी को ऐसे किसी भी निर्माण पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा जो जेवीसी के अपने परिचालन को चलाने की क्षमता या अपने मास्टर प्लान और हवाई अड्डे के अंतिम विज्ञान का पालन करने की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करता है तथा प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) मानकों का अनुपालन करता है।

20.3.20 इस समझौते के तहत जेवीसी द्वारा भाविप्रा को देय परिनिर्धारित नुकसानी की मांग पर बिना किसी हीलाहवाली के भुगतान किया जाएगा।

20.3.21 पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि राज्य सहायता समझौते की शर्तों के तहत, भारत सरकार (GOI) ने जेवीसी को उसके नियमों के अनुसार और उसके अधीन कतिपय अंतरण भुगतानों की गारंटी देने वाली एक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है। उक्त गारंटी के प्रारूप के अनुसार जेवीसी को भारत सरकार को उसके तहत मांगों के साथ, जेवीसी से प्राप्त और भाविप्रा द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया हो कि दावा की गई राशि भाविप्रा से अदत्त है, सही ढंग से गणना की गई है और निर्विवाद है। भाविप्रा एतद्वारा ऐसे प्रमाण पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर करने को अनुचित रूप से न रोकने का वचन देता है।

जिसके साक्ष्य में, इस समझौते को उपर्युक्त उल्लिखित दिन और वर्ष को इसके पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से और उनके निमित्त: हस्ताक्षरित:	गवाह:
---	--------------

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से और उनके निमित्त: हस्ताक्षरित:	गवाह:
--	-------

अनुसूची 1

विकास मानक और आवश्यकताएं

हवाईअड्डे की सभी सुविधाओं का डिज़ाइन निम्नलिखित सहित सभी उपयुक्त तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा:

विकास योजना सिद्धांत

सामान्य :

- सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनलों की ओर अग्रसर होना
- गेटों की संख्या में मितव्ययिता के लिए स्विंग गेट्स का उपयोग
- रेल संपर्क के लिए आरक्षण/स्थान शामिल करना
- हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए अधिकतम वैमानिकी क्षमता
- सभी सुविधाएं 24 घंटे के परिचालन में सक्षम हों
- सभी योजनाओं में अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हों

एयरफील्ड :

- रनवे और टैक्सीवे आईसीएओ कोड 'एफ' मानकों के अनुसार डिज़ाइन किए जाने चाहिए
- टर्मिनल विकास को समायोजित करने के लिए क्रॉस रनवे को बंद करने की क्षमता
- रनवे 09/27 के दक्षिण में, एक निकट दूरी वाले समानांतर रनवे का आकलन करना
- एप्रन सेवा के प्रकार और अनुमानित दीर्घकालिक क्रांतिक विमान आकार पर आधारित होने चाहिए

टर्मिनल :

- सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल
- टर्मिनलों के भीतर कार्यालय आवास को न्यूनतम करना
- लिंकेज और आइलैंड कॉन्कोर्स के साथ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल प्रक्रियाओं को अलग करना
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की खुदरा (रिटेल) और अन्य यात्री सेवाएं प्रदान करना

- डिज़ाइन वर्ष में 30वें व्यस्ततम घंटे के लिए सुविधाएं आईएटीए स्तर सेवा मानक 'सी' के अनुसार डिज़ाइन की जानी चाहिए। डिज़ाइन वर्ष मास्टर प्लान में विस्तृत विश्लेषण के अधीन होगा और प्रथम मास्टर प्लान के प्रयोजनों के लिए वही होगा जैसा कि अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं में प्रदान किया गया है
- टर्मिनल डिज़ाइन वर्तमान परिचालनों पर न्यूनतम प्रभाव के साथ क्रमिक/वृद्धिशील विस्तार में सक्षम होना चाहिए
- टर्मिनल योजना मानदंड आईएटीए हवाईअड्डा विकास संदर्भ नियमावली - 9वां संस्करण, जनवरी 2004 और समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली में निहित सिफारिशों के अनुसार होने चाहिए।

सतही पहुंच :

- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनलों के लिए मौजूदा पहुंच मार्गों को यातायात वृद्धि के लिए बनाए रखा जाए और विस्तारित किया जाए
- प्रत्येक यात्री टर्मिनल और कार्गो/विमानन सहायता क्षेत्रों के लिए एक अलग पहुंच मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए
- भविष्य के सार्वजनिक पारगमन संपर्क के लिए सुरक्षा/संरक्षण प्रदान करना

विकास मानक

1. हवाई अड्डा लाइसेंस जारी करने के लिए डीजीसीए के दिशा-निर्देश: नागर विमानन महानिदेशक वैमानिक सूचना परिपत्र संख्या 22/1992 वे मानक प्रदान करता है जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है ताकि किसी हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हो सके।
2. आईसीएओ अनुलग्नक 14 - एरोड्रोम के तहत निर्धारित हवाई अड्डे का लेआउट और आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान खंड 1 एरोड्रोम डिज़ाइन और संचालन - चौथा संस्करण, 2004।
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानक और अनुशंसित पद्धतियां, एरोड्रोम, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय का अनुलग्नक 14। खंड 1 एरोड्रोम डिज़ाइन और संचालन, चौथा संस्करण, 2004।

3. आईसीएओ एरोड्रोम डिज़ाइन मैनुअल (डीओसी 9157)

4. हवाई अड्डा सेवा मैनुअल 9137)

5. अग्निशमन सुरक्षा:

हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन मानक के अनुरूप होना।

6. आईएटीए हवाई अड्डा विकास संदर्भ नियमावली: हवाई अड्डा सुविधाओं का डिज़ाइन: इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 9वां संस्करण, जनवरी 2004 में निर्धारित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप।

7. राष्ट्रीय भवन संहिता (भारत):राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप, जो भवन संरचना में शामिल किए जाने वाले सुरक्षा और स्थायित्व पहलुओं को निर्धारित करती है।

8. भारतीय मानक ब्यूरो कोड: विकास के विशिष्ट पहलू के लिए सुसंगत कोड के अनुरूप होना। भारतीय मानक कोड भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानकों और प्रथाओं की एक व्यापक श्रृंखला है, जिसे भारत में डिज़ाइन और निर्माण के सभी पहलुओं में अपनाया जाना है।

9. सांविधिक एजेंसी आवश्यकताएं: नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क और आप्रवासन प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सांविधिक एजेंसियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना।

10. लागू कानून: स्थानीय उप-नियमों और अन्य लागू केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी कानूनों द्वारा अधिरोपित किसी भी प्रकार की सभी शर्तों, विनियमों, उपायों और सभी आवश्यकताओं का पालन करना।

11. गुणवत्ता मानक: हवाईअड्डे पर किसी भी सुविधा के संबंध में गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में, बेंचमार्किंग समान पैमाने और आकार के एशियाई क्षेत्र के शीर्ष पांच अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों (एईटीआरए या समरूप रेटिंग पर यथा रैंक) में देखे गए प्रचलित गुणवत्ता मानक होंगे।

अनुसूची 2

परिचालन एवं अनुरक्षण मानक और आवश्यकताएं

हवाईअड्डे का परिचालन और अनुरक्षण हर समय निम्नलिखित के अनुपालन में होगा:

- (i) यह सुनिश्चित करना कि रनवे (धावन-पथ), टैक्सीवे, एप्रन और पहुंच-पथ का परिचालन और अनुरक्षण प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाए, जैसा कि हवाई अड्डे पर विमान संचालन के लिए उपयुक्त हो, तथा वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध रहें;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि रनवे के लिए पट्टियों, शोल्डर्स, स्टॉप-वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया "रेसा", तथा टैक्सीवे और विलगन वे आदि के लिए पट्टियों और शोल्डर्स का परिचालन और अनुरक्षण प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाए, जैसा कि विमान संचालन के लिए उपयुक्त हो;
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे के बाधा परिसीमन सतहों और पहुंच तथा उड़ान-भरने वाले क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाए अथवा प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बाधाओं को अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाए;
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार बचाव एवं अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाए और अनुरक्षित रखी जाए;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्थाएं मौजूद हों;
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हों:
 - रनवे से अक्षम/दुर्घटनाग्रस्त विमान को हटाना;
 - विमान या हवाई अड्डे को बम की धमकी;
 - हवाई अड्डे के परिसर में और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं;

- गैर-अनुसूचित विमान का हवाई अड्डे पर आपातकालीन/बाध्यकारी उतरना;
- हवाई अड्डे पर आग लगना;
- प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;
- हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- नागर विमानन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन सेवाओं (अग्निशमन, चिकित्सा और पुलिस) तथा हवाई अड्डा प्रबंधक के साथ इस सुविधा को जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की गई हों;

(viii) भाविप्रा को उसके कार्मिकों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे पर ऐसा प्रवेश/पहुंच प्रदान करना जैसा कि भाविप्रा को भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो;

(ix) भाविप्रा को विद्युत शक्ति और जल की निरंतर आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना ताकि वह भाविप्रा सेवाओं का निष्पादन करने में सक्षम हो सके, तथा भाविप्रा ऐसी सेवाएं प्राप्त करने में जेवीसी द्वारा उपगत लागतों की प्रतिपूर्ति जेवीसी को करेगा;

(x) उस सीमा तक जहां तक भाविप्रा यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, भाविप्रा जेवीसी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्ष विचार-विमर्श करने तथा भाविप्रा द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में समझौते पर पहुंचने का प्रयास करने के लिए बैठक करेंगे;

(xi) भाविप्रा और/या उसके कार्मिकों को ऐसी जानकारी प्रदान करना जैसी कि वे भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से अपेक्षा करते हैं;

(xii) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में हवाई अड्डे पर तैनात भाविप्रा कार्मिकों और भाविप्रा के एजेंटों को भारत सरकार की एजेंसियों पर लागू नियमों और शर्तों पर, जहां भी और जब भी आवश्यक हो, हर समय कार्यालय आवास और सुविधा उपलब्ध कराना;

(xiii) अपने खर्च पर, प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम (airfield lighting system), मुख्य और स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति प्रणालियों का अनुरक्षण करना;

(xiv) यह सुनिश्चित करना कि उसके कर्मचारी और एजेंट परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली में किसी भी विफलता या दोष तथा भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में किसी भी जेवीसी उपकरण/सुविधा की अनुपलब्धता की सूचना ऐसी विफलता या दोष की जानकारी होते ही तुरंत भाविप्रा को दें;

(xv) जेवीसी हर समय आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुसार भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान में जेवीसी उपकरणों का अनुरक्षण और उन्नयन करेगा।

अनुसूची 3

वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

निष्पादन क्षेत्र	निष्पादन माप	लक्ष्य	ओएमडीए की प्रभावी तिथि से वर्षों की संख्या जिसके भीतर लक्ष्य प्राप्त किया जाना है
अंतरण प्रक्रिया	न्यूनतम कनेक्ट समय	घरेलू / अंतरराष्ट्रीय: 60 मिनट अंतरराष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय: 45 मिनट	3 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	शिकायतों का निवारण टेलीफोन कॉल का उत्तर	100% शिकायतों का 2 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर 95% कॉलों का 20 सेकंड के भीतर उत्तर	1 वर्ष 1 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	उड़ान सूचना की उपलब्धता स्वचालित सेवाएं	98% उपलब्धता 98% उपलब्धता	1.5 वर्ष 1.5 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	लिफ्ट, एस्केलेटर आदि	98% उपलब्धता	2 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	मरम्मत पूर्ण होने का समय सामान ट्रॉलियां	उच्च प्राथमिकता वाली 95% शिकायतें 4 घंटे के भीतर, अन्य 95% शिकायतें 24 घंटे के भीतर 100% उपलब्धता	1 वर्ष 1 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	स्वच्छता व्हीलचेयर की उपलब्धता	सभी निरीक्षणों के 95% के लिए संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करना 100% समय 5 मिनट के भीतर	1 वर्ष 0.5 वर्ष
टर्मिनल सेवाएं	दिव्यांगजनों के लिए सहायता	100% समय 5 मिनट के भीतर	1 वर्ष
चेक-इन (Check-in)	पंक्ति में लगने का अधिकतम समय	बिजनेस क्लास के लिए 5 मिनट इकोनॉमी क्लास के लिए 20 मिनट	2 वर्ष
सुरक्षा जांच (Security check)	पंक्ति में प्रतीक्षा समय	95% यात्रियों का प्रतीक्षा समय 10 मिनट से कम हो	2 वर्ष
सीआईक्यू (आप्रवासन/सीमा शुल्क) (CIQ)	पंक्ति में जांच समय	95% यात्रियों का प्रतीक्षा समय 20 मिनट से कम हो 95% यात्रियों का प्रतीक्षा समय 10 मिनट से कम हो	2 वर्ष 5 वर्ष
सामान सुपुर्दगी (Baggage)	विमान आगमन से सामान सुपुर्दगी का समय (Time for	घरेलू- ऑन ब्लॉक्स समय से पहला बैग 10 मिनट, अंतिम बैग 30 मिनट	5 वर्ष

delivery)	bag delivery from aircraft arrival)	अंतरराष्ट्रीय- ऑन ब्लॉक्स समय से पहला बैग 15 मिनट, अंतिम बैग 40 मिनट	3 वर्ष
यात्री आगमन प्रक्रिया (अंतरराष्ट्रीय) (Passenger arrival process - Int.)	विमान आगमन से कर्बसाइड (फुटपाथ/निकास) तक लगा समय	95% यात्रियों को 45 मिनट से कम समय लगे	5 वर्ष
यात्री बोर्डिंग ब्रिज (Aerobridges) (Passenger boarding bridges)	बोर्डिंग ब्रिज द्वारा सेवित यात्रियों का %	अंतरराष्ट्रीय - वार्षिक यात्रियों का 90% घरेलू - B737/A320 या बड़े विमानों से यात्रा करने वाले वार्षिक यात्रियों का 90%, जब तक कि एयरलाइंस द्वारा आवश्यकता न हो।	5 वर्ष
रनवे प्रणाली (Runway system)	आगमन/प्रस्थान करने वाले विमानों में विलंब	सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) समझौते के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानक एटीसी प्रक्रियाओं और उपकरणों के प्रावधान के आधार पर प्रति विमान औसत वार्षिक विलंब: 4 मिनट या उससे बेहतर।	5 वर्ष
कार पार्किंग (Car parking)	पार्किंग स्थल खोजने में लगने वाला औसत समय	95% वाहन चालकों को 5 मिनट से कम समय लगे	5 वर्ष
	पार्किंग स्थल से हवाई अड्डे से प्रस्थान करने का औसत समय	95% वाहन चालकों को 5 मिनट से कम समय लगे	5 वर्ष
टैक्सी (Taxis)	अधिकतम प्रतीक्षा समय (Maximum waiting time)	95% यात्रियों का प्रतीक्षा समय 5 मिनट से कम हो 95% यात्रियों का प्रतीक्षा समय 3 मिनट से कम हो	1 वर्ष 5 वर्ष
गेट लाउंज (Gate Lounges)	बैठने की सीटों की उपलब्धता	गेट लाउंज की कुल क्षमता/आबादी के 80% के लिए सीटें उपलब्ध हों	5 वर्ष
कार्गो सेवाएं (Cargo Services)	औसत निपटान/ठहराव समय (Average dwell time)	आयात (Imports) के लिए, अधिकतम प्रसंस्करण समय 24 घंटे	2 वर्ष
		निर्यात (Exports) के लिए, अधिकतम प्रसंस्करण समय 24 घंटे	2 वर्ष

अनुसूची 4

व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं

नीचे दी गई मदों का आकलन जेवीसी के यथोचित नियंत्रण या प्रभाव के अधीन माना गया है और धारा 9.1.3 में निर्धारित प्राप्त रेटिंग की गणना करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा:

पैरामीटर एवं मदें (स्तंभ 1)	पैरामीटर एवं मदें (स्तंभ 2)
1. दिशानिर्देशन/मार्गदर्शन संबंधी मदें • हवाईअड्डे में रास्ता खोजने में आसानी / संकेतक • उड़ान सूचना स्क्रीन • पैदल चलने की दूरी 2. कनेक्टिविटी संबंधी मदें • अन्य उड़ानों के साथ कनेक्शन बनाने में आसानी • हवाई अड्डों तक/से जमीनी परिवहन व्यवस्था 3. सेवा सुविधाएं • सामान गाड़ियों (बैगेज कार्ट/ट्रॉली) की उपलब्धता • रेस्तरां / खानपान सुविधाएं • खरीदारी सुविधाएं • व्यापार सुविधाएं • शौचालय/प्रसाधन गृह • पार्किंग सुविधाएं 4. पैसे का मूल्य • रेस्तरां / खानपान सुविधाएं • खरीदारी सुविधाएं • पार्किंग सुविधाएं	5. सेवा वितरण • हवाई अड्डा कर्मचारियों की शिष्टता, मददगार रवैया • आरामदायक प्रतीक्षालय / गेट क्षेत्र • सामान सुपुर्दगी सेवा की गति 6. पर्यावरणीय कारक • टर्मिनल की स्वच्छता • हवाई अड्डे का परिवेश/वातावरण 7. एयरलाइन कारक (Airline factors) • चेक-इन पर प्रतीक्षा समय • चेक-इन की दक्षता • चेक-इन कर्मचारियों की शिष्टता, मददगार रवैया • बिजनेस / एकजीक्यूटिव लाउंज व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए आईएटीए/एसीआई एईटीआरए यात्री सर्वेक्षण के अनुसार हवाई अड्डे की रेटिंग उपर्युक्त 7 (सात) मापदंडों के आधार पर निर्धारित 1 (एक) से 5 (पांच) के बीच की एक संख्या होगी।

अनुसूची 5

वैमानिक सेवाएं

"वैमानिक सेवाएं" से तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान से है:

1. उड़ान संचालन सहायता और क्रू सहायता प्रणालियों का प्रावधान;
2. राष्ट्रीय सुरक्षा हित को छोड़कर, हवाई अड्डे का सुरक्षित और संरक्षित संचालन सुनिश्चित करना;
3. विमानों की आवाजाही, पार्किंग और नियंत्रण सुविधाएं;
4. हवाई अड्डे का सामान्य अनुरक्षण और रखरखाव;
5. अनुरक्षण सुविधाएं और उनका नियंत्रण तथा विमानों का हैंगर प्रबंधन;
6. उड़ान सूचना प्रदर्शन स्क्रीन;
7. बचाव एवं अग्निशमन सेवाएं;
8. हवाई अड्डे पर नियोजित कार्मिकों का प्रबंधन और प्रशासन;
9. कर्मचारियों और यात्रियों की आवाजाही तथा हवाई अड्डे पर परिवहन के सभी साधनों के बीच उनका इंटर-चेंज;
10. रिमोट बोर्डिंग करने वाले वाहनों सहित यात्री बोर्डिंग और डिबार्किंग प्रणालियों का संचालन और अनुरक्षण; तथा
11. हवाई अड्डे के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य सेवाएं।

उपर्युक्त सुविधाओं और सेवाओं की अधिक विस्तृत सूची में निम्नलिखित शामिल होंगे:

12. एरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं
13. एयरफील्ड
14. एयरफील्ड लाइटिंग
15. एयर टैक्सी सेवाएं
16. एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच मार्ग तथा फोरकोर्ट, जिसमें साइनेज, ट्रैफिक सिग्नल और निगरानी शामिल हैं

17. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए साझा हाइड्रेंट अवसंरचना
18. एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र
19. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंडों का आवंटन
20. आगमन कॉन्कोर्स और मिलन क्षेत्र
21. प्रस्थान और पुनःप्राप्ति सहित सामान प्रणालियां
22. पक्षी भगाना
23. चेक-इन कॉन्कोर्स
24. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन
25. सीमा शुल्क और आप्रवासन हॉल
26. आपातकालीन सेवाएं
27. दिव्यांगजनों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
28. अग्निशमन सेवा
29. उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली
30. दूषित जल और सतही जल निकासी
31. मार्गदर्शन प्रणाली और मार्शलिंग
32. सूचना डेस्क
33. इंटर-टर्मिनल पारगमन प्रणालियां
34. लिफ्ट, एस्केलेटर और पैसेंजर कन्वेयर
35. लोडिंग ब्रिज
36. खोया-पाया संपत्ति कार्यालय
37. यात्री और हैंड बैगेज तलाशी
38. पियर्स और गेट रूम्स
39. पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा
40. प्रार्थना कक्ष
41. डाकघरों के लिए अवसंरचना / सुविधाएं
42. सार्वजनिक टेलीफोन के लिए अवसंरचना / सुविधाएं

- 43. बैंकों के लिए अवसंरचना / सुविधाएं
- 44. विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्रों के लिए अवसंरचना / सुविधाएं
- 45. रनवे (धावन-पथ)
- 46. संकेतक
- 47. कर्मचारी तलाशी
- 48. टैक्सीवे
- 49. शौचालय और शिशु आहार/देखभाल कक्ष
- 50. अपशिष्ट एवं कचरा उपचार और निपटान
- 51. केबिन और चेक-इन सामान के लिए एक्स-रे सेवा
- 52. वीआईपी / विशेष लाउंज

अनुसूची 6

गैर-वैमानिक सेवाएं

"गैर-वैमानिक सेवाएं" से तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं (भाग I और भाग II सहित) से होगा:

भाग I (Part I)

1. विमान सफाई सेवाएं
2. एयरलाइन लाउंज
3. कार्गो हैंडलिंग
4. कार्गो टर्मिनल
5. सामान्य विमानन सेवाएं (यात्रियों या कार्गो अथवा दोनों को ले जाने वाली वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विमानों के अलावा)
6. ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
7. हैंगर
8. विमानों के लिए भारी अनुरक्षण सेवाएं
9. दर्शक दीर्घा / अवलोकन छत

भाग II (Part II)

10. बैंक / एटीएम
11. विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्र *
12. व्यापार केंद्र *
13. सम्मेलन केंद्र *
14. ड्यूटी फ्री बिक्री
15. उड़ान खानपान सेवाएं
16. माल समेकक / फ्रेट फॉरवर्डर्स या एजेंट
17. सामान्य खुदरा दुकानें
18. होटल और मोटल

19. होटल आरक्षण सेवाएं
20. लाइन अनुरक्षण सेवाएं
21. लॉकर किराया
22. लॉजिस्टिक्स केंद्र
23. संदेशवाहक सेवाएं
24. पोर्टर / कुली सेवा
25. रेस्तरां, बार और अन्य जलपान सुविधाएं
26. विशेष सहायता सेवाएं
27. पर्यटक सूचना सेवाएं
28. यात्रा एजेंसी
29. वाहन ईंधन भरने की सेवाएं
30. वाहन किराया सेवाएं
31. वाहन पार्किंग
32. वेंडिंग मशीनें
33. वेयरहाउस / गोदाम
34. स्वागत सेवाएं
35. हवाई अड्डे पर यात्री सेवाओं से संबंधित अन्य गतिविधियां, यदि वह एक गैर-वैमानिक परिसंपत्ति है।

* ये गतिविधियां/सेवाएं केवल तभी शुरू/प्रदान की जा सकती हैं, जब वे टर्मिनल परिसर/क्वार्गो परिसर के भीतर स्थित हों और मुख्य रूप से यात्रियों, हवाई यातायात सेवाओं और हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हों।

अनुसूची 7

अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं

दिल्ली हवाईअड्डा

2 वर्ष के भीतर और 31/03/2010 तक पूर्ण की जाने वाली अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आरंभ करने की तिथि	पूर्णता अवधि / तिथि
1.	नया समानांतर रनवे (रनवे 10R/28L)	ओएमडीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 15 माह के भीतर।	24 माह
2.	रनवे 10R/28L के लिए प्रारंभिक समानांतर टैक्सीवे	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
3.	हार्ड-स्पीड निकास टैक्सीवे और अन्य प्रवेश/निकास टैक्सीवे (रनवे 10R/28L के लिए)	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
4.	क्रॉस लिंक टैक्सीवे का युग्म	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
5.	सैटेलाइट बचाव एवं अग्निशमन स्टेशन	यथोक्त (वही)	24 माह
6.	टैक्सीवे पी से टैक्सीवे सी और ई तक नया लिंक टैक्सीवे (घरेलू एप्रन की ओर जाने वाला)	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
7.	अंतरराष्ट्रीय/घरेलू टर्मिनल विकास। टर्मिनल डिज़ाइन 2012 से पहले के डिज़ाइन वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए।	यथोक्त (वही)	31 मार्च 2010
8.	अंतरराष्ट्रीय/घरेलू परिसर के लिए नया लैंडसाइड पहुंच मार्ग	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
9.	नया कार पार्क	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
10.	अंतरराष्ट्रीय/घरेलू टर्मिनल पर एप्रन का विस्तार	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
11.	नया एलिवेटेड टर्मिनल फ्रंट (प्रस्थान) मार्ग। मौजूदा एलिवेटेड मार्ग को तोड़ना।	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
12.	नया ग्राउंड लेवल टर्मिनल फ्रंट (आगमन) मार्ग	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)
13.	टैक्सी / कोच पार्क	यथोक्त (वही)	यथोक्त (वही)

परिशिष्ट (शेड्यूल) - अनिवार्य पूरक कार्य एवं सुधार (जारी)

क्र.सं.	कार्य / परियोजना विवरण	बिडर्स द्वारा दर्शाई जाने वाली तिथि	समापन की समय-सीमा / लक्षित तिथि
14.	गैर-हवाईअड्डा थ्रू-ट्रैफिक (सीधे गुजरने वाले वाहनों) के लिए टर्मिनल पहुंच मार्ग बंद करना।	-	समानांतर रनवे के संचालन/कमीशनिंग से पूर्व
15.	प्रगतिरत कार्य / जेवीसी (संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा पूर्ण किए जाने के लिए नियोजित कार्य: लैंडिंग रनवे 10 हेतु रैपिड एग्जिट टैक्सीवे अनुमानित लागत: ₹4.5 करोड़	13 मार्च 2005	फरवरी 2006
16.	घरेलू एप्रन: 5 अतिरिक्त बे (पार्किंग स्थल) अनुमानित लागत: ₹5.41 करोड़	19 अप्रैल 2005	फरवरी 2006
17.	विद्युत आपूर्ति का दूसरा स्रोत अनुमानित लागत: ₹6.26 करोड़	-	दिसंबर 2005
18.	सिस्टम टी2: डॉकिंग मार्गदर्शन प्रणाली अनुमानित लागत: ₹1.70 करोड़	31.05.2005	अक्टूबर 2005
19.	औपचारिक लाउंज (सरेमोनियल लाउंज) टी-II	बिडर्स द्वारा तिथि इंगित की जाएगी	ओएमडीए (ओएमडीए) पर हस्ताक्षर की तिथि से 24 माह के भीतर
20.	क्रैश फायर टैंडर्स (अग्निशमन वाहन)	—यथोपरि—	—यथोपरि—
21.	टैक्सीवे डी और ई के बीच रनवे 09/27 के समानांतर नया टैक्सीवे तथा संबद्ध रैपिड एग्जिट टैक्सीवे।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
22.	प्रमुख टर्मिनल विकास कार्य पूर्ण होने से पूर्व पीक स्टैंड मांग को पूरा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय एप्रन का विस्तार।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
23.	टर्मिनल 1B / आगमन (Arrival) का पुनर्विकास।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
24.	इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग प्रणाली का प्रावधान।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
25.	मौजूदा टर्मिनल सुविधाओं के भीतर महत्वपूर्ण यात्री प्रसंस्करण और परिचालन सहायता क्षेत्रों का पुनर्गठन, स्थानांतरण, विस्तार (कम से कम सूचीबद्ध क्षेत्रों सहित)।	—यथोपरि—	—यथोपरि—

26.	सभी टर्मिनलों के सामान्य सौंदर्य और स्वरूप का उन्नयन।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
27.	टर्मिनल के बाहर यातायात प्रबंधन योजना।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
28.	सभी टर्मिनलों के भीतर साइनेज (मार्गदर्शन संकेतकों) का उन्नयन।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
29.	उड़ान सूचना एवं सार्वजनिक उद्घोषणा (PA) प्रणाली का उन्नयन।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
30.	सभी टर्मिनलों के भीतर यात्री सुविधाओं और सेवाओं में सुधार।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
31.	सभी टर्मिनलों के भीतर खुदरा (रिटेल) पेशकशों का उन्नयन।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
32.	सभी टर्मिनलों में सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले।	—यथोपरि—	—यथोपरि—
33.	T1 (A/B आगमन) तथा T2 यातायात सुधार योजना।	—यथोपरि—	—यथोपरि—

अनुसूची 8

हवाईअड्डा प्रचालक समझौता (परिचालन एवं प्रबंधन) सिद्धांत

हवाईअड्डा प्रचालक समझौते का प्रारूप

संयुक्त उद्यम कंपनी को हवाईअड्डा प्रचालक के साथ एक निष्पादित करना अनिवार्य है, जो कंसोर्टियम (संघ) का एक सदस्य हो (यदि कंसोर्टियम में एक से अधिक हवाईअड्डा प्रचालक हों तो नामित किया जाएगा)। यह समझौता संविदात्मक रूप से हवाईअड्डा प्रचालक और जेवीसी के बीच भूमिका, उत्तरदायित्वों, जवाबदेही और वित्तीय व्यवस्थाओं को निर्धारित करेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यह इरादा नहीं है कि वह दोनों पक्षों के बीच निष्पादित किए जाने वाले समझौते के प्रारूप को अनुचित रूप से संकुचित या निर्देशित करे। तथापि, एएआई की कुछ चिंताएं हैं जिन्हें वह दोनों पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एओए में सुनिश्चित और हल कराना चाहता है। इन्हें व्यापक सिद्धांतों की एक श्रृंखला के रूप में विवरण सहित (यथा नीचे उल्लिखित) प्रस्तुत किया गया है, जिनका अनुपालन एओए द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

क. हवाईअड्डा प्रचालक समझौते (एओए) के व्यापक सिद्धांत

एओए में अनिवार्य रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ, हवाईअड्डा प्रचालक (एओ) के लिए निम्नलिखित सेवा दायरा शामिल होना चाहिए:

1. वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों का परिचालन और अनुरक्षण।
2. यात्री सुविधाओं सहित टर्मिनलों का संचालन एवं प्रबंधन।
3. हवाईअड्डा उपयोगिताओं का अनुरक्षण एवं परिचालन।
4. सुरक्षा/संरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं का अनुपालन।

उपर्युक्त व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एओए यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डा प्रचालक अपेक्षित निष्पादन मानकों को पूरा करने के लिए हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन करे ताकि जेवीसी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित हो सके (विशेष रूप से ओएमडीए के अंतर्गत

वर्णित वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को तुष्ट करना)।

दूसरे शब्दों में, सेवाओं के लिए प्रदर्शन मानकों का स्तर और गुणवत्ता कम से कम उतनी उच्च अवश्य होनी चाहिए जितनी प्रदर्शन मानकों का स्तर और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जेवीसी ओएमडीए के तहत बाध्य है। ऐसा करते समय, हवाईअड्डा प्रचालक हवाईअड्डे के समग्र प्रबंधन, संचालन और विकास के लिए उपयुक्त नीति निर्माण की भी सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डा प्रचालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य उचित उपायों के माध्यम से जेवीसी को ज्ञान/तकनीक (know-how) का हस्तांतरण भी सुनिश्चित करेगा।

ख. अन्य सिद्धांत

एओए की अवधि

एओए की अवधि ओएमडीए की प्रभावी तिथि से न्यूनतम सात (7) वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए, तथा हवाईअड्डा प्रचालक में कोई भी परिवर्तन एएआई के अनुमोदन के अधीन होगा।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा

एओए में जेवीसी को हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को स्पष्ट और पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यूनतम रूप से, हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

1. मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभवी और कुशल समूह (संख्या और विशेषज्ञता विषयों सहित) की प्रतिबद्धता।
2. मास्टर प्लान की समीक्षा करना और जहां उपयुक्त हो, ऐसे विकल्प या परियोजनाओं के पुनर्निर्धारण का सुझाव देना, जो हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि को पूरा करें, और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों व चिंताओं का समाधान करें। हवाईअड्डे के परिवेश में बदलाव के अनुसार मास्टर प्लान में संशोधन और अद्यतनीकरण में जेवीसी का सहयोग करना तथा सभी नियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

3. एकाधिक रनवे विन्यास (मल्टीपल रनवे कॉन्फिगरेशन) और एयरसाइड विकास में अनुभव रखने वाले, संयुक्त अंतरराष्ट्रीय व घरेलू टर्मिनल परिसरों से संबंधित प्रमुख टर्मिनल विकास का अनुभव रखने वाले तथा समान यातायात मिश्रण वाले समान आकार के हवाईअड्डों के नियोजन में अनुभव रखने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभवी और कुशल समूह (संख्या और विषय सहित) की प्रतिबद्धता।

4. विभिन्न महत्वपूर्ण हवाईअड्डा संबंधी कार्यों में हवाईअड्डे के परिचालन और प्रबंधन हेतु वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभवी और कुशल समूह की प्रतिबद्धता, जिसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- वैमानिक परिचालन
- टर्मिनल परिचालन
- कार्गो परिचालन
- टर्मिनल खुदरा/रिटेल
- कार पार्किंग
- स्लॉट प्रबंधन
- पर्यावरण प्रबंधन
- हितधारक संबंध
- यातायात एवं मार्ग विकास

5. टर्मिनल और एयरफील्ड दोनों में अस्थायी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने और सेवा स्तर में सुधार के लिए अंतरिम उपायों का कार्यान्वयन।

6. प्रबंधन और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दोनों प्रकृतियों की पहलों के साथ तत्काल सुधार रणनीति को लागू करना, जिसे विशेष रूप से एयरलाइनों, यात्रियों और कार्गो ऑपरेटरों के लिए सेवा गुणवत्ता में प्रदर्शन के प्रत्यक्ष सुधार तेजी से प्रदान करने हेतु शुरू किया जा सके।

7. बाधित/सीमित स्थल पर एयरफील्ड और टर्मिनल के लिए क्षमता को अधिकतम करने हेतु समाधानों का कार्यान्वयन।

8. हवाईअड्डा परिसंपत्तियों का सेवाकाल (जीवनकाल) बढ़ाने हेतु समाधानों का कार्यान्वयन।
9. दैनिक एयरफील्ड परिचालनों पर बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के विकास योजना का कार्यान्वयन।
10. हवाईअड्डे के संचालन और प्रबंधन से संबंधित सीमा तक संक्रमण योजना (ट्रांजीशन प्लान) का कार्यान्वयन।
11. हितधारक प्रबंधन रणनीति का कार्यान्वयन, जिसमें प्रमुख हितधारकों की पहचान, उनके प्रासंगिक मुद्दे और उन मुद्दों का प्रबंधन शामिल होगा।
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।
13. यात्री और कार्गो प्रवाह तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यावसायिक योजना का कार्यान्वयन और तत्पश्चात इसे प्रमुख हवाईअड्डा विकास कार्यों के कार्यान्वयन से जोड़ना।
14. प्रथम तीन वर्षों में एएआई कर्मचारियों को जेवीसी में एकीकृत करने के कार्य पर विशेष बल देते हुए मानव संसाधन (HR) योजना के कार्यान्वयन में सहायता करना। इस संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक ऐसे कर्मियों के लिए उपयुक्त कार्य-विवरण (Job Descriptions) के साथ जेवीसी के लिए एक उचित वरिष्ठ प्रबंधन संरचना विकसित करने में सहायता करेगा। हवाईअड्डा प्रचालक आवश्यकतानुसार ऐसे वरिष्ठ प्रबंधकों की भर्ती में भी सहायता करेगा तथा उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियों/कार्यक्रमों की पहचान कर उन्हें लागू करेगा।
15. हवाईअड्डे के संचालन के प्रत्येक प्रमुख पहलू की निरंतर समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। हवाईअड्डा प्रचालक ऐसी समीक्षाओं के परिणामों की जांच करेगा, परिवर्तनों की सिफारिश करेगा और जेवीसी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
16. उपर्युक्त समीक्षा और अद्यतनीकरण के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की आवश्यकताओं के अनुरूप परिचालन नियमावली (Operating Manual) का अनुपालन तथा यह सुनिश्चित करना कि हवाईअड्डा ओएमडीए के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार संचालित हो।
 - हवाईअड्डा अनुरक्षण नियमावली (Airport Maintenance Manual)।

- सुरक्षा नियमावली (Safety Manual), कार्यक्रम अद्यतनीकरण का कार्यान्वयन (कैश, अग्निशमन और बचाव सेवाएं, आपातकालीन संचार प्रणालियां आदि)।
- ग्राहक सेवा मानकों सहित परिचालन प्रदर्शन, और जहां उपयुक्त हो, हवाईअड्डा प्रचालक को यात्री प्रसंस्करण तथा एयरसाइड संचालन की दक्षता में सुधार के लिए जेवीसी को पहलों और कार्यक्रमों की सिफारिश करनी चाहिए।

17. जेवीसी और हवाईअड्डे के किरायेदारों, अनुरक्षण ठेकेदारों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच समझौतों की बातचीत/वार्ता में आवश्यकतानुसार जेवीसी की सहायता करना।

18. सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रभावी डिजाइन विकास, अनुबंध दस्तावेज तैयार करने और निविदा (टेंडरिंग) प्रक्रिया में सहायता करना।

19. महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए परिचालन प्रबंधन सहायता प्रदान करना ताकि सुविधा एवं बुनियादी ढांचा विकास कार्य के दौरान हवाईअड्डा परिचालन सुचारू और कुशलतापूर्वक कार्य करता रहे।

रिपोर्टिंग आवश्यकताएं (Reporting Requirements)

हवाईअड्डा प्रचालक और जेवीसी उपयुक्त रिपोर्टिंग व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसके द्वारा हवाईअड्डा प्रचालक नियमित आधार पर सहमत प्रदर्शन पैमानों के सापेक्ष अपने प्रदर्शन और अपने दायित्वों के निर्वहन पर रिपोर्ट दे सके। इस संदर्भ में, हवाईअड्डा प्रचालक परिचालन के प्रत्येक वर्ष के लिए जेवीसी को मूल्यांकन, निगरानी और प्रदान की गई सेवाओं की एक सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट परिचालन के प्रत्येक वर्ष के बाद अधिकतम 31 मार्च तक उपलब्ध होगी। अपनी नियमित रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, हवाईअड्डा प्रचालक किसी भी प्रासंगिक, महत्वपूर्ण मामले के उत्पन्न होने पर अपवाद आधार (exceptions basis) पर तत्काल रिपोर्ट करेगा जो हवाईअड्डे के लिए महत्वपूर्ण हो।

अतिरिक्त परामर्श सेवाओं के प्रावधान पर समझौता

प्रत्येक वर्ष जेवीसी और हवाईअड्डा प्रचालक को उन अतिरिक्त परामर्श सेवाओं (उपर्युक्त पैरा 2 के तहत बताए गए कार्यों से परे) पर सहमत होना चाहिए जो हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाएंगी। यह समझौता सेवाओं की प्रकृति, कार्य पर काम करने वाले कर्मियों, शामिल अनुमानित लागत, अपेक्षित

आउटपुट और लक्षित परिणामों को निर्धारित करेगा। वर्ष के दौरान उपयुक्त समय पर और वर्ष के अंत में समझौते के सापेक्ष प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

वित्तीय पारिश्रमिक

मूलभूत सिद्धांत यह है कि हवाईअड्डा प्रचालक को मुख्य वित्तीय प्रतिफल उसकी इक्विटी भागीदारी से प्राप्त हो सकता है। तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि अपने कार्यों को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए उसके पारिश्रमिक का कुछ हिस्सा AOA से आएगा।

एओए के माध्यम से हवाईअड्डा प्रचालक को वित्तीय प्रतिफल दो आधारों पर होना चाहिए और नीचे दी गई पद्धति के अधीन होना चाहिए:

सेवाओं के प्रावधान हेतु प्रतिफल:

प्रदान की गई कोई भी सेवा सेवा-शुल्क (fee for service) आधार पर होनी चाहिए न कि निश्चित शुल्क (fixed fee) पर। इसके अलावा, हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली पैरा 4 में उल्लिखित कोई भी अतिरिक्त सेवा जेवीसी और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच वार्षिक समझौते का विषय होनी चाहिए, जो ऐसी सेवाओं और शुल्कों को निर्धारित करती है। इन सेवाओं का पारिश्रमिक सहमत दर के आधार पर दिया जाना चाहिए।

प्रदर्शन आधारित शुल्क:

एक दूसरा, प्रदर्शन आधारित शुल्क प्रदान किया जा सकता है, जो मापने योग्य प्रदर्शन और प्राप्त परिणामों से जुड़ा होना चाहिए। इस शुल्क को लाभ (Profit), EBIT, EBITDA या राजस्व (Revenue) जैसे किसी एक पैरामीटर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी स्थिति में हवाईअड्डा प्रचालक को प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन (demonstrable value add) उत्पन्न करने की आवश्यकता का पालन करना होगा सेवा गुणवत्ता के लिए प्राप्त परिणामों और प्रदर्शन आधारित शुल्क के बीच भी एक स्पष्ट संबंध (लिंकेज) होना चाहिए।

डिफॉल्ट और समाप्ति प्रावधान

एओए में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि समझौते के तहत व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) की घटनाएं क्या होंगी और समझौते की समाप्ति का आधार क्या होगा। यदि जेवीसी की उचित राय और मूल्यांकन में कोई

डिफॉल्ट या समाप्ति की घटना घटित होती है या घटित होने की संभावना है, तो इसे बिना किसी देरी के एएआई को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। डिफॉल्ट के कारण उचित वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए।

बौद्धिक संपदा

हवाईअड्डा प्रचालक हवाईअड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास से संबंधित अपनी सभी बौद्धिक संपदा को बिना किसी शुल्क के पूरी तरह से उपलब्ध कराएगा।

हवाईअड्डे पर विकसित कोई भी बौद्धिक संपदा जेवीसी की संपत्ति होगी, जो हवाईअड्डा प्रचालक को उस बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के लिए एक गैर-अनन्य (non-exclusive) लाइसेंस प्रदान करेगी।

समनुदेशन

हवाईअड्डा प्रचालक की भूमिका का समनुदेशन (अधिकार हस्तांतरण) केवल जेवीसी के स्पष्ट अनुमोदन से ही हो सकता है, और ऐसा अनुमोदन एएआई की सहमति के बिना नहीं दिया जाएगा।

कार्य-निष्पादन गारंटी

एओए में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत हवाईअड्डा प्रचालक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से नई दिल्ली में लागू करने योग्य और नकदीकरण योग्य ₹300,00,00,000/- (तीन सौ करोड़ रुपये) की बिना शर्त और अहस्तांतरणीय/अप्रतिसंहरणीय प्रदर्शन बैंक गारंटी जेवीसी के पक्ष में (परंतु एएआई द्वारा नकदीकरण योग्य) प्रस्तुत करनी होगी, जो एओए की पूरी अवधि के लिए वैध होगी।

अनुसूची 9
प्रतिस्थापन समझौते का प्रारूप

प्रतिस्थापन समझौता

मध्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एवं

[संयुक्त उद्यम कंपनी

एवं

ऋणदाता एजेंट

प्रतिस्थापन समझौता

यह प्रतिस्थापन समझौता (यह "समझौता") वर्ष 2006 के [] माह के [] वें दिन नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

द्वारा एवं मध्य:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) प्रथम पक्ष;

तथा

2. [], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

एवं

3. [], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है, ऋणदाता एजेंट के रूप में, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची I में सूचीबद्ध ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से तथा वित्तीय दस्तावेजों के संदर्भ में ऐसे ऋणदाताओं के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के लिए कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता एजेंट" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उस समय के ट्रस्टी या ट्रस्टीगण शामिल होंगे) तृतीय पक्ष।

(एएआई, जेवीसी और ऋणदाता एजेंट को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा)।

जबकि:

(क) एएआई और जेवीसी ने दिनांक [] को एक परिचालन, प्रबंधन और विकास समझौता ("ओएमडीए") निष्पादित किया है, जिसके अनुसरण में जेवीसी उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करने के लिए बाध्य है।

(ख) ओएमडीए के अनुसरण में और उसके अनुसार जेवीसी को हवाईअड्डे पर अंतरण परिसंपत्तियों का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करने में सक्षम बनाने हेतु जेवीसी द्वारा हवाईअड्डे पर अंतरण परिसंपत्तियों के विकास के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने में सहायता की दृष्टि से, पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि जेवीसी द्वारा कतिपय व्यतिक्रमों (डिफॉल्ट) की स्थिति में, ऋणदाताओं को नीचे उल्लिखित शर्तों, अनुबंधों और नियमों के अधीन एक चयनित इकाई (सिलेक्टी) द्वारा जेवीसी को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा।

अब, इसलिए, पूर्वगामी तथ्यों तथा इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के प्रतिफल के रूप में, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं एवं व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

"वित्तीय दस्तावेज": का अर्थ समय-समय पर ऋण (ऋण पूंजी) जुटाने के लिए जेवीसी द्वारा निष्पादित दस्तावेज हैं।

"वित्तीय व्यतिक्रम की घटना": का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना है:

(i) वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार जेवीसी द्वारा देय और भुगतान योग्य किसी भी छह किस्तों (यदि किस्तें मासिक देय हों) और दो किस्तों (यदि किस्तें त्रैमासिक देय हों), चाहे मूलधन या ब्याज या दोनों, या किसी अन्य राशि के वित्तीय दस्तावेजों के तहत सभी या किसी भी ऋणदाता को भुगतान में चूक।

(ii) किसी भी वित्तीय दस्तावेज की किसी भी शर्त के तहत कोई भी व्यतिक्रम या उल्लंघन जो ऋणदाता एजेंट की एकमात्र राय में सारवान या प्रमुख हो तथा जो वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने की जेवीसी की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता हो।

"जेवीसी व्यतिक्रम घटना": का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए (ओएमडीए) में इसे दिया गया है।

"ऋणदाता": का अर्थ इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में सूचीबद्ध ऋणदाता और वित्तीय दस्तावेजों के संदर्भ में ऐसे ऋणदाताओं के उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिनी होंगे।

"ऋणदाता प्रमाणपत्र": का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 2.2(b) में इसे दिया गया है।

"ऋणदाताओं की देय राशियां": का अर्थ वित्तीय दस्तावेजों के तहत जेवीसी द्वारा ऋणदाताओं को देय सभी राशियों का कुल योग और सभी अर्जित ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, परिसमाप्त नुकसानी

(liquidated damages), प्रतिबद्धता शुल्क (commitment fees), कमीशन, पूर्व-भुगतान प्रीमियम, लागत, प्रभार और अन्य राशियां हैं।

"ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस": का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 2.2(a) में इसे दिया गया है।

"नई इकाई": का अर्थ किसी प्रस्ताव (प्रपोजल) में ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तावित कोई इकाई है।

"समाप्ति के आशय की सूचना": का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में इसे दिया गया है।

"प्रस्ताव": का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.1(iii) में इसे दिया गया है।

"चयनित व्यक्ति / सिलेक्टी": का अर्थ, अनुच्छेद 3.3 के अधीन, इस समझौते के अनुसरण में ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तावित और ओएमडीए के तहत जेवीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए इस समझौते के अनुसार एएआई द्वारा अनुमोदित एक नई इकाई है।

"प्रतिस्थापन" से निम्नलिखित गतिविधियों को निष्पादित करके जेवीसी के स्थान पर एक चयनित इकाई को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है:

(i) चयनित इकाई के पक्ष में ओएमडीए (ओएमडीए) के नवीयन द्वारा, शेष अवधि के लिए ओएमडीए में निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन करने का अधिकार चयनित इकाई को प्रदान करना;

(ii) चयनित इकाई के पक्ष में पट्टा विलेख के नवीयन द्वारा, शेष अवधि के लिए उक्त हवाईअड्डा स्थल के समस्त परिसंपत्तियों, भवनों, फिक्स्चर, रनवे, सभी या किसी भी विशिष्ट अधिकार, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुखाचार और संलग्नक के साथ हवाईअड्डा स्थल पर चयनित इकाई को पट्टाधृति हित प्रदान करना;

(iii) चयनित इकाई के पक्ष में हवाईअड्डे के संचालन के प्रयोजनार्थ नवीकृत किए जाने वाले सीएनएस-एटीएम समझौते, राज्य सरकार सहायता समझौते, राज्य सहायता समझौते, अनुबंधों और किसी भी अन्य समझौते का नवीयन; तथा

(iv) इसके समान ही नियमों और शर्तों पर शेष अवधि के लिए चयनित इकाई के साथ एक नए प्रतिस्थापन समझौते का निष्पादन;

(v) जेवीसी द्वारा अपने स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों का चयनित इकाई को हस्तांतरण;

(vi) लागू विधि के अनुसार विधिवत पूर्ण आवेदन एएआई को प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर, एएआई के अधिकार क्षेत्र के अधीन तथा ओएमडीए के अनुसार हवाईअड्डे के संचालन हेतु आवश्यक सभी अनुमोदनों, अनापत्तियों (क्लयरेंस) और अनुमतियों का एएआई द्वारा चयनित इकाई को प्रदान किया जाना।

"प्रतिस्थापन सूचना" से इस समझौते के अनुच्छेद 2.2 (d) के अनुसरण में ऋणदाता एजेंट द्वारा दी गई सूचना अभिप्रेत है।

1.2 इस समझौते में प्रयुक्त बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले या बड़े अक्षरों वाले वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं और ओएमडीए में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर उन्हें ओएमडीए में क्रमशः दिया गया है।

1.3 **व्याख्या** इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ओएमडीए के अनुच्छेद 1.2 में उल्लिखित व्याख्या नियम लागू होंगे।

अनुच्छेद 2

एक चयनित इकाई द्वारा जेवीसी का प्रतिस्थापन

2.1 इसके नियमों के अनुसार तथा इसमें निर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर, एएआई इसके द्वारा ऋणदाताओं की देय राशियों (Lenders Dues) के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिस्थापन के माध्यम से एक चयनित इकाई (ऋणदाताओं द्वारा चयनित एवं इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एएआई द्वारा अनुमोदित) द्वारा जेवीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से सहमति व्यक्त करता है।

2.2 (क) ऋणदाता एजेंट वित्तीय व्यतिक्रम की घटना के घटित होने के संबंध में जेवीसी को लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति एक साथ एएआई को भी दी जाएगी, सूचित कर सकता है और जेवीसी से ऐसे नोटिस की डिलीवरी की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे व्यतिक्रम का समाधान एवं निवारण करने की अपेक्षा कर सकता है ("ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस")। ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस के साथ ऋणदाता प्रमाणपत्र जैसा कि इसके बाद परिभाषित है संलग्न होगा। बशर्ते कि यदि ऋणदाता एजेंट ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस जारी करने का विकल्प चुनता है, तो उसकी एक प्रति एएआई को दी जाएगी।

(ख) "ऋणदाता प्रमाणपत्र" ऋणदाता एजेंट के एक प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र है जिसमें प्रमाणित किया जाता है:

- (i) वित्तीय व्यतिक्रम की घटना का घटित होना; तथा
- (ii) ऋणदाताओं की देय राशियों का मूल्य।

ऋणदाता प्रमाणपत्र, जहां तक एएआई का संबंध है, ऐसे वित्तीय व्यतिक्रम की घटना के घटित होने का निर्णायक साक्ष्य होगा। ऐसा ऋणदाता प्रमाणपत्र केवल वित्तीय व्यतिक्रम की घटना के घटित होने के प्रयोजनों के लिए एएआई पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा, परंतु ऋणदाताओं की देय राशियों या ऋण की मात्रा के संबंध में नहीं।

(ग) ओएमडीए के तहत एएआई द्वारा समाप्ति के आशय की सूचना जारी किए जाने के कारण जेवीसी व्यतिक्रम घटना के घटित होने की स्थिति में, एएआई ऐसा नोटिस जारी करने के तुरंत बाद उसकी एक प्रति ऋणदाता एजेंट को देगा।

(घ) ऋणदाता प्रतिस्थापन के प्रयोजनों हेतु किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को नामित करने के हकदार होंगे:

- (i) यदि ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस की डिलीवरी की तारीख से साठ (60) दिनों के बाद, वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय व्यतिक्रम की घटना का निवारण, समाधान या निरसन नहीं किया गया है; अथवा
- (ii) एएआई द्वारा जेवीसी को समाप्ति के आशय की सूचना जारी किए जाने के तुरंत बाद।

ऋणदाता एएआई को समाप्ति के आशय की सूचना प्राप्त होने या ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस जारी

होने, जैसा भी मामला हो, के साथ (60) दिनों के भीतर सूचित करेंगे कि क्या वे अपने प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, ऋणदाता एजेंट, वित्तीय दस्तावेज के तहत ऋणदाताओं को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी ऋणदाताओं की ओर से एएआई और जेवीसी को प्रतिस्थापन के प्रयोजनों के लिए तीसरे पक्षों से निजी बातचीत या सार्वजनिक नीलामी अथवा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करने, बातचीत करने और प्राप्त करने के ऋणदाताओं के निर्णय के बारे में सूचित कर सकता है, जो एएआई द्वारा ऐसे तीसरे पक्ष के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन होगा, जिस अनुमोदन को एएआई केवल नीचे अनुच्छेद 2.3 में निर्धारित आधारों पर अस्वीकार या विलंबित कर सकता है ("प्रतिस्थापन सूचना")।

2.3 ऋणदाता एजेंट और एएआई प्रतिस्थापन के प्रयोजनों के लिए किसी तीसरे पक्ष के चयन में निम्नलिखित मानदंड लागू करेंगे और एएआई केवल उस स्थिति में अपने अनुमोदन को अस्वीकार करने या विलंबित करने का हकदार होगा यदि वह उचित रूप से संतुष्ट नहीं है कि प्रतिस्थापन के बाद तीसरे पक्ष द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाएगा:

- (i) तीसरा पक्ष ओएमडीए के तहत जेवीसी के कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होगा तथा उसके पास उपयुक्त वित्तीय और विधिक क्षमता होगी;
- (ii) तीसरा पक्ष ऋणदाताओं की देय राशियों के पुनर्भुगतान हेतु ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षा/आश्वासन (security/comfort) प्रदान करेगा;
- (iii) तीसरे पक्ष के पास ओएमडीए के तहत और उसके अनुसार एएआई को जेवीसी की देय राशियों के भुगतान और निर्वहन के लिए दायित्व ग्रहण करने की क्षमता होगी और वह बिना शर्त सहमति देगा;
- (iv) तीसरे पक्ष के पास ओएमडीए में निर्धारित या जेवीसी के चयन की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके बाद किसी भी समय जेवीसी के संबंध में एएआई द्वारा निर्धारित अनुभव और तकनीकी क्षमता पैरामीटर होंगे;

(v) तीसरा पक्ष, तीसरे पक्ष और एएआई के बीच किसी भी समझौते के सारवान उल्लंघन (material breach) में नहीं रहा होगा;

(vi) तीसरा पक्ष जेवीसी में निजी प्रतिभागियों के चयन के प्रयोजनों के लिए एएआई द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान एएआई द्वारा निर्धारित प्रासंगिक सुरक्षा और सत्यनिष्ठा अनापत्ति (probity clearance) आवश्यकताओं, या लागू विधि के तहत अन्य समरूप लागू आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को पूरा करता हो; तथा

(vii) कोई अन्य उपयुक्त परिस्थिति, जिसके द्वारा ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन में निरंतरता बनी रहे और वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के पक्ष में सुरक्षा संरक्षित रहे।

(viii) अपनी राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार (GOI) तीसरे पक्ष को अनुमोदित करती है।

अनुच्छेद 3

प्रतिस्थापन की कार्यपद्धति / तौर-तरीके

3.1 इस समझौते के अनुसरण में चयनित इकाई द्वारा जेवीसी के किसी भी प्रतिस्थापन पर निम्नलिखित तौर-तरीके लागू होंगे:

(i) ऋणदाता एजेंट प्रतिस्थापन के प्रयोजनों के लिए निजी बातचीत या सार्वजनिक नीलामी अथवा निविदा प्रक्रिया या अन्यथा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित, बातचीत या प्राप्त कर सकता है;

(ii) ऋणदाता एजेंट नीचे उप-खंड (iii) के अनुसरण में ऋणदाताओं की ओर से स्वीकृति हेतु एएआई को एक नई इकाई का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रतिस्थापन करने के लिए आवश्यक रूप से एएआई को आवेदन करेगा।

(iii) ऋणदाता एजेंट को ऋणदाताओं की ओर से, उपर्युक्त अनुच्छेद 2.2 (घ) के अनुसरण में एएआई को प्रतिस्थापन सूचना की डिलीवरी की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों की अवधि के भीतर, अपने

अनुमोदन के लिए एएआई को एक नई इकाई का चयन करने और प्रस्तावित करने का अधिकार होगा ("प्रस्ताव")। इस उप-खंड (iii) के अनुसरण में ऋणदाता एजेंट के प्रस्ताव में नई इकाई, ऋणदाताओं की देय राशियों और अन्य डेटा तथा जानकारी के संबंध में विवरण और जानकारी शामिल होगी, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 2 में निर्धारित है। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता एजेंट एएआई को ऐसी अतिरिक्त और अन्य जानकारी तथा ऋणदाता एजेंट द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा, विवरण या जानकारी के संबंध में ऐसे स्पष्टीकरण ("अतिरिक्त जानकारी") प्रदान करने के लिए सहमत और वचनबद्ध होता है, जैसा कि एएआई द्वारा उचित रूप से अपेक्षित हो, बशर्ते कि ऐसा अनुरोध (अनुरोधों) एएआई द्वारा प्रस्ताव/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया/किए जाएं। एएआई (क) एएआई द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख, या (ख) जिस तारीख को अंतिम अतिरिक्त जानकारी एएआई द्वारा प्राप्त होती है, जो भी बाद में हो, के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे प्रस्ताव के अनुमोदन या अन्यथा से अवगत कराएगा। बशर्ते कि यदि प्रस्ताव या अतिरिक्त जानकारी, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर एएआई ने अपने अनुमोदन/अस्वीकृति के साथ या अतिरिक्त जानकारी के अनुरोध के साथ इसका उत्तर नहीं दिया है, तो प्रस्ताव और नई इकाई को अनुमोदित माना जाएगा। एएआई किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण बताने के दायित्व के अधीन होगा। बशर्ते हालांकि कि एएआई केवल इस आधार पर प्रस्ताव के अपने अनुमोदन को रोक सकता है कि नई इकाई अनुच्छेद 2.3 (i) से (vii) में निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करती है। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रस्ताव के साथ नई इकाई का एक बिना शर्त वचनपत्र संलग्न होगा कि वह एएआई द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर प्रतिस्थापन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगी और ऋणदाताओं को स्वीकार्य तरीके से ऋणदाताओं की देय राशियों को ग्रहण करने, निर्वहन करने और भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। प्रस्ताव के अनुमोदन पर प्रस्तावित नई इकाई इसके तहत चयनित इकाई बन जाएगी।

बशर्ते कि यदि एएआई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता है, तो नीचे दिए गए अनुच्छेद 3.3 और 3.4 के अधीन, ऋणदाता एजेंट एएआई की अस्वीकृति प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर किसी अन्य नई इकाई के संबंध में दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपने उचित प्रयास करेगा और इस अनुच्छेद 3.1(iii) में उल्लिखित प्रक्रिया को नीचे अनुच्छेद 3.3 में उल्लिखित 120 दिनों की अवधि समाप्त होने तक दोहराया जाएगा।

(iv) एएआई, चयनित इकाई की पात्रता से संतुष्ट होने पर, ऋणदाता एजेंट के अनुरोध पर और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार तथा नीचे उप-खंड (v) के प्रावधानों के अधीन प्रतिस्थापन करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

(v) प्रतिस्थापन, चयनित इकाई द्वारा ओएमडीए के तहत और उसके अनुसार हवाईअड्डे के संचालन के लिए आवश्यक अपेक्षित भारत सरकार के अनुमोदनों, अनापत्तियों और अनुमतियों को प्राप्त करने तथा इसके अनुच्छेद 3.8 के अनुसार चयनित इकाई में एएआई को शेयरधारिता प्रदान करने के अधीन होगा।

(vi) चयनित इकाई के चयन में ऋणदाताओं और एएआई का निर्णय जेवीसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और इसे जेवीसी की सहमति से किया गया माना जाएगा, परंतु परियोजना समझौतों और लागू विधि के तहत जेवीसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जेवीसी इसके द्वारा किसी भी आधार पर चयनित इकाई के ऐसे चयन पर आपत्ति करने या चुनौती देने के सभी अधिकारों का स्पष्ट रूप से त्याग करता है।

(vii) इसके तहत ऋणदाता एजेंट की सभी कार्यवाहियों को ऋणदाताओं की ओर से, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत और उन पर बाध्यकारी माना जाएगा। ऋणदाता एजेंट इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह प्रतिस्थापन सूचना और वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान, डिफॉल्ट निवारण हेतु भुगतान और किसी भी अन्य भुगतान, हस्तांतरण हेतु प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी ऋणदाताओं की ओर से वैध उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) देने के लिए प्राधिकृत है।

3.2 जेवीसी इसके द्वारा पूर्वोक्त अनुसार प्रतिस्थापन के लिए एएआई को आवेदन करने के ऋणदाता के निर्णय को चुनौती देने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से सहमति देता है और त्यागता है, तथा न तो जेवीसी और न ही एएआई ऋणदाता एजेंट को पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार चयनित इकाई द्वारा जेवीसी के ऐसे प्रतिस्थापन की मांग करने से रोकने के हकदार होंगे।

3.3 उपर्युक्त अनुच्छेद 3.1 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां अनुच्छेद 3.1 के तहत पहले प्रस्ताव की प्राप्ति से एक सौ बीस (120) दिनों की अवधि के भीतर ऋणदाता एजेंट द्वारा एएआई को स्वीकार्य कोई उपयुक्त नई इकाई नहीं मिल पाती है, तो एएआई को प्रतिस्थापन के प्रयोजनों हेतु एक नामित व्यक्ति (नॉमिनी) प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।

3.4(i) यदि एएआई जेवीसी को किसी अन्य व्यक्ति ("एएआई नामित व्यक्ति" / "AAI Nominee") द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के प्रस्तावों पर विचार करते समय अनुच्छेद 2.3 में निर्दिष्ट मानदंडों और ऋणदाता की देय राशियों को ध्यान में रखेगा तथा ऐसे एएआई नामित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन की स्थिति में ऋणदाता एजेंट द्वारा सहमति व्यक्त की गई सीमा तक ऐसे एएआई नामित व्यक्ति द्वारा ऐसे बकाए के भुगतान या अधिग्रहण हेतु ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता एजेंट द्वारा सहमत एक उपयुक्त शर्त शामिल करेगा। एएआई नामित व्यक्ति इसी प्रकार प्रतिस्थापन को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा।

(ii) अनुच्छेद 3.3 और इस अनुच्छेद 3.4 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, एएआई को ओएमडीए की निरंतरता के दौरान किसी भी समय, या किसी भी कारण से ओएमडीए की समाप्ति या समाप्ति पर, ऋणदाता की देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय ओएमडीए के तहत ऐसी समाप्ति/अवसान पर देय और भुगतान योग्य हस्तांतरण भुगतानों (Transfer Payments) की सीमा तक। ऐसी स्थिति में एएआई का दायित्व ऐसी देनदारियों और

देय राशियों के भुगतान को ग्रहण करने तक ही सीमित होगा, जैसा कि एएआई ओएमडीए के तहत सहमत हुआ है।

3.5 इसमें निहित किसी भी बात का अर्थ एएआई द्वारा किसी गारंटी या जमानत (surety) का प्रावधान नहीं होगा या ऐसा नहीं माना जाएगा और यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि एएआई ने ऋणदाताओं की देय राशियों के किसी भी हिस्से की वसूली के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जमानत, गारंटी या काउंटर गारंटी प्रदान नहीं की है।

3.6 प्रतिस्थापन की स्थिति में, ऐसे प्रतिस्थापन के दिन विद्यमान किसी भी उल्लंघन या व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) को दूर करने के लिए चयनित इकाई/एएआई नामित व्यक्ति को सक्षम करने हेतु एक सौ अस्सी (180) दिनों की अतिरिक्त समाधान अवधि (cure period) प्रदान की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि व्यतिक्रम की प्रकृति का निवारण करने में अधिक समय लगेगा, तो चयनित इकाई को एएआई के साथ एक उपयुक्त समय सारिणी और निवारण कार्यक्रम पर सहमत होना चाहिए। निवारण अवधि को तब उस समय सारिणी से मेल खाने के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

3.7 यदि चयनित इकाई ऐसी अवधि के भीतर ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम का निवारण करने में या ऋणदाताओं की देय राशियों का ऐसा भुगतान करने में विफल रहती है, तो ऋणदाता एजेंट को एक नोटिस देकर एएआई से ओएमडीए को समाप्त करने की मांग करने और ओएमडीए के अनुच्छेद 17.3.1 (c) के तहत समाप्ति मूल्य निर्धारित करने की मांग करने का अधिकार होगा।

3.8 इसके पक्षकार यहां परिकल्पित प्रतिस्थापन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक ऐसे समझौतों को निष्पादित करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं। चयनित इकाई आगे स्पष्ट रूप से एएआई को चयनित इकाई में उसी प्रतिशत शेयरधारिता को प्राप्त करने/अभिदान करने का अधिकार देने का वचन देगी (यदि इसे यहां प्रदान किए गए तरीके से चुना जाता है) जैसा कि प्रतिस्थापन की तारीख पर जेवीसी में एएआई के पास है, यदि एएआई द्वारा ऐसा चाहा जाता है, शेयरधारकों के समझौते (Shareholders Agreement) में निर्धारित नियमों और शर्तों पर।

अनुच्छेद 4

एएआई के अधिकार

4.1 ऋणदाता एजेंट और जेवीसी स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि ऋणदाता व्यतिक्रम नोटिस या समाप्ति के आशय की सूचना जारी होने पर और नोटिस वापस लिए जाने/दोष निवारण किए बिना उसके लिए लागू समाधान अवधि समाप्त हो जाने पर, यहां अनुच्छेद 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिस्थापन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बावजूद, एएआई को इस समझौते के तहत प्रतिस्थापन के अनुसार संचालन होने या ऐसे डिफॉल्ट के निवारण तक, जो भी पहले हो, जेवीसी के जोखिम और लागत पर अच्छी उद्योग प्रथा (Good Industry Practice) के अनुसार हवाईअड्डे के संचालन और रखरखाव को अपने हाथ में लेने तथा उसे संचालित एवं अनुरक्षित करने का अधिकार होगा, परंतु दायित्व नहीं।

4.2 ऋणदाता एजेंट स्वीकार करता है कि एएआई ओएमडीए की शर्तों के अनुसार समाप्ति के आशय की सूचना जारी करने का हकदार होगा।

4.3 पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते में निहित कोई भी बात परियोजना समझौतों में से किसी के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने की एएआई की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 5

समाप्ति भुगतानों को प्राप्त करने का ऋणदाताओं का अधिकार

5.1 एएआई और जेवीसी इसके द्वारा सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएआई ओएमडीए के तहत सभी हस्तांतरण भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा और ऋणदाता, जेवीसी के किसी अन्य संदर्भ या सहमति के बिना, ऋणदाताओं की देय राशियों की संतुष्टि के लिए और उस सीमा तक उसे प्राप्त करने के हकदार होंगे। ऋणदाता और एएआई चयनित इकाई से उपर्युक्त प्रदान किए गए प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त किसी भी प्रतिफल को क्रमशः ऋणदाताओं की देय राशियों और ओएमडीए के तहत उनके देय राशियों के अनुपात में आपस में विनियोजित (appropriate) करने के हकदार होंगे। ऋणदाताओं और एएआई को देय राशियों के भुगतान के बाद कोई भी अतिरिक्त राशि जेवीसी को दी जाएगी।

5.2 जेवीसी इसके द्वारा ऋणदाता एजेंट को इसके अनुसरण में चयनित इकाई द्वारा जेवीसी के प्रतिस्थापन के लिए और उपर्युक्त अनुच्छेद 5.1 के अनुसरण में ऋणदाताओं की देय राशियों के उन्मुक्ति हेतु प्रतिफल प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए अपने गठित अटॉर्नी के रूप में नामित, गठित और नियुक्त करता है।

5.3 जेवीसी इसके द्वारा एएआई द्वारा एस्क्रो खाते में हस्तांतरण भुगतान के मद में राशियों के भुगतान को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है तथा ऋणदाता एजेंट को जेवीसी द्वारा ऋणदाताओं और/या एएआई के विरुद्ध किसी भी विवाद या आपत्ति या दावे के लंबित रहने के बावजूद ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए उसी से आहरण करने के लिए अधिकृत करता है। एएआई द्वारा एस्क्रो खाते में जमा करना और इस समझौते के अनुसार सीधे या ऋणदाता एजेंट के माध्यम से ऋणदाताओं को भुगतान करना, जेवीसी को उसके भुगतान के दायित्व का वैध निर्वहन माना जाएगा। ऐसे सभी भुगतानों पर वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं का प्रभार होगा और नियुक्त किसी भी रिसीवर या लिक्विडेटर के अपवर्जन पर ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता एजेंट द्वारा एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

सामान्य

6.1 जानबूझकर छोड़ दिया गया

6.2 इसके पक्षकार स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और वारंट करते हैं कि वे इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए विधिवत सशक्त हैं और ऋणदाता एजेंट प्रत्येक ऋणदाता द्वारा उनकी ओर से इस समझौते में प्रवेश करने के लिए विधिवत और पूरी तरह से प्राधिकृत है।

6.3 इस समझौते के तहत नोटिस सबसे पहले ऊपर उल्लिखित पतों पर भेजे जाएंगे। किसी भी पक्ष के पते में कोई भी परिवर्तन पावती देय पंजीकृत डाक द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा और अन्य पक्षों को वितरित किया जाएगा।

6.4 यहाँ प्रयुक्त “एएआई”, “जेवीसी”, “ऋणदाता” और “ऋणदाता एजेंट” अभिव्यक्तियों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न हो, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे।

6.5 यह समझौता किसी भी ऋणदाता, ऋणदाता एजेंट या एएआई के पुनर्गठन से प्रभावित नहीं होगा और ऐसे ऋणदाता, ऋणदाता एजेंट या एएआई के हित के उत्तराधिकारी को इस समझौते का लाभ मिलेगा।

6.6 इस समझौते में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या रूपांतरण तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न किया गया हो और इसके सभी पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित न किया गया हो।

6.7 सभी स्टॉप शुल्क या अन्य कर (imposts) और प्रभार जो इस समझौते पर या पूर्वोक्त अनुसार प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए ओएमडीए के संशोधन पर या नए ओएमडीए के निष्पादन पर लागू होते हैं, चयनित इकाई द्वारा वहन किए जाएंगे और उसके खाते में होंगे। ऋणदाताओं द्वारा फिलहाल ऐसा भुगतान किए जाने की स्थिति में, इसे ऋणदाताओं की देय राशियों का एक हिस्सा माना जाएगा।

6.8 पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते को पूर्ण और उचित प्रभाव देने के उद्देश्य से, ओएमडीए और इस समझौते को एक साथ पढ़ा जाएगा और सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की जाएगी। इस समझौते के साथ किसी भी असंगति की स्थिति में ओएमडीए की शर्तें प्रभावी होंगी।

6.9 इस समझौते के तहत ऋणदाता एजेंट का परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन हमेशा प्रत्येक संबंधित ऋणदाता का परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन माना जाएगा और प्रत्येक ऐसा ऋणदाता उसी से बाध्य होगा और इसके द्वारा उस पर सवाल उठाने या विवाद करने के अपने अधिकार का त्याग करता है।

6.10 जेवीसी और ऋणदाताओं के बीच, यह समझौता वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के अतिरिक्त होगा और उनके अल्पीकरण में नहीं होगा।

6.11 इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने से पहले ऋणदाताओं या ऋणदाता एजेंट के लिए उनके पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करना या समाप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

6.12 यह समझौता भारतीय विधि द्वारा शासित होगा और इसके अनुसार समझा जाएगा तथा नीचे दिए गए अनुच्छेद 6.13 के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

6.13 इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को (भारतीय) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत तीन (3) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। उत्तरदाताओं और दावेदारों में से प्रत्येक एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो (2) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (एक साथ मिलकर "मध्यस्थता अधिकरण" / "Arbitral Tribunal" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। यह अनुच्छेद 6.13 इस समझौते की समाप्ति या अवसान के बाद भी प्रभावी रहेगा। मध्यस्थता की शासी विधि भारत के मूल कानून (substantive laws of India) होंगे।

जिसके साक्ष्य के रूप में, इसके पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित और प्रदत्त
द्वारा (BY): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Title): _____

[] लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित और प्रदत्त

द्वारा (BY): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Title): _____

ऋणदाता एजेंट की ओर से हस्ताक्षरित और प्रदत्त

द्वारा (BY): _____

नाम (Name): _____

पदनाम (Title): _____

अनुसूची 1

ऋणदाता

[हस्ताक्षर किए जाने पर वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार सूची प्रदान की जाएगी]

अनुसूची 2

चयनित इकाई के संबंध में सूचना एवं विवरण

अनुसूची 10

संक्रमण योजना

सफल बोलीदाता के प्रस्ताव से संलग्न किया जाना है

अनुसूची 11

बीमा सूची

1. प्रभावी तिथि से कराया जाने वाला बीमा

1.1 लागू विधि के अधीन रहते हुए, जेवीसी (संयुक्त उद्यम कंपनी) को अपनी लागत और व्यय पर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस पैरा में निर्दिष्ट बीमा प्रभावी तिथि से कराए जाएं और शेष अवधि के लिए पूर्ण प्रभाव में बनाए रखे जाएं:

(क) हवाईअड्डे को होने वाले भौतिक नुकसान या क्षति (उस पर स्थित सभी परिसंपत्तियों सहित, जिसमें वैमानिक परिसंपत्तियां, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां और विद्यमान परिसंपत्तियां शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) तथा हवाईअड्डे पर स्थित सभी या किसी भी संरचना (अस्थायी संरचनाओं सहित), संयंत्र (किराए पर लिए गए संयंत्र सहित) और उपकरण, जिसमें कंप्यूटर उपकरण एवं वाहन शामिल हैं, के पूर्ण पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन लागत (पेशेवर शुल्क और मलबा हटाने की लागत हेतु भत्ते सहित) तक के लिए "समस्त जोखिम" बीमा, जैसा कि ऐसी बीमा पॉलिसियों द्वारा प्रथागत रूप से कवर किया जाता है, जिसे ऐसी पूर्ण पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन लागत को बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाया जाएगा।

(ख) व्यापार व्यवधान बीमा, ताकि जेवीसी को उसके राजस्व के संबंध में कम से कम छह (6) महीने की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके, यदि पैरा 1.1(क) के तहत बीमित कोई संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक सेवाओं में व्यवधान या हस्तक्षेप उत्पन्न होता है।

(ग) जेवीसी और उसके किसी भी एजेंट, सेवक, कर्मचारी और ठेकेदार, किसी तीसरे पक्ष, विमान प्रचालक, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ता या अन्यथा के किसी विधिक दायित्व (legal liability) के संबंध में, अथवा हवाईअड्डे के निर्माण, रखरखाव, संचालन और/या प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले नुकसान या क्षति के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के दायित्व हेतु बीमा, जिसमें मृत्यु या शारीरिक चोट या बीमारी, संपत्ति की हानि या क्षति (उपयोग के परिणामी नुकसान सहित) शामिल है, ऐसी राशि तक जो हवाईअड्डे के समान आकार और

विशेषताओं वाले हवाईअड्डे के एक विवेकशील प्रचालक (prudent operator) द्वारा कराई जाती है, और प्रत्येक मामले में जो स्वयं-बीमा (प्रथागत कटौतियों को छोड़कर) नहीं करता है।

(घ) जेवीसी के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके लिए जेवीसी उत्तरदायी है, की मृत्यु और/या शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के संबंध में जेवीसी का कोई भी विधिक दायित्व।

1.2 इस अनुसूची 11 के अनुसरण में कराए गए और बनाए रखे गए सभी बीमाओं में समय-समय पर प्रथागत न्यूनतम कटौतियों के समतुल्य कटौतियों द्वारा स्वयं-बीमा का प्रावधान शामिल होना चाहिए और इसमें ऐसे अपवर्जन या अपवाद शामिल हो सकते हैं जो उस प्रकार की पॉलिसी और पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिम के आकार के लिए समय-समय पर प्रथागत हों।

2. अतिरिक्त बीमा

2.1 जेवीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैराग्राफ 1.1(a) से 1.1(d) के अनुसरण में ली गई प्रत्येक पॉलिसी को समय-समय पर ऐसी राशियों (और ऐसी कटौतियों के साथ) तक बढ़ाया या घटाया जाए, जैसा कि हवाईअड्डे के समान आकार और विशेषताओं वाले हवाईअड्डे के एक विवेकशील प्रचालक द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक मामले में जो स्वयं-बीमा नहीं करता है (प्रथागत कटौतियों को छोड़कर) तथा बीमा के लिए अन्य आवश्यकताओं या संशोधनों, बीमा के लिए व्यापक कवर या अतिरिक्त बीमा निर्धारित करता है जैसा कि प्रथागत हो जाता है।

2.2 इस अनुसूची के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जेवीसी को पूरी अवधि के दौरान:

2.2.1 समय-समय पर उन बीमाओं को पूर्ण प्रभाव से लागू और बनाए रखना चाहिए जो किसी लागू विधि द्वारा या हवाईअड्डे के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध की शर्तों द्वारा अपेक्षित हैं; तथा

2.2.2 उन बीमाओं को पूर्ण प्रभाव से लागू और बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए जो किसी भी अन्य अनुबंध की शर्तों द्वारा आवश्यक हैं जिसका वह किसी भी समय एक पक्षकार है।

2.3 जेवीसी किसी भी समय इस अनुसूची में अन्यत्र संदर्भित बीमाओं के अतिरिक्त या पूरक के रूप में ऐसे अन्य बीमा करा सकता है जिन्हें वह उचित समझे। जेवीसी ऐसे किसी भी अतिरिक्त या पूरक बीमा के बारे में एएआई को सूचित करेगा।

अनुसूची 12

संविदा प्रक्रियाएं

जेवीसी का कोई भी शेयरधारक (और न ही उसकी कोई समूह इकाई), जिसका अनुबंध में कोई हित है, अनुबंध के प्रारूप (डिजाइन), संविदा प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है।

जहां जेवीसी का कोई शेयरधारक (या उसकी कोई समूह इकाई) अनुबंध के लिए निविदा (टेंडर) प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, वहां पूर्ण रूप से निष्पक्ष व्यवस्था (निष्पक्ष लेन-देन की व्यवस्था) सुनिश्चित करने हेतु निविदा की समीक्षा और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक जेवीसी या उसके किसी शेयरधारक की समूह इकाई नहीं होगा। जेवीसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संदर्भ की उचित शर्तों और स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक की चयन प्रक्रिया से सहमत होगा।

अनुसूची 13

एस्करो खाता समझौता

मध्य

[]

कंपनी के रूप में

एवं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एवं

[]

एस्करो बैंक के रूप में

एस्करो खाता समझौता

यह एस्करो खाता समझौता (यह "समझौता") नई दिल्ली में दिनांक को निम्नलिखित के मध्य निष्पादित किया गया:

1. [], [कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी / बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत एक बैंकिंग कंपनी], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "एस्करो बैंक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष;
2. [], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे इसके बाद "कंपनी" या "जेवीसी" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष; तथा
3. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित है, जिसका प्रधान कार्यालय में स्थित है, जो अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) तृतीय पक्ष।

एस्करो बैंक, कंपनी और एएआई को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा।

जबकि:

(क) एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में हवाईअड्डों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ख) कंपनी एएआई और कतिपय निजी संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ हवाईअड्डे (यथा परिभाषित) को बढ़ावा देने, स्थापित करने, विकसित करने, डिजाइन करने, प्रबंधित

करने, वित्तपोषित करने, संचालित करने और अनुरक्षित करने के उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है।

(ग) एएआई और कंपनी ने दिनांक को एक परिचालन, प्रबंधन और विकास समझौता (जिसे इसके बाद "ओएमडीए" / "ओएमडीए" कहा जाएगा) निष्पादित किया है, जिसके तहत एएआई ने कंपनी को परियोजना (यथा परिभाषित) को शुरू करने का अधिकार प्रदान किया है, और कंपनी उसमें निहित नियमों और शर्तों पर परियोजना को शुरू करने के लिए सहमत हुई है।

(घ) ओएमडीए की शर्तों के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी की सभी प्राप्य राशियां यथा परिभाषित) कंपनी द्वारा एक एस्करो खाते में जमा की जाएंगी और वहां से एक विशेष प्राथमिकता क्रम में वितरित की जाएंगी।

(ङ) यह समझौता ऐसे एस्करो खाते के लिए विस्तृत अधिदेश, नियम और शर्तें तथा संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।

अब, इसलिए, इसमें निहित प्रतिज्ञाओं के प्रतिफल के रूप में, इसके पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं

1.1 इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बड़े अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ नीचे दिया गया होगा:

"एएआई शुल्क" : किसी भी माह के लिए, ओएमडीए की शर्तों के तहत जेवीसी द्वारा एएआई को देय राशियां अभिप्रेत हैं, जैसा कि एएआई द्वारा पूर्ववर्ती माह की 1 तारीख तक एस्करो बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र में प्रमाणित किया गया हो और जैसा कि पूर्ववर्ती माह के दौरान एएआई द्वारा संशोधित किया गया हो। बशर्ते कि प्रभावी तिथि के बाद पहले महीने के लिए, लागू एएआई शुल्क वही होगा जो एएआई द्वारा इसके निष्पादन के साथ ही एस्करो बैंक को प्रदान किया जाएगा।

"प्राधिकृत निवेश": क्रिसिल द्वारा कम से कम एएए रेटेड या केयर/इक्रा द्वारा समकक्ष रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश, अथवा क्रिसिल द्वारा कम से कम एएए रेटिंग या इक्रा/केयर द्वारा समकक्ष रेटिंग वाले बैंकों में सावधि जमा अभिप्रेत हैं।

"लाभार्थी पक्षकार" : सामूहिक रूप से कंपनी और एएआई अभिप्रेत हैं, और "लाभार्थी पक्षकार" व्यक्तिगत रूप से उनमें से प्रत्येक को संदर्भित करता है।

"कार्य दिवस" : सप्ताह का कोई भी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) जिस पर नई दिल्ली में बैंक आमतौर पर व्यवसाय के लिए खुले होते हैं।

"विवाद" : इस समझौते से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षों के बीच कोई भी विवाद, मतभेद, प्रश्न या असहमति अभिप्रेत है।

"व्यतिक्रम की घटना" : ओएमडीए के तहत जेवीसी के व्यतिक्रम की घटना अभिप्रेत है, जैसा कि एएआई द्वारा एस्क्रो बैंक को इस संबंध में लिखित नोटिस में प्रमाणित किया गया हो।

"माह" : कैलेंडर माह अभिप्रेत है।

"प्राथमिकता नकदी प्रवाह अनुप्रयोग" : का वही अर्थ होगा जो नीचे धारा 3.5(ख)(क) में दिया गया है।

"परियोजना" : हवाईअड्डे का संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन अभिप्रेत है।

"प्राप्य राशियां" : किसी भी स्रोत से हवाईअड्डे से या उसके संबंध में जेवीसी को प्रोद्भूत होने वाले कोई भी और सभी नकदी प्रवाह और नकदी प्राप्तियां अभिप्रेत हैं, जिसमें उसके ऋण समझौतों के तहत किसी भी आहरण से प्राप्त समस्त आय, जेवीसी द्वारा प्राप्त कोई भी इक्विटी फंडिंग, करों की वापसी (रिफंड), किसी भी प्रदर्शन बांड, साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) और समान प्रकृति के उपकरणों तथा किसी भी बीमा अनुबंध से प्राप्त आय सहित किसी भी स्रोत से जेवीसी को देय या देय होने वाली कोई भी और सभी राशियां शामिल हैं।

"सांविधिक देय राशियां" : किसी भी माह के लिए, उस माह के लिए जेवीसी की कर देनदारी (Tax liability) अभिप्रेत है, जैसा कि पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिन तक कंपनी द्वारा प्राप्त कर एस्करो बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र में किसी तीसरे पक्ष कर सलाहकार द्वारा प्रमाणित किया गया हो, और जैसा कि पूर्ववर्ती माह के दौरान ऐसे तीसरे पक्ष कर सलाहकार द्वारा संशोधित किया गया हो।

"कर" : लागू विधि के तहत देय कर, शुल्क, प्रभार, उपकर , उपकर शुल्क और ऐसे अन्य समरूप भुगतान अभिप्रेत हैं।

यहाँ प्रयुक्त अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और यहाँ परिभाषित नहीं हैं) परंतु ओएमडीए के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो ओएमडीए के तहत दिया गया है।

1.2 इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ओएमडीए के अनुच्छेद 1.2 में उल्लिखित व्याख्या और निर्माण के नियम लागू होंगे।

2. एस्करो खाते की स्थापना और न्यास की घोषणा

2.1 खातों की स्थापना

कंपनी और एस्करो बैंक पुष्टि करते हैं कि एस्करो बैंक ने एस्करो बैंक की नई दिल्ली शाखा में कंपनी के नाम पर "**एस्करो खाता**" शीर्षक से एक खाता स्थापित किया है। इस समझौते के प्रयोजनों के लिए एस्करो खाते के निम्नलिखित उप-खाते होंगे, जिनका रखरखाव, नियंत्रण और संचालन एस्करो बैंक द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:

(क) एस्करो बैंक द्वारा अनुरक्षित, नियंत्रित और संचालित एक उप-खाता, जिसका शीर्षक "**प्राप्य खाता**" होगा;

(ख) एस्करो बैंक द्वारा अनुरक्षित, नियंत्रित और संचालित एक उप-खाता, जिसका शीर्षक "**आय खाता**" होगा, जिसके निम्नलिखित उप-खाते होंगे:

(i) एस्करो बैंक द्वारा अनुरक्षित, नियंत्रित और संचालित एक उप-खाता, जिसका शीर्षक "**सांविधिक देय खाता**" होगा;

(ii) एस्करो बैंक द्वारा अनुरक्षित, नियंत्रित और संचालित एक उप-खाता, जिसका शीर्षक "**एआई शुल्क**"

खाता" होगा; तथा

(iii) एस्क्रो बैंक द्वारा अनुरक्षित, नियंत्रित और संचालित एक उप-खाता, जिसका शीर्षक "**अधिशेष खाता**" होगा।

2.2 न्यास की घोषणा

कंपनी इसके द्वारा लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए एस्क्रो बैंक के पास ₹100 (एक सौ रुपये) की राशि न्यास (ट्रस्ट) में जमा करती है। कंपनी आगे घोषणा करती है कि ट्रस्ट, प्राप्य राशियों, एस्करो खाते, उसमें मौजूद धनराशि और एस्करो खाते से किए गए प्राधिकृत निवेशों तथा उसके संबंध में हक के किसी भी दस्तावेज में सभी विधिक अधिकार, स्वत्व और हित एस्करो बैंक में निहित होंगे और इस समझौते की शर्तों के अनुसार लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए रखे जाएंगे और उनके संबंधित हित इसमें प्रदान किए गए हैं। एस्करो बैंक इसके द्वारा इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर घोषित ट्रस्ट में ₹100 की उपरोक्त राशि को स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि समय-समय पर एस्करो खाते में जमा की गई कोई भी राशि इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी। लाभार्थी पक्षों के अलावा किसी अन्य इकाई के पास इस समझौते के तहत लाभार्थियों के रूप में या तीसरे पक्ष के लाभार्थियों के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

2.3 आहरण का सामान्य अधिकार (General Right of Withdrawal)

एस्करो बैंक इस समझौते के अनुसार किए जाने वाले अंतरण या आहरण के अलावा कोई अन्य अंतरण या आहरण नहीं करेगा, जब तक कि एस्करो बैंक को ऐसे उपयोग को अधिकृत करने वाले लाभार्थी पक्षों के पूर्व लिखित निर्देश प्राप्त न हुए हों।

3. एस्करो खाता

एस्करो खाते में निम्नलिखित उप-खाते शामिल होंगे:

3.1 प्राप्य खाता

(क) प्राप्य खाते में जमा: कंपनी इसके द्वारा वचन देती है कि वह अपनी सभी प्राप्य राशियां (Receivables) प्राप्त होने के तुरंत बाद प्राप्य खाते में जमा करेगी।

(ख) प्राप्य खाते से आहरण : प्राप्य खाते में धनराशि प्राप्त होने के तुरंत बाद, एस्क्रो बैंक ऐसी धनराशि को निकालेगा और उसे आय खाते में जमा करेगा।

3.2 आय खाता

आय खाता एस्क्रो बैंक द्वारा अपनी नई दिल्ली शाखा में कंपनी के नाम पर स्थापित किया जाएगा।

(क) आय खाते में जमा :

(i) एस्क्रो बैंक इस समझौते की धारा 3.1 के अनुसार, ऐसे जमा के तुरंत बाद प्राप्य खाते में जमा धनराशि को आय खाते में स्थानांतरित करेगा।

(ख) आय खाते से आहरण : जब तक कोई व्यतिक्रम की घटना न हो, किसी भी तारीख पर, एस्क्रो बैंक आय खाते में जमा राशियों को केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए और प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में निकालेगा (इसके बाद "प्राथमिकता नकदी प्रवाह अनुप्रयोग"):

(i) सांविधिक देय खाते (Statutory Dues Account) में राशि का भुगतान करने के लिए, ताकि किसी भी माह के अंतिम दिन तक उस माह में स्थानांतरित की गई राशि आगामी माह के मासिक सांविधिक देय राशि के बराबर हो।

(ii) एएआई शुल्क खाते में राशि का भुगतान करने के लिए, ताकि किसी भी माह के अंतिम दिन तक उस माह में स्थानांतरित की गई राशि आगामी माह के मासिक एएआई शुल्क के बराबर हो।

(iii) ओएमडीए के तहत जेवीसी द्वारा एएआई को देय एएआई शुल्क के अलावा अन्य राशियों (यदि कोई हो) का भुगतान करने के लिए, जैसा कि एएआई द्वारा एस्क्रो बैंक को लिखित रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(iv) किसी भी और सभी शेष राशियों का भुगतान अधिशेष खाते में करने के लिए।

(ख) इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी माह में, धारा 3.2(B)(a) के अनुसार किसी भी उप-खाते में स्थानांतरण के लिए आय खाते (Proceeds Account) में उपलब्ध धनराशि धारा 3.2(B)(a) के अनुसार प्रत्येक उप-खाते में भुगतान किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के भुगतान के लिए अपर्याप्त है, तो

एस्करो बैंक प्राथमिकता नकदी प्रवाह अनुप्रयोग के अनुसार संबंधित उप-खाते में धनराशि स्थानांतरित करेगा।

3.3 सांविधिक देय खाता

सांविधिक देय खाता एस्करो बैंक द्वारा नई दिल्ली में कंपनी के नाम से स्थापित किया जाएगा।

(क) सांविधिक देय खाते से आहरण

धारा 3.2(ख)(क)(i) के अनुसार सांविधिक देय खाते में किसी भी राशि के जमा होने पर, एस्करो बैंक सांविधिक देय खाते से ऐसी राशियां निकालेगा जो लागू विधि के तहत अपेक्षित सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक हों।

3.4 एएआई शुल्क खाता

एएआई शुल्क खाता एस्करो बैंक द्वारा नई दिल्ली में कंपनी के नाम से स्थापित किया जाएगा।

(क) एएआई शुल्क खाते से आहरण

धारा 3.2(ख)(क)(ii) के अनुसार एएआई शुल्क खाते में किसी भी राशि के जमा होने पर, एस्करो बैंक एएआई शुल्क खाते से ऐसी राशियां निकालेगा जो एएआई द्वारा अपेक्षित हों।

3.5 अधिशेष खाता

अधिशेष खाता एस्करो बैंक द्वारा कंपनी के नाम से स्थापित किया जाएगा।

(क) अधिशेष खाते से आहरण

एस्करो बैंक कंपनी से इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, अधिशेष खाते से समय-समय पर ऐसी राशियों का कंपनी को भुगतान करेगा जैसा कि कंपनी निर्देशित करे।

बशर्ते कि ऋणदाताओं या उनके एजेंट/ट्रस्टी से निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में, एस्करो बैंक अधिशेष खाते और उसमें मौजूद राशियों के संबंध में ऋणदाताओं (या उनके एजेंट/ट्रस्टी) के निर्देशों का पालन करेगा।

4. प्राधिकृत निवेश

4.1 निवेश करने की शक्ति

(i) जब तक एस्क्रो बैंक को व्यतिक्रम की घटना (Event of Default) के संबंध में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते (और उसके अंतर्गत किसी भी उप-खाते) में जमा राशियों से, इस समझौते में उल्लिखित प्राधिकृत निवेशों ("अनुमत निवेश") में निवेश करेगा, और प्रत्येक मामले में उन राशियों के संबंध में जिन्हें अगली बार स्थानांतरित या आहरित किए जाने का अनुमान है, उसके संबंध में अनुमत निवेश की निर्धारित परिपक्वता इस समझौते के अनुसार ऐसे खाते से ऐसे अगले अनुमानित नकदी आहरण या स्थानांतरण से बाद की नहीं होगी।

(ii) व्यतिक्रम की घटना के घटित होने पर तथा उसके जारी रहने के दौरान, ऐसे कोष का निवेश और पुनर्निवेश एआई की सहमति से प्राधिकृत निवेशों में किया जाएगा।

(iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 एस्क्रो खाते की राशियों के प्राधिकृत निवेशों में निवेश पर लागू नहीं होगी।

5. एस्क्रो बैंक संबंधी प्रावधान

5.1 एस्क्रो बैंक और लाभार्थी पक्षकार

(क) लाभार्थी पक्षकार इसके द्वारा इसके संबंध में लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए एस्क्रो बैंक को नियुक्त करते हैं, और एस्क्रो बैंक को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं जो विशेष रूप से इसके नियमों द्वारा एस्क्रो बैंक को प्रत्यायोजित किए गए हैं, साथ ही ऐसे सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विवेकाधिकार जो इसके लिए उचित रूप से प्रासंगिक हैं, और एस्क्रो बैंक इसके नियमों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करता है।

(ख) जेवीसी इसके द्वारा इसके तहत एस्क्रो बैंक के रूप में कार्य करने के प्रतिफल के रूप में एस्क्रो बैंक को [] रुपये प्रति [] का शुल्क भुगतान करने के लिए सहमत है।

5.2 एस्क्रो बैंक के दायित्व

एस्क्रो बैंक:

(क) इसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार केवल उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जो इस समझौते में निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं, और आगे सद्भावपूर्वक तथा बिना किसी लापरवाही के कार्य करने का वचन देता है;

(ख) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी तथ्य के ऐसे मामले के संबंध में जो उचित रूप से कंपनी के ज्ञान में होने की अपेक्षा की जा सकती है, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है;

(ग) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी ऐसे संचार या दस्तावेज की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;

(घ) प्राप्ति के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर, कंपनी या किसी अन्य संस्था से एस्क्रो बैंक द्वारा (एस्करो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में) प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति एएआई को सौंपेगा;

(ङ.) प्राप्ति के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर, इसके संबंध में एएआई या किसी संस्था से एस्करो बैंक द्वारा (एस्करो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में) प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति कंपनी को सौंपेगा; तथा

(च) इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी लाभार्थी पक्ष को किसी भी भुगतान के देय होने की किसी भी तारीख से सात (7) कार्य दिवस पहले, इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार देय किसी भी भुगतान को करने हेतु एस्करो खाते (या उसके अंतर्गत किसी भी खाते) में किसी भी अनुमानित कमी के बारे में एएआई को नोटिस प्रदान करेगा।

6. अवधि और समाप्ति

6.1 यह समझौता, जब तक कि पक्षों की पारस्परिक सहमति से या अन्यथा लाभार्थी पक्षों द्वारा एस्करो बैंक को लिखित नोटिस देकर इस धारा के प्रावधानों के अनुसार पहले समाप्त न कर दिया जाए, ओएमडीए (ओएमडीए) की पूरी अवधि तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगा।

6.2 एएआई, कंपनी के साथ परामर्श के बाद, किसी भी समय किसी कारण से या बिना किसी कारण के एस्करो बैंक को हटा सकता है, और कंपनी, एस्करो बैंक और उत्तराधिकारी एस्करो बैंक को ऐसी कार्रवाई की लिखित सूचना देकर एक उत्तराधिकारी एस्करो बैंक (Successor Escrow Bank) नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते हालांकि कि यदि व्यतिक्रम की घटना (Event of Default) घटित हुई है और विद्यमान है, तो एएआई को कंपनी से परामर्श करने (जैसा कि ऊपर अपेक्षित है) की आवश्यकता नहीं होगी।

6.3 यदि किसी भी समय, एस्क्रो बैंक या उसका कोई सहयोगी एक लाभार्थी पक्ष बन जाता है और ऐसे समय के बाद कोई व्यतिक्रम की घटना होती है, तो एस्क्रो बैंक ऐसी व्यतिक्रम की घटना के घटित होने पर तुरंत एस्क्रो बैंक के पद से त्यागपत्र दे देगा, यदि अन्य लाभार्थी पक्षों के एकमात्र निर्णय में (जिसमें इस उद्देश्य के लिए एस्क्रो बैंक शामिल नहीं होगा), इस समझौते के तहत एस्क्रो बैंक के रूप में एस्क्रो बैंक के प्रदर्शन में कोई टकराव या बाधा उत्पन्न होती है, या उत्पन्न होने की उचित संभावना है।

6.4 एस्क्रो बैंक इस समझौते के तहत अपनी सेवाओं को समाप्त करने का हकदार होगा यदि कंपनी/एएआई इस समझौते के तहत एस्क्रो बैंक के प्रति अपने किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व का पालन करने में विफल रहता है और एस्क्रो बैंक द्वारा कंपनी को नोटिस प्राप्त होने के साठ (60) दिनों के भीतर विफलता का समाधान करने में विफल रहता है; बशर्ते कि एएआई ने एक उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक की नियुक्ति की व्यवस्था की हो और एस्क्रो खाते (उसके किसी भी उप-खाते सहित) में जमा राशियों को उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक के साथ स्थापित नए खातों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई हो।

6.5 (i) इस धारा 6 के अनुसार नियुक्त कोई भी उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए और अपने पूर्ववर्ती एस्क्रो बैंक को ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करते हुए एक विलेख (instrument) निष्पादित, स्वीकृत और वितरित करेगा, और उसके बाद पूर्ववर्ती एस्क्रो बैंक का त्यागपत्र या निष्कासन प्रभावी हो जाएगा तथा ऐसा उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक, बिना किसी अन्य कार्य, विलेख या हस्तांतरण के, इसके तहत अपने पूर्ववर्ती के सभी अधिकारों, शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों से संपन्न हो जाएगा, मानो उसे मूल रूप से एस्क्रो बैंक के रूप में नामित किया गया था;

(ii) बशर्ते कि लाभार्थी पक्षों के या उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक के लिखित अनुरोध पर, कार्य करना बंद करने वाला एस्क्रो बैंक ऐसे कदम या कार्रवाइयां करेगा जो लाभार्थी पक्षों द्वारा अपेक्षित हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के ऐसे उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक को ऐसे कार्य करना बंद करने वाले एस्क्रो बैंक के सभी अधिकारों और शक्तियों को स्थानांतरित और समनुदेशित (बिना ऐसे उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व के) करने वाले एक या अधिक विलेखों का निष्पादन और वितरण, तथा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों से संबंधित सभी दस्तावेज,

विलेख आदि लाभार्थी पक्षों को सौंपना शामिल है।

(iii) ऐसे किसी भी उत्तराधिकारी एस्करो बैंक के उचित अनुरोध पर, लाभार्थी पक्ष ऐसे उत्तराधिकारी एस्करो बैंक में ऐसे सभी अधिकारों और शक्तियों को अधिक पूर्ण और निश्चित रूप से निहित करने और प्रदान करने के लिए लिखित रूप में किसी भी और सभी विलेखों को निष्पादित करेंगे।

6.6 कोई भी निगम जिसमें एस्करो बैंक का विलय या परिवर्तन हो सकता है या जिसके साथ इसे समेकित किया जा सकता है, अथवा किसी विलय, परिवर्तन या समेकन के परिणामस्वरूप बनने वाला कोई निगम जिसका एस्करो बैंक एक पक्ष होगा, या निगमित एस्करो बैंक के अधिकारों या व्यवसाय का उत्तराधिकारी कोई निगम, एएआई के अनुमोदन के अधीन, विलय, परिवर्तन या समेकन की कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में अंतरक एस्करो बैंक (transferor Escrow Bank) को मूल रूप से उपलब्ध और प्रदान किए गए सभी अधिकारों, लाभों, दायित्वों और कर्तव्यों के साथ एस्करो बैंक का उत्तराधिकारी होगा।

6.7 बहियां और अभिलेख

6.7.1 एस्करो बैंक एस्करो खाते (और उसके सभी उप-खातों) से संबंधित सभी लेन-देन, जमा, आहरण या धन के हस्तांतरण का सही और पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.7.2 एएआई को कानून में प्रतिबंधों के अधीन एस्करो खाते के संबंध में एस्करो बैंक की ऐसी बहियों और अभिलेखों की समीक्षा करने की अप्रतिबंधित पहुंच होगी। कंपनी एएआई को एस्करो खाते की बहियों और अभिलेखों की समीक्षा करने की अप्रतिबंधित अनुमति देती है और ऐसी बहियों और अभिलेखों के संबंध में मौजूद गोपनीयता के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से छोड़ती है।

6.8 राशि और घटनाओं का निर्धारण

(क) एस्क्रो बैंक निम्नलिखित मामलों के संबंध में विशेष रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा करने का हकदार होगा (जहाँ तक वे एस्क्रो बैंक को सौंपे गए हैं):

(i) व्यतिक्रम की घटनाओं के घटित होने के संबंध में, व्यतिक्रम की घटना का एएआई का संबंधित नोटिस।

(ख) एस्क्रो बैंक एएआई की सहमति से सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी तथ्य या मामले के संबंध में कंपनी के एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है, जिसके निर्धारण का तरीका विशेष रूप से यहां प्रदान नहीं किया गया है।

6.9 प्राधिकृत निवेशों का विवरण

एएआई के अनुरोध पर, और किसी भी स्थिति में, किसी भी कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद पांच (5) कार्य दिवसों से बाद नहीं, एस्क्रो बैंक लाभार्थी पक्षों को उस माह के दौरान अधिग्रहित या निपटान किए गए निवेशों की एक अनुसूची ऐसे विवरण में वितरित करेगा जैसा कि एएआई उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

6.10 गोपनीयता

एस्क्रो बैंक कंपनी या परियोजना के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा एस्क्रो बैंक को उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी ("सूचना") (जिसमें इस समझौते और/या किसी भी और सभी परियोजना समझौतों के नियम और शर्तें शामिल हैं) (चाहे इस समझौते की तारीख से पहले या बाद में) को गोपनीय रखने के लिए सहमत है, और इसके द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष को किसी भी सूचना का संचार न करने या किसी भी सूचना को संप्रेषित न होने देने का वचन और अनुबंध करता है, जब तक कि:

(क) इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में किसी भी कार्यवाही के संबंध में उस सीमा तक जो ऐसा पक्ष अपने हित या एस्क्रो बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझे; अथवा

(ख) सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत के आदेश द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, चाहे दस्तावेजों की खोज की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हो या नहीं; अथवा

(ग) किसी लागू विधि के अनुसरण में जिसके अनुसार ऐसे पक्ष को कार्य करना आवश्यक है; अथवा

(घ) अपने लेखा परीक्षकों (ऑडिएटर्स) को इस उद्देश्य से ताकि लेखा परीक्षक एस्क्रो बैंक का ऑडिट पूरा करने में सक्षम हो सकें, अथवा अपने कानूनी सलाहकारों को जब इस समझौते के संबंध में वास्तविक विधिक सलाह मांगी जा रही हो; अथवा

(ङ.) ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रासंगिक जानकारी कंपनी और/या किसी अन्य लाभार्थी पक्ष द्वारा गोपनीयता से मुक्त परिस्थितियों में प्रकाशित या घोषित की गई हो या अन्यथा संबंधित पक्ष की ओर से चूक के बिना सार्वजनिक डोमेन में आ गई हो; अथवा

(च) सूचना ऐसे एस्क्रो बैंक द्वारा किसी स्वतंत्र या तीसरे पक्ष के स्रोत से प्राप्त की गई थी, जिसने लाभार्थी पक्षों के साथ किसी भी गोपनीयता दायित्व का उल्लंघन नहीं किया था।

6.11 व्यक्तिगत क्षमता में कार्य न करना

इसके द्वारा सृजित न्यासों को स्वीकार करने में, एस्क्रो बैंक पूरी तरह से एस्क्रो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, और परियोजना समझौतों द्वारा परिकल्पित लेन-देन के कारण एस्क्रो बैंक के विरुद्ध दावा रखने वाली सभी संस्थाएं उसके भुगतान या संतुष्टि के लिए केवल कंपनी की ओर देखेंगी, सिवाय जैसा कि इस समझौते में प्रदान किया गया है, उसके जानबूझकर किए गए दुराचार या घोर लापरवाही के परिणामस्वरूप को छोड़कर।

6.12 क्षतिपूर्ति

कंपनी एस्क्रो बैंक को किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, हानियों, क्षतियों, दंडों, कार्रवाइयों, निर्णयों, मुकदमों, लागतों, व्ययों, दावों या किसी भी प्रकार या प्रकृति के संवितरण के लिए क्षतिपूर्ति करेगी जो इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार की बातचीत, संरक्षण या प्रवर्तन के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी तरीके से या इस समझौते के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में एस्क्रो बैंक पर अधिरोपित, उसके द्वारा किए गए या उसके विरुद्ध दावा किए जा सकते हैं (एस्क्रो बैंक की ओर से घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए डिफॉल्ट के कारण किए गए को छोड़कर)।

7. एस्क्रो बैंक और कंपनी के प्रतिवेदन और वारंटियां

एस्क्रो बैंक और कंपनी में से प्रत्येक यह प्रतिवेदन और वारंटी देता है कि वह भारत के कानूनों के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से अस्तित्व में है और उसके पास इस समझौते में प्रवेश करने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने की शक्ति है और उसने इस समझौते के निष्पादन तथा इसके तहत अपने दायित्वों के पालन के लिए आवश्यक सभी कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाइयां की हैं। एस्क्रो बैंक यह प्रतिवेदन और वारंटी देता है कि वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी पक्षों के लाभ के लिए एस्क्रो खाते में सभी

धनराशि को ट्रस्ट में रखेगा और आगे प्रतिवेदन और वारंटी देता है कि उसने इस समझौते के निष्पादन और इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन, परमिट और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं।

8. विविध

8.1 समनुदेशन पर प्रतिबंध

धारा 6 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी और एस्क्रो बैंक, एएआई की पूर्व सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने संबंधित अधिकारों या दायित्वों के किसी भी हिस्से को समनुदेशित या हस्तांतरित नहीं करेंगे। पक्षों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस धारा 8.1 में कुछ भी एएआई को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों, लाभों और दायित्वों को किसी भी इकाई को समनुदेशित, नवीकृत या स्थानांतरित करने से नहीं रोकेगा।

8.2 सूचनाएं

8.2.1 सभी नोटिस इसके पक्षकार को इसके साथ संलग्न अनुसूची क (Schedule A) में निर्दिष्ट उसके पते और संपर्क नंबर पर, या ऐसे अन्य पते और संपर्क नंबर पर भेजे जाएंगे जो ऐसे पक्षकार द्वारा इसके अन्य पक्षों को लिखित नोटिस में निर्दिष्ट किए गए हों।

8.2.2 ऐसे सभी नोटिस और संचार प्रभावी होंगे:

- (i) यदि टैलेक्स द्वारा भेजे गए हों, तो भेजे जाने पर (सही उत्तरबैक के साथ);
- (ii) यदि टेलीकॉपियर (फैक्स) द्वारा भेजे गए हों, तो भेजे जाने पर (सही टेलीकॉपियर नंबर पर पुष्टि प्राप्त होने पर);
- (iii) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजे गए हों, तो सुपुर्द किए जाने पर;
- (iv) यदि कूरियर द्वारा भेजे गए हों, (क) अंतर्देशीय वितरण हेतु ओवरनाइट कूरियर में जमा करने के एक कार्य दिवस बाद और (ख) विदेशी वितरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कूरियर में जमा करने के पांच कार्य दिवस बाद; तथा
- (v) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा, चाहे वह वास्तव में वितरित हुआ हो या नहीं।

8.2.3 टैलेक्स या टेलीकॉपी द्वारा भेजे गए प्रत्येक नोटिस और संचार की एक मूल प्रति व्यक्तिगत रूप से, ओवरनाइट कूरियर द्वारा (यदि अंतर्देशीय वितरण के लिए) या अंतर्राष्ट्रीय कूरियर द्वारा (यदि विदेशी वितरण के लिए) भेजी जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति या कूरियर सेवा उपलब्ध नहीं है, तो डाक शुल्क का पूर्व-भुगतान करके पंजीकृत हवाई डाक (या अंतर्देशीय वितरण के लिए पंजीकृत प्रथम श्रेणी डाक) द्वारा भेजी जाएगी; बशर्ते कि ऐसे

किसी भी नोटिस की प्रभावी तिथि धारा 8.2.2 के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जैसा भी मामला हो, ऐसी मूल प्रति के प्रेषण पर विचार किए बिना।

8.3 कोई अधित्याग नहीं; उपचार किसी भी पक्ष द्वारा इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में विफलता, और प्रयोग करने में कोई देरी, उसके अधित्याग (waiver) या उसके प्रति सहमति के रूप में कार्य नहीं करेगी; और न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकेगा। इसमें प्रदान किए गए उपचार संचयी हैं और लागू विधि द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उपचार के अपवर्जक नहीं हैं।

8.4 पृथक्करणीयता

इस समझौते का कोई भी प्रावधान जो किसी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, उस क्षेत्राधिकार के संबंध में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, परंतु इससे इस समझौते के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसा प्रावधान प्रभावित नहीं होगा।

8.5 संशोधन या अधित्याग

इस समझौते के किसी भी प्रावधान में कोई संशोधन या अधित्याग, और न ही इसके पक्षों द्वारा उससे किसी विचलन की सहमति, किसी भी स्थिति में प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और इसके पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो, और फिर ऐसा अधित्याग या सहमति केवल विशिष्ट मामले में और उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए दी गई है।

8.6 शासी विधि

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार समझा जाएगा।

8.7 विवाद निपटान

8.7.1 पक्षकार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे। यदि एक पक्षकार (या पक्षकारों के समूह) ("दावेदार") द्वारा दूसरे पक्षकार (या पक्षकारों के समूह) ("उत्तरदाता") को विवाद की लिखित सूचना देने के तीस (30) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो धारा 8.7.2 से धारा 8.7.7 के प्रावधान लागू होंगे।

8.7.2 इस समझौते या इसमें दिए गए किसी भी प्रावधान की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में कोई भी और सभी विवाद, जिन्हें ऊपर धारा 8.7.1 के अनुसार पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाता है, उन्हें मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

8.7.3 किसी भी विवाद को तीन (3) मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थता अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। दावेदार और उत्तरदाता प्रत्येक मध्यस्थता अधिकरण में एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो मध्यस्थता अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करेगा।

8.7.4 मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय, ऐसे निर्णय के कारणों द्वारा समर्थित, पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8.7.5 मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

8.7.6 मध्यस्थता की शासी विधि भारत के मूल कानून होंगे।

8.7.7 यह अनुच्छेद 8.7 इस समझौते की समाप्ति या अवसान के बाद भी प्रभावी रहेगा।

8.8 नियामकीय अनुमोदन

कंपनी एस्क्रो खाता स्थापित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक सभी नियामकीय अनुमोदनों को प्राप्त करेगी और उसके बाद उन्हें बनाए रखेगी और उनका अनुपालन करेगी।

8.9 शेष राशि की अधिसूचना

प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद सात (7) दिनों के भीतर, एस्क्रो बैंक (माह के) अंतिम कार्य दिवस के अनुसार एस्क्रो खाते में संबंधित शेष राशि (जिसमें उसके तहत प्रत्येक उप-खाते की शेष राशि शामिल है) के बारे में एएआई को सूचित करेगा।

8.10 अतिरिक्त अधिकार

इस समझौते के अनुसरण में पक्षों को प्रदत्त कोई भी अधिकार किसी भी अन्य अधिकार और उपचार के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर या उनके अल्पीकरण में, जो पक्षों के पास परियोजना समझौतों के तहत या अन्यथा किसी भी समय हो सकते हैं।

जिसके साक्ष्य के रूप में कंपनी ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को इस पर और इसके एक डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर लगवा दी है तथा एस्करो बैंक एवं

एएआई ने इसे एक प्राधिकृत अधिकारी के हाथों निष्पादित कराया है।

[कंपनी] के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर उसके निदेशक मंडल के दिनांक [] के संकल्प के अनुसरण में किए गए हैं, जो श्री [] और श्री [], निदेशकों की उपस्थिति में इसके साक्ष्य स्वरूप संलग्न किए गए हैं, जिन्होंने इसके साक्ष्य के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए हैं और प्राधिकृत अधिकारी / कंपनी सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए हैं।

(कंपनी हेतु मुहर एवं हस्ताक्षर)

[एस्क्रो बैंक] की ओर से उसके प्राधिकृत अधिकारी के हाथों हस्ताक्षरित और प्रदत्त।

हस्ताक्षर / प्राधिकृत अधिकारी

एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) की ओर से उसके प्राधिकृत अधिकारी के हाथों हस्ताक्षरित और प्रदत्त।

हस्ताक्षर / प्राधिकृत अधिकारी

अनुसूची क
पक्षकारों को सूचना
कंपनी

पक्षकार का नाम : _____

पता : _____

टेलीफोन नंबर : _____

फैक्स नंबर : _____

ध्यानाकर्षण : _____

एस्क्रो बैंक

पक्षकार का नाम : _____

पता : _____

टेलीफोन नंबर : _____

फैक्स नंबर : _____

ध्यानाकर्षण : _____

एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / AAI)

पक्षकार का नाम (Name of Party): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA)

पता : _____

टेलीफोन नंबर : _____

फैक्स नंबर : _____

ध्यानाकर्षण : _____

अनुसूची 14
प्रारंभिक विकास योजना

[सफल बोलीदाताओं के प्रस्ताव से संलग्न किया जाना है]

अनुसूची 15

विशेषज्ञों की सूची¹

[सफल बोलीदाताओं के प्रस्ताव से संलग्न किया जाना है]

1. श्री श्रीनिवास बोम्मिडाला
2. श्री ब्रूस बेंजामिन
3. श्री शिरीष नवलकर
4. श्री पी. पी. सुकुमारन
5. सुश्री सबाइन ट्रेंक
6. श्री गर्ड बेइन्सेन
7. श्री अंसगार सिकेंट
8. श्री आई. पी. राव
9. श्री टी. एस. एस. वी. लक्ष्मीनारायण
10. श्री पी. वी. एन. विजयकुमार
11. श्री सुमंत नायक
12. श्री आर. राम मोहन
13. श्री रोहिणी रमण
14. श्री के. एन. विश्वनाथ
15. श्री सी. पी. सौंदरराजन
16. श्री जी. सुब्बाराव
17. श्री एस. रवि शंकर

¹ समय-समय पर संबंधित विशेषज्ञों के साथ जेवीसी द्वारा उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित।

अनुसूची 16
अत्यावश्यक सेवाएं

- शौचालय ;
- ट्रॉलियां ;
- यात्री सामान प्रबंधन; एवं
- पेयजल ।

अनुसूची 17

बोली बांड का प्रारूप

बैंक गारंटी सं. _____ दिनांक _____

गारंटी का यह विलेख ("बोली बांड") [स्थान] पर दिनांक [] को [बैंक का नाम] द्वारा, जिसका प्रधान / पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "गारंटीकर्ता" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

पक्ष में:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा जाएगा), जिसका कार्यालय [] में स्थित है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे:

चूंकि मेसर्स [], एक [इकाई का प्रकार]² [कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत, जिसका पंजीकृत कार्यालय]³ [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे), ने [हवाईअड्डे का नाम]⁴ के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण (जिसे इसके बाद "परियोजना" कहा जाएगा) के लिए बोली लगाई है;

चूंकि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज - जिसे इसके बाद "आरएफपी दस्तावेज" कहा जाएगा) की शर्तों के तहत आवेदक को बोली बांड के रूप में ₹50 करोड़ (केवल पचास करोड़ रुपये) या ₹500 करोड़ (केवल पांच सौ करोड़ रुपये), जैसा भी मामला हो, की राशि के लिए एएआई को एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है और गारंटीकर्ता ने आवेदक के अनुरोध पर यह गारंटी (जो यह विलेख है) प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है:

अब यह विलेख साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उपर्युक्त तथ्यों के प्रतिफल के रूप में, हम, गारंटीकर्ता इसके

द्वारा निम्नानुसार घोषणा, वचनबद्धता और सहमति व्यक्त करते हैं:

क) हम प्राथमिक देनदार (primary obligor) के रूप में एएआई द्वारा आवेदक को सफल बोलीदाता घोषित और अधिसूचित किए जाने तथा आवेदक द्वारा आरएफपी दस्तावेज की शर्तों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने पर बोली बांड के अधिहरण और मांग किए जाने का उल्लेख करते हुए एएआई से लिखित मांग प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर, बिना किसी आपत्ति के, बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से ₹50 करोड़ (केवल पचास करोड़ रुपये) या ₹500 करोड़ (केवल पांच सौ करोड़ रुपये), जैसा भी मामला हो, से अनधिक राशि का भुगतान एएआई को करेंगे। एएआई द्वारा हम पर की गई ऐसी कोई भी मांग बोली बांड के प्रवर्तन और जब्ती तथा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक और पूर्ण होगी। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस गारंटी को कई बार भुनाया (invoked) जा सकता है।

² यथायोग्य इकाई का प्रकार³ पंजीकरण विवरण

⁴ यथायोग्य हवाईअड्डे का नाम दर्ज करें

ख) उपर्युक्त भुगतान हमारे द्वारा आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी संदर्भ के बिना और इस बात की परवाह किए बिना किया जाएगा कि एएआई के दावे पर आवेदक द्वारा विवाद किया गया है या नहीं।

ग) यह गारंटी [दिनांक] से [] माह की अवधि के लिए⁵ अथवा एएआई और आवेदक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के लिए पूर्ण रूप से लागू रहेगी तथा इस गारंटी के तहत सभी राशियों का भुगतान होने तक प्रवर्तनीय बनी रहेगी।

घ) इस गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, एएआई गारंटीकर्ता को मुख्य देनदार मानने का हकदार होगा और गारंटीकर्ता के दायित्व आरएफपी दस्तावेज या अन्य दस्तावेजों के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव से, या आवेदक द्वारा किसी भी दायित्व के निष्पादन के समय के विस्तार से, अथवा एएआई द्वारा आवेदक के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के किसी भी समय स्थगन से, या आवेदक द्वारा आरएफपी दस्तावेज के गैर-अनुपालन से संबंधित किसी भी नियम और शर्त को

लागू करने अथवा न करने (सहनशीलता) से प्रभावित नहीं होंगे, और हमें आवेदक को दिए गए किसी भी बदलाव या विस्तार अथवा एएआई की ओर से किसी सहनशीलता या चूक अथवा एएआई द्वारा आवेदक को दी गई किसी भी छूट के कारण अपने दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो जमानतदारों (sureties) से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के अभाव में हमें इस प्रकार मुक्त करने का प्रभाव रखता।

ड) यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय होगी और तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी जब तक कि इस गारंटी के तहत हमारे सभी दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं हो जाता।

च) इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान वर्तमान या भविष्य के किसी भी शुल्क, फीस, कमीशन, कटौती या किसी के द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रभारों से मुक्त और स्पष्ट तथा बिना किसी कटौती के किया जाएगा।

छ) गारंटीकर्ता के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित और जारी करने की शक्ति और अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरी [] के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस गारंटी को निष्पादित और वितरित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है और इस गारंटी के तहत इसके दायित्व कानूनी रूप से मान्य, बाध्यकारी और इसके विरुद्ध लागू करने योग्य होंगे।

ज) सूचनाएं :

इस गारंटी के तहत कोई भी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस या कोई अन्य संचार (i) लिखित रूप में होगा और (ii) निम्नलिखित पतों पर फैक्स या व्यक्तिगत रूप से, अथवा ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजा जाएगा:

[सम्मिलित करें]

ऐसे सभी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस और संचार प्रभावी होंगे: (i) यदि फैक्स द्वारा भेजे गए हों, तो भेजे जाने पर (सही उत्तरबैक के साथ), (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजे गए हों, तो सुपुर्दगी पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजे गए हों, तो ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस बाद, और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा, चाहे वह वास्तव में वितरित हुआ हो या नहीं।

⁵ बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली बांड आरएफपी के अनुसार बोली अवधि (Bid Period) के लिए वैध हो।

-155-

)

झ) यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसके विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार (exclusive jurisdiction) के अधीन होगी।

जिसके साक्ष्य के रूप में गारंटीकर्ता ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर
कर _____ दिए हैं।

[बैंक का नाम] की ओर से _____

श्री [

] के द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

पदनाम: [_____]

एवं प्राधिकृत अधिकारी।

सेवा में,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

[_____]

अनुसूची 18
कार्य-निष्पादन बांड का प्रारूप

प्रति

दिनांक: []

भाविप्रा

[*]

विषय: कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

यह कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (इसके बाद "गारंटी" कहा जाएगा) [नई दिल्ली] में वर्ष 2005 के [] माह के []वें दिन निष्पादित की गई:

जबकि

क. जेवीसी (संयुक्त उद्यम कंपनी), जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे), ने हवाईअड्डे के संचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन की परियोजना को शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) के साथ दिनांक [] को एक परिचालन, प्रबंधन और विकास समझौता (इसके बाद ऐसे समझौते को, यथा संशोधित और पूरक, "ओएमडीए" / "ओएमडीए" कहा जाएगा) निष्पादित किया है।

ख. ओएमडीए के नियमों और शर्तों के अनुसार, जेवीसी नीचे निर्धारित मूल्य और वैधता की, भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अप्रतिसंहरणीय, बिना शर्त और स्वचालित रूप से नवीकरणीय (revolving) बैंक गारंटी एएआई को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

ग. [*], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है और [नई दिल्ली], भारत में एक शाखा कार्यालय है (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे), भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने के नाते, जेवीसी के अनुरोध पर, एएआई के पक्ष में नीचे निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार यह कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने पर सहमत हुआ है।

अब इसलिए, बैंक इसके द्वारा ओएमडीए के उचित निष्पादन के लिए एएआई के प्रति जेवीसी की वित्तीय जिम्मेदारी लेता है और इसके द्वारा जेवीसी की ओर से एएआई के पक्ष में यह अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त कार्य-निष्पादन एवं भुगतान बैंक गारंटी (इसके बाद "गारंटी" कहा जाएगा) जारी करता है:

1. बैंक इस प्रयोजन के लिए एएआई से प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर तत्काल, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चेतावनी (caveat), विरोध या सहारे (recourse) के एएआई को एक या अधिक दावों के माध्यम से एक राशि या राशियों का भुगतान करने का बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से वचन देता है, जिसके लिए एएआई को बैंक को उसमें निर्दिष्ट राशि की ऐसी मांग के आधार या कारण सिद्ध करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और ओएमडीए के निष्पादन या जेवीसी द्वारा एएआई को देय राशियों अथवा किसी भी मामले के संबंध में एएआई और जेवीसी के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के बावजूद भुगतान करेगा।

2. बैंक स्वीकार करता है कि इस गारंटी को एक से अधिक बार भुनाया जा सकता है और बैंक द्वारा एएआई को देय राशियों की एएआई द्वारा ऐसी मांगों में से प्रत्येक मांग जेवीसी द्वारा एएआई को देय राशियों के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इसके द्वारा एएआई द्वारा जेवीसी से पूर्वोक्त राशि या उसके किसी भाग की मांग करने की आवश्यकता को छोड़ता है और इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए बैंक को कोई भी लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले जेवीसी के विरुद्ध अपने कानूनी उपायों का उपयोग करने के लिए एएआई से पहले अपेक्षा करने के बैंक के किसी भी अधिकार का भी त्याग करता है।

4. बैंक आगे एएआई के साथ बिना शर्त सहमत होता है कि एएआई बैंक की सहमति के बिना और इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:

- (i) ओएमडीए के नियमों और शर्तों में से किसी को बदलना और/या संशोधित करना,
- (ii) ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन के समय को बढ़ाना और/या स्थगित करना, अथवा
- (iii) ओएमडीए के नियमों और शर्तों के तहत जेवीसी के विरुद्ध एएआई द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को लागू करना या न करना (सहनशीलता बरतना), और एएआई की ओर से किसी ऐसे कार्य या चूक अथवा एएआई द्वारा जेवीसी को दी गई किसी रियायत या किसी अन्य बात के कारण बैंक को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो जमानतदारों से संबंधित कानून के तहत, इस प्रावधान के अभाव में, बैंक को इस गारंटी के तहत अपने दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव रखता।
5. इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व ओएमडीए के किसी आंशिक निष्पादन के कारण कम नहीं होंगे। एएआई द्वारा ओएमडीए के तहत अपने किसी भी दायित्व का समय पर भुगतान या निष्पादन न करने के कारण बैंक के दायित्व कम नहीं होंगे।
6. इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान वर्तमान या भविष्य के किसी भी शुल्क, फीस, कमीशन, किसी भी कटौती से मुक्त और स्पष्ट तथा बिना किसी कटौती के और किसी के द्वारा भी अधिरोपित किए जाने पर किया जाएगा।
7. यह गारंटी एक निरंतर बैंक गारंटी होगी और जेवीसी के किसी भी सदस्य के गठन में परिवर्तन से उन्मुक्त नहीं होगी तथा जेवीसी या जेवीसी के किसी सदस्य के परिसमापन, समापन, दिवालियापन, पुनर्गठन, विघटन या किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित या उन्मुक्त नहीं होगी।
8. इस गारंटी की न्यूनतम वैधता कम से कम बारह (12) महीने होगी और इसे इसकी समाप्ति से कम से कम तीन (3) महीने पहले रोल ओवर और नवीनीकृत किया जाएगा ताकि ओएमडीए की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति, जो भी पहले हो, तक इसे वैध रखा जा सके। बशर्ते हालांकि कि यदि बैंक ऊपर बताए गए तरीके से इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले गारंटी का नवीनीकरण नहीं करता है, तो एएआई को जेवीसी द्वारा ओएमडीए की अन्य शर्तों के उचित निष्पादन के बावजूद, एक या अधिक मांगों में गारंटी की पूरी राशि को भुनाने का अधिकार होगा। यह गारंटी तब तक वैध और प्रभावी रहेगी जब तक कि एएआई द्वारा लिखित में इसे अवमुक्त न कर दिया जाए।

9. यह गारंटी ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए एएआई द्वारा रखी गई किसी भी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके स्थान पर या उसके अल्पीकरण में।

10. बैंक सहमत है कि एएआई अपने विकल्प पर जेवीसी या एएआई के पास मौजूद किसी अन्य सुरक्षा/गारंटी के विरुद्ध पहली बार में कार्रवाई किए बिना, पहली बार में एक मुख्य देनदार के रूप में बैंक के विरुद्ध इस गारंटी को लागू करने का हकदार होगा।

11. गारंटी की मात्रा ओएमडीए की प्रभावी तिथि के बाद के पहले पांच (5) वर्षों के दौरान ₹500,00,00,000/- (केवल पांच सौ करोड़ रुपये) होगी (ऐसी राशि गारंटी की "पूर्ण राशि" / "Full Amount" होगी)। यदि गारंटी का कोई हिस्सा इसके अनुसरण में भुनाया जाता है, तो ऐसे नकदीकरण के तुरंत बाद, बैंक गारंटी को उसकी पूर्ण राशि तक फिर से भरेगा (replenish करेगा)। यदि किसी भी हिस्से में इसके नकदीकरण के तीन (3) महीने के भीतर गारंटी को उसकी पूर्ण राशि तक फिर से नहीं भरा जाता है, तो एएआई को पूरी गारंटी को भुनाने का अधिकार होगा।

12. यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसके विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

13. यहाँ अन्यथा अपरिभाषित बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में ऐसे शब्दों को दिया गया है।

14. बैंक के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित और जारी करने की शक्ति और अधिकार है और अधोहस्ताक्षरी [] के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस गारंटी को निष्पादित और वितरित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है और इस गारंटी के तहत इसके दायित्व कानूनी रूप से मान्य, बाध्यकारी और बैंक के विरुद्ध लागू करने योग्य होंगे।

15. सूचनाएं :

इस गारंटी के तहत कोई भी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस या कोई अन्य संचार (i) लिखित रूप में होगा और (ii) निम्नलिखित पत्तों पर फैक्स या व्यक्तिगत रूप से, अथवा ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजा

जाएगा:

[सम्मिलित करें / insert]

⁶ ओएमडीए में प्रदान किए गए अनुसार वृद्धिमान

ऐसे सभी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस और संचार प्रभावी होंगे: (i) यदि फैक्स द्वारा भेजे गए हों, तो भेजे जाने पर (सही उत्तरबैंक के साथ), (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजे गए हों, तो सुपुर्दगी पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजे गए हों, तो ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस बाद, और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा, चाहे वह वास्तव में वितरित हुआ हो या नहीं।

जिसके साक्ष्य के रूप में बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वर्ष 2005 के [] माह के [] वें दिन अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है।

उपस्थिति में :

(1) _____

(2) _____

बैंक की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं मुहर

अनुसूची 19*

जानबूझकर छोड़ दिया गया

अनुसूची 20

अस्वीकरण प्रमाणपत्र

[एएआई के पक्ष में जेवीसी तथा प्रत्येक कंसोर्टियम सदस्य द्वारा दिया जाना है]

यह अस्वीकरण प्रमाणपत्र वर्ष 2006 के [] माह के [] वें दिन निष्पादित किया गया:

द्वारा:

1. [], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (इसके बाद "जेवीसी" / "JVC"); तथा
2. इसके अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध प्रत्येक इकाई (सामूहिक रूप से "कंसोर्टियम सदस्य" और व्यक्तिगत रूप से "कंसोर्टियम सदस्य");

पक्ष में:

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित है, जिसका प्रधान कार्यालय [] में स्थित है, जो अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहा है ("एएआई")।

चूंकि :

क. एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है, जो भारत में हवाईअड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

ख. जेवीसी एएआई और कंसोर्टियम सदस्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ [इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (इसके बाद "हवाईअड्डा")] को बढ़ावा देने, स्थापित करने, विकसित करने, वित्तपोषित करने, संचालित करने और अनुरक्षित करने के उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है।

ग. एएआई और जेवीसी ने दिनांक [] को एक परिचालन, प्रबंधन और विकास समझौता निष्पादित किया है (इसके बाद "ओएमडीए" कहा जाएगा)।

अब, इसलिए, अच्छे और मूल्यवान प्रतिफल के लिए, जिसकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, जेवीसी और प्रत्येक कंसोर्टियम सदस्य इसके द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि, घोषणा और स्वीकार करता है:

1. कि उसने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ओएमडीए की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।
2. कि यहाँ अपरिभाषित लेकिन ओएमडीए में परिभाषित बड़े अक्षरों वाले शब्दों का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में उन्हें दिया गया है।

3. कि उसने:-

(क) हवाईअड्डे तथा हवाईअड्डा स्थल (टर्मिनलों और उस पर स्थित सभी भवनों तथा उसके परिवेश सहित) का निरीक्षण कर लिया है;

(ख) हवाईअड्डे की जलवायु, जलवैज्ञानिक और सामान्य भौतिक स्थितियों की प्रकृति, भूमि और उप-मृदा की प्रकृति, हवाईअड्डे के स्वरूप और प्रकृति, तथा वर्तमान में और इसके संचालन के दौरान ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन, कार्य और सामग्री, कारीगरी, तकनीकी जानकारी और प्रबंधकीय कौशल की प्रकृति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

(ग) हवाईअड्डे के साथ संचार के साधनों, पहुंच और हवाईअड्डे पर आवास के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है जो इसके लिए अपेक्षित हो सकते हैं या जो ओएमडीए के तहत इसके दायित्वों के निष्पादन के लिए अन्यथा आवश्यक हो सकते हैं;

(घ) जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है जो इसे या जेवीसी को और ओएमडीए के तहत इसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकती हैं।

(ii) कंसोर्टियम सदस्य स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती है (taken all due diligence) और उपर्युक्त खंड 3(i) के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के संबंध में उनमें से किसी द्वारा की गई किसी गलती या पाली गई किसी गलतफहमी की स्थिति में एएआई के विरुद्ध उनका

कोई सहारा (recourse) नहीं होगा और उसके संबंध में एएआई का कोई दायित्व, यदि कोई हो, समाप्त कर दिया जाता है।

4. कंसोर्टियम सदस्यों में से प्रत्येक और जेवीसी स्वीकार करते हैं कि ओएमडीए के निष्पादन से पूर्व, उन्होंने पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद, समग्र रूप से हवाईअड्डे और उसकी प्रत्येक सुविधा, भवन, परिसंपत्ति, मशीनरी, उपकरण, कर्मियों और जानकारी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और उन कठिनाइयों, उन्नयनों, इनपुट्स, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की है जो ओएमडीए के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान जेवीसी के समक्ष उत्पन्न होने या जिनका सामना किए जाने की संभावना है तथा ओएमडीए की निरंतरता के दौरान वर्तमान में या समय-समय पर आवश्यक आधुनिकीकरण की सीमा और तरीके का निर्धारण किया है।

5. कंसोर्टियम सदस्यों में से प्रत्येक और जेवीसी ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्वों के निष्पादन से जुड़ी कठिनाइयों, उन्नयनों, इनपुट्स, लागतों, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों को स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा सहमति व्यक्त करते हैं कि एएआई जेवीसी के प्रति किसी भी रूप में इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, सिवाय इसके कि जैसा ओएमडीए में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

6. कंसोर्टियम सदस्य और जेवीसी स्वयं को इस बात से बाध्य करते हैं कि वे एएआई या किसी सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध, चाहे निरसन, हर्जाने या अन्यथा के लिए, किसी भी इकाई द्वारा उन्हें दी गई गलत या अपर्याप्त जानकारी के संबंध में किसी गलतफहमी या गलत धारणा के आधार पर कोई दावा करने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह इकाई एएआई या किसी सरकारी प्राधिकरण के रोजगार में हो या न हो; और न ही, जब तक कि ओएमडीए में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, जेवीसी को किसी ऐसे आधार पर या इस आधार पर ओएमडीए के तहत उस पर अधिरोपित या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व या जोखिम से मुक्त किया जाएगा कि वह किसी ऐसे मामले का पूर्वानुमान नहीं लगा सका जो वास्तव में ओएमडीए के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित किया है।

7. ओएमडीए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जेवीसी और कंसोर्टियम सदस्य घोषित करते हैं कि जेवीसी हवाईअड्डे के डिजाइन, वित्तपोषण, आधुनिकीकरण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में वित्तीय, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और अन्य जोखिमों तथा ओएमडीए के तहत या उसके अनुसरण में अपने अन्य सभी अधिकारों और दायित्वों के लिए पूर्ण

और अनन्य रूप से जिम्मेदार होगा और वहन करेगा, चाहे कोई भी जोखिम, आकस्मिकताएं, परिस्थितियां और/या खतरे सामने आए (पूर्वानुमानित या अप्रत्याशित) और असाधारण आधारों पर या अन्यथा ऐसे किसी भी जोखिम, आकस्मिकता, परिस्थिति और/या खतरे में किसी भी परिवर्तन के बावजूद, चाहे वे पूर्वानुमानित हों या अप्रत्याशित; तथा जेवीसी या किसी भी कंसोर्टियम सदस्य को एएआई, भारत सरकार (GOI) और/या उनकी किसी भी एजेंसी के विरुद्ध कोई दावा करने या कोई मुआवजा अथवा अन्य राशि वसूलने का कोई अधिकार (व्यक्त या निहित) नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में ओएमडीए में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

जिसके साक्ष्य के रूप में, प्रत्येक कंसोर्टियम सदस्य और जेवीसी ने अपने-अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित दिन और वर्ष को इस अस्वीकरण प्रमाणपत्र को निष्पादित करवाया है।

हस्ताक्षरित

एवं

प्रदत्त

(जेवीसी एवं कंसोर्टियम सदस्यों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नक-।
कंसोर्टियम सदस्य

अनुसूची 21

स्वतंत्र अभियंता के कर्तव्य

स्वतंत्र अभियंता के कर्तव्यों का दायरा निम्नलिखित है:

(क) निम्नलिखित के अनुपालन का आकलन करने हेतु सभी डिजाइनों, रेखाचित्रों (drawings), विनिर्देशों और खरीद दस्तावेजों की समीक्षा करना:

- (i) अंतिम रूप दी गई प्रमुख विकास योजना (यदि लागू हो)
- (ii) अनुसूची 1 में विस्तृत विकास मानक एवं आवश्यकताएं तथा अंतिम रूप दी गई प्रमुख विकास योजना।

(ख) लागतों में कृत्रिम वृद्धि और/या अनावश्यक सौंदर्यीकरण/अति-व्यय (gold plating) से बचने के लिए समान दायरे और प्रकृति की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजनाओं के सापेक्ष परियोजना विनिर्देशों और लागत के लिए जेवीसी द्वारा किए गए 'बेंचमार्किंग अभ्यास' की समीक्षा करना।

(ग) अनुसूची 1 में विस्तृत विकास मानकों और आवश्यकताओं के संबंध में तथा अनुमोदित प्रमुख विकास योजना के अनुसार किए गए कार्यों के अनुपालन का आकलन करने के लिए जेवीसी द्वारा प्रस्तुत विकास रिपोर्टों की समीक्षा करना। इस संबंध में, स्वतंत्र अभियंता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) किसी भी समझौते में या ओएमडीए तंत्र के माध्यम से सहमति के अनुसार स्वामी की आवश्यकताओं, मास्टर प्लान आवश्यकताओं, विनिर्देशों और डिजाइन मानकों को पूरी तरह से संबोधित/अनुपालित किया गया है।
- (ii) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित और न्यायसंगत समय (अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं/चरण-। परियोजनाओं को छोड़कर) दिया गया है।
- (iii) मात्राएं उचित हैं।

(घ) हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग और विकास के किसी भी और सभी पहलुओं के संबंध में किसी भी अनुबंध के आवंटन या जेवीसी की किसी समूह इकाई को किसी अन्य वाणिज्यिक अनुबंध की समीक्षा करना।

(ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जाएं और उसके नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट हों।

बैंक गारंटी सं. _____ दिनांक _____

अनुसूची 22

बैंक गारंटी का प्रारूप (इक्विटी प्रतिबद्धता)

(कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा यथायोग्य और प्रासंगिक रूप से प्रदान की जानी है)

गारंटी का यह विलेख ("इक्विटी बैंक गारंटी" या "गारंटी") [स्थान] पर दिनांक [] को [बैंक का नाम] द्वारा, जिसका प्रधान/पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "गारंटीकर्ता" / कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

पक्ष में:

[जेवीसी] (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा जाएगा), जिसका कार्यालय [] में स्थित है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे:

चूंकि मेसर्स [], एक [इकाई का प्रकार]⁷ [कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत, जिसका पंजीकृत कार्यालय]⁸ [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे), ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण (जिसे इसके बाद "परियोजना" कहा जाएगा) के लिए बोली लगाई है;

चूंकि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज (इसके बाद "आरएफपी दस्तावेज" कहा जाएगा) और उसके बाद के स्पष्टीकरणों की शर्तों के तहत आवेदक को इक्विटी बैंक गारंटी के रूप में ₹ [] करोड़ (केवल [] रुपये)⁹ की राशि के लिए एएआई को एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है और गारंटीकर्ता ने आवेदक के अनुरोध पर यह गारंटी (जो यह विलेख है) प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है:

अब यह विलेख साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उपर्युक्त तथ्यों के प्रतिफल के रूप में, हम, (गारंटीकर्ता) इसके

द्वारा निम्नानुसार घोषणा, वचनबद्धता और सहमति व्यक्त करते हैं:

(क) हम प्राथमिक देनदार के रूप में जेवीसी द्वारा ओएमडीए की प्रभावी तिथि के बाद किसी भी तारीख को जेवीसी द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी कॉल किए जाने पर आवेदक द्वारा अपने इक्विटी हिस्से का अभिदान न किए जाने पर, जेवीसी द्वारा इक्विटी जारी करने की शर्तों के अनुसार इक्विटी सदस्यता प्राप्त होने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद ही जेवीसी या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("एएआई") से (यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि एएआई को जेवीसी की ओर से इस गारंटी के तहत मांग करने का अधिकार और प्राधिकार होगा) एक लिखित मांग (यह बताते हुए कि इक्विटी बैंक गारंटी को भुना लिया गया है और जब्त कर लिया गया है, बिना एएआई या जेवीसी को ऐसी मांग के आधार या कारण सिद्ध करने की आवश्यकता के) प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चेतावनी, विरोध या सहारे के, ₹ [] करोड़ (केवल [] रुपये)¹⁰ से अनधिक राशि का एएआई/जेवीसी को बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से भुगतान करने का वचन देते हैं। एएआई या जेवीसी द्वारा हम पर की गई ऐसी कोई भी मांग इक्विटी बैंक गारंटी के नकदीकरण और जब्ती तथा देय राशि के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस इक्विटी बैंक गारंटी को एक से अधिक बार भुनाया जा सकता है।

⁷ यथायोग्य इकाई का प्रकार

⁸ पंजीकरण विवरण ⁹ यथायोग्य राशि दर्ज करें। यह ₹500 करोड़ या प्रभावी तिथि के बाद के पहले सात वर्षों में इक्विटी के लिए आवश्यक राशि में से जो भी अधिक हो, होगी (आरएफपी आवश्यकता के अनुसार सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय योजना के अनुसार)।

¹⁰ यथायोग्य राशि शब्दों में दर्ज करें।

(ख) उपर्युक्त भुगतान हमारे द्वारा आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी संदर्भ के बिना और इस बात की परवाह किए बिना किया जाएगा कि जेवीसी या एएआई के दावे पर आवेदक द्वारा विवाद किया गया है या नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवीसी/एएआई द्वारा इसके तहत कई बार आहरण (multiple draw downs) किए जा सकते हैं।

(ग) इस इक्विटी बैंक गारंटी की न्यूनतम वैधता कम से कम बारह (12) महीने होगी और इसे इसकी समाप्ति से कम से कम तीन (3) महीने पहले रोल ओवर और नवीनीकृत किया जाएगा ताकि एएआई द्वारा लिखित रूप में अवमुक्त किए जाने तक इसे वैध रखा जा सके।¹³ बशर्ते हालांकि कि यदि यह इक्विटी बैंक गारंटी ऊपर बताए गए तरीके से इसकी समाप्ति से तीन (3) महीने पहले नवीनीकृत नहीं की जाती है, तो एएआई या जेवीसी को इस गारंटी की पूरी राशि को भुनाने का अधिकार होगा। यह इक्विटी बैंक गारंटी [दिनांक]¹⁴ से 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा एएआई और आवेदक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के लिए पूर्ण रूप से लागू रहेगी तथा इस गारंटी के तहत सभी राशियों का भुगतान होने तक लागू करने योग्य बनी रहेगी।

(घ) इस इक्विटी बैंक गारंटी का मूल्य तदनुसार उत्तरोत्तर कम किया जा सकता है क्योंकि आवेदक द्वारा जेवीसी में इक्विटी के रूप में कोई राशि निवेश की जाती है।

(ङ) इस इक्विटी बैंक गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, जेवीसी/एएआई गारंटीकर्ता को मुख्य देनदार मानने का हकदार होगा और गारंटीकर्ता के दायित्व आरएफपी दस्तावेज या अन्य दस्तावेजों के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव से, या आवेदक द्वारा किसी भी दायित्व के निष्पादन के समय के विस्तार से, अथवा जेवीसी/एएआई द्वारा आवेदक के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के किसी भी समय स्थगन से, या आवेदक द्वारा आरएफपी दस्तावेज के गैर-अनुपालन से संबंधित किसी भी नियम और शर्त को लागू करने अथवा न करने (सहनशीलता) से प्रभावित नहीं होंगे, और हमें आवेदक को दिए गए किसी भी बदलाव या विस्तार अथवा एएआई/जेवीसी की ओर से किसी सहनशीलता या चूक अथवा एएआई या जेवीसी द्वारा आवेदक को दी गई किसी भी छूट के कारण अपने दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो जमानतदारों से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के अभाव में हमें इस प्रकार मुक्त करने का प्रभाव रखता।

¹¹ यथायोग्य राशि दर्ज करें

¹² यथायोग्य राशि शब्दों में दर्ज करें

¹³ प्रभावी तिथि से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए या इक्विटी पूंजीकरण की तिथि तक, जो भी बाद में हो, रोल ओवर की जाने वाली वार्षिक गारंटी। गारंटी की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व रोल ओवर किया जाना है।

¹⁴ बोली तिथि (Bid Date) दर्ज करें

च) इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान वर्तमान या भविष्य के किसी भी शुल्क, फीस, कमीशन, किसी भी कटौती से मुक्त और स्पष्ट तथा बिना किसी कटौती के और किसी के द्वारा भी अधिरोपित किए जाने पर किया जाएगा।

छ) यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय होगी और तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी जब तक कि इस गारंटी के तहत हमारे सभी दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं हो जाता।

ज) गारंटीकर्ता के पास इस गारंटी को वैध रूप से निष्पादित और जारी करने की शक्ति और अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरी [] के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस गारंटी को निष्पादित और वितरित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है और इस गारंटी के तहत इसके दायित्व कानूनी रूप से मान्य, बाध्यकारी और इसके विरुद्ध लागू करने योग्य होंगे।

झ) सूचनाएं :

इस गारंटी के तहत कोई भी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस या कोई अन्य संचार (i) लिखित रूप में होगा और (ii) निम्नलिखित पतों पर फैक्स या व्यक्तिगत रूप से, अथवा ओवरनाइट कूरियर द्वारा भेजा जाएगा:

[सम्मिलित करें / insert]

ऐसे सभी मांग प्रमाणपत्र, नोटिस और संचार प्रभावी होंगे: (i) यदि फैक्स द्वारा भेजे गए हों, तो भेजे जाने पर (सही उत्तरबैक के साथ), (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजे गए हों, तो सुपुर्दगी पर, (iii) यदि कूरियर द्वारा भेजे गए हों, तो ओवरनाइट कूरियर के पास जमा करने के एक (1) कार्य दिवस बाद,

और (iv) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब पंजीकृत पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा, चाहे वह वास्तव में वितरित हुआ हो या नहीं।

ग) यह गारंटी भारत के कानूनों के अधीन है। इस गारंटी या इसके विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

जिसके साक्ष्य के रूप में गारंटीकर्ता ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(In Witness whereof the Guarantor has set its hands hereunto on the day, month and year first hereinabove written.)

[बैंक का नाम] की ओर से

श्री [] के कर-कमलों द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

पदनाम: []

एवं प्राधिकृत अधिकारी।

अनुसूची 23
परिचालन सहायता लागत का विवरण

(आईजीआई हवाईअड्डे हेतु)

आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली के लिए तीन वर्षों की अनुमानित परिचालन सहायता लागत (Operation Support Cost) निम्नानुसार है:

वर्ष	परिचालन सहायता लागत
2006-07	₹ 96 करोड़
2007-08	₹ 119 करोड़
2008-09	₹ 128 करोड़

उपर्युक्त अनुमान वर्तमान वेतनमानों और भत्तों पर आधारित हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

1. 01.01.2007 से देय वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण ।
2. वित्त अधिनियम 2005 द्वारा लागू फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स (अनुषंगी हितलाभ कर), सेवा कर आदि जैसे कर।
3. परिचालन सहायता अवधि के दौरान एएआई द्वारा लागू की जाने वाली किसी भी कर्मचारी कल्याण योजना पर प्रभाव।

अनुसूची 24
स्वीकृतियों / अनापत्तियों की सूची

जेवीसी को निम्नलिखित स्वीकृतियां / अनापत्तियां प्राप्त करना अनिवार्य है:

- आयात/निर्यात और यानांतरण (ट्रांसशिपमेंट) वस्तुओं तथा कार्गो हेतु अभिरक्षकता (कस्टोडियनशिप)
- ठेका श्रम अधिनियम के तहत पंजीकरण
- परिचालन शुरू करने के लिए आवश्यक कोई भी और अन्य सभी स्वीकृतियां/अनापत्तियां।

अनुसूची 25
पट्टाकृत परिसर

(पट्टाकृत परिसर का सीमांकन करने वाला मानचित्र संलग्न है)

अनुसूची 26
अतिक्रमण

(अतिक्रमण दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है)

अनुसूची 27
पृथक्कृत परिसंपत्तियां

दिल्ली हवाईअड्डा

पृथक्कृत परिसंपत्तियों का विवरण*

क्र. सं.	परिसंपत्तियां / पट्टे	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	नियामर (NIAMAR - राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान अकादमी)	18,750.00
2.	अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र	24,297.00
3.	नया एटीसी टॉवर	14,400.00
4.	विमानन अनुसंधान केंद्र	1,14,975.00
5.	रंगपुरी में स्थित क्षेत्र	4,77,530.00
6.	लिनक रोड हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हस्तांतरित भूमि	2,42,811.00
7.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दी गई भूमि	89,986.00
8.	रेडिसन होटल को पट्टे पर दी गई भूमि	21,350.00
9.	खुदरा ईंधन आउटलेट्स हेतु पट्टे पर दी गई भूमि जो हवाईअड्डे की परिचालन सीमा से बाहर हैं	8,027.40

* पट्टाकृत परिसर का सीमांकन करने वाला अंतिम नक्शा (दिल्ली हेतु) उपरोक्त नक्शों में से एक सौ (100) हेक्टेयर सन्निहित भूमि (स्वतंत्र पहुंच के साथ, पट्टाकृत परिसर से बाहर) को घटाकर तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोलीदाता द्वारा अपनी प्रारंभिक विकास योजना में पहचाना गया है।

अनुसूची 28
विद्यमान पट्टे
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा
भूमि पट्टा व्यवस्था

एयरलाइंस एवं संबद्ध एजेंसियां

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से	अवधि तक (	टिप्पणियां
1	एयर इंडिया (Air India)	एमएलसीआर परियोजना हेतु भूमि टर्मिनल 2 पर जीएसई एवं अन्य सुविधाओं हेतु भूमि भूमि परिवहन कार्यशाला हेतु भवन निर्माण टर्मिनल 2 पर भूमि	65,245.50 30,347.00 12,400.00 786.79 9,000.00	01.04.01 01.04.01 01.04.01 01.04.01 01.04.01	31.03.11 31.03.11 31.03.11 31.03.11 31.03.11	बकाया देय राशियों के कारण 1.4.2001 से प्रभावी समझौते का निष्पादन नहीं हुआ।
2	एरोफ्लोट (Aeroflot)	पक्की भूमि कच्ची भूमि T2 पर जीएसई हेतु पक्की भूमि	50.50 42.00 1,500.00	01.01.03 01.01.03 01.01.03	31.12.05 31.12.05 31.12.05	-
3	ब्रिटिश एयरवेज (British Airways)	पक्की भूमि	620.63	28.04.86	31.12.06	कोई समझौता विद्यमान नहीं
4	एरियल सर्विसेज (Aerial Services)	एआरसी और वायुदूत हेंगर के बीच पोर्टा-केबिन हेतु भूमि	50.00	18.04.96	31.03.99	नवीनीकरण प्रगति पर
5	ब्लू डार्ट (Blue Dart)	उपकरण पार्किंग हेतु भूमि पक्की भूमि (विद्यमान शेड के पास) परिचालन क्षेत्र में पक्की भूमि T1 पर वेयरहाउस के पास पक्की भूमि पुराने कार्गो शेड पर पक्की भूमि	200.00 269.00 376.04 200.00 450.00	01.06.96 15.01.98 15.01.98 06.10.00 07.03.96	31.03.04 31.03.04 31.03.04 31.03.04 31.03.04	नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर
6	जेट एयरवेज (Jet Airways)	हेंगर के निकट पक्की भूमि जीएसई हेतु पक्की भूमि	4,385.26 1,092.00 4,311.09 170.00	11.08.00 18.03.02 10.03.00 23.04.02	30.09.04 17.03.05 30.09.04 31.03.04	नवीनीकरण प्रगति पर पर -

		पक्की भूमि पक्की भूमि भूमि कार्गो परिचालन हेतु भूमि	1,076.00	01.07.01 01.09.02	31.03.04 31.03.06	नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर समझौता निष्पादित किया जाना है
--	--	--	----------	----------------------	----------------------	---

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौता (ओएमडीए)

एयरलाइंस एवं संबद्ध एजेंसियां (जारी...)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से	अवधि तक	टिप्पणियां
7	एयर सहारा	जीएसई हेतु पक्की भूमि जीएसई हेतु पक्की भूमि जीएसई अवसंरचना का उन्नयन T2 पर पक्की भूमि	840.00 1,500.00 992.00 100.00	01.09.02 02.07.03 22.06.04 30.07.04	31.01.05 31.01.05 21.06.07 29.07.07	- - - -
8	एमिरेट्स	T2 पर लाइन रखरखाव ब्लॉक के सामने पक्की भूमि	65.50	10.08.93	31.12.06	-
9	केएलएम	पक्की भूमि	128.73	03.05.85	31.12.06	-
10	लुफ्थांसा	पक्की भूमि	439.57	04.04.86	30.09.95	नवीनीकरण प्रगति पर
11	रॉयल नेपाल एयरलाइंस	पक्की भूमि	128.73	01.10.89	31.12.06	-
12	स्पैन एयर (Span Air)	हेलीकॉप्टर रखरखाव हेतु भूमि	20.00	22.12.95	31.03.05	-
13	तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस	जीएसई हेतु T2 पर पक्की भूमि	500.00	01.08.99	31.12.06	-
14	एलाइंस एअर	पोर्टा-केबिन हेतु पक्की भूमि T1 पर भूमि	41.82 1,467.60	14.06.99 जनवरी 1997	31.03.02 लागू नहीं	बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं हुआ कोई समझौता विद्यमान नहीं
15	ड्रुक एयर (Druk Air)	T2 पर जीएसई हेतु पक्की भूमि	408.75	07.10.99	31.12.06	-
16	यूबी ग्रुप (UB Group)	T1 पर पक्की भूमि	172.00	18.06.04	17.06.07	-

17	एयर डेक्कन	टी1 पर पक्की भूमि	500.00	24.08.04	31.03.07	-
18	ग्लोब ग्राउंड इंडिया (Globe Ground India)	जीएसई हेतु पक्की भूमि जीएसई हेतु पक्की भूमि पोर्टा-केबिन हेतु भूमि	1,500.00 1,500.00 50.00	21.06.01 01.07.02 01.05.01	30.06.05 30.06.05 31.03.06	- - -
19	एयर फ्रांस (Air France)	जीएसई की पार्किंग हेतु भूमि जीएसई की पार्किंग हेतु अतिरिक्त भूमि	1,540.00 1,540.00	07.08.85 27.02.92	31.12.06 31.12.06	- -

तेल एवं गैस कंपनियां

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	सर्विस स्टेशन हेतु भूमि हाइड्रेंट सुविधा हेतु भूमि सर्विस स्टेशन हेतु भूमि	529.27 1,408.04 2,464.06	01.01.82 01.01.82 01.01.82	31.12.92 31.12.92 31.12.92	बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं, नवीनीकरण प्रगति पर बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं, नवीनीकरण प्रगति पर बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं, नवीनीकरण प्रगति पर

तेल एवं गैस कंपनियां (जारी)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जारी)	ईंधन भरने और पार्किंग सुविधाओं हेतु भूमि ईंधन भरने और सुविधाओं हेतु भूमि पाइपलाइन हेतु भूमि रिटेल आउटलेट हेतु भूमि रिटेल आउटलेट हेतु भूमि	3,564.00 44,356.00 1,778.08 2,500.00 1,672.20	01.08.85 22.10.83 24.10.83 23.01.91 27.08.04	01.08.15 22.10.13 24.10.13 22.01.96 लागू नहीं	- - - समझौता निष्पादित नहीं हुआ लागू नहीं
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	हाइड्रेंट कार्यालय हेतु भूमि ईंधन सुविधाओं हेतु भूमि ईंधन सुविधाओं हेतु भूमि	97.25 1,812.72 814.39	07.10.82 01.04.78 01.04.78	31.03.90 31.03.90 31.03.90	बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं, प्रगति पर बकाया देय राशियों के

						कारण नवीनीकरण नहीं, प्रगति पर बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं, प्रगति पर
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पाइपलाइन हेतु भूमि पाइपलाइन हेतु अतिरिक्त भूमि परिचालन क्षेत्र में भूमि पेट्रोल पंप हेतु भूमि	1,800.00 938.00 2,163.00 2,757.00	10.09.82 07.01.03 01.04.82 28.09.93	09.09.12 09.09.12 31.03.85 27.09.98	- कोई समझौता विद्यमान नहीं बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं हुआ बकाया देय राशियों के कारण नवीनीकरण नहीं हुआ
4	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL)	सीएनजी पाइपलाइन हेतु भूमि	720.00	01.04.04	31.03.09	-

अन्य एजेंसियां

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
1	सीमा सुरक्षा बल (BSF)	हेंगर हेतु भूमि आईजीआईए पर भूमि T1 पर अतिरिक्त भूमि	2,300.00 4,165.00 1,450.00	02.06.86 12.12.86 20.01.04	30.06.05 30.06.05 30.06.05	- - समझौता निष्पादित नहीं हुआ
2	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS / BDDS)	बीडीडीएस हेतु भूमि बीसीएस क्षेत्रीय कार्यालय श्वान प्रशिक्षण हेतु भूमि	3,273.00 1,873.00 3,400.00	11.07.90 17.06.96 11.01.02	लागू नहीं 16.06.26 10.01.05	कोई औपचारिक समझौता विद्यमान नहीं। भवन का निर्माण बीसीएस के खर्च पर एएआई द्वारा किया गया। - -
3	सीमा शुल्क विभाग (Customs)	कार्यालय परिसर हेतु भूमि कार्यालय परिसर हेतु अतिरिक्त भूमि	10,300.00 700.00	31.01.89 31.01.89	30.12.19 30.12.19	- -

अन्य एजेंसियां (जारी....)

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
4	डाक एवं तार विभाग (P&T - एयर मेल सॉर्टिंग)	डाक एवं तार भवन हेतु भूमि टी1 पर टीएमओ भवन हेतु भूमि	13,855.00 168.32	06.03.84 लागू नहीं	05.03.14 लागू नहीं	- -
5	दिल्ली पुलिस	पुलिस स्टेशन हेतु भूमि	2,800.00	10.10.95	09.10.25	-
6	भारत मौसम विज्ञान विभाग	तूफान पहचान रडार हेतु भूमि नए एटीसी के पास वेधशाला हेतु भूमि	1,219.00 400.00	10.08.87 04.04.97	09.08.97 03.04.02	नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर
7	विशेष सुरक्षा समूह	रेलवे लाइन के समानांतर भूमि	1,700.00	08.09.98	07.09.03	नवीनीकरण प्रगति पर
8	दिल्ली परिवहन निगम	टर्मिनल 1 पर भूमि	6.12	लागू नहीं	लागू नहीं	-
9	दिल्ली पर्यटन विकास निगम	टर्मिनल 2 पर भूमि	900.00	28.10.92	27.10.22	-
10	येलो फीवर अस्पताल (Yellow Fever Hospital)	टर्मिनल 1	2,203.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

निजी एजेंसियां

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
1	एसीएएआई	सीडब्ल्यूसी परिसर में पक्की भूमि सीडब्ल्यूसी परिसर में पक्की भूमि	159.00 192.09	08.07.93 22.02.90	31.03.04 31.03.04	नवीनीकरण प्रगति पर नवीनीकरण प्रगति पर
2	ईएटीएस	कोच पार्किंग हेतु भूमि	40.00	लागू नहीं	लागू नहीं	-
3	नितिन ट्रांसपोर्ट कंपनी	T1B पर भूमि लेफ्ट लगेज के पास भूमि T2 पर भूमि	244.00 36.00 100.00	08.04.00 08.04.00 08.04.00	07.04.05 07.04.05 07.04.05	- - -
4	कंबाटा एविएशन	रखरखाव ब्लॉक में पक्की भूमि रखरखाव ब्लॉक ए में पक्की भूमि रखरखाव ब्लॉक में पक्की भूमि T2 पर पक्की भूमि	3,790.00 253.00 1,080.00 4,000.00	06.08.98 25.11.99 25.11.99 10.05.99	30.06.05 30.06.05 30.06.05 30.06.05	- - - -

निजी एजेंसियां (जारी...)

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
5	दिल्ली फ्लाइटिंग क्लब	बीएसएफ और वायुदूत हेंगर के बीच पक्की भूमि	25.00	09.06.99	31.03.03	नवीनीकरण प्रगति पर
6	फ्यूम्स इंटरनेशनल	T1 पर पे एंड यूज शौचालय हेतु भूमि T2 पर पे एंड यूज शौचालय हेतु भूमि	120.00 120.00	06.01.04 06.01.04	05.01.09 05.01.09	कोई समझौता विद्यमान नहीं कोई समझौता विद्यमान नहीं

होटल / खानपान प्रदाता (Hotels/caterers)

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
1	होटल मोहन (एंबेसडर स्काई शेफ)	फ्लाइट किचन हेतु भूमि	14,720.00	01.09.81	31.08.11	-
2	ओबेरॉय फ्लाइट किचन	फ्लाइट किचन हेतु भूमि	15,000.00	15.05.78	14.05.08	-
3	ताज फ्लाइट किचन	फ्लाइट किचन हेतु भूमि	14,440.00	01.09.81	31.08.11	-
4	ग्रोवर लीजिंग लिमिटेड	5 सितारा होटल हेतु भूमि	28,000.00	07.09.89	06.09.19	पत्र AAD EST - 305/Grover/Vol4 द्वारा 17.10.94 को समझौता समाप्त
5	सेंटूर होटल (Centaur Hotel)	होटल हेतु भूमि	30,000.00	01.01.01	31.12.30	-
6	शेफएयर मार्फत सेंटूर होटल	होटल किचन हेतु भूमि	15,000.00	01.01.01	31.12.30	-

इंडियन एअरलाइंस (Indian Airlines)

क्र.सं. (S.No.)	एजेंसी का नाम (Agency)	प्रयोजन (Purpose)	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां (Remarks)
1	इंडियन एयरलाइंस (Indian Airlines)	T2 पर ग्राउंड सपोर्ट सुविधा हेतु प्लॉट एयर फ्रांस कार्गो भवन	1,540.00 372.08 180.42	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

		एयर फ्रांस कार्गो	73.47	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		एयर फ्रांस कार्गो	3.34	लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
		कैटरिंग भवन के पास सीढ़ी हेतु भूमि	558.53	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		ऑक्सीजन कक्ष के विस्तार हेतु रैंप	41.79	लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
		उपकरण शेड	43.48	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		हैंगर #1 और 2 के बीच स्क्रेप लैंड स्टॉल	112.04	लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
		शौचालय	195.65	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		चालक विश्राम कक्ष हेतु भूमि	300.17	लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
		कार्गो शेड हेतु भूमि	256.69	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		कार पार्किंग हेतु भूमि		लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
		स्कूटर पार्किंग हेतु भूमि		लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता
		स्कूटर पार्किंग हेतु अस्थायी शेड के लिए भूमि		लागू नहीं	लागू नहीं	विद्यमान नहीं
						कोई समझौता
						विद्यमान नहीं
						कोई समझौता
						विद्यमान नहीं
						कोई समझौता
						विद्यमान नहीं
						कोई समझौता
						विद्यमान नहीं
						कोई समझौता
						विद्यमान नहीं

इंडियन एअरलाइन (जारी)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से	अवधि तक	टिप्पणियां
1	इंडियन एयरलाइंस (जारी)	विद्युत सब-स्टेशन हेतु भूमि	138.89	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		ऑक्सीजन कक्ष हेतु भूमि	18.39	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		इंजीनियरिंग भवन हेतु अतिरिक्त भूमि	167.23	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		स्टोर प्रशासन भवन हेतु भूमि	1,728.27	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		इन्फ्लेटेबल डोम हेतु भूमि	557.52	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

	कंप्रेशन रूम हेतु भूमि	10.87	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	स्टोर और कैटरिंग हेतु भूमि	1,301.01	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	चिलिंग प्लांट हेतु भूमि	158.86	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	अतिरिक्त ट्यूबवेल हेतु भूमि	45.82	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	जंक यार्ड हेतु भूमि	133.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	आईएसी के नए कार्गो परिसर के साथ भूमि	967.29	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	T1 पर भूमि (पुराना पालम कार्गो)	3,655.61	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	T1 पर भूमि (पुरानी जापान एयरलाइंस)	1,066.61	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	T1 पर भूमि (पुरानी एयर इंडिया)	5,641.39	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	एनेक्सी हेतु भूमि	219.90	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	737 परियोजना हेतु भूमि	110.37	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	नए प्रशासनिक भवन हेतु भूमि	250.84	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	हेंगर #4 का कमरा और शौचालय कक्ष	157.10	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	स्टोर और कार्यशाला हेतु भूमि	472.41	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	हेंगर #3 और 4 के बीच शौचालय ब्लॉक	232.25	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
	हेंगर #1, 2, 3 और आईएसी इंजीनियरिंग ब्लॉक के बीच भूमि	5,434.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

		हैंगर #4 हेतु भूमि	1,895.20	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु भूमि	3,431.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		रखरखाव इंजीनियरिंग शेड हेतु भूमि	480.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		लाइन रखरखाव हेतु भूमि	859.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		एमटी वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि	175.34	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		इंजीनियरिंग कार्यशाला हेतु भूमि	72,807.74	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		कैटरिंग भवन का निर्माण	1,159.87	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		कार्गो वेयरहाउस का निर्माण	1,413.89	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		वितरण क्षेत्र में 3 हैंगरों हेतु भूमि	93,689.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं
		T1 पर जीएसई हेतु पक्की भूमि	1,990.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

अनुसूची 28 (जारी) - विद्यमान पट्टे

इंडियन एअरलाइन

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अवधि से (From)	अवधि तक (To)	टिप्पणियां
1.	इंडियन एअरलाइन (जारी)	T2 पर जीएसई हेतु पक्की भूमि	1,900.00	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई समझौता विद्यमान नहीं

अनुसूची 29*

*जानबूझकर छोड़ दिया गया (*INTENTIONALLY OMITTED)

अनुसूची 30
स्वतंत्र मूल्यांककों के पैनल का चयन

1. स्वतंत्र मूल्यांकक का चयन

1.1 एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) अंतरण परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु उनका मूल्यांकन करने के लिए धन-कर अधिनियम के तहत पंजीकृत मूल्यांककों, परामर्शदात्री इंजीनियरिंग फर्मों या निगमित निकायों से बोलियां आमंत्रित करेगा। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1997 में जारी परामर्शदात्री कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज (परामर्श असाइनमेंट के लिए मानक बोली दस्तावेज: समय आधारित - वॉल्यूम वी) के भाग II के प्रावधान बोलियों के आमंत्रण और उनके मूल्यांकन हेतु यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

1.2 प्राप्त बोलियों के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के अनुसरण में, एएआई पात्र फर्मों को सूचीबद्ध (shortlist) करेगा। सूचीबद्ध फर्मों के बीच प्राथमिकता क्रम का निर्धारण वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जाएगा तथा न्यूनतम वित्तीय बोली वाली फर्म को प्रथम स्थान (रैंक 1) दिया जाएगा; बशर्ते कि वित्तीय बोलियों के आधार पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान पर रहने वाली फर्मों को न्यूनतम वित्तीय बोली से मिलान करने का अवसर एएआई द्वारा प्रदान किया जाएगा, और यदि वे या उनमें से जो भी न्यूनतम वित्तीय बोली से मिलान करने के लिए सहमत होते हैं, और यदि उक्त सूचीबद्ध पात्र फर्मों में से कोई भी प्रथम स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली से मिलान करने से असहमत होती है, तो प्राथमिकता क्रम में अगली फर्म, उदाहरणार्थ छठी आदि को प्रथम स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली से मिलान करने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहने वाली फर्म की वित्तीय बोली से मिलान करने वाली चार फर्मों को अनुमोदित स्वतंत्र मूल्यांककों का पैनल गठित करने वाला माना जाएगा।

1.3 इस अनुसूची 30 के पैरा 1.2 में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पांच (5) फर्मों का एक पैनल गठित किया जाएगा।

1.4 एएआई फर्मों के पूर्वोक्त पैनल का विवरण जांच और टिप्पणियों (यदि कोई हों) के लिए जेवीसी को संप्रेषित करेगा। जेवीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है, एएआई के संबंधित अभिलेखों की जांच करने का हकदार होगा और पूर्वोक्त पैनल के विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हों) एएआई को भेजेगा। ऐसी टिप्पणियां प्राप्त होने पर (यदि कोई हों), एएआई सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात 3 (तीन) फर्मों के पैनल को अंतिम रूप देकर गठित करेगा, और अपने निर्णय से जेवीसी को अवगत कराएगा।

2. शुल्क और व्यय

स्वतंत्र मूल्यांककों को शुल्क और व्यय का भुगतान पात्र फर्मों की उस न्यूनतम वित्तीय बोली में निर्धारित अनुसार किया जाएगा जिसके आधार पर पैनल का गठन किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर। स्वतंत्र मूल्यांककों के शुल्क और व्यय का भुगतान एएआई द्वारा इस समझौते के अनुसरण में अंतरण परिसंपत्तियों के लिए देय प्रतिफल की प्राप्तियों में से कटौती करके किया जाएगा।

3. नवीन पैनल का गठन

समझौते की अवधि समाप्त होने से कम से कम छह माह पूर्व अथवा इसकी समयपूर्व समाप्ति पर, जो भी पहले हो, एएआई इस अनुसूची 30 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार फर्मों का एक पैनल तैयार करेगा; बशर्ते कि एएआई जेवीसी की पूर्व लिखित सहमति से किसी भी समय एक नया पैनल तैयार कर सकता है।

4. स्वतंत्र मूल्यांकक के रूप में सरकारी संस्था की नियुक्ति

इस अनुसूची में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, एएआई अपने विवेक से स्वतंत्र मूल्यांककों के पैनल में सरकार के स्वामित्व वाली संस्था को नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी संस्था एक निगमित निकाय (body corporate) हो जिसका प्राथमिक कार्य सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए परामर्श, परामर्शी (advisory) और पर्यवेक्षी सेवाएं (supervisory services) प्रदान करना हो।

